उत्तराखण्ड सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण

2024-2025

भाग-1

अर्थ एवं संख्या निदेशालय

नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण
उत्तराखण्ड
वर्ष 2024-25

अर्थ एवं संख्या निदेशालय
नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड सरकार
37A, आई. टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248013
दूरभाष / फैक्स: 0135–2712604
ई–मेल: dirdesuk@gmail.com | dir-des-uk@nic.in
वेबसाइट: www.des.uk.gov.in

राधा रतूड़ी
आई.ए.एस.
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन,
सचिवालय, 4 सुभाष मार्ग,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड शासन

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है जिसे बजट सत्र में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक सामाजिक परिदृश्य को प्रस्तुत करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 में राज्य की अर्थव्यवस्था के सामने आ रही चुनौतियों, अवसरों के साथ–साथ भविष्य हेतु विभिन्न रणनीतियों का समावेश कर राज्य के विकास का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। यह अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में विकास की दिशा तथा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में व्यापक दृष्टकोण प्रस्तुत करता है। उत्तराखण्ड राज्य अपनी स्थापना के 25 वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। राज्य द्वारा अपनी युवावस्था में विकास के कई आयाम स्थापित किये है परन्तु कई क्षेत्रों में अभी और गम्भीर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक दोगुना करने के उद्देश्य से राज्य की अवसंरचना, उद्योग, कृषि एवं उद्यान, सेवा क्षेत्र के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी का उच्चतम प्रयोग कर राज्य का समग्र विकास किया जा रहा है।

राज्य में महिला सशक्तिकरण, युवाओं के स्वालम्बन, दिव्यांगजनों तथा समाज के कमजोर वर्गों के समग्र विकास हेतु विभिन्न नीतियों को तैयार किये जाने का प्रयास किया गया है, जिनका प्रभाव भी शीघ्र ही राज्य के विकास पर दृष्टिगोचर होगा। राज्य में वर्ष 2025 में समग्र प्रयासो से शीघ्र ही राष्ट्रीय खेलो का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाना है। सशक्त उत्तराखण्ड @25 के अन्तर्गत राज्य के अवस्थापना विकास, औद्योगिक निवेश, पर्यटन, शहरी विकास, उर्जा, जैसे क्षेत्रों के साथ–साथ जैविक कृषि, उद्यानीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु लक्ष्य निर्धारित कर निश्चित समयावधि में लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024–25 में वित्तीय वर्ष 2024–25 की माह दिसम्बर तक की विभिन्न विभागों की वास्तविक उपलब्धियों तथा माह मार्च तक की प्रस्तावित कार्यक्रमों/योजनाओं का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। यह प्रकाशन अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा ससमय तैयार किया गया है, जो कि सराहनीय है।

आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की सामाजार्थिक स्थिति एवं विकासात्मक गतिविधियों का आंकलन करने के अपने उददेश्य में सफल होगा। उक्त प्रकाशन नीति–निर्धारकों, योजना निर्माताओं, सांख्यिकीविदों एवं शोधकर्ताओं के लिये उपयोगी सिद्ध होगा। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024–25 (भाग–1) को और अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाने हेतु प्राप्त सुझावों का स्वागत है।

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव

आर० मीनाक्षी सुन्दरम
आई.ए.एस.
सचिव

उत्तराखण्ड शासन

नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन,
सचिवालय, 4 सुभाष मार्ग,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रस्तावना एवं आभार

उत्तराखण्ड राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण भाग– 01 वर्ष 2024–25 को अर्थ एवं संख्या निदेशालय, द्वारा तैयार किया गया है। विगत वर्षो की भॉति इस संस्करण में राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न उतार चढावों, विगत वर्षों की उपलब्धियों के साथ–साथ चालू वर्ष में राज्य द्वारा आर्थिक सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य 09 नवम्बर, 2024 को अपनी स्थापना के 24 वर्ष पूर्ण कर चुका है तथा 25 वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में विभक्त राज्य में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में है, कृषि, बागवानी, वानिकी, पर्यटन तथा उर्जा राज्य के ग्रोथ ड्राइवर्स है जिनके उचित एवं समावेशी उपयोग से राज्य की आर्थिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है।

उत्तराखण्ड की अर्थ व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के समान ही है। यह न तो पूर्णतया पूंजीवादी और न ही पूर्ण समाजवादी है यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राज्य में कुछ क्षेत्रों (जैसे उर्जा, सिंचाई आदि) में सरकारी नियोजन, अधिकांश क्षेत्रो (कृषि, व्यापार आदि) में व्यापार तंत्र (मांग पूर्ति व कीमत क पर आधारित) तथा कुछ क्षेत्रों (शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि) में दोनो के माध्यम से आर्थिक विकास संचालित होता है, आर्थिक नियोजन की दृष्टि से राज्य में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विषमताओं को दूर करना है। विकेन्द्रित नियोजन के अन्तर्गत राज्य मे जिला योजना के अन्तर्गत लगभग ₹ 1000 करोड़ की योजनाओं का जनपद में जिला योजना समिति के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राज्य के स्थापना के समय से ही आर्थिक विकास की ऊंची दर पाये जाने की प्रवृति है, प्रदेश की आर्थिक विकास दर वर्ष 2001 में 2.9 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2010 में बढकर 9.5 प्रतिशत हो गई, कोविड महामारी के प्रभाव से यह वर्ष 2020–21 में ऋणात्मक (–12.10 प्रतिशत) हो गई परन्तु वर्ष 2023–24 में धनात्मक होकर 7.83 प्रतिशत हो गई है। उत्तराखण्ड में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2001–2002 में लगभग ₹ 16232 थी जो वर्ष 2023–24 में ₹ 2,46,178 हो गई है, यही नही राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2023–24 मे 3,32,998 करोड रूपये का अनुमान लगाया गया है। उत्तराखण्ड के सकल घरेलू उत्पाद में पिछले पांच वर्षो में लगभग 7.50 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हो रही है।

उत्तराखण्ड में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी पहले की तुलना में घटी है साथ ही वर्ष 2023–24 में यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे कम है। द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी पूर्व की अपेक्षा बढी है और वर्ष 2023–24 में 43.46 प्रतिशत हो गई है। तृतीयक क्षेत्र की भागेदारी में पूर्व में वर्षों की अपेक्षा आंशिक कमी हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की सापेक्षिक स्थिति प्रदेश में व्यावसायिक संरचना व विकास की अवस्था को दर्शाता है।

आय की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर कम निर्भरता व द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान राज्य में आर्थिक विकास की उच्च अवस्था का प्रतीक होता है।

आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष के दौरान विकास की प्रवृति के संबंध में अनुमान, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार हालातों की रूपरेखा और सुधार के उपायों को बताने का प्रयास किया गया है। राज्य गठन के उपरान्त से ही सरकारों द्वारा कृषि एवं उद्यान में लगातार सुधारात्मक प्रयास किये गये है यही नही अपितु औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य मे औद्योगिक संस्थानों के गठन के साथ-साथ समय-समय पर निवेश सम्मेलन आयोजित कर निवेशको को उद्योगों को स्थापित करने हेतु विभिन्न नीतियां तैयार कर प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य किया गया है। आई0टी0 एवं सेवा जैसे क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हो रही है जो राज्य के समग्र विकास और अर्थ व्यवस्था मे योगदान दे रहे है।

आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण में अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा विभागीय अधिकारियों के सहयोग से अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी है। आर्थिक सर्वेक्षण के संकलित अध्यायों के परिमार्जन, परिवर्द्धन, परिनिरीक्षण एवं सम्पादन हेतु श्री सुशील कुमार, निदेशक की अध्यक्षता तथा श्री पंकज नैथानी एवं डॉ0 मनोज कुमार पंत अपर निदेशक के पर्यवेक्षण में गठित कोर टीम के सदस्यों- संयुक्त निदेशक, डॉ0 दिनेश चन्द्र बडोनी, उप निदेशक श्री निर्मल कुमार शाह, अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्री ललित मोहन जोशी, तथा अपर सांख्यिकीय अधिकारी- श्री रितेश कुमार एवं श्री रितेश शर्मा, श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, एवं श्रीमती ऋतु नेगी तथा अध्याय लेखन हेतु कोर कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक - सुश्री चित्रा, श्री टी0एस अन्ना, उप निदेशक - श्री मनीष राणा, डॉ0 इला पन्त बिष्ट, श्रीमती रश्मि हलधर एवं अर्थ एवं संख्याधिकारी - श्री ललित आर्य, श्रीमती ज्योति जोशी, श्री राजेश कुमार, श्री संजय शर्मा, श्री गोपाल गुप्ता, श्री अतुल आनन्द, डॉ0 मोनिका श्रीवास्तव, श्री लख्मी चंद, शोध अधिकारी श्री महेश चन्द कपिल, श्री सुरेश गोयल, तथा सहयोग हेतु अपर सांख्यिकीय अधिकारी- श्री राजेन्द्र सिंह रावत, श्री अशोक कुमार, श्री आलोक कुमार, श्री बृजेश कुमार, सुश्री सीमा धीमान, श्री सुन्दर सिंह तोमर, श्री योगेन्द्र सिंह रौथाण, श्री मानसिंह कुंवर, श्री मनोज कुमार, श्री अरविन्द कुमार सैनी, श्री जयपाल सिंह एवं श्री शैलेन्द्र कुमार विशेषज्ञ सी.पी.पी.जी.जी. का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए टंकण एवं अन्य कार्यों में सहयोग देने हेतु श्री दीपक सिंह गुसाई तथा अन्य समस्त डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों/अन्वेषक-कम-संगणकों एवं पी0आर0डी0 कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

अन्त में अर्थ एवं संख्या निदेशालय की ओर से श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, एवं मुख्य सचिव महोदया का आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके अतिरिक्त समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों तथा विभागीय अधिकारियों का विभाग से सम्बन्धित आवश्यक तथ्य, सूचनायें, ऑकड़े तथा विवरण उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा प्रभारी सचिवों का उनके सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

आर्थिक सर्वेक्षण
वर्ष 2024–25
विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
	शब्द संक्षेप	i-xiv
	राज्य की अर्थव्यवस्था	
1	उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन	01–14
2	राज्य आय एवं लोक वित्त	15–29
3	कराधान	30–42
4	भाव संचलन	43–48
	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	
5	कृषि, गन्ना एवं उद्यान	49–78
6	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	79–96
7	सहकारिता	97–104
8	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	105–109
9	वन एवं पर्यावरण	110–123
	सेवा क्षेत्र	
10	परिवहन एवं संचार	124–134
11	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	135–152
12	बैंकिग एवं संस्थागत वित्त	153–173
	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	
13	विद्युत	174–193
14	जल संसाधन एवं प्रबन्धन	194–219
15	सड़क एवं रेल	220–226
16	उद्योग	227–251
17	श्रम रोजगार एवं कौशल विकास	252–266
	ग्रामीण एवं शहरी विकास	
18	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	267–287
19	शहरी विकास एवं आवास	288–299

क्रम संख्या	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
	मानव विकास	
20	शिक्षा	300–321
21	स्वास्थ्य	322–347
22	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	348–356
23	सतत् विकास लक्ष्य	357–363
24	खेल एवं युवा कल्याण	364–377
25	समाज कल्याण	378–397
	ई–सुशासन	
26	सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी	398–419
27	राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन	320–427
	परिशिष्ट	429–444

शब्द संक्षेप (Abbreviations)

AAI-	Airports Authority of India
ABC-	Animal Birth Control
AE-	Actual Estimates
ADB-	Asian Development Bank
AIC-	Artificial Insemination Centres
AICTE-	All India Council for Technical Education
AIDS-	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AIF-	Agri Infrastructure Fund
AIIB-	Asian Infrastructure Investment Bank
AIIMS-	All India Institute of Medical Sciences
ALS-	Advance Life Support
AMRUT-	Atal Mission for Rejuvenation And Urban Transformation
AMR-	Automatic Meter Reading
ANC-	Ante Natal Care
ANM-	Auxiliary Nurse Midwifery
AMI-	Agricultural Marketing Infrastructure
ANC-	Absolute Neutrophil Count
APEDA-	Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
APMC-	Agricultural Produce Marketing Committee
APO-	Annual Plan of Action
APY-	Atal Pension Yojana
ARC-	Advance Release Calendar
ART-	Anti-Retroviral Therapy
ASCAD-	Assistance To State For Control Of Animal Diseases
ASER-	Annual Status of Education Report
ASHA-	Accredited Social Health Activist
AT&C-	Aggregate Technical and Commercial
ATF-	Aviation Turbine Fuel
ATM-	Automated Teller Machine
AYUSH-	Ayurvedic, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy
BADP-	Border Area Development Programme
B to C-	Business to Customer
BAIF-	Bharatiya Agro Industries Foundation
BBBP-	Beti Bachao Beti Padhao
BBPS-	Bharat Bill Payment System
BCARLIP-	Bio-Diversity Conservation and Rural Livelihood Improvement Plan
BCC-	Basic Computer Course
BE-	Budget Estimates
BHMCT-	Bachelor of Hotel Management and Catering Technology
BIS-	Bureau of Indian Standards
BLC-	Beneficiary Led Construction

BLS-	Basic Life Support
BPL-	Below Poverty Line
BPO-	Business Process Outsourcing
BRAP-	Business Reforms Action Plan
BRO-	Border Roads Organisation
BRTF-	Border Roads Task Force
BSNL-	Bharat Sanchar Nigam Limited
BSUP-	Basic Service for Urban Poor
BVS-	Block vaccine store
CAD-	Computer-aided Design
CAF-	Common Application Form
CAGR-	Compound Annual Growth Rate
CALC-	Computer aided Learning Centre
CAMPA-	Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
CAP-	Centre for Aromatic Plants
CAS-	Common Application Software
CBAC-	Context Based Access Control
CBE-	Community Based Events
CBOs-	Community Based Organisations
CBS-	Core Banking System
CCMP-	Cyber Crisis Management Technology
CCPs-	Cold chain Points
CCTNS-	Crime and Criminal Tracking Network & System
CCTV-	Closed Circuit Television
CD RATIO-	Credit Deposit Ratio
CDTP-	Community Development Through Polytechnics
CEA-	Central Electricity Authority
CEMB-	Center of Excellence in Mountain Biology
CGHS-	Central Government Health Scheme
CGSSD-	Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt
CGST-	Centre Goods & Services Tax
CHCs -	Community Health Centres
CII-	Critical Information Infrastructure
CIPET-	Central Institute of Plastics Engineering & Technology
CISF-	Central Industrial Security Force
CISO-	Chief Information Security Officer
CITIIS-	City Investment Innovation Integrated and Sustain
CLR-	Commissionerate of Land Revenue
CMERI-	Central Mechanical Engineering Research Institute
CMO-	Chief Medical Officer
CMP-	Comprehensive Mobility Policy
COVID-	Corona Virus Disease
CPCB-	Central Pollution Control Board

CPI- Consumer Price Index
CSCs- Common Service Centres
CSIR- Council of Scientific & Industrial Research
CSO- Central Statistics Office
CSP- City Sanitation Plan
CSR- Corporate Social Responsibility
CWC- Central Water Commission
CWSN- Children With Special Needs
DARC- Drone Application and Research Centre
DAY-NRLM- Deendayal Antodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission
DBT- Direct Benefit Transfer
DCCC- Dedicated Covid Care Centre
DCH- Dedicated Covid Hospital
DCHC- Dedicated Covid Health Centre
DCUs- Departmental Commercial Undertakings
DDRC- District Disability Rehabilitation Centre
DDUGJY- Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana
DEA- Department of Economic Affair
DEDS- Dairy Entrepreneurship Development Scheme
DES- Directorate of Economics & Statistics
DGCA- Directorate General of Civil Aviation
DGCIS- Directorate of General of Commercial Intelligence and Statistics
DGFT- Director General of Foreign Trade
DGPS- Differential Global Positioning System
DIC- District Industries Center
DIDF- Dairy Infrastructure Development Fund
DIET- District Institute of Education & Training
DILRMP- Digital India Land Record Modernisation Programme
DIPP- Department of Industrial Policy and Promotion
DMRC- Delhi Metro Rail Corporation
DMS- Distribution Management System
DMS- Document Management System
DPA- Direct Productive Activities
DPR- Detailed Project Report
DPS- District Project Societies
DQAS- Daily Quick Audit System
DRI- Differential Rate of Interest
DRIP- Dam Rehabilitation Improvement Program
DSI- Dynamic Systems Initiative
DST- Department of Science & Technology
DSUCP- Development of Smart Urban Cluster Project
DTH- Direct To Home
DVS- District Vaccine Store

DVS-	Dynamic Vapor Sorption
DWSM-	District Water and Sanitation Mission
EBB-	Educationally Backward Blocks
ECHS-	Ex-servicemen Contributory Health Scheme
EIA-	Environmental Impact Assessment
ECLGS-	Emergency Credit Line Guarantee Scheme
EEPC-	Engineering Export Promotion Council of India
EMI-	Equated Monthly Installment
E-NAM-	E-National Agriculture Market
EODB-	Ease Of Doing Business Score
EPI-	Export Preparedness Index
E-POS-	Electronic Point of Sale
ERP-	Enterprise Resource Planning
ESI-	Employees State Insurance
ETS-	Electronic Total Station
eVIN-	Electronic Vaccine Intelligence Network
EV-	Electric Vehicles
EWS-	Economically Weaker Section
FC-	Fitness Certificate
FCI-	Food Corporation of India
FDR-	Fixed Deposit Receipt
FHTC-	Functional Household Tap Connection
FIDF-	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund
FIEO-	Federation of Indian Export Organization
FLCs-	Financial Literacy Centers
FMD-	Foot and Mouth Disease
FMS-	Facility Management Service
FPF-	Food Processing Fund
FPO-	Food Process Order
FPS-	Fair Price Shop
FRBMA-	Fiscal Responsibility and Budget Management Act
FRP-	Fibre-Reinforced Plastic
FRTU-	Feeder Remote Terminal Unit
FSA-	Food Security Allowance
FSD-	Foundation for Sustainable Development
FSI-	Forest Survey of India
FSSAI-	Food and Safety Standards Authority of India
G to C-	Government to Citizen
GBPS-	Gigabits per second
GCF-	Green Climate Fund
GDI-	Gender Development Index
GDP-	Gross Domestic Product
GER-	Gross Enrolment Ratio

GFCF-	Gross Fixed Capital Formation
GIS-	Geographic Information System
GIS-	Gas Insulated Switchgear
GIHM-	Government Institute of Hotel Management
GLOF-	Glacial Lake Outburst Flood
GMVN-	Garhwal Mandal Vikas Nigam
GoI-	Government of India
GPDP-	Gram Panchayat Development Plan
GPS-	Global Positioning System
GSDP-	Gross State Domestic Product
GST-	Goods & Services Tax
GSVA-	Gross State Value Added
GVA-	Gross Value Added
GVO-	Gross Value Output
H-	Hectare
HARC-	Himalayan Action Research Centre
HCI-	Hyper Convergent Infrastructure
HDI-	Human Development Index
HDPE-	High Density Polyethylene
HDR-	Human Development Report
HIV-	Human Immunodeficiency Virus
HLDSC-	High Level Data Standard Committee
HMIS-	Health Management Information System
HOPE-	Helping Out People Everywhere
HP-	Horse Power
HPSEBL-	Himachal Pradesh State Electricity Bill
HPPCL-	Himachal Pradesh Power Corporation Limited
HT-	High Tension
HTLS-	High Temperature Low Sag
HUF-	Hindu Undivided Family
HVDS-	High Voltage Distribution System
IAS-	Indian Administrative Services
ICAP-	Integrated Cluster Action Plan
ICDP-	Integrated Co-operative Development Programme
ICDS-	Integrated Child Development Scheme
ICT-	Information and Communications Technology
ICU-	Intensive Care Unit
IDA-	International Development Association
IEC-	Information, Education and Communication
IFAD-	International Fund for Agriculture Development
IFSR-	Indian Forest Survey Report
IGNOU-	Indira Gandhi National Open University
IGST-	Integrated Goods & Services Tax

IHM-	Institute of Hotel Management
IIFM-	Indian Institute of Forest Management
ILSP-	Integrated Livelihood Support ~ oject
ILR-	Ice Line Refrigerators
IMA-	Integrated Modal Agriculture
IMD-	Indian Meteorological Departr ent
IMR-	Infant Mortality Rate
IMIS-	Integrated Management Infor ation System
INDCs-	Intended Nationally Determin Contributions
ISBT-	Inter-State Bus Terminus
ISRO-	Indian Space Research Organization
IT-	Information Technology
IIT-	Indian Institute of Technology
ITDA-	Information Technology Development Agency
IPCC-	International Panel on Climate Change
IPD-	In-Patient Departments
IPDS-	Integrated Power Development Scheme
IPHS-	Indian Public Health Standards
IPR-	Intellectual Property Rights
IRCTC-	Indian Railways Catering and Tourism Corporation
IRC-	India Roads Congress
IRS-	Incident Response System
ISAM-	Integrated Scheme for Agricultural Marketing
ISFR-	India State of Forest Report
ISM-	Indian School of Mines
ISO-	International Standards Organization
IVDP-	Integrated Village Development Project
IWMP-	Integrated Watershed Management Programme
JEE-	Joint Entrance Examination
JICA-	Japan International Cooperation Agency
JJM-	Jal Jeevan Mission
JLG-	Join Liability Group
JNNURM-	Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission
KCC-	Kisan Credit Card
KGBV-	Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya
KMS-	Knowledge Management System
KMVN-	Kumaon Mandal Vikas Nigam
KPIs-	Key Performance Indicators
KRC-	Key Resource Centre
KSY-	Kishori Shakti Yojana
KV-	Kilo Volt
KVIC-	Khadi and Village Industries Commission
LAN-	Local Area Network

LAP-	Local Area Plan
LBW-	Low Birth Weight
LED-	Light Emitting Diode
LFPR-	Labor Force Participation Rate
LGD-	Local Government Directory
LIG-	Low-Income Group
LPCD-	Liters Per Capita Daily
LT-	Low Tension
MAP-	Medicinal Aromatic Plants
MBA-	Master of Business Administration
MBBS-	Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
MBPS-	Megabits Per Second
MCP Card-	Mother & Child Protection Card
MDF-	Moderately Dense Forest
MDM-	Mid day Meal
MDT-	Multi Drug Therapy
MGNREGA-	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MIF-	Micro Irrigation Fund
MIG-	Middle Income Group
MIS-	Management Information System
MLD-	Millions of Liters per Day
MLHP-	Mid Level Health Providers
MM-	Millimeter
MMR-	Maternal Mortality Rate
MMS-	Miracle Mineral Solution
MNRE-	Ministry of New and Renewable Energy
MoRD-	Ministry of Rural Development
MOSPI-	Ministry of Statistics & Programme Implementation
MoU-	Memorandum of Understanding
MPCE-	Monthly Per Capita Expenditure
MPI-	Multidimensional Poverty Index
MPLS-	Multiprotocol label switching
MSBY-	Mukhyamantri Swasthya Bima Yojan
MSC-	Multi-Service Center
MSE-	Micro Small Enterprises
MSME-	Micro Small & Medium Enterprises
MSP-	Minimum Support Price
MSW-	Municipal Solid Waste
MTR-	Mass Transit Railway
MU-	Mega Unit
MVA-	Mega Volt Ampere
MV Tax-	Motor Vehicle Tax
MW-	Mega Watt

NAAC-	National Assessment and Accreditation Council
NABCONS-	Nabard Consultancy Services
NABH-	National Accreditation Board for Hospital
NABL-	National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
NACO-	National AIDS Control Organisation
NAD-	National Asset Directory
NAMP-	National Air Quality Monitoring Programme
NAPDDR-	National Action Plan for Drug Demand Reduction
NAPSrC-	National Action Plan for Welfare of Senior Citizens
NAS-	National Assessment Survey
NCDC-	National Cooperative Development Corporation
NCDs-	Non-Communicable Diseases
NCERT-	National Council of Educational Research and Training
NCF-	National Curriculum Framework
NCIIPC-	National Critical Information Infrastructure Protection Centre
NCVT-	National Council of Vocational Training
NDMA-	National Disaster Management Authority
NDP-	Net Domestic Product
NDSI-	Normalized Difference Snow Index
NERS-	National Emergency Response System
NHAI-	National Highway Authority of India
NHM-	National Health Mission
NEET-	National Eligibility cum Entrance Test
NEFT-	National Electronic Fund Transfer
NEGP-	National e-Governance Plan
NFHS-	National Family Health Survey
NFSA-	National Food Security Act
NFSM-	National Food Security Mission
NHA-	National Health Authority
NHIDCL-	National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited
NHM-	National Health Mission
NIC-	National Informatics Centre
NIDA-	NABARD Infrastructure Development Assistance
NIE-	National Implementing Entity
NIELIT-	National Institute of Electronics and Information Technology
NIFT-	National Institute of Fashion Technology
NIH-	National Institute of Hydrology
NII-	National Information Infrastructure
NIMHANS-	National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences
NIOS-	National Institute of Open Schooling
NIP-	National Infrastucture Pipeline
NIRD-	National Institute of Rural Development
NIT-	National Institutes of Technology

NITI-	National Institution for Transforming India
NITRA-	Northern India Textile Research Association
NKN-	National College Network
NMAET-	National Mission on Agricultural Extension & Technology
NMET-	National Mineral Exploration Trust
NMHP-	National Mental Health Programme
NMHS-	National Mission on Himalayan Studies
NMOOP-	National Mission on Oilseeds and Oil Palm
NMR-	Neo-Natal Mortality Rate
NMSA-	National Mission for Sustainable Agriculture
NOFN-	National Optical Fiber Network
NOHP-	National Oral Health Programme
NPA-	Non Performing Assets
NPCB-	National Programme for Control Blindness
NPCC-	National Project Construction Corporation
NPCDCS-	National Programme For Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke
NPEGEL-	National Programme for Education of Girls at Elementary Level
NPHCE-	National Programme for Health Care of the Elderly
NPP-	National Panchayat Portal
NPPCD-	National Programme for Prevention and Control of Deafness
NPS-	National Pension Scheme
NPV-	Net Present Value
NQM-	National Quality Monitors
NRDWP-	National Rural Drinking Water Programme
NRLM-	National Rural Livelihood Mission
NSS-	National Service Scheme
NSRMP-	National Seismic Risk Management Project
NSQF-	National Skills Qualifications Framework
NSSO-	National Sample Survey Office
NTEP-	National Type Evaluation Programme
NTFP-	Non-Timber Forest Products
NTPC-	National Thermal Power Corporation
NTRO-	National Technical Research Organisation
NUHM-	National Urban Health Mission
NULM-	National Urban Livelihood Mission
NWMP-	National Water Quality Monitoring Programme
ODF-	Open Defecation Free
OF-	Open Forest
OFC-	Optical Fiber Cable
OMMAS-	Online Management Monitoring and Accounting System
OPD-	Out Patient Department
OPGW-	Optical Ground Wire

OPS-	Other Priority Sector
OTS-	One Time Settlement
PACCS-	Primary Agricultural Cooperative Credit Society
PACS-	Primary Agricultural Credit Societies
PAN-	Permanent Account Number
PCO-	Public Call Office
PCS-	Provincial Civil Services
PDF-	Portable Document Format
PE-	Provisional Estimates
PEQ-	Post Entry Quarantine
PESA-	Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act
PFC-	Power Finance Corporation
PFMS-	Public Financial Management System
PGCIL-	Power Grid Corporation of India Limited
PGS-	Participatory Guarantee System
PHCs-	Primary Health Centres
PhD-	Doctor of Philosophy
PIC-	Patent Information Centre
PIU-	Project Implementation Unit
PKVY-	Prampragat Krishi Vikas Yojana
PLFS-	Periodic Labor Force Survey
PMA-	Project Management Agency
PMAGY-	Pradhan Mantri Aadarsh Gram Yojana
PMEGP-	Prime Minister's Employment Generation Programme
PMFBY-	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
PMFME-	Pradhan Mantri Formalization of Micro food processing Enterprises
PMGDISHA-	Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan
PMGSY-	Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
PMJAY-	Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna
PMJDY-	Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
PMJJBY-	Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana
PM-KMY-	Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojna
PMKSY-	Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
PMKUSUM-	Pradhan Mantri Kissan Urja Suraksha evam Utthan Mahaabhiyaan
PMKVY-	Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
PMMVY-	Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana
PMMY-	Pradhan Mantri Mudra Yojana
PMSBY-	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
PM-SYM-	Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan
PMU-	Project Management Unit
PNB-	Punjab National Bank
PODF-	Producers Organization Development Fund
POP-	Point Of Presence

PPD-	Prearranged Payment Deposit
PPP-	Public Private Partnership
PRASAD-	Pilgrimage Rejuvenation And Spiritual Augmentation Drive
PRD-	Prantiya Raksha Dal
PRT-	Personal Rapid Transit
PSB-	Public Sector Banks
PTCUL-	Power Transmission Corporation Limited of Uttarakhand
PURNA-	Providing Ultra-Rich Nutrition to Adolescent Girls
PVC-	Poly Vinyl Chloride
PWD-	Person With Disability
RAD-	Rapid Application Development
RAFTAR-	Remuneration Approaches for Agriculture and Allied sector Rejuvenation
RAP-	Rural Authorized Person
RAPDRP-	Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme
RAS-	Recirculation Aquaculture System
RBF-	River Bank Filtration
RBSK-	Rashtriya Bal Swasthya Karyakram
RC-	Registration Certificate
RCH-	Reproductive and Child Health
RE-	Revised Estimates
RET-	Rare Endangered Threats
RERA-	Real Estate Regulatory Act
RFA-	Recorded Forest Area
RFID-	Radio Frequency Identification Data
RIDF-	Rural Infrastructure Development Fund
RKVY-	Rashtriya Krishi Vikas Yojana
RMSA-	Rashtriya Madhyamik Sikhsha Abhiyan
RMU-	Ring Main Unit
ROB-	Railway Over Bridge
ROR-	Records of Rights
ROT-	Receive Only Terminal
RPL-	Recognition of Prior Learning
RRB-	Regional Rural Banks
RSETI-	Rural Self Employment Training Institutes
RT-DAS-	Real Time Data Acquisition System
RTE-	Right To Education
RTGS-	Real Time Gross Settlement
RTI-	Research Triangle Institute
RTO-	Regional Transport Office
RUSA-	Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan
RUTF-	Ready to Use Therapeutic Food
RVs-	Recreational Vehicles
RVS-	Regional Vaccine Store

RVS-	Rapid Visual Screening
SAC-	Space Application Center
SAPCC-	State Action Plan on Climate Change
SBA-	Skill Birth Attendant
SC-	Scheduled Castes
SCADA-	Supervisory Control And Data Acquisition
SCERT-	State Council of Educational Research & Training
SCSP-	Special Component Sub Plan
SCVT-	State Council of Vocational Training
SDGs-	Sustainable Development Goals
SDI-	Strategic Defense Initiative
SDMIS-	School District Management Information System
SDRF-	State Disaster Response Fund
SECC-	Socio Economic Cast Census
SECI-	Solar Energy Corporation of India
SFS-	State Food Scheme
SGFI-	School Games Federation of India
SGHS-	State Government Health Scheme
SGST-	State Goods & Services Tax
SJVNL-	Satluj Jal Vidyut Nigam Limited
SHC-	Soil Health Card
SHG-	Self Help Group
SIDCUL-	State Industrial Development Corporation of Uttarakhand
SIEMAT-	State Institute of Educational Management & Training
SIT-	Satellite Interactive Terminal
SLBC-	State Level Bankers Committee
SMA-	Special Mention Account
SMAE-	Sub Mission on Agriculture Extension
SMAM-	Sub Mission on Agriculture Mechanization
SMPP-	Sub Mission on Plant Protection
SMSP-	Sub Mission for Seed and Planting
SNF-	Solids Non Fat
SNUSP-	Support to National Urban Sanitation Policy
SOC-	Social Overhead Capital
SOP-	Standard Operations Procedures
SPCB-	State Pollution Control Board
SPMRM-	Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission
SPS-	Specialist Pharmacy System
SQM-	State Quality Monitors
SRB-	Sex Ratio at Birth
SRLM-	State Rural Livelihood Mission
SRS-	Sample Registration System
SSA-	Sarv Shiksha Abhiyan

SSDG- State Service Delivery Gateway
SSIs- Small Scale Industries
ST- Scheduled Tribes
STIs- Sexually Transmitted Infections
STP- Sewerage Treatment Plant
STPI- Software Technology Parks of India
STSAO- Short Term Seasonal Agriculture Operation
SVEP- Startup Village Entrepreneurship Programme
SVS- State vaccine store
SWAN- State Wide Area Networks
SWIS- Sheep and Wool Improvement Scheme
SWSM- State Water and Sanitation Mission
TAC- Technical Assistance Center
TB- Tuberculosis
TEQIP- Technical Education Quality Improvement Programme
TERT- Tata Energy Research Institute
TFR- Total Fertility Rate
THDC- Tehri Hydro Development Corporation
TMP- Training Management Portal
ToR- Term of Reference
TPS- Town Planning Scheme
TRC- Technical Resource Centre
TSP- Tribal Sub Plan
U5MR- Under Five Mortality Rate
UA-URIP- Uttaranchal-Urban Reform Incentive Programme
UAV- Unmanned Aerial Vehicle
UBRI- Uttarakhand Biotechnology Research Institute
UBSE- Uttarakhand Board of School Education
UCADA- Uttarakhand Civil Aviation Development Authority
UCB- Uttarakhand Council for Biotechnology
UCOST- Uttarakhand Council of Science & Technology
UDID- Unique Disability ID
UDISE- Unified District Information System for Education
UDRP- Uttarakhand Disaster Recovery Project
UDWDP- Uttarakhand Decentralised Watershed Development Project
UGCIS- Uttarakhand Geo-Special Constituency Information System
UHND- Urban Health and Nutrition Day
UIDAI- Unique Identification Authority of India
UJS- Uttarakhand Jal Sansthan
UJVNL- Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited
UKAVP- Uttarakhand Awas and Vikas Parishad
UKHDR- Uttarakhand Human Development Report
UKHSDP- Uttarakhand Health System Development Programme

UKPFMS-	Uttarakhand Public Financial Management System
UKSDI-	Uttarakhand Special Data Infrastructure
UKSDM-	Uttarakhand Skill Development Mission
UKSSSC-	Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission
ULDB-	Uttarakhand Livestock Development Board
UMANG-	Unified Mobile Application for New-age Governance
UMTC-	Urban Mass Transit Company
UNDP-	United Nation Development Programme
UPCL-	Uttarakhand Power Corporation Limited
UPHC-	Urban Primary Health Centre
UPNRM-	Umbrella Programme for Natural Resources Management
UPSIDC-	Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation
UREDA-	Uttarakhand Renewable Energy Development Agency
URIF-	Urban Reform Incentive Programme
URMIS-	Uttarakhand River Morphological Information System
URRDA-	Uttarakhand Rural Roads Development Agency
USAC-	Uttarakhand Space Application Centre
USAATA-	Uttarakhand Social Audit Accountability and Transparency Agency
USDMA-	Uttarakhand State Disaster Management Authority
USERC-	Uttarakhand Science Education and Research Centre
USRLM-	Uttarakhand State Rural livelihood Mission
USWAN-	Uttarakhand State Wide Area Network
USWDB-	Uttarakhand Sheep and Wool Development Board
UTDB-	Uttarakhand Tourism Development Board
UTGST-	Union Territory Goods and Service Tax
UTIITSL-	UTI Infrastructure Technology and Service Limited
VAT-	Value Added Tax
VDF-	Very Dense Forest
VHSNC-	Village Health, Sanitation and Nutrition Committee
VLTD-	Vehicle Location Tracking Device
VRA-	Vulnerability and Risk Analysis
VWSM-	Village Water and Sanitation Mission
WASH-	Wash Sanitation and Hygiene
WLL-	Wireless Local Loop
WPI-	Wholesale Price Index

राज्य की अर्थव्यवस्था

अध्याय–1
उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन
Overview of the Economy of Uttarakhand

1. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023–24 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 8.2 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है जबकि वर्ष 2024–25 में विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.2 प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2023–24 में ₹ 295.36 लाख करोड़ तथा वर्ष 2024–25 में लगभग ₹ 324.11 लाख करोड़ आंका गया है। स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011–12) पर (GDP) वर्ष 2023–24 में ₹ 173. 82 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2024–25 में लगभग ₹ 184.88 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

1.3 वर्ष 2024–25 के दौरान मूल्य संवर्धन मे वृद्धि मुख्यतः लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा (14.0 प्रतिशत), वित्त, रियल स्टेट एवं पेशेवर सेवाएं (10.3 प्रतिशत), कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्सय पालन (10.0 प्रतिशत), निर्माण उद्योग (8.6 प्रतिशत), व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार सेवाए, (8.0 प्रतिशत) तथा विनिर्माण क्षेत्र (6.6 प्रतिशत) मे अनुमानित है।

1.4 संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2024–25 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.6 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 25.0 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 55.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

1.5 देश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023–24 में ₹ 1,84,205 थी, जो वर्ष 2024–25 में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 2,00,162 होने का अनुमान है।

राज्य अर्थव्यवस्था

1.6 राज्य अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023–24 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 7.83 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है जबकि वर्ष 2024–25 में विकास दर 6.61 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.7 प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2023–24 में ₹ 332.99 हजार करोड़ तथा वर्ष 2024–25 में लगभग ₹ 378.24 हजार करोड़ अनुमानित किया गया है। स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011–12) पर GDP वर्ष 2023–24 में ₹ 204.32 हजार करोड़ की तुलना में वर्ष 2024–25 में लगभग ₹ 217.82 हजार करोड़ रहने का अनुमान है।

1.8 वर्ष 2024–25 के दौरान मूल्य संवर्धन में वृद्धि मुख्यतः लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा (13.58 प्रतिशत), निर्माण उद्योग (12.08 प्रतिशत), मत्सय पालन (9.39 प्रतिशत), रेलवे (9.04 प्रतिशत), परिवहन एवं संचार सेवाएं (8.64 प्रतिशत), खनन एवं उत्खनन (7.50 प्रतिशत) तथा वित्त सेवाएं (6. 78 प्रतिशत) में अनुमानित है।

1.9 संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2024–25 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.34 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 44.65 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 46.02 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

1.10 राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023–24 में ₹ 2,46,178 थी, जो वर्ष 2024–25 में 11.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 2,74,064 होने का अनुमान है।

2. राज्य आय एवं लोक वित्त

2.1 वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹60,552.90करोड़ है जबकि वर्ष 2023–24 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹54626.54 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) अनुसार वर्ष 2023–24 की तुलना में 10.84 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹60,552.90करोड़ है जबकि वर्ष 2023–24 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹54626.54 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) अनुसार वर्ष 2023–24 की तुलना में 10.84 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.2 राजस्व प्राप्तियों में करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) के अनुसार ₹36146.47 करोड़ तथा वर्ष 2023–24 (पुनरीक्षित अनुमान) में ₹31968.43 करोड़ में आंकी गई है। राज्य कर वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) में वर्ष 2023–24 (पुनरीक्षित अनुमान) की अपेक्षा 13.06 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.3 राज्य के करेत्तर राजस्व जिसमें विशेष कर ब्याज प्राप्ति, ऊर्जा परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) में ₹4873.38 करोड़ आंकी गयी हैं, जो कि वर्ष 2023–24में ₹4174.73 करोड़ थी।

2.4 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) मे ₹13637.15 करोड आंका गया हैं जो कि वर्ष 2023–24में ₹12348.25 करोड थी।

2.5 राज्य के स्वयं के कर राजस्व की मद में 2023–24 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) में ₹2889.14 करोड़ की अधिक प्राप्ति अनुमानित है। जो कि पुनरीक्षित अनुमानों से लगभग 14.73 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः जी0एस0टी0 तथा वैट की मद में ₹1313.38 करोड़, राज्य उत्पादन शुल्क की मद में ₹539.94 करोड़ की अनुमानित है।

3–कराधान

3.1 वर्ष 2000–2001 मे प्राप्त कर संग्रह ₹233 करोड़ था, जो कि वर्ष 2023–24 तक लगभग 48 गुना बढ़कर ₹11,288.90 करोड़ (₹476.62 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) हो गया है। वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक कुल राजस्व संग्रह ₹8,875.42 करोड़ (₹55. 82 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) रहा है।

3.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 में जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखे गये वस्तुओं (पेट्रोल, डीजल, ए0टी0एफ0 एवं नैचुरल गैस तथा शराब) पर माह दिसम्बर, 2023 तक कुल ₹1,836.12 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक उक्त वस्तुओं पर कुल ₹1,936.82 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है,

3.3 वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 व वैट (Non-GST) में क्रमशः ₹9,379 करोड़ तथा ₹2,675 करोड़, इस प्रकार कुल ₹12,054 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है।

3.4 जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त 01 जुलाई, 2017 से 31 दिसम्बर, 2024 तक की अवधि में कुल 2,06,315 नये व्यापारी पंजीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त 57,644 पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जी0एस0टी0 में प्रवर्जित किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान तक राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 2,63,959 हो चुकी है।

3.5 वित्तीय वर्ष 2024–25 मे माह दिसम्बर, 2024 तक राज्य कर विभाग द्वारा कुल (CGST+ IGST+ SGST+CESS) ₹15,617.74 करोड़ का संग्रहण किया गया है जो कि गतवर्ष की इसी अवधि मे किये गये कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह ₹14,359.28 करोड़ से 09 प्रतिशत अधिक है।

3.6 व्यापारी दुर्घटना बीमा योजनाः– जनहित में शासन/विभाग द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 18.11. 2025 तक के लिए लागू की गयी है, जिसमें विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में ₹10. 00 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है।

3.7 वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर) ₹1828.50 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक प्राप्त आय ₹1970.00 करोड़ रही, जो कि गत वर्ष की तुलना में 7.74 प्रतिशत अधिक है।

3.8 वर्ष 2023–24 के दौरान आबकारी विभाग द्वारा ₹4038.69 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया। वर्ष 2024–25 में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹4439.00 करोड़ के सापेक्ष 31 दिसम्बर 2024 तक ₹3343.97 करोड़ का संग्रह किया जा चुका है।

4– भाव संचलन

4.1 राज्य स्तर पर जनवरी 2024 एवं फरवरी 2024 तक सूचकांक में निरन्तर वृद्धि देखी गई, मार्च में कमी के उपरान्त अप्रैल, मई, में वृद्धि व जून 2024 में पुनः कमी एवं जुलाई से अक्टूबर तक लगातार वृद्धि के उपरान्त नवम्बर व दिसम्बर में हल्की कमी परिलक्षित हुई है।

4.2 राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2024 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) का अध्ययन करने पर दृष्टिगत् होता है कि माह जनवरी 2024 में मुद्रास्फीति की दर (+) 5.1 प्रतिशत थी जो दिसम्बर 2024 माह में अधिकतम स्तर(+) 5. 69 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

5–कृषि, गन्ना एवं उद्यान

5.1 "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी. एम–किसान)" योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में दिनांकः 31 दिसम्बर, 2024 तक 8.89 लाख कृषक पंजीकृत है तथा ₹ 2926.24 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

5.2 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 में ₹ 405.56 लाख धनराशि की कार्ययोजना पर जनपदों द्वारा कार्य किया जा रहा है। 100570 मृदा नमूनों के लक्ष्यों के सापेक्ष लगभग 98% की पूर्ति कर ली गयी है।

5.3 परम्परागत कृषि को बढ़ावा देने के लिये एवं जैविक उत्पादन प्राप्त करने हेतु विगत वर्षों से योजना प्रदेश के 13 जनपदों के 3900 कलस्टरों में संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत 78000 है० में जैविक कृषि कार्यक्रम योजनान्तर्गत जैविक खेती पर प्रशिक्षण, जैविक प्रमाणीकरण, एकीकृत खाद प्रबन्धन, मृदा परीक्षण, जैविक उत्पादों का विपणन एवं कृषि यंत्रों हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है।

5.4 उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट्स मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राज्य भर के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेट्स उगाने के लिए इनपुट के साथ–साथ विपणन आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस हेतु प्रदेश सरकार द्वारा रु0 73.16 करोड़ का पाँच वर्ष (वर्ष 2023–24 से 2027–28 तक) हेतु स्टेट मिलेट मिशन का संचालन किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

5.5 **बागवानी मिशन के अन्तर्गत** राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु के अनुसार क्लस्टरों का चयन कर क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुल 1050 क्लस्टर चयनित किये गये हैं, जिनमें 6,563 ग्राम सम्मिलित है।

5.6 राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (CMRKVY) का संचालन जनपद चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी, बागेश्वर एवं चंपावत में किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुमन्य लागत ₹ 12.00 लाख प्रति एकड़ का 80 प्रतिशत अर्थात् ₹ 9.60 लाख प्रति एकड़ प्रदान की जा रही है।

6 पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

6.1 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल पशुधन संख्या 44.27 लाख और कुक्कुटों की कुल संख्या 50.19 लाख है।

6.2 मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के अन्तर्गत राज्य के पशुपालकों को 90 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण (Interest subvention) उपलब्ध करवाकर पशुपालन आधारित गतिविधियों में भागीदार बनाते हुए उद्यमिता विकास के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, जो पलायन रोकने में सहायक भी होगा।

6.3 महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 402.13 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 394.15 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

6.4 राज्य में मात्स्यिकी क्षेत्र के समुचित विस्तार हेतु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में सभी वर्गो, युवाओं, महिलाओं को दृष्टि में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 से नवीन योजना "मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" संचालित की गयी है।

6.5 "मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" अन्तर्गत राज्य में प्रथम बार महिलाओं हेतु 60 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है तथा एक पूर्ण महिला आधारित गतिविधि "मत्स्य सहेली" प्रारम्भ की गयी है।

7–सहकारिता

7.1 किसानों की आय दो गुना करने के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 से संचालित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्यो हेतु ₹ 01.00 लाख तथा कृषियेत्तर कार्यो यथा पशुपालन, जडी–बूटी, सगन्ध पादप, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य, मुर्गी पालन, मशरुम, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि–यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली–हाउस, आदि कार्योंआदि कार्यों हेतु ₹ 3.00 लाख तक एवं स्वंय सहायता समूहों को ₹ 5.00 लाख तक की धनराशि का ब्याजरहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

7.2 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से राज्य में संचालित 'राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना' के अन्तर्गत चार क्षेत्रक सहकारिता, मत्स्य, भेड़ बकरी पालन एवं डेयरी विकास के अन्तर्गत जनपदवार विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है।

8– खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

8.1 राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय अन्न योजना एवं राज्य खाद्य योजना प्रचलित है। उक्त योजनाओं में

वर्तमान में लगभग 23.91 लाख राशनकार्ड धारक प्रचलित हैं।

8.2 उत्तराखण्ड राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 से "मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना" के अन्तर्गत वर्ष में 03 गैस रिफिल निःशुल्क वितरित की जा रही है।

8.3 वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय परिवार के राशनकार्ड धारकों को प्रति कार्ड 08 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 01 कि0ग्रा0 प्रति माह नमक सब्सिडाईज्ड दरों पर वितरण किया जा रहा है।

8.4 "वन नेशन वन राशन कार्ड" (ONORC) योजना के अन्तर्गत वितरण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य देश में पांचवें स्थान पर है।

9– वन एवं पर्यावरण

9.1 वर्ष 2021 की भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,305.13 वर्ग किमी0 पाया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,303.83 वर्ग किमी0 पाया गया। दो वर्षों की अवधि में वनावरण में 1.3 वर्ग किमी0 की कमी पायी गयी है।

9.2 प्रदेश में वर्ष 2022 में भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से पहली बार वैज्ञानिक आधार पर गुलदारों की संख्या का आंकलन किया गया, जो कि 3115 पाया गया। प्रदेश मे वर्ष 2008 की गणना में गुलदारों की संख्या 2335 आंकलित की गयी थी। इस प्रकार वर्ष 2022 की गणना में गुलदारों की संख्या में 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

10–परिवहन एवं संचार

10.1 राज्य की सीमा पर परिवहन विभाग की चैकपोस्टों को समाप्त करते हुए ए0एन0पी0आर0 कैमरों की स्थापना की जा रही है। उक्त कैमरों के माध्यम से इलैक्ट्रानिक इनफोर्समेन्ट की कार्यवाही गतिमान है। उक्त ए0एन0पी0आर0 कैमरों के माध्यम से दिसंबर, 2024 तक 102872 चालान किए गए एवं ₹ 250.99 लाख का प्रशमन शुल्क वसूल किया गया है।

10.2 वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में ऐसे शासकीय वाहनों हेतु, जिनकी मॉडल सीमा 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, के स्क्रैपिंग हेतु पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की व्यवस्था की गई है। उत्तराखण्ड परिवहन विभाग द्वारा अभी तक 05 फर्मों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई है।

10.3 उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कार्यशालाओं मे उपलब्ध भण्डारो को Computerized किये जाने हेतु NIC, देहरादून के सहयोग से Inventory Management System Software Develop किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भण्डारो के समस्त कार्य Online Portal से सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है,

11– पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

11.1 चारधाम यात्रा–2024 के अन्तर्गत बद्रीनाथ में 14.35 लाख, केदारनाथ में 16.52 लाख, गंगोत्री में 8.15 लाख, यमुनोत्री में 7.15 लाख एवं हेमकुण्ड साहिब में 1.84 लाख कुल 48.01 लाख श्रद्धालुओं/यात्रियों द्वारा वर्ष 2024 में चारधाम तथा श्री हेमकुण्ड साहिब के दर्शन किये गये है।

11.2 जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत श्री जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान तैयार किया गया, मास्टर प्लान में प्रस्तावित ₹ एक सौ तैंतीस करोड पिच्चसी लाख (₹ 133.85 करोड़) के

कार्यों के सापेक्ष ₹ इक्कीस करोड़ चौंतीस लाख (₹ 21.34 करोड़) की वित्तीय स्वीकृति अब तक जारी की गयी है।

11.3 ग्रामीण पर्यटन विकसित करने तथा पलायन को रोकने के उद्देश्य से "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना" प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निवासियों को होमस्टे निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 15.00 लाख का पूंजी अनुदान तथा प्रथम 05 वर्षों तक अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.50 लाख की दर से ब्याज अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2024 तक कुल 969 व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

12–बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त

12.1 वर्ष 2024–25 मे 30 सितम्बर 2024 तक राज्य में कुल 2,572 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 47.12 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 23.72 अर्द्धशहरी क्षेत्रों तथा 29.16 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। वर्तमान में 1212 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 610 शाखाएं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 750 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं।

12.2 30 सितम्बर 2024 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल 1417 शाखाओं का नेटवर्क है। एस.बी.आई की सबसे ज्यादा 445, पी.एन.बी. की 297 और बैंक ऑफ बड़ोदा की 134 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 490 शाखाओं का नेटवर्क हैं।

12.3 30 सितम्बर 2024 तक राज्य के बैंकों ने आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित 6 राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 3 राष्ट्रीय मानकों, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम, कमजोर वर्ग ऋण तथा महिला ऋण को अर्जित किया है।

12.4 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2024 से 30.09.2024 तक 38.04 लाख ग्राहकों को आच्छादित किया गया है।

12.5 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): बैंकों द्वारा उत्तराखण्ड में 30.09.2024 तक चालू वित्त वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत 86830 नए सूक्ष्म उद्यमियों को ₹1439.12 करोड़ का नए ऋण स्वीकृत किये गये है।

12.6 किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत 30.09.2024 तक बैंकों द्वारा योजना की शुरूआत से जरूरतमंद किसानों को कुल 613748 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिसमें से गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 179412 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है।

13–विद्युत

13.1 पी0एम0 सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत सम्मानित उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर पावर प्लांट स्थापित कर 300 यूनिट तक बिजली का लाभ प्राप्त कर सकते है। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को केन्द्र सरकार द्वारा 1 कि0वा, 2 कि0वा0 एवं 3 कि0वा0 तक के सोलर प्लांट स्थापित करने पर रू0 33,000/–, रू0 66,000/– एवं रू0 85,800/– तक की सब्सिडी तथा राज्य सरकार द्वारा 1, 2 एवं 3 कि0वा0 पर क्रमशः रू0 17,000/–,रू0 34,000/– एवं रू0 51,000/– तक की सब्सिडी दिया जाना प्रावधानित है।

13.2 पी0एम0 सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं से कुल 31407 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष 31381 आवेदन पत्र अनुमोदित किये जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत कुल 11966 (42.53 मे0वा0 क्षमता) सोलर प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत कुल 12160 उपभोक्ताओं को रू0 97.51 करोड़ की सब्सिडी जारी की जा चुकी है।

14– जल संस्थान एवं प्रबन्धन

14.1 जल जीवन मिशन (JJM-MIS) पोर्टल पर उपलब्ध आंकडों के अनुरूप दिनांक 31.03.2024 तक 13,64,620 ग्रामीण परिवारों को घरेलू क्रियाशील नल संयोजन (FHTCs) उपलब्ध कराये जा चुके थे। तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निर्धारित लक्ष्य 88,538–एफ.एच.टी.सी. के सापेक्ष वर्ष 2024–25 में दिनांक 21.12.2024 तक 43,205 FHTCs दिए जा चुके है। इस प्रकार वर्तमान तक कुल 14,07,825 (97.05%) ग्रामीण परिवार नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किये जा चुके हैं

14.2 भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल पर राज्यान्तर्गत जनपदवार कुल 19,123 विद्यालय के सापेक्ष 19,103 (99.93%) विद्यालयों तथा 16,439 आंगनवाडी केन्द्रों के सापेक्ष 16,437 (99.99%) आंगनवाडी केन्द्रों में वर्तमान तक नल संयोजन सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

14.3 राज्य में कुल 430.92 एम.एल.डी. क्षमता के 70 सीवर शोधन सयंत्र स्थापित हैं। जिनका उपयोग कर लगभग 321.92 एम.एल.डी. सीवेज का परिशोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 178.17 एम.एल.डी. क्षमता के 35 सीवर शोधन सयंत्र निर्माणाधीन/प्रस्तावित है।

14.4 राज्य में सिंचाई के तीन प्रमुख संसाधनों में नहरें, नलकूप तथा पम्प नहरें है। दिसम्बर 2024 तक विभाग के अधीन 3103 छोटी पर्वतीय एवं भावर नहरें हैं, इसके अतिरिक्त 1745 नलकूप व 324 लघुडाल नहरें निर्मित हैं। नहरों, नलकूपों एवं पम्प नहरों का कुल कमाण्ड 4.099 लाख हेक्टेयर है व खरीफ तथा रबी की सिंचन क्षमता क्रमशः 2.625 लाख है0 व 2.247 लाख है0, कुल 4.872 लाख है0 है, जिसके सापेक्ष कुल 3.184 लाख है0 में सिंचन सुविधा उपलब्ध है।

14.5 लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत माह मार्च 2024 तक 212 सोलर बोरिंग पम्पसेट, 147 सोलर लिफ्ट योजना, 41950 सिंचाई हौज, 1151 हाईड्रम, 56767 बोरिंग पम्पसेट, 842 भूस्तरीय पम्पसेट, 731 मध्यम/गहरी बोरिंग, 32214 कि0मी0 सिंचाई गूल/पाईप लाइन, 33 छोटे गेटेड वियर एवं 455 आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, 5,59,048 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

15–सड़क एवं रेल

15.1 प्रदेश में वर्तमान तक 3595 किमी0 लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें शहरी लिंक रोड तथा बाईपास सम्मिलित हैं, इनमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 2033 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग है

15.2 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चारों धामों को जोड़ने वाले राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में ऑल वैदर रोड के अन्तर्गत 46 नं0 कार्य, 737 किमी0 लम्बाई हेतु ₹9917 करोड़ के स्वीकृत हैं।

15.3 सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत श्री केदारनाथ धाम में कुल 47 नं0 कार्य, लागत ₹ 329.76 करोड़ के स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 14 नं0 कार्य, लागत ₹ 95.13 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं। 09 नं0 कार्य, लागत ₹ 116.67 करोड़ के प्रगति पर है, जिन्हें माह जनवरी 2025 तक पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तावित है।

15.4 सी.एस.आर. के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ धाम में कुल 41 नं0 कार्य, लागत ₹ 441.20 करोड़ के स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 05 नं0 कार्य, लागत ₹ 70.75 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 30 नं0 कार्य, लागत ₹ 338.22 करोड़ के प्रगति पर है, जिन्हें शीघ्रातीशीघ्र पूर्ण कर

लिया जायेगा।

15.5 केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि–सेतु बन्धन (सी.आर.आई.एफ.) के अन्तर्गत कुल 06 नं0 आर.ओ.बी. / आर.यू.बी. निर्माण के कार्य, लागत ₹ 193.92 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है, जिनकी डी.पी. आर. गठन का कार्य गतिमान है।

16– उद्योग

16.1 वर्ष 2024–25 (माह नवम्बर, 2024 तक) में कुल 88489 औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हैं। गत 24 वर्षों में औद्योगिक इकाईयों में 6 गुणा से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि इसके सापेक्ष निवेश में 24 गुणा तथा रोजगार में 10 गुणा से अधिक की वृद्धि हुई है।

16.2 भारत सरकार द्वारा एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, उन्हें टिकाऊ बनाने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियन के रूप में बदलने के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पहल की शुरूआत की गई।

16.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी / उपस्कर में स्थायी पूंजी निवेश के वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति, अधिकतम 3 वर्ष तक देय है।

16.4 शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से 'उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार' योजना के अंतर्गत राज्य के 54 शिल्पियों को पुरष्कार प्रदान किये गये। बी0पी0एल0 श्रेणी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके शिल्पियों को पेंशन प्रदान की जा रही है।

17–श्रम रोजगार एवं कौशल विकास

17.1 युवाओं का रूझान बढ़ाने के उद्देश्य से इण्डिया स्किल्स 2024 के अर्न्तगत विभिन्न कौशल के क्षेत्रों में प्रतियोगिता का आयोजन 15 मई 2024 से 19 मई 2024 के मध्य किया गया। जिसमें राज्य के 02 युवाओं को गोल्ड मेडल, 01 युवा को सिल्वर मेडल, 03 युवाओं को ब्रॉन्ज मेडल तथा 02 युवाओं को मेडल ऑफ एक्सीलेन्स प्रदान किये गये।

17.2 नाबार्ड योजनान्तर्गत 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 19 निर्माण कार्यों हेतु नाबार्ड से ₹5349.54 लाख की योजना स्वीकृत की जा चुकी है जिसके क्रम में 19 निर्माण कार्यों हेतु ₹4481.123 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

17.3 आई0टी0आई काशीपुर में Schneider Electric के तकनीकी सहयोग से तथा आई0टी0आई0, हरिद्वार में Philips के सहयोग से Manufacturing के क्षेत्र में Centre of Excellence स्थापित किया गया है

17.4 जून 2023 से जून, 2024 तक की अवधि के लिये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में रोजगार सृजन में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। सभी आयु समूहों में राज्य की बेरोजगारी दर 4.5 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत हो गयी है। जो एक सकारात्मक प्रकृति को दर्शाता है। 15–29 वर्ष के महत्वपूर्ण आयु समूह में बेरोजगारी दर विगत वर्षों के 14.2 प्रतिशत से घटकर 9.8 प्रतिशत हो गई है।

18– ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

18.1 देश की उत्तरी सीमा (भारत–चीन) में अवस्थित सीमावर्ती गावों को विकसित करने तथा इन गावों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक बजट

में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई।

18.2 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत 523 योजनायें, रू0 520.13 करोड़ की गृह मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति हेतु आनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की गयी हैं, जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा 93 योजनायें वी0वी0मद के अंतर्गत रू0 16.99 करोड़ की एवं 47 योजनायें कनवर्जेन्स मद के अंतर्गत रू0 175.25 करोड़ की स्वीकृत की गयी हैं।

18.3 प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण योजना के अन्तर्गत द्वितीय फेज वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक 56623 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुए हैं एवं आवास प्लस सूची में 56014 लाभार्थी सम्मिलित हैं। जिसके सापेक्ष 56014 आवासों को स्वीकृत करते हुए 55511 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है।

18.4 निर्धन ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष दैनिक रोजगार के साथ आजीविका के सतत साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को पैकेज के रुप में उपलब्ध कराने हेतु आजीविका पैकेज मॉडल प्रारम्भ किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के सहयोग से परिवार को एक से अधिक आजीविका परक परिसम्पत्ति उपलब्ध करायी जाएंगी जिससे उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आजीविका पैकेज में वर्तमान तक 37847 परिवारों का चयन किया जा चुका है जिसके सापेक्ष 36605 कार्य प्रारम्भ एवं 32886 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

18.5 SARRA के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यः महात्मा गांधी नरेगा एवं SARRA के सहयोग से राज्य में जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य को वर्ष 2024 में प्रारम्भ किया गया है। Spring and River Rejuvenation Authority के अंतर्गत 4931 क्रिटिकल जल श्रोतो को चिहित करते हुए ग्राम स्तर, विकासखंड स्तर एवं जनपद स्तर पर जल संरक्षण कार्य किये जा रहे है।

18.6 मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास आयोग द्वारा चिन्हित 50 प्रतिशत तक पलायन प्रभावित कुल 474 गांवों में आवासित परिवारों /बेराजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्टस आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में क्रियान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा गैप फिलिंग के रुप में इस योजना के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के माध्यम से पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना है।

19– शहरी विकास एवं आवास

19.1 स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा व्यय के सापेक्ष स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय (वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 हेतु क्रमशः 15%, 22.8% एवं 30% (प्रस्तावित)) है ।

19.2 शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता के अन्तर्गत 20885 स्ट्रीट वेण्डर चिन्हित कर पहचान पत्र वितरित किये गये है, जिसके फलस्वरूप इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रोजगार संवर्द्धन किया गया है।

19.3 प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना फेरी व्यवसायियो के लिए 01 जून 2020 से लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत 56250 फेरी व्यवसायियों द्वारा आनलाईन पोर्टल पर आवेदन किया गया है, जिसमें बैंकों द्वारा 43302 आवेदकों को ₹ 67.35 करोड ऋण स्वीकृत किया गया है।

19.4 अमृत उपयोजना 7 अमृत नगरों का जी0आई0एस0 मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है जिस हेतु स्वीकृत व्यय ₹ 3.58 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2.87 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है तथा मास्टर प्लान पूर्ण रूप से तैयार किये जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 0.71 करोड धनराशि अवमुक्त की जानी प्रस्तावित है।

19.5 अमृत 2.0 योजना के अमृत मित्र उपयोजना के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, रूड़की की 6 पार्कों (लाला लाजपत राय पार्क, इन्दिरानगर कालोनी देहरादून, दून विहार कालोनी, तिलक पार्क जाखन, गोविन्दपुरी पार्क हरिद्वार, मीना एनक्लेव पार्क हरिद्वार, केशव एवं मालवीय पार्क रूड़की) के रखरखाव हेतु ₹ 53.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है। जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त ₹ 26.00 लाख के सापेक्ष ₹ 14.00 लाख व्यय किये जा चुके है।

19.6 Integrated Urban Infrastructure Development in Rishikesh (IUIDH) परियोजना हेतु लगभग ₹ 170000.00 लाख (फेज–1 ₹ 70000 लाख एवं फेज–2 ₹ 100000.00 लाख) की लागत के अन्तर्गत यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा ऋषिकेश में पेयजल, सीवर, सड़क एवं परिवहन, जल निकासी, भू–निर्माण, अर्बन रिफार्म सेक्टरों में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

19.7 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत कुल 20 आवासीय परियोजनाओं में 15960 आवासों का निर्माण गतिमान है।

19.8 राज्य में वाहन पार्किंग की समस्या के निराकरण हेतु आवास विभाग के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में वाहन पार्किंग परियोजनाओं का निर्माण गतिमान है। राज्य के 171 स्थानों में पार्किंग परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है जिसमें सरफेस पार्किंग की 56, मल्टीलेवल कार पार्किंग की 96, ऑटोमेटेड कार पार्किंग की 09 तथा टनल पार्किंग हेतु 11 स्थान चिन्हित किये गये हैं। जिसमें 100 परियोजनाओं में ₹ 5096.20 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

20– शिक्षा

20.1 जटिल भौगोलिक क्षेत्रों से विद्यालय आने–जाने वाले 7073 बच्चों को एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान की जा रही है।

20.2 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय छात्रावास योजना के अन्तर्गत अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए विभिन्न जनपदों में 19 आवासीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 1500 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा सुविधा प्रदान की जाती हैं।

20.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक समग्र, लचीला और कौशल विकास आधारित बनाना है, जिससे छात्रों को रोजगार एवं उद्यमिता के लिए बेहतर रूप से तैयार किया जा सके।

20.4 वर्ष 2024–25 में 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में टी0सी0आई0एल0 (Telecommunications Consultants India Limited) के माध्यम से वर्चुअल कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय में 04 केन्द्रीय स्टूडियो कार्यरत हैं।

20.5 राज्य में पी.एम. श्री योजना का क्रियान्वयन 2022–23 से किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में 141 (28 प्राथमिक, 11 हाईस्कूल एवं 102 इण्टरमीडिएट) विद्यालयों तथा द्वितीय चरण में 84 (06 प्राथमिक एवं 78 इण्टरमीडिएट) विद्यालयों का चयन किया गया। वर्तमान में कुल 225 पी.एम. श्री विद्यालयों में योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानदण्डों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

20.6 विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित है। वर्ष 2023–24 में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत्

छात्र–छात्राओं को अपने–अपने महाविद्यालयों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर कुल 2610 को सात करोड़ तिहत्तर लाख छिहत्तर हजार रूपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से निर्गत की गयी।

21– स्वास्थ्य

21.1 भारत सरकार की कार्ययोजना के अन्तर्गत समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर मे उच्चीकरण किया जाना है एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के 13 जनपदों में कुल 1939 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को स्थापित किया गया है।

21.2 टेलीमेडिसिन के अन्तर्गत रूपयें 19.29 करोड की लागत से 4 मेडिकल कॉलेज (हब) एवं 400 चिन्हित PHC (स्पोक) की माध्यम से दूरस्थ स्थानों पर विषेशज्ञ चिकित्सकों के परामर्श की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। ऐजेन्सी द्वारा 400 स्पोक्स का भ्रमण कर निरीक्षण किया जा चुका है। 4 मेडिकल कॉलेज में इसका हब विकसित किया जा चुका है। उक्त 400 पीएचसी तथा 4 मेडिकल कॉलेज में आवश्यक उपकरण (टेबलेट, प्रिन्टर तथा इन्टरनेट व्यवस्था) एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा चुका है।

21.3 विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में एवं मैडिकल कॉलेजों में कुल 60 करोड रूपये की लागत की विस्तृत अधिप्राप्ति योजना विश्व बैंक के अनुमोदनोंपरान्त HLL द्वारा कुल 10 चिकित्सालयों/मेडिकल कॉलेजों कुल 169 शैयायें ICU को विकसित किया जा चुका है एवं हस्तानान्तरण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

21.4 उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम्स डेवलपमेंट परियोजना की कुल लागत 87.5 मिलियन यू0एस0 डॉलर (638 करोड रू0) है जिसमें से विश्व बैंक द्वारा 70 मिलियन यू0एस0 डॉलर के ऋण की स्वीकृति की गई है तथा शेष 17.5 मिलियन यू0एस0 डॉलर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जायेगा एवं परियोजना की कुल अवधि 6 वर्ष है।

22– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

22.1 प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 105 बाल विकास परियोजनायें हैं। जिसमें से 08 शहरी क्षेत्रों मे 97 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है। परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 20069 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 1250 शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में 18819 केन्द्र संचालित हैं।

22.2 राज्य में वर्ष 2024–25 में 2983 अतिकुपोषित बच्चे चिन्हित हुए है, बच्चों में कुपोषण खत्म करने व महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु वर्ष 2024–25 मे प्राविधानित 1351.10 करोड के सापेक्ष 488.87 करोड की धनराशि स्वीकृति की गयी जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक 430.00 करोड व्यय किया गया है।

22.3 कुक्ड फूड के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माता समिति के माध्यम से पका भोजन (hot cooked meal) प्रदान किया जा रहा है।

22.4 राज्य पोषित मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना के अन्तर्गत उत्ततराखण्ड राज्य की निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों को उनकी आजीविका में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुये स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जाना है।

22.5 "मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना" के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र के पंजीकृत 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को फोर्टीफाईड सुगन्धित दूध पाउडर डेरी विकास विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

22.6 मानदेय सेवा पर कार्यरत आंगनवाडी

कार्यकत्री/मिनी कार्यकत्री/सहायिका को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा अवधि के आधार पर न्यूनतम तीस हजार अधिकतम चौवन हजार रुपये तक की धनराशि दी जा रही है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान तक 1764 लाभार्थीयों को लाभन्वित किया गया है।

23– सतत् विकास

23.1 नीति आयोग ने वर्ष 2021 तथा 2022 में सूचकांक जारी नहीं किया और दो साल बाद वर्ष 2023 में एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स जारी किया है। उत्तराखण्ड वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर दसवें स्थान पर, 2019 में नौवे स्थान पर, 2020 में चौथे स्थान पर और वर्ष 2023 में केरल के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है।

23.2 एस0डी0जी0 के प्रारम्भिक एस.डी.जी. इंडेक्स कंपेंडियम जो कि 2015–16 से 2020–21 के लिए तैयार किये गया, उसमें 12 एस0डी0जी0 तथा 36 एस0डी0जी0 उपलक्ष्यों की मूलभूत प्रगति लक्षित हुई।

24–खेल एवं युवा कल्याण

24.1 राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु तैयारियां व अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है।

24.2 खेलो इंडिया योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में 02–02 खेल हेतु 'खेलो इण्डिया' सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं।

24.3 08 से 14 वर्ष के राज्य के खिलाड़ियों हेतु मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 150 बालक एवं 150 बालिका कुल 3900 खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1500/– छात्रवृत्ति एवं 14 से 23 वर्ष के राज्य के खिलाड़ियों हेतु मा0 मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 100 बालक एवं 100 बालिकाओं कुल 2600 खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2000/– छात्रवृत्ति दिये जाने के साथ ही 10000/– प्रति खिलाड़ी खेल उपकरण हेतु दिया जा रहा है।

24.4 अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट आफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है

24.5 खेल विभाग में कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों के मानदेय में 78 प्रतिशत से 140 प्रतिशत तक वृद्धि की गयी है। जिन कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों को पूर्व में ₹ 5,000, ₹ 7,000, ₹ 10,000, ₹ 14,000, ₹ 17,000 एवं ₹ 20,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था, उनको वर्तमान में क्रमशः ₹ 12,000, ₹ 15,000, ₹ 20,000, ₹ 25,000, ₹ 35,000 एवं ₹ 45,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

24.6 उत्तराखण्ड राज्य में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दिनांक 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 में जनपद के छः जनपदों (देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़) में किया जायेगा।

25–समाज कल्याण

25.1 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालन के अन्तर्गत निःशुल्क कोचिंग हेतु छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख निर्धारित है। कोचिंग अवधि में वाह्य विद्यार्थियों को ₹ 1500 प्रतिमाह तथा स्थानीय विद्यार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है।

25.2 कक्षा 01 से 08 तक के अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों, जिनके माता–पिता की मासिक आय ₹ 2,000 तक हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 0.30 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 39 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

25.3 दव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों की खरीद हेतु अधिकतम ₹ 3500 तक अनुदान या कृत्रिम अंग क्रय कर दिये जाने का प्राविधान था, योजनान्तर्गत शासन के पत्रांक 106

दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 द्वारा बढ़ोत्तरी करते हुए अधिकतम धनराशि ₹ 7000.00 अथवा कृत्रिम अंग अनुदान का मूल्य, जो भी कम हो तथा जिले के सरकारी चिकित्सालयों द्वारा संस्तुति की गयी हो, अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी।

26–सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी

26.1 राज्य के आई0टी0 अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु Cyber Crisis Management Plan (CCMP) एवं Critical Information Infrastructure (CII) Guidelines को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य में साईबर हमलों से निपटने के लिये Sectoral Cert एवं Cert-UTK का गठन किया गया है। साईबर हमलों से निपटने के लिये Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) के दिशा–निर्देशों के अनुसार Adjudicating Office का गठन प्रगति पर है,

26.2 स्टेट डाटा सेंटर पर अपणि सरकार पोर्टल, ई–गेटपास सिस्टम, सी0एम0 डैश बोर्ड, ई–ऑफिस, सी0एस0आर0 पोर्टल आदि होस्ट कर संचालित किये जा रहे हैं। भविष्य में राज्य के समस्त विभागों के ऐप्लीकेशन्स एवं सर्वर, डाटा सेंटर में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से डाटा सेंटर का विस्तारीकरण, नियर बैकअप हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा रही है।

26.3 राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड हेतु स्टेट डाटा सेंटर, अपणि सरकार पोर्टल, एस0एस0डी0जी0 एवं स्टेट पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (सी0एस0सी0), स्वान परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी।

26.4 वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर अपणि सरकार पोर्टल, ई–गेटपास सिस्टम, सी0एम0 डैश बोर्ड, ई–ऑफिस, सी0एस0आर0 पोर्टल आदि होस्ट कर संचालित किये जा रहे हैं। भविष्य में राज्य के समस्त विभागों के ऐप्लीकेशन्स एवं सर्वर, डाटा सेंटर में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से डाटा सेंटर का विस्तारीकरण, नियर बैकअप हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा रही है।

26.5 अपणि सरकार पोर्टल (पूर्व में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना) के अन्तर्गत 73 विभागों की 886 नागरिक सेवाओं को विकसित एवं एकीकृत करते हुए "अपणि सरकार पोर्टल" के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में नागरिकों का Web Portal, Mobile Apps ई–डिस्ट्रिक्ट एवं CSC केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

27.–राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

27.1 डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड माडर्नाईजेशन प्रोग्राम योजनान्तर्गत प्रदेश की कुल 128 तहसीलों/उप तहसीलों के सापेक्ष 77 तहसीलों में माडर्न रिकार्ड रूम की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है,

27.2 एग्री स्टैक योजना अन्तर्गत प्रदेश में खतौनियों में संयुक्त खातेदारी के स्थान पर प्रत्येक खातेदार व सहखातेदार की अंश निर्धारित पृथक–पृथक रियल टाईम खतौनी व खसरा तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

27.3 राज्य के 7441 ग्रामों में स्वामित्व योजना की कार्यवाही अगस्त, 2022 में पूर्ण की जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत 278229 स्वामित्व अभिलेख तैयार किये है, तथा हितबद्ध धारकों को स्वामित्व अभिलेख वितरण किया जा चुका है।

27.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार (एनडीएमए) ने उत्तराखंड में 13

संवेदनशील हिमनदी झीलों की पहचान की है, जिसमें से 05 झीलों को उच्च जोखिम वाली झीलों की श्रेणी में रखा गया है। यूएसडीएमए द्वारा प्रथम चरण में दिनांक 15 से 22 अक्टूबर, 2024 तक जनपद चमोली के वसुंधराताल का स्थलीय सर्वेक्षण/बैथीमेट्री कार्य सम्पन्न किया गया।

27.5 उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत IIT रूड़की के माध्यम से भूकम्प चेतावनी तंत्र विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य में कुल 177 सेंसर तथा कुल 112 साइरन स्थापित किये गये हैं। उक्त तंत्र की सहायता से उत्तराखण्ड राज्य में 5 मैग्नीट्यूड से ऊपर भूकम्प आने पर भू-देव (BHU-DEV) ऐप एवं सायरन के माध्यम से आम-जनमानस को पूर्व चेतावनी उपलब्ध करायी जाती है।

27.6 आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बलियानाला भूस्खलन नैनीताल, ग्वाल गाँव भूस्खलन, धारचूला (पिथौरागढ़), ग्लोगी भूस्खलन, मसूरी मार्ग, देहरादून, हल्दापानी भूस्खलन चमोली, बहुगुणा नगर कर्णप्रयाग सर्वेक्षण तथा ग्लोगी पावरहाउस, देहरादून एप्रोच मार्ग पर भूस्खलन से संबंधित सुरक्षात्मक कार्य किये जा रहे हैं।

अध्याय–2
राज्य आय एवं लोक वित्त
State Income and Public Finances

भूमिका: सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे सामान्यतः राज्य आय (State Income) के नाम से भी जाना जाता है, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदण्ड है। यह अनुमान राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है –प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। तीनों क्षेत्रों के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था का आंकलन निम्नानुसार किया गया है:–

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान :

राज्य अर्थव्यवस्था के खण्डवार विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2024–25 अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य का कुल राज्य सकल मूल्य वर्द्धन (प्रचलित भाव पर) प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का तुलनात्मक योगदान चार्ट 2.1.1 एवं 2.1.2 में दर्शाया गया है:–

चार्ट 2.1.1 : अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर (प्रतिशत में) वर्ष 2011–12

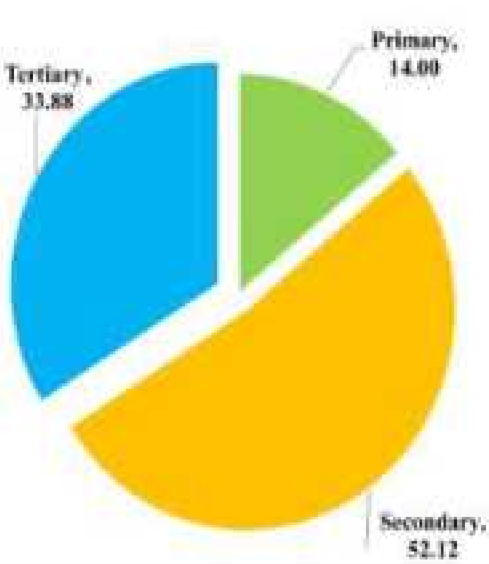

चार्ट 2.1.2 : अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर (प्रतिशत में) वर्ष 2024–25

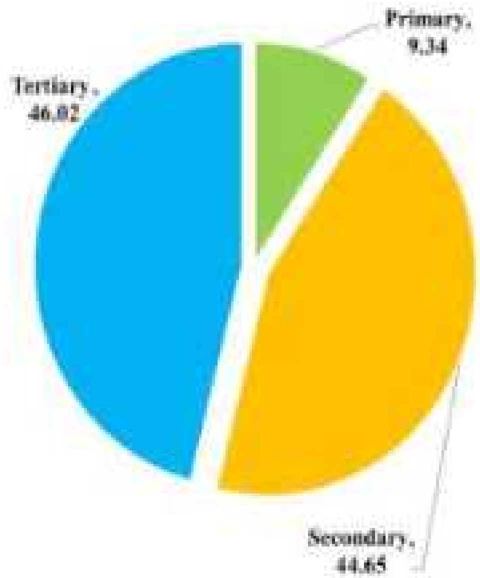

2.2 राज्य अर्थव्यवस्था की खण्डवार एवं उप–खण्डवार मूल्य वर्द्धन (Value Addition) एवं वृद्धि दरें :

वर्ष 2024–25 के अग्रिम अनुमान के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को निम्नानुसार तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

2.2.1 प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector): प्राथमिक क्षेत्र की विभिन्न मदों की चालू मूल्यों पर मदवार उपलब्धियां (मूल्य वर्द्धन तथा वृद्धि दरें) तालिका–2.1 एवं चार्ट 2.2 में प्रदर्शित है:–

तालिका–2.1

प्रचालित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के GDP के अनुमान तथा वृद्धि दरें

प्राथमिक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2024–25		वर्ष 2024–25
मदें	कुल मूल्य वर्द्धन (₹करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4
1. कृषि	11754	7.51	36.48
2. पशुपालन	8082	6.59	25.08
3. वानिकी एवं लट्ठा बनाना	8070	4.38	25.04
4. मत्स्य पालन	153	12.53	0.48
5. खनन तथा उत्खनन	4166	10.03	12.93
कुल प्राथमिक क्षेत्र	**322225**	**6.82**	**100.00**

चार्ट 2.2 : वर्ष 2024–25 में प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

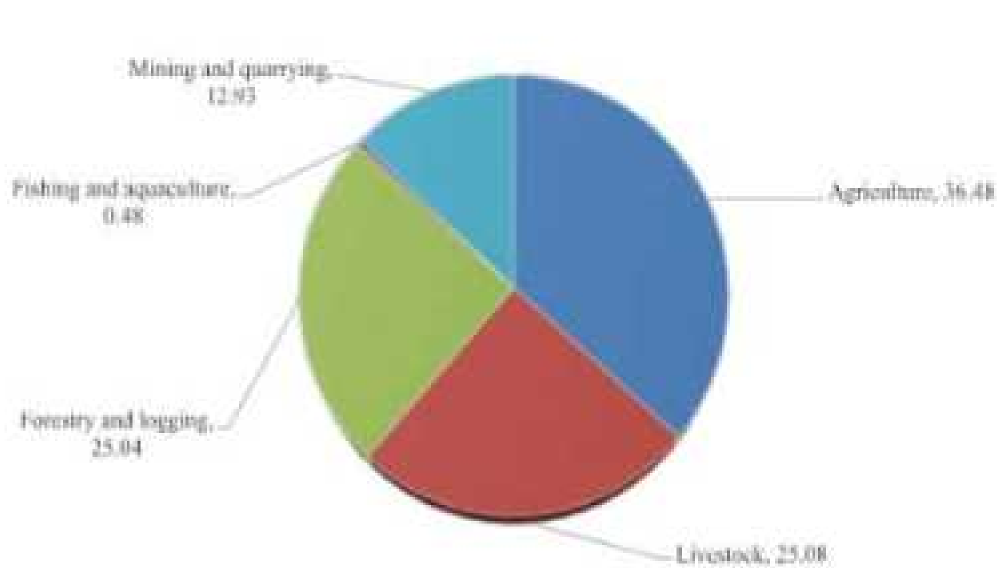

उक्तचार्ट के अनुसार वर्ष 2024–25 में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत कृषि का योगदान सर्वाधिक 36.48 प्रतिशत रहा है।

2.2.2 द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector):

द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण तथा विद्युत, गैस, जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं सम्मिलित हैं। विनिर्माण के अन्तर्गत खाद्य, कपड़ा, लकड़ी, रबड़, आयरन व स्टील आदि विभिन्न वस्तुओं के विनिर्माण की आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2024–25 में द्वितीयक क्षेत्र की 15.50 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र के खनन् तथा उत्खनन् की आर्थिक गतिविधियों को द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में सम्मलित करने पर औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित भाव पर 15.35 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्रचालित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका–2.2 एवं चार्ट 2.3 में प्रदर्शित है:–

तालिका –2.2

प्राथमिक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2024–25		वर्ष 2024–25
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4
1. विनिर्माण	90.238	12.07	58.56
2. विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	10.973	12.27	7.12
3. निर्माण	58.882	22.64	34.32
उप योग द्वितीयक क्षेत्र	**1,54,092**	**15.50**	**100.00**
औद्योगिक क्षेत्र	**1,58,258**	**15.35**	

चार्ट 2.3 : वर्ष 2024–25 में प्रचलित भावों पर द्वितीयक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

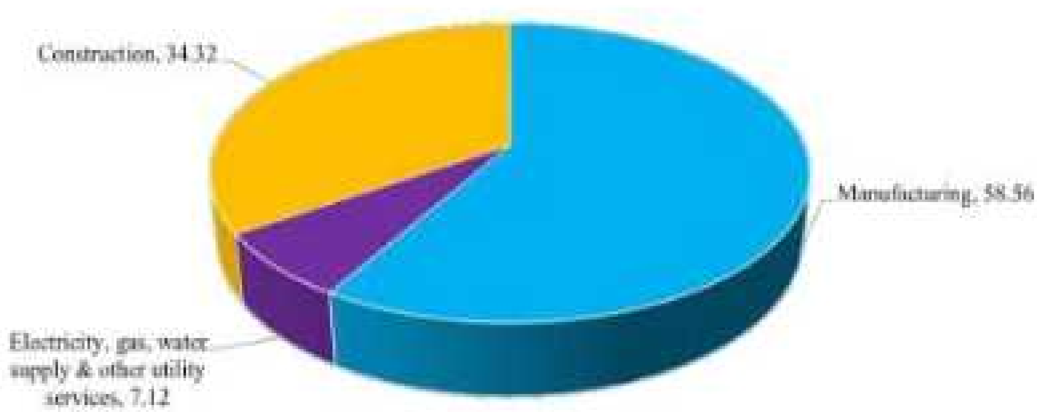

उक्तचार्ट के अनुसार वर्ष 2024–25 में प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत विनिर्माण का योगदान सर्वाधिक 58.56 प्रतिशत रहा है।

2.2.3 तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector):

तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 2024–25 में पुनरीक्षित अनुमानके अनुसार समग्र तृतीयक क्षेत्र में 10.78 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्रचालित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका–2.3 एवं चार्ट 2.4 मे प्रदर्शित है:–

तालिका –2.3

तृतीयक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्श 2024–25		वर्श 2024–25
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4
1. परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	29,965	11.32	18.87
2. व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	60,594	8.64	**38.15**
3. वित्तीय सेवायें	11,031	14.74	**6.95**
4. स्थावर सम्पदा, अवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	19,325	12.09	**12.17**
5. लोक प्रशासन	14,817	14.76	**9.33**
6. अन्य सेवायें	23,080	10.42	**14.53**
उप योग तृतीयक क्षेत्र	**1,58,812**	**10.78**	**100.00**

चार्ट 2.4 : वर्ष 2024–25 में प्रचलित भावों पर तृतीयक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

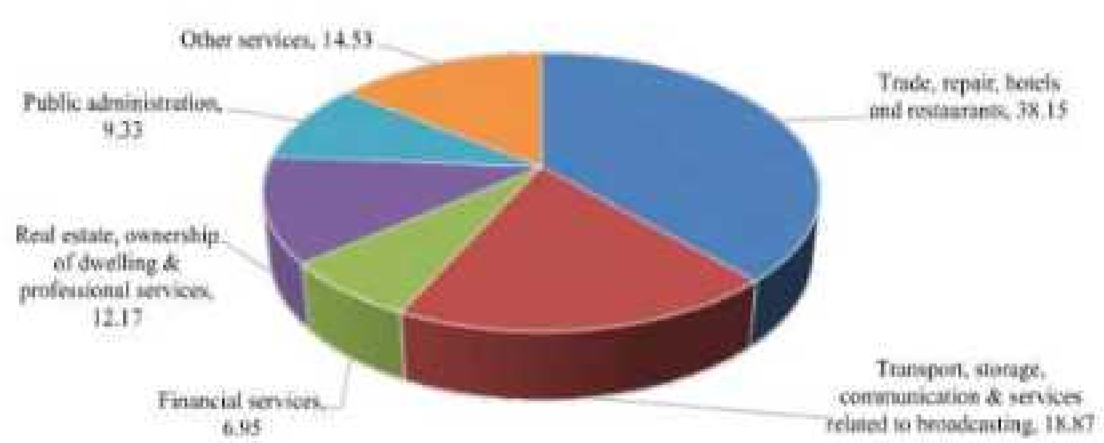

उक्तचार्ट के अनुसार वर्ष 2024–25 में प्रचलित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान सर्वाधिक 38.15 प्रतिशत रहा है।

2.3 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) Gross State Domestic Product (at Current Prices):

वर्ष 2024–25 के अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष 2023–24 (संशोधित) के ₹3,32,998 करोड़ की तुलना में ₹3,78,245 करोड़ अनुमानित है, जो कि 13.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से योगदान विनिर्माण (26.15%), व्यापार होटल एवं जलपान गृह (17.56%), निर्माण (15.32%), तथा परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण (8.68%) से संबंधित सेवा आदि आर्थिक गतिविधियों को जाता है। राज्य आय के अनुमान विभिन्न वितीय संस्थाओं, गैर वितीय संस्थाओं, सरकारी, निजी, गैर सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों, पारिवारिक उद्यमों आदि की आर्थिक गतिविधियों का आंकलन कर राज्य उत्पाद के आंकड़े तैयार किये जाते है। वित्तीय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2024–25 तक सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) निम्न चार्ट–2.5 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है:–

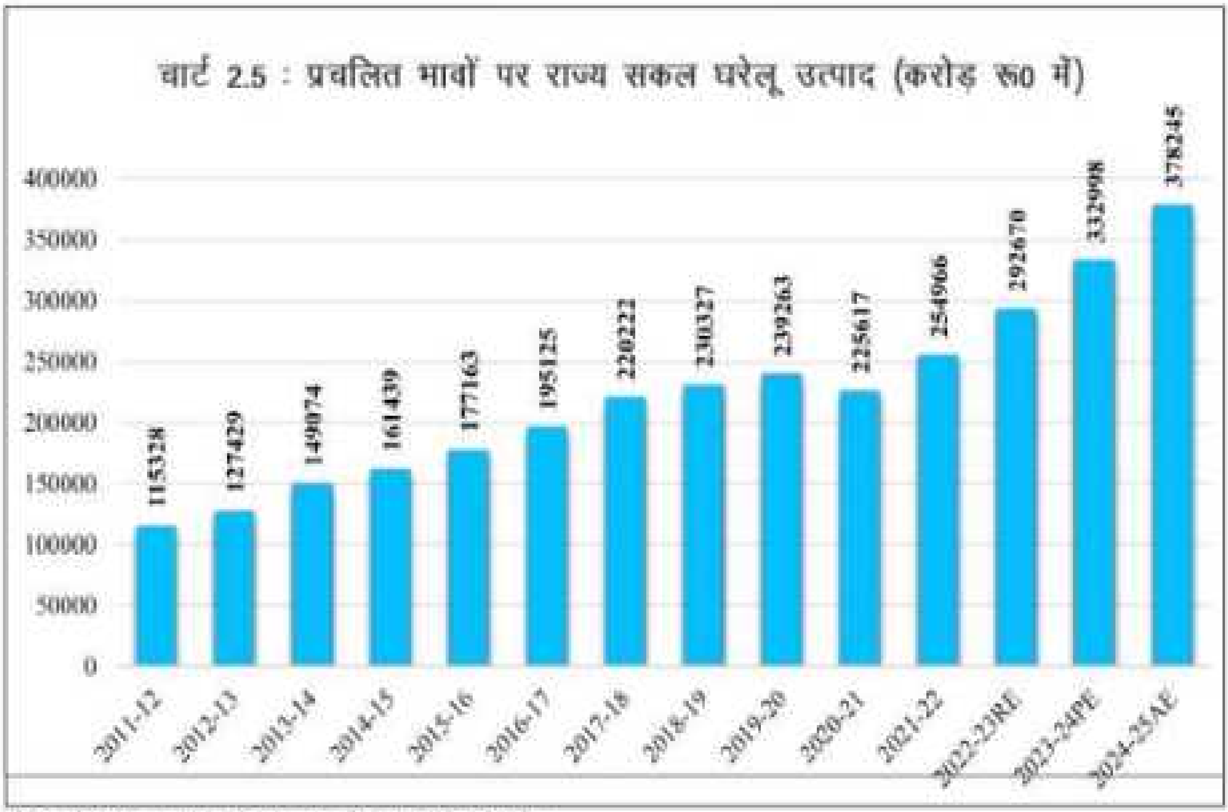

नोट:–वर्ष 2020–21, एवं वर्ष 2024–25 के अनुमान अनन्तिम हैं।
स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

2.5 स्थिर भावों पर आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2024–25 तक की प्रदेश व देश की आर्थिक विकास दर चार्ट–2.6 में दर्शायी गई है:–

चार्ट 2.6 : आर्थिक विकास दर (स्थिर भाव पर)

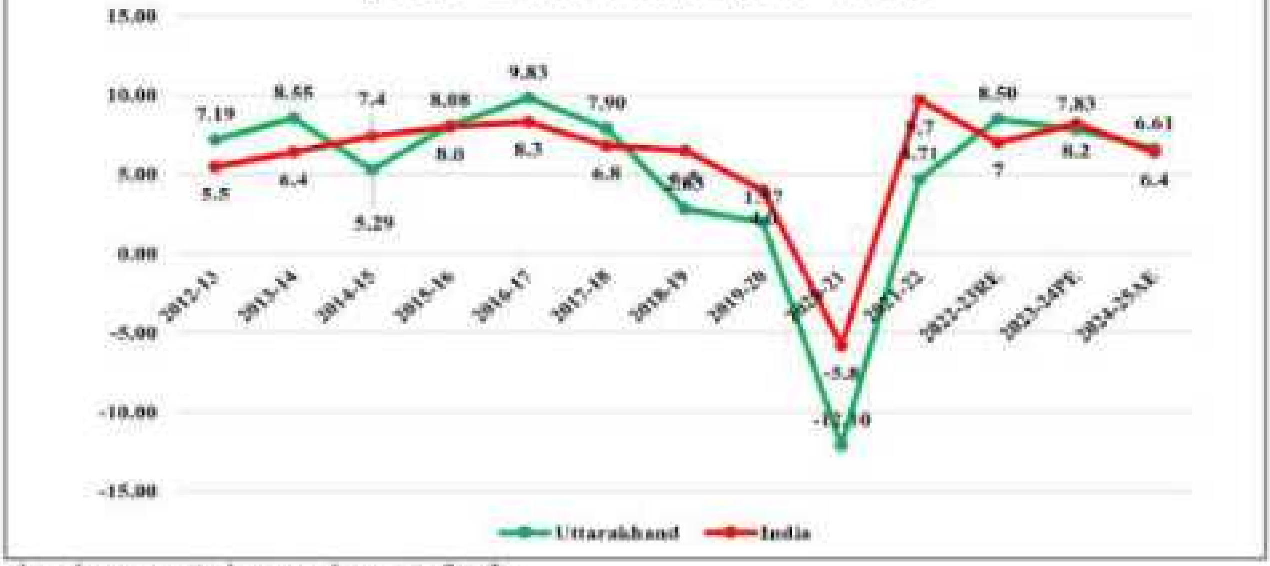

नोट– वर्ष 2020–21, एवं वर्ष 2024–25 के अनुमान अनंतिम हैं।
स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

2.6 प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income):

राज्य निवल घरेलू उत्पाद (Net State Domestic Product) के आधार पर वर्ष 2024–25 अग्रिम अनुमानों में उत्तराखण्ड की प्रतिव्यक्ति आय प्रचलित भावों पर ₹ 2,74,064 अनुमानित है। भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,00,162 अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 (संशोधित) में अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिव्यक्ति आय ₹1,84,205 अनुमानित है जबकि उत्तराखण्ड राज्य की प्रतिव्यक्ति आय ₹2,46,178 अनुमानित है। वर्षवार प्रति व्यक्ति आय उत्तराखण्ड, हिमाचल एवं भारत का तुलनात्मक चार्ट 2.7 में दिखाया गया है–

चार्ट 2.7 : प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक ग्राफ

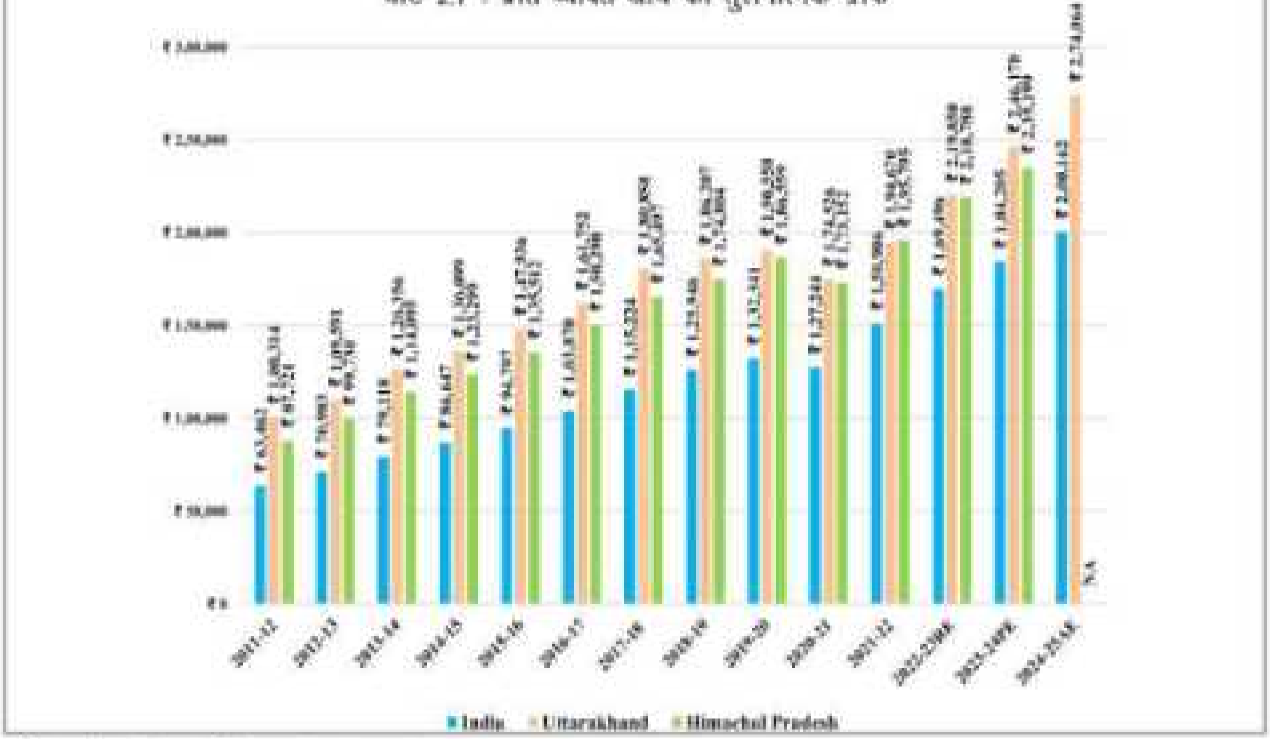

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

राज्य स्थापना के रजत जयन्ती वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था में आये सकारात्मक परिवर्तन का तुलनात्मक विवरण :–

09 नवम्बर, 2000 को नवगठित किये गये 03 राज्य उत्तराखण्ड, झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ वर्ष 2025 में राज्य गठन की रजत जयन्ती मना रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 2024–25 में वर्ष 2001–02 की तुलना में ₹15,826 करोड से बढ़कर ₹3,78,245 करोड अनुमानित है। वहीं दूसरी ओर राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो कि वर्ष 2001–02 में ₹16,232 थी, वर्ष 2024–25 में बढ़कर ₹2,74,064 होना अनुमानित है। उक्त के क्रम में तीनों राज्यों की अर्थव्यवस्था में आये सकारात्मक परिवर्तन को निम्न ग्राफों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है :–

1. अर्थव्यवस्था का आकार:–

चार्ट 2.8 : अर्थव्यवस्था के आकार का तुलनात्मक ग्राफ (करोड़ रु० में)

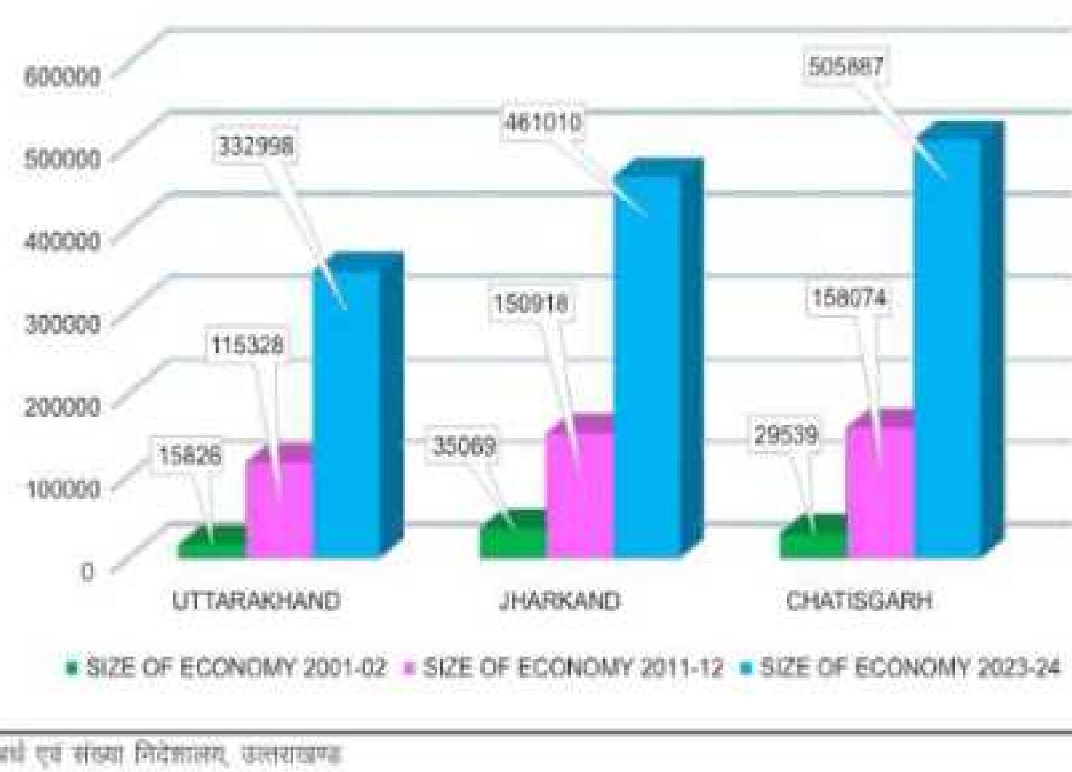

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

2. प्रति व्यक्ति आय :–

चार्ट 2.9 : प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक ग्राफ (रू० में)

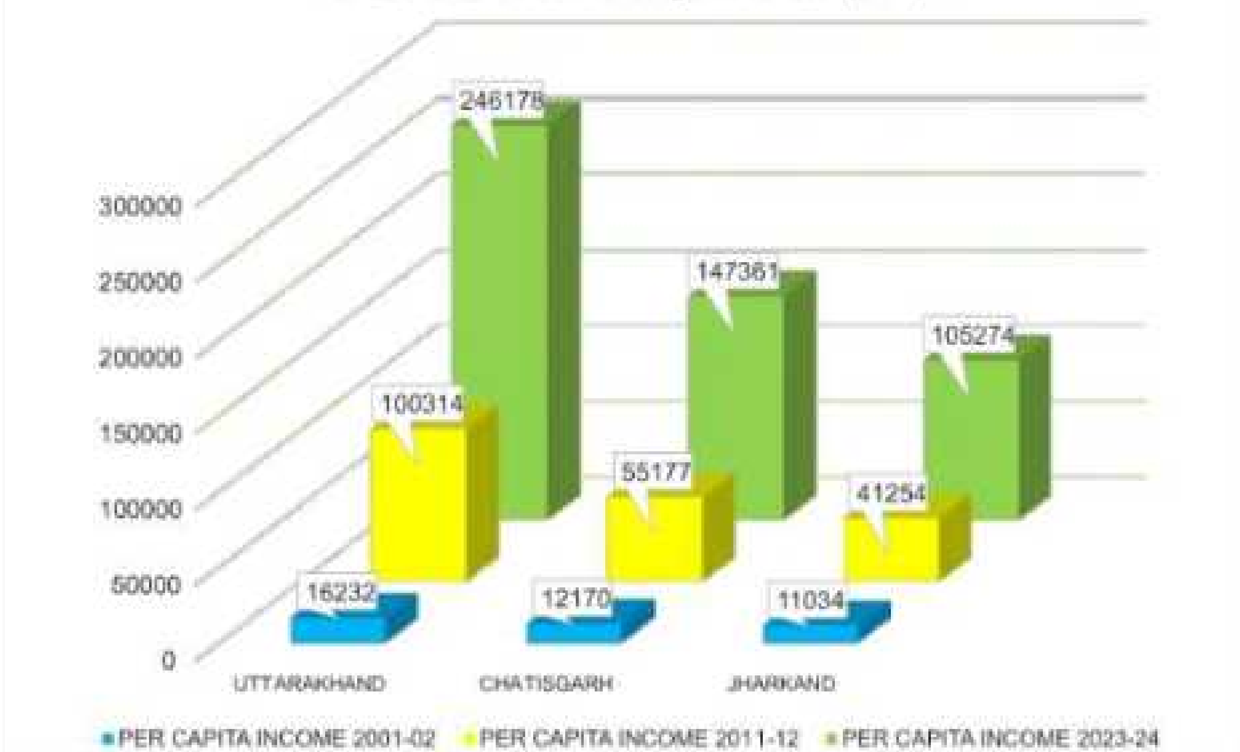

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

3. बजट डाटा :–

चार्ट 2.10 : बजट डाटा का तुलनात्मक ग्राफ (करोड़ रु० में)

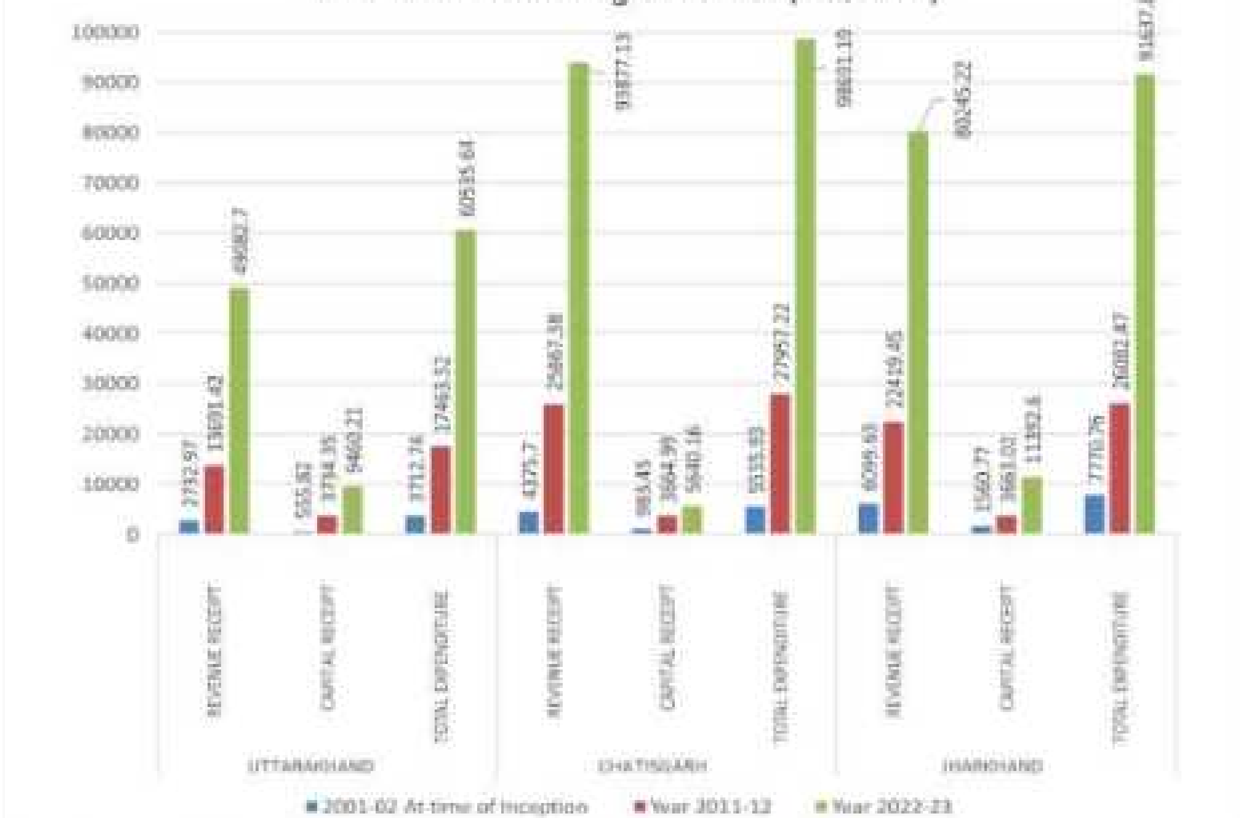

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

Government Budget Data

IN CRORES(Actual)

YEAR	2001-02 At time of Inception	Year 2011 -12	Year 2022 - 23	CAGR SINCE Inception	CAGR SINCE 2011-12
UTTARAKHAND					
REVENUE RECEIPT	2732.97	13691.42	49082.7	15.54	13.62
CAPITAL RECEIPT	555.82	3734.35	9460.21	15.23	9.74
TOTAL EXPENDITURE	3712.74	17463.52	60535.64	14.98	13.24
CHATISGARH					
REVENUE RECEIPT	4375.7	25867.38	93877.13	16.57	13.76
CAPITAL RECEIPT	983.45	3664.99	5640.16	9.13	4.41
TOTAL EXPENDITURE	5555.93	27957.22	98691.19	15.47	13.44
JHARKHAND					
REVENUE RECEIPT	6099.63	22419.45	80245.22	13.75	13.60
CAPITAL RECEIPT	1560.77	3663.02	11392.6	10.45	12.02
TOTAL EXPENDITURE	7770.76	26082.47	91637.82	13.13	13.39

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

लोक वित्त (Public Finance)

2.7 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान आदि हैं। वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹60,552.90 करोड़ हैं जबकि वर्ष 2023–24 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹54626.54 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) अनुसार वर्ष 2023–24 की तुलना में 10.84 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.8 राजस्व प्राप्तियों में करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) के अनुसार ₹36146.47 करोड़ तथा वर्ष 2023–24 (पुनरीक्षित अनुमान) में ₹31968.43 करोड़ में आंकी गई है। राज्य कर वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) में वर्ष 2023–24 (पुनरीक्षित अनुमान) की अपेक्षा 13.06 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.9 राज्य के करेत्तर राजस्व जिसमें विशेष कर ब्याज प्राप्ति, ऊर्जा परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) में ₹4873.38 करोड़ आंकी गयी हैं। जो कि वर्ष 2023–24में ₹4174.73 करोड़ थी।

2.10 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) मे ₹13637.15 करोड़ आंका गया हैं जो कि वर्ष 2023–24में ₹12348.25 करोड़ थी।

2.11 राज्य के स्वयं के कर राजस्व की मद में 2023–24 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) में ₹2889.14 करोड़ की अधिक प्राप्ति अनुमानित है। जो कि पुनरीक्षित अनुमानों से लगभग 14.73 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः जी0एस0टी0 तथा वैट की मद में ₹1313.38 करोड़, राज्य उत्पादन शुल्क की मद में ₹539.94 करोड़ की अनुमानित है।

2.12 वर्ष 2011–12 से 2023–24 तक राज्य का राजकोषीय घाटा व प्रारंभिक घाटा की तुलना राज्य सकल घरेलू उत्पाद (अर्थव्यवस्था आकार) के सापेक्ष निम्न चार्ट–2.9 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है:–

चार्ट 2.11 : राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्षवार चित्रण

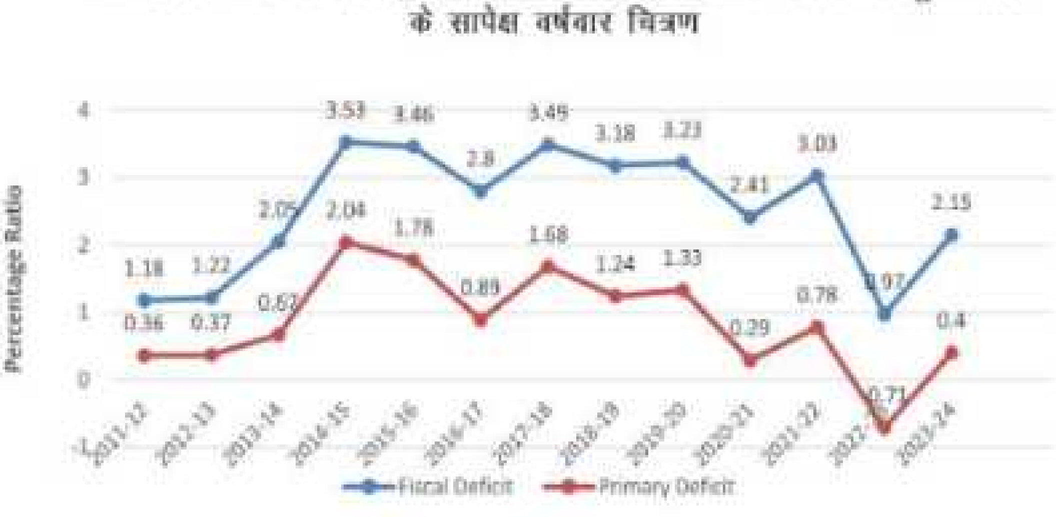

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

2.13 बजट विश्लेषण:– अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष विधानसभा से पारित बजट का विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण मात्र सरकारी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान ज्ञात करने के लिए नही किया जाता है, अपितु सरकार की विभिन्न स्रोत से आय तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों मे व्यय का भी विश्लेषण करता है। यद्यपि विधानसभा में प्रस्तुत बजट में भी उक्तानुसार वर्गीकरण किया जाता है किन्तु इस विश्लेषण के माध्यम से आय व व्यय को उनके उद्देश्यों के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है न कि मात्र लेखाशीर्षक अनुसार। विभिन्न राज्य स्तरीय अनुमान उदाहरणतः सकल स्थिर पूंजी निर्माण, पूंजी व्यय, कुल बजत आदि का ज्ञात बजट विश्लेषण के माध्यम से ही किया जाता है। अर्थ एवं संख्या द्वारा राज्य के बजट विश्लेषण में प्राप्तियों का विश्लेषण करते हुये मात्र राजस्व प्राप्तियो जोकि आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त होती है, उक्त प्राप्तियों को ही विश्लेषण में लिया जाता है। इस विश्लेषण मे पूंजीगत प्राप्तियों को – जोकि ऋणों की वसूली या उधार या अन्य देनदारियों के माध्यम से प्राप्त होती है, उक्त प्राप्तियों को ही विश्लेषण में नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार राज्य के व्यय विश्लेषण में ऋण भुगतान हेतु व्यय धनराशि को बजट विश्लेषण के दौरान ध्यान में नही लिया जाता है। सरकारी विभागों को प्रशासनिक इकाइयों व विभागीय उद्यमों मे वर्गीकृत किया जाता है। विभागीय उद्यमों में ऐसे विभाग जो सरकार को राजस्व प्रदान करते है, उदाहरणतः सिंचाई, वन निगम, स्टेशनरी व मुद्रण लीथो प्रेस सम्मलित है। शेष अन्य विभागों को प्रशासनिक इकायों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2024–25 के बजट विश्लेषण अनुरूप विश्लेषणों को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है।

2.14 प्राप्तियों का विश्लेषण:– चार्ट 1–3 के माध्यम से राज्य को वर्ष 2022–23, वर्ष 2023–24 व वर्ष 2024–25 में विभिन्न स्रोत से प्राप्त आय का विश्लेषण किया गया है। बजट विश्लेषण मे राष्ट्रीय मानको अनुरूप, प्रत्येक बजट प्राप्तियों को उसकी आर्थिक गतिविधि अनुसार उचित आर्थिक कोडिंग दी जाती है। कोडिंग के आधार पर राज्य की प्राप्तियों को उत्पाद कर (Txt), गैर सरकारी निकायों से प्राप्त ब्याज (Into), शुल्क और विविध प्राप्तियाँ (Mr), आय व परिसंपत्ति पर कर (Txo), उत्पादन कर (Txn), संपत्ति कर (Pr), वस्तु व सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय (G), स्थानीय निकायों से ब्याज से प्राप्तियाँ (Intl), वाणिज्य प्राप्तियाँ (Cr), पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्तियाँ (Ssh), धन निकासी से प्राप्तियाँ (F), पेंशन से प्राप्तियाँ (Pn), भूमि की बिक्री से प्राप्तियाँ (Sl), गैर

लाभकारी संस्थानों से प्राप्त हस्तांतरण (Tn), वित्तीय संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ (Sfa), केन्द्र सरकार से प्राप्त हस्तांत्रण (Tc) आदि मदों मे वर्गीकृत किया जाता है। उक्त वर्गीकरण के आधार पर वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25 में प्राप्त राजस्व प्राप्तियों को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चार्ट से स्पष्ट है कि राज्य को सबसे अधिक प्राप्तियाँ केन्द्र सरकार से, उत्पाद कर से, आय व संपत्ति कर से व उत्पादन कर से हो रही है।

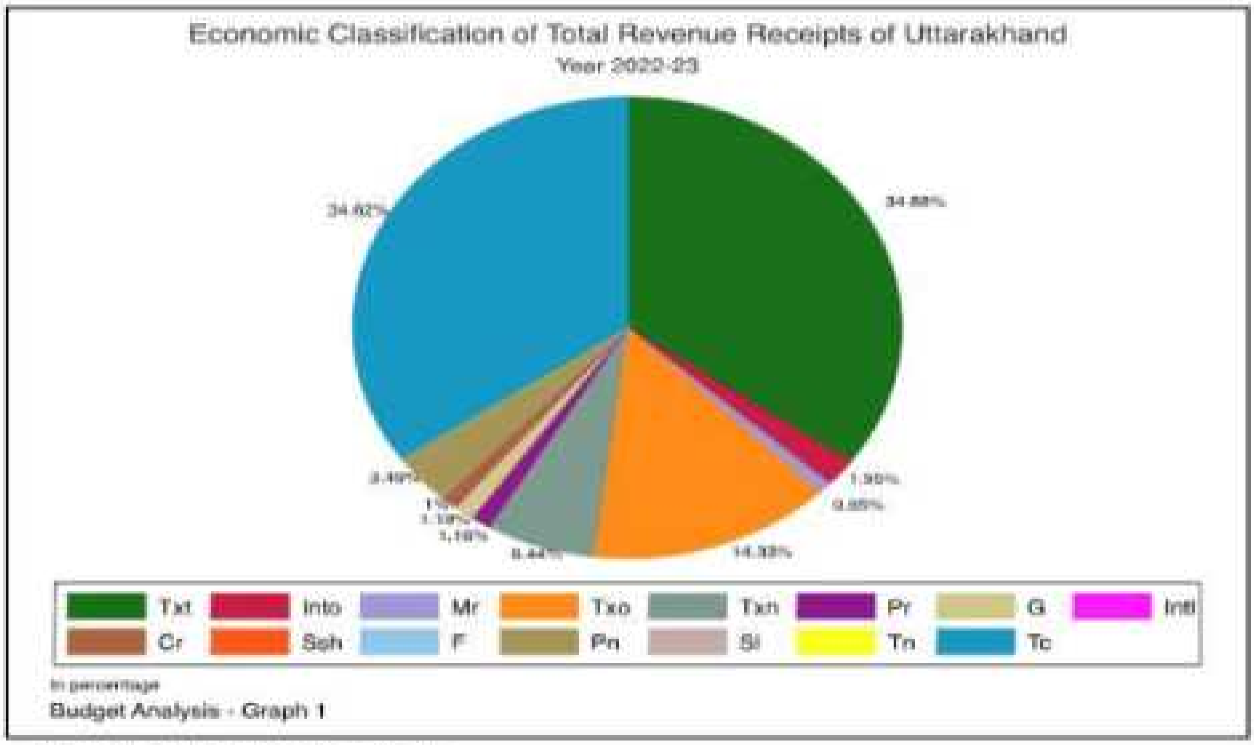

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

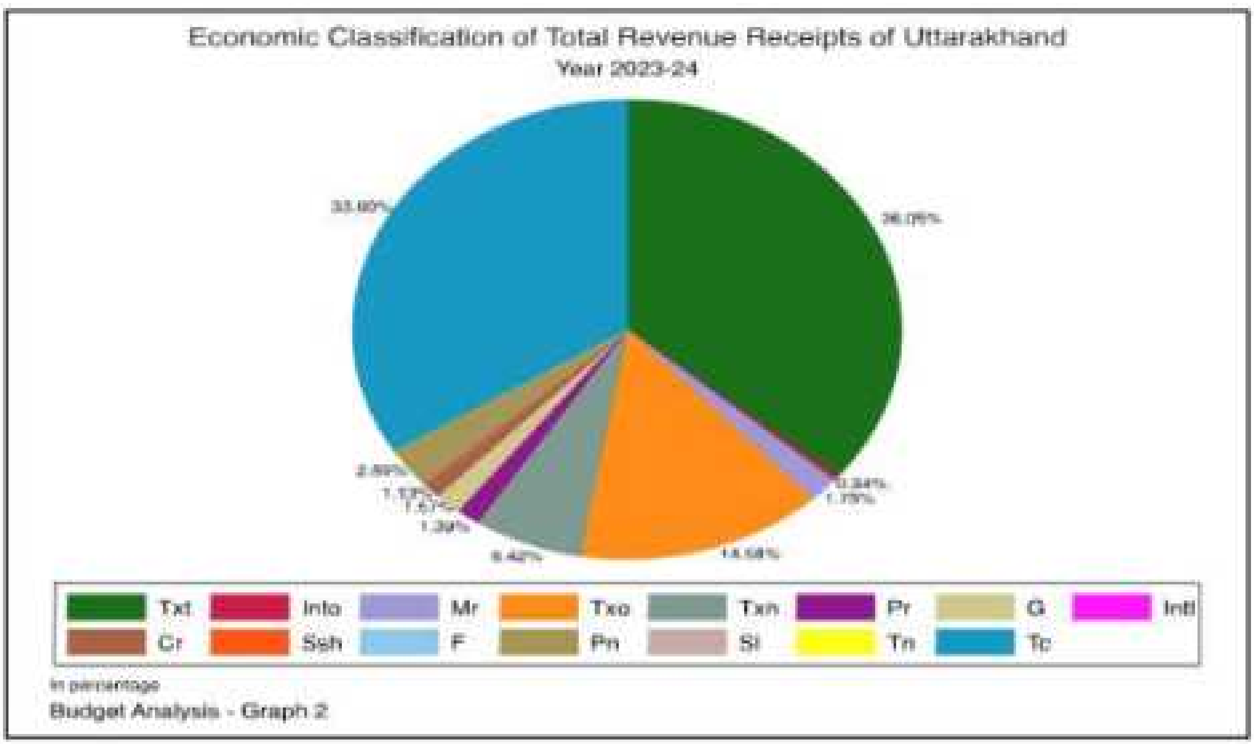

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

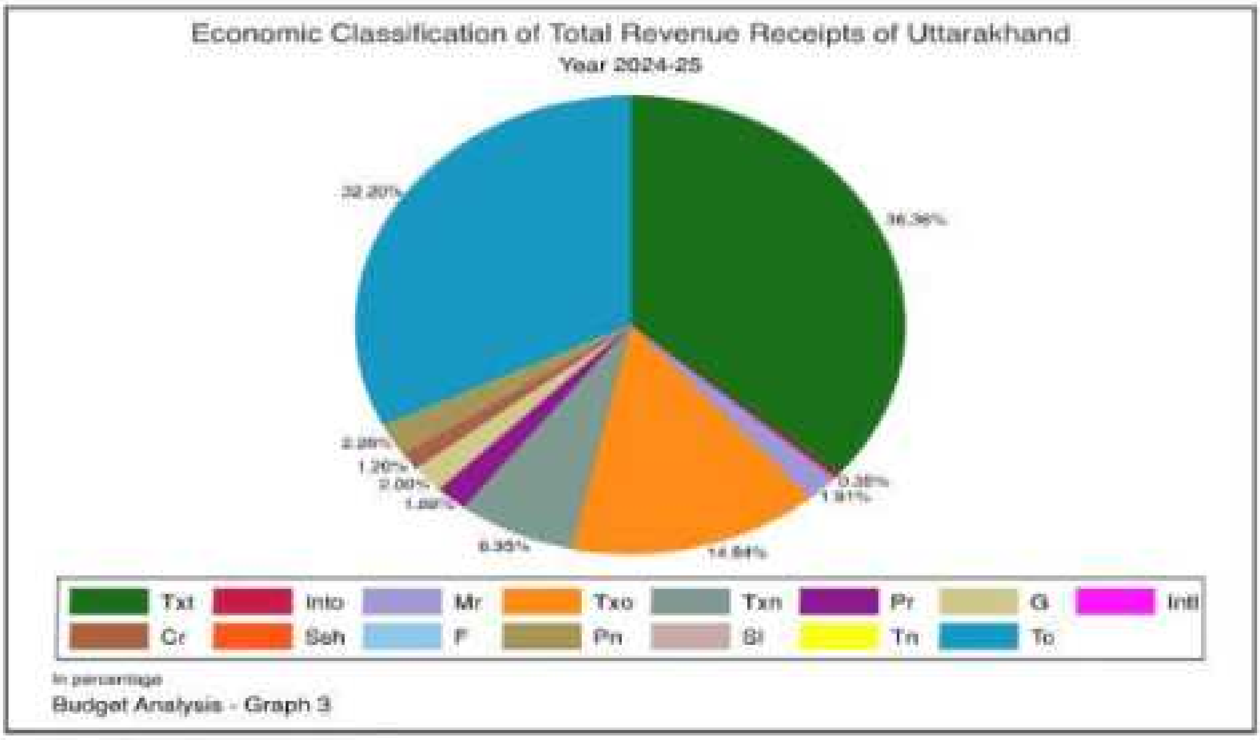

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

2.15 व्यय का विश्लेषणः— चार्ट 4—6 के माध्यम से राज्य को वर्ष 2022—23, वर्ष 2023—24 एवं वर्ष 2024—25 में विभिन्न मदों में व्यय धनराशि का विश्लेषण किया गया है। बजट विश्लेषण में राष्ट्रीय मानको अनुरूप, प्रत्येक बजट प्राप्तियों को उसकी आर्थिक व उद्देश्य की गतिविधि अनुसार उचित आर्थिक कोडिंग व उद्देश्य अनुरूप कोडिंग प्रदान की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण में व्यय का विश्लेषण करते हुये, मात्र प्रशासनिक इकाइयों को लिया गया है। चार्ट 7—9 के माध्यम से वर्ष 2022—23, वर्ष 2023—24 व वर्ष 2024—25 मे व्यय का विश्लेषण आर्थिक आधार से दर्शाये जाने का प्रयास किया गया है। व्यय का आर्थिक आधार पर चिन्हांकन करते प्रत्येक व्यय की प्रविष्टियों को कर्मचारियों के पारिश्रमिक हेतु व्यय (CoE), सकल पूंजी निर्माण हेतु व्यय (GCF), मध्यवर्ती उपभोग हेतु व्यय (IC), पूंजी हस्तांतरण हेतु व्यय (Trnfr), फन्ड हेतु व्यय (F), वित्तीय परिसंपत्तियो की खरीदारी हेतु व्यय (PFA), कर्ज पर ब्याज हेतु भुगतान पर व्यय (Int. Paid), सब्सिडी हेतु व्यय (Subs), गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम हेतु व्यय (Advance) मदों में विभाजित किया जाता है। उक्त वर्गीकरण के आधार पर वर्ष 2022—23, 2023—24 व 2024—25 में व्यय धनराशि को चार्ट 2.21 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चार्ट से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा सबसे अधिक धनराशि कर्मचारियों के पारिश्रमिक व पूंजी हस्तांतरण मे व्यय हो रही है। पूंजी हस्तांतरण में अनुदान के रूप में अन्य संस्थाओं व व्यक्ति विशेष को दी जानी वाली धनराशि को सम्मिलित किया गया है। उदाहरणार्थ छात्रवृत्ति, समाज कल्याण हेतु वितरित पेशन, स्वायत्त संस्थाओं व स्थानीय निकायों को हस्तांतरित धनराशि आदि। चार्ट 2.22 के माध्यम से वर्ष 2022—23, वर्ष 2023—24 व वर्ष 2024—25 मे व्यय का विश्लेषण उद्देश्यवार दर्शाये जाने का प्रयास किया गया है। व्यय का उद्देश्यवार चिन्हांकन करते हुये, प्रत्येक व्यय की प्रविष्टियों को सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा सम्बन्धी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक और कल्याण सेवाओं, आर्थिक सेवाओं, पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी सेवाओं, ब्याज पेंशन और निधि संबंधी सेवाओं और अन्य सेवाओं में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सेवाओं में बाढ़ राहत, सूखा राहत व अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय धनराशि को सम्मिलित किया जाता है।

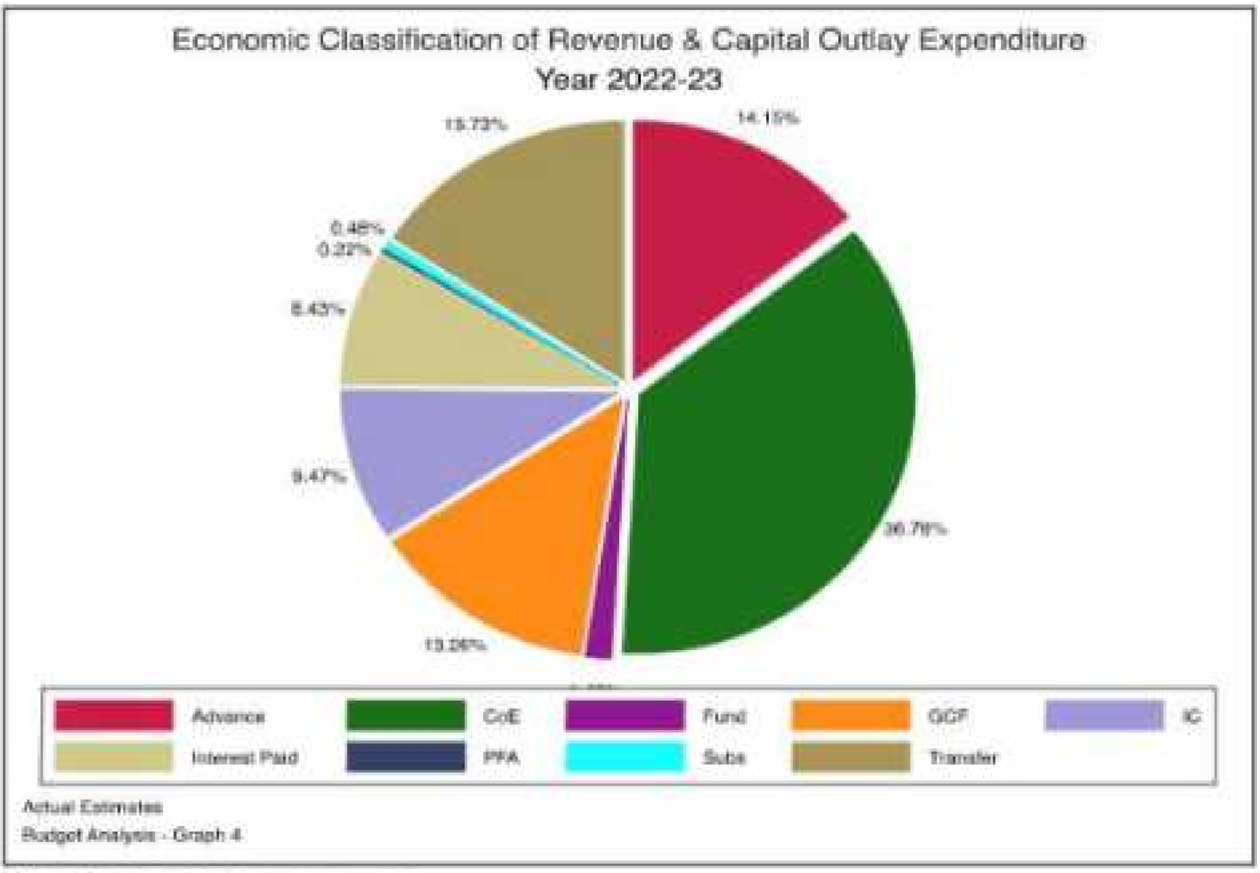

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

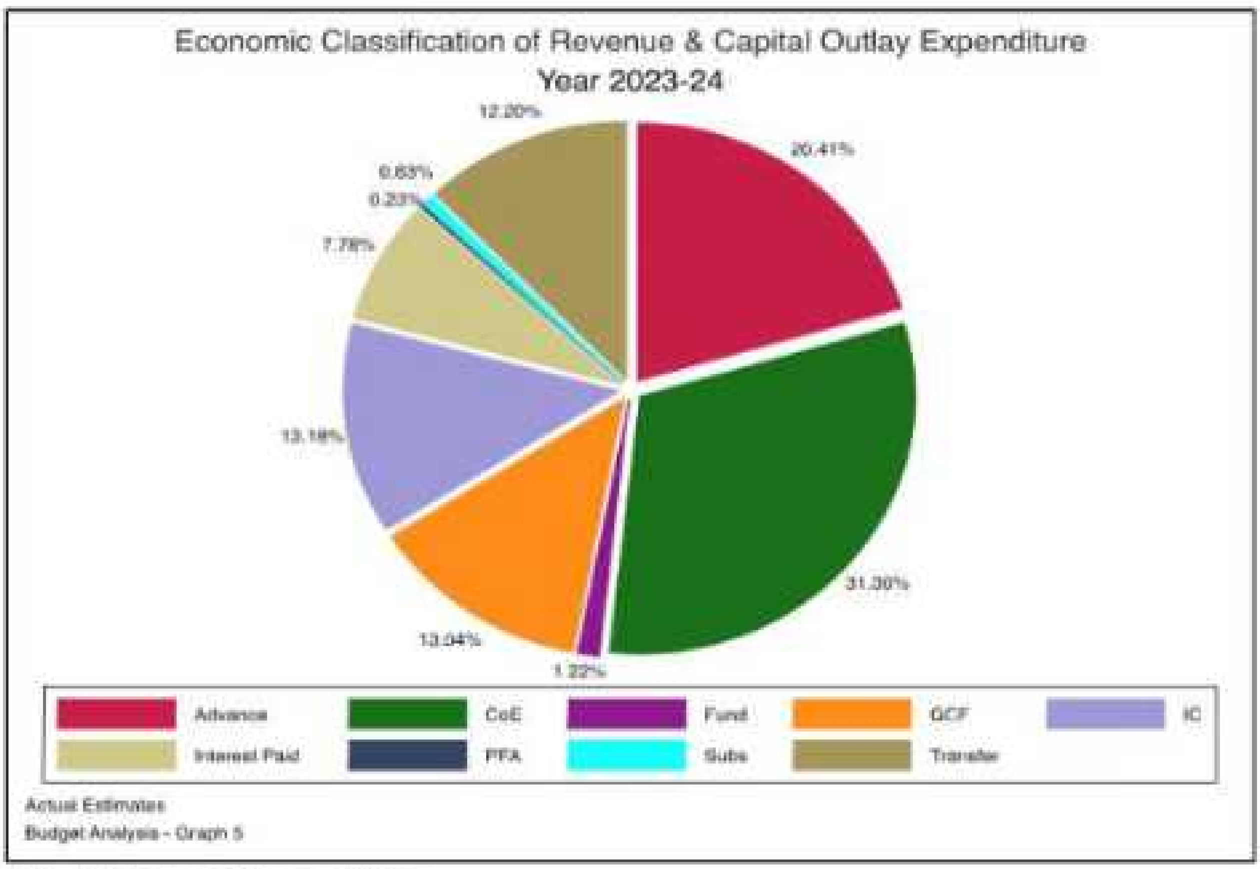

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

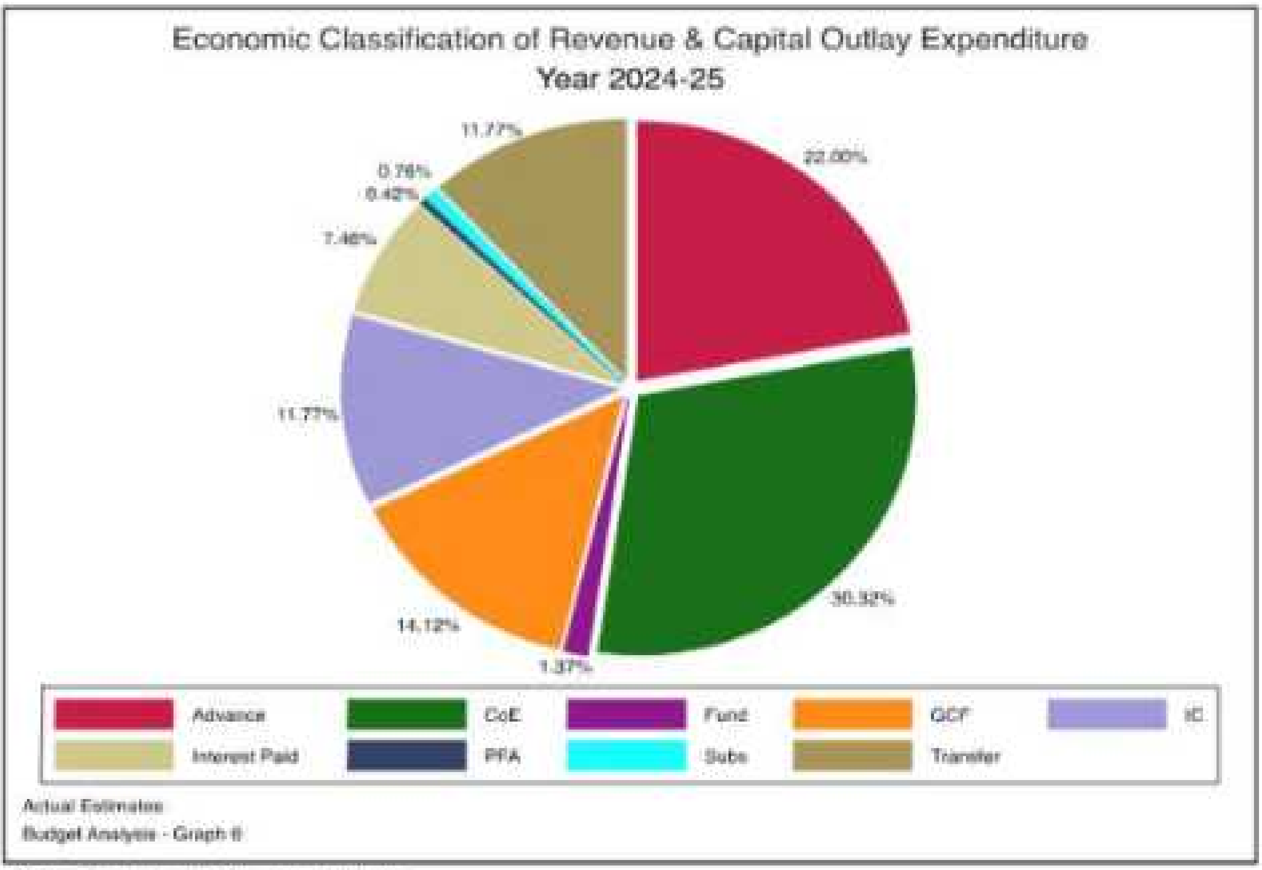

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

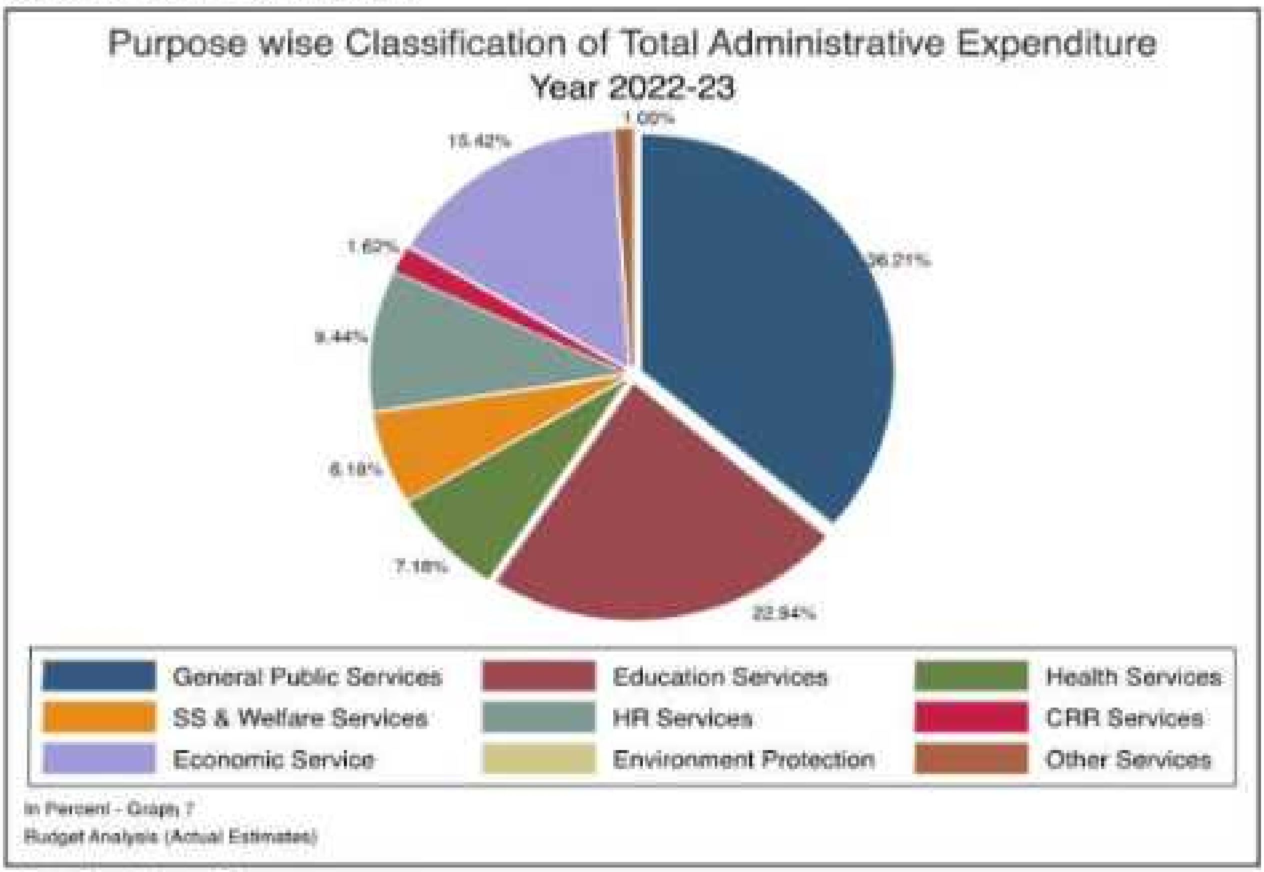

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

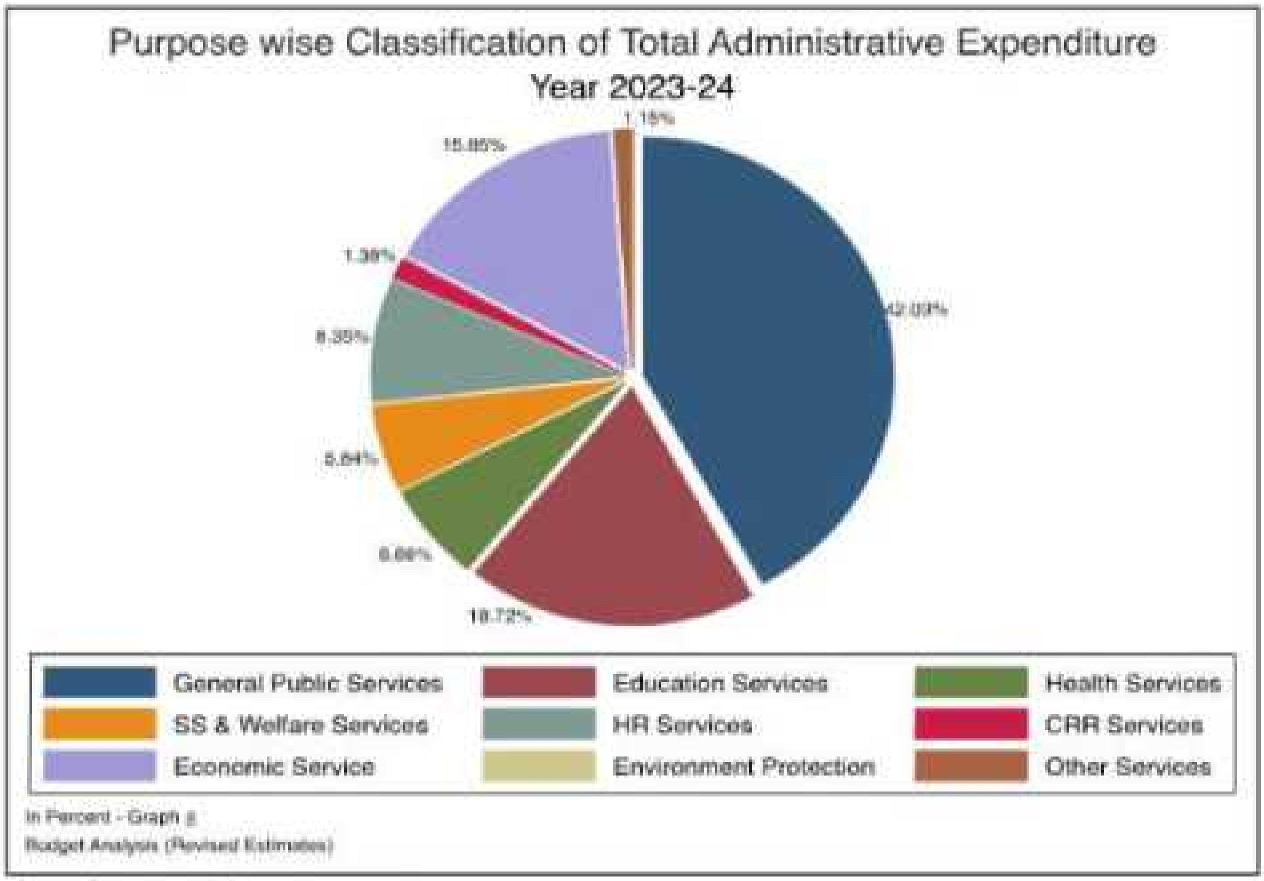

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

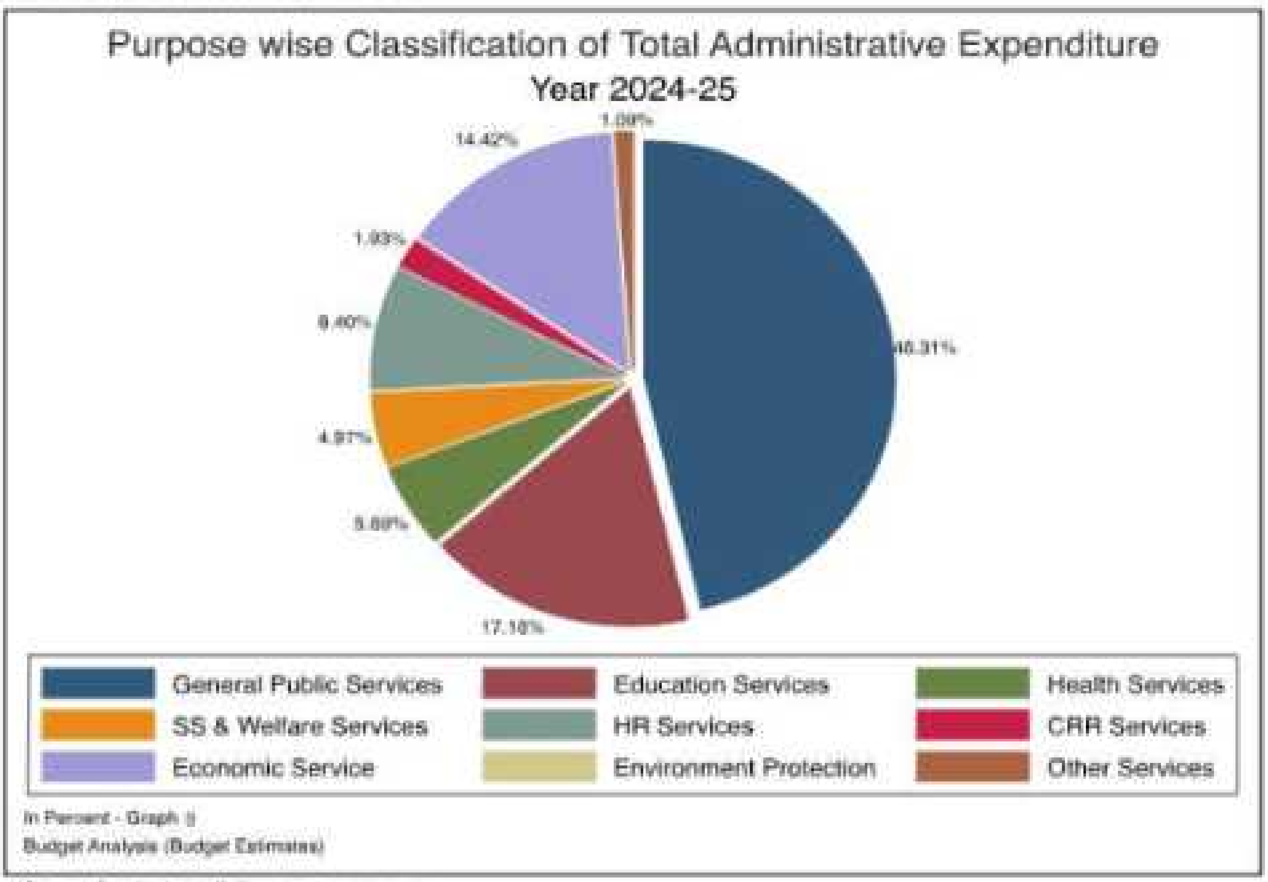

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

अध्याय–3
कराधान
Taxation

राज्य कर (State Tax)

राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विभाग के अन्तर्गत कार्य करता है। राज्य की सकल प्राप्तियों में माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) तथा मूल्यवर्धित कर (वैट) का योगदान लगभग 50 प्रतिशत होने के कारण यह राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत है।

3.1 कर संग्रहः– दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात वर्ष 2000–2001 में प्राप्त कर संग्रह ₹233 करोड़ था, जो कि वर्ष 2023–24 तक लगभग 48 गुना बढ़कर ₹11,288.90 करोड़ (₹476.62 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) हो गया है। वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक कुल राजस्व संग्रह ₹8,875.42 करोड़ (₹55.82 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) रहा है। इसे चार्ट–3.1 मे दर्शाया गया है–

चार्ट–3.1

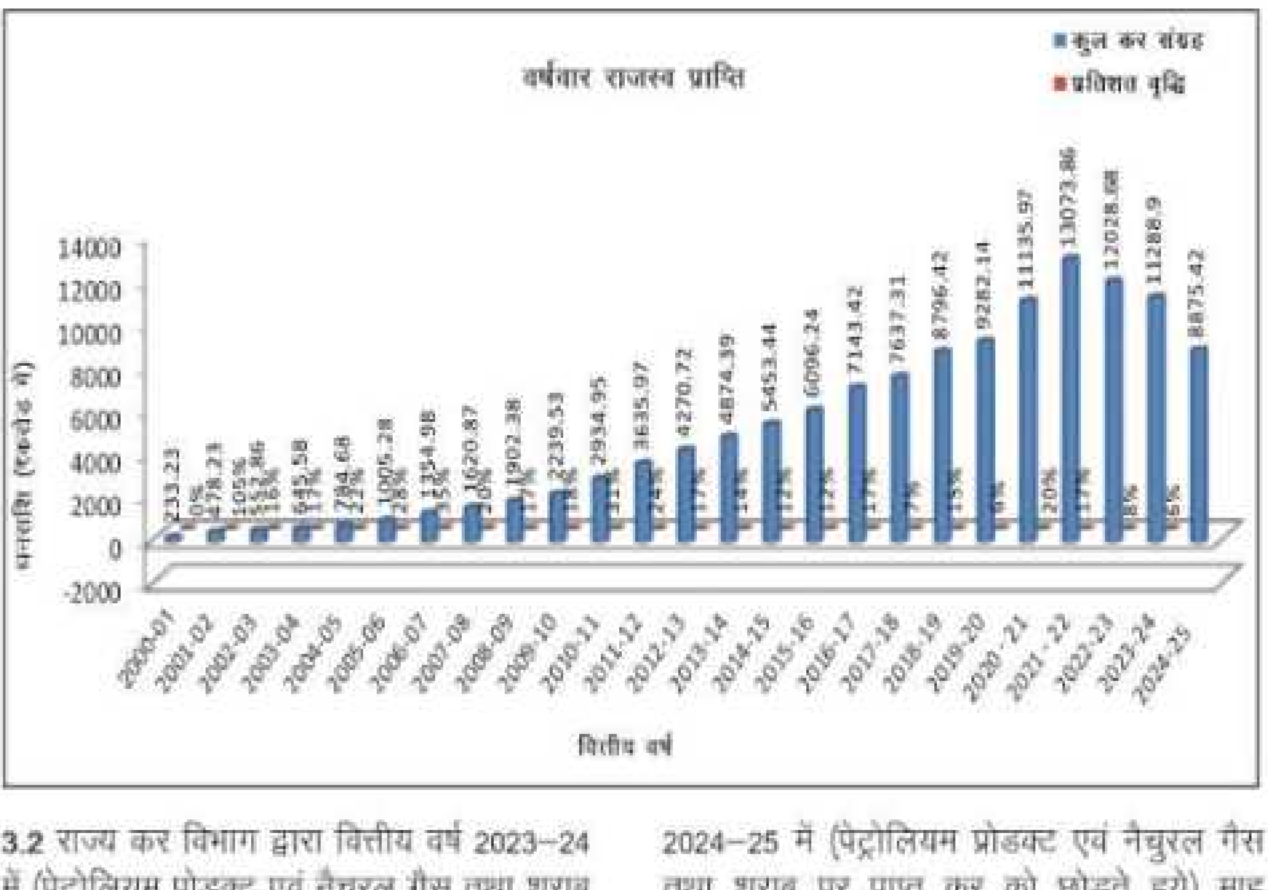

3.2 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में (पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये) माह दिसम्बर, 2023 तक कुल ₹6,660.71 करोड़ (₹476.62 करोड़ प्रतिकर की धनराशि सहित) का राजस्व अर्जित किया गया था, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में (पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये) माह दिसम्बर, 2024 तक विभाग द्वारा कुल ₹6,938.61 करोड़ (₹55.82 करोड़ प्रतिकर की धनराशि सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया है, जिसे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.1

गत वर्ष के सापेक्ष पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये राजस्व प्राप्तियां (SGST) (धनराशि ₹करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2023–24									वर्ष 2024–25									
	VAT Arrear	SGST	माह में प्राप्त IGST Settlement	Advance apportionment From IGST	योग (2+3+4)	कुल GST वापसी (Refund)	कुल राजस्व (6+7)	[illegible]	कुल प्राप्त राजस्व (8+9)	VAT Arrear	SGST	माह में प्राप्त IGST Settlement	Advance apportionment From IGST	योग	कुल GST वापसी (Refund)	कुल राजस्व	[illegible]	कुल प्राप्त राजस्व	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
अप्रैल	2.81	554.33	301.17	0	858.31	-17.28	841.03	0	841.03	3.53	636.26	280.76	0.0	920.55	-15.26	905.29	0	905.29	8%
मई	-1.20	411.45	254.14	0	664.37	-17.95	646.42	0	646.42	-5.03	475.89	237.76	0.0	708.62	-18.21	690.41	0	690.41	7%
जून	5.22	438.6	221.64	0	665.46	-25.24	640.22	0	640.22	0.42	472.21	237.53	0.0	710.16	-24.85	685.31	0	685.31	7%
जुलाई	2.26	415.18	210.25	0	627.69	-5.07	622.62	0	622.62	0.17	490.49	324.65	0.0	815.31	-14.06	801.25	0	801.25	29%
अगस्त	5.83	382.06	254.97	0	642.86	-9.79	633.07	0	633.07	2.95	432.22	291.63	0.0	726.8	-27.27	699.53	55.82	755.35	19%
सितम्बर	26.82	387.27	223.65	0	637.74	-15.6	622.14	476.62	1098.76	-0.13	399.73	275.37	0.0	674.97	-33.18	641.79	0	641.79	-42%
अक्टूबर	4.84	550.34	285.53	0	840.71	-25.49	815.22	0	815.22	1.62	485.96	308.75	0.0	796.33	-11.64	784.69	0	784.69	-4%
नवम्बर	-0.76	485.55	209.58	0	694.37	-33.26	661.11	0	661.11	1.34	521.67	404.39	0.0	927.4	-29.75	897.65	0	897.65	36%
दिसम्बर	18.07	421.38	280.71	0	720.16	-17.9	702.26	0	702.26	-1.21	439.24	363.13	0.0	801.16	-24.29	776.87	0	776.87	11%
योग	**62.03**	**4046.2**	**2241.44**	**0**	**6349.67**	**-165.58**	**6184.09**	**476.62**	**6660.71**	**3.76**	**4353.79**	**2723.75**	**0.00**	**7081.30**	**-198.51**	**6882.79**	**55.82**	**6938.61**	**4%**

स्रोत: राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

3.3 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखे गये वस्तुओं (पेट्रोल, डीजल, ए0टी0एफ0 एवं नैचुरल गैस तथा शराब) पर माह दिसम्बर, 2023 तक कुल ₹1,836.12 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक उक्त वस्तुओं पर कुल ₹1,936.82 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसे तालिका–3.2 में दर्शाया गया है–

तालिका– 3.2

राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त कुल राजस्व (Non-GST) (धनराशि ₹करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक)	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	212.18	223.28	5.23%
मई	201.62	223.30	10.75%
जून	223.21	245.88	10.15%
जुलाई	229.50	240.66	4.86%
अगस्त	179.50	193.83	7.98%
सितम्बर	179.21	194.06	8.29%
अक्टूबर	189.10	181.37	-4.09%
नवम्बर	212.65	215.24	1.22%
दिसम्बर	209.15	219.22	4.81%
योग	**1836.12**	**1936.82**	**5.48%**

स्रोत: राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

3.4 राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 तथा वर्ष 2024–25 (माह दिसम्बर तक) में प्राप्त कर संग्रह की स्थिति को सारणी–3.3 में दर्शाया गया है। तालिका 3.3 से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक विभाग को कुल ₹8,496.82 करोड़ (₹476.62 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक विभाग द्वारा ₹8,875.42 करोड़ (₹55.82 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया है।

तालिका 3.3

राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा माहवार प्राप्त कुल राजस्व (GST+Non GST+Compensation) का विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक)	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	1053.21	1128.57	7.16%
मई	848.04	913.71	7.74%
जून	863.42	931.17	7.85%
जुलाई	852.12	1041.91	22.27%
अगस्त	812.57	949.18	16.81%
सितम्बर	1277.97	835.85	-34.60%
अक्टूबर	1004.32	966.06	-3.8%
नवम्बर	873.76	1112.88	27.37%
दिसम्बर	911.41	996.09	9.29%
योग	**8496.82**	**8875.42**	**4.46%**

स्रोत: राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

3.5 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं पर कर संग्रह :–

3.5.1 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (पेट्रोल व डीजल) पर कर संग्रह का विवरण तालिका– 3.4 में दर्शाया गया है–

तालिका 3.4

पेट्रोल–डीजल पर प्राप्त कर का विवरण (धनराशि ₹ करोड़ में)									
माह का नाम	वर्ष 2023–24			वर्ष 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक)			वृद्धि/कमी का प्रतिशत		
	पेट्रोल पर प्राप्त कर	डीजल पर प्राप्त कर	पेट्रोल एवं डीजल पर प्राप्त कर (2+3)	पेट्रोल पर प्राप्त कर	डीजल पर प्राप्त कर	पेट्रोल एवं डीजल पर प्राप्त कर (5+6)	पेट्रोल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत	डीजल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत	पेट्रोल एवं डीजल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
अप्रैल	63.49	103.20	166.69	70.21	110.50	180.71	10.58%	7.07%	8.41%
मई	63.92	112.04	175.96	72.80	111.46	184.26	13.89%	-0.52%	4.72%
जून	73.82	119.27	193.09	81.46	124.84	206.30	10.35%	4.67%	6.84%
जुलाई	80.81	115.52	196.33	85.25	119.15	204.40	5.49%	3.14%	4.11%
अगस्त	63.55	86.35	149.90	72.43	90.52	162.95	13.97%	4.83%	8.71%
सितम्बर	65.65	84.53	150.18	77.34	86.61	163.95	17.81%	2.46%	9.17%
अक्टूबर	68.90	92.28	161.18	69.79	80.57	150.36	1.29%	-12.69%	-6.71%
नवम्बर	72.66	110.94	183.6	78.42	102.15	180.67	7.93%	-7.92%	-1.65%
दिसम्बर	71.06	103.51	174.57	80.30	102.14	182.44	13.00%	-1.32%	4.51%
योग	**623.86**	**927.64**	**1551.50**	**688.00**	**927.94**	**1615.94**	**10.28%**	**0.03%**	**4.15%**

स्रोत– : राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.5.2 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (शराब) पर कर संग्रह का विवरण तालिका–3.5 में दर्शाया गया है–

तालिका– 3.5

शराब पर प्राप्त कर (धनराशि ₹ करोड़ में)			
माह का नाम	वर्ष 2023–24 शराब पर प्राप्त कर	वर्ष 2024–25(दिसम्बर 2024 तक) शराब पर प्राप्त कर	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	41.92	38.90	-7.20%
मई	21.87	35.25	61.18%
जून	26.69	34.87	30.65%
जुलाई	29.36	31.09	5.89%
अगस्त	26.58	26.46	-0.45%
सितम्बर	25.50	25.69	0.75%
अक्टूबर	24.98	26.51	6.12%
नवम्बर	25.15	30.06	19.52%
दिसम्बर	30.86	32.44	5.12%
योग	**252.91**	**281.27**	**11.21%**

स्रोत: राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

3.5.3 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (**नैचुरल गैस एवं एविएशन टरबाईन फ्यूल**) पर कर संग्रह का माहवार विवरण तालिका–3.6 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.6

नैचुरल गैस एवं एविएशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर (धनराशि ₹ करोड़ में)						
माह का नाम	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक)	वृद्धि / कमी का प्रतिशत	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक)	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
	नैचुरल गैस पर प्राप्त कर	नैचुरल गैस पर प्राप्त कर		एविएशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर	एविएशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अप्रैल	3.14	3.27	4.14%	0.43	0.40	-6.98%
मई	3.41	3.39	-0.59%	0.38	0.40	5.26%
जून	2.98	4.13	38.59%	0.45	0.56	24.44%
जुलाई	3.50	4.67	33.43%	0.31	0.50	61.29%
अगस्त	2.69	4.03	49.81%	0.33	0.39	18.18%
सितम्बर	3.19	3.99	25.08%	0.34	0.43	26.47%
अक्टूबर	2.46	4.04	64.23%	0.48	0.46	-4.17%
नवम्बर	3.31	4.14	25.08%	0.59	0.47	-20.34%
दिसम्बर	3.27	3.99	22.02%	0.45	0.35	-22.22%
योग	**27.95**	**35.65**	**27.55%**	**3.76**	**3.96**	**5.32%**

स्रोत– :राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.6 वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 व वैट (Non-GST) में क्रमशः ₹9,379 करोड़ तथा ₹2,675 करोड़, इस प्रकार कुल ₹12,054 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक जी0एस0टी0 व वैट में क्रमशः ₹6,879 करोड़ तथा ₹1,941 करोड़, इस प्रकार कुल ₹8,820 करोड़ का राजस्व राज्य को प्राप्त हो चुका है।

3.7 जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त 01 जुलाई, 2017 से 31 दिसम्बर, 2024 तक की अवधि में कुल 2,06,315 नये व्यापारी पंजीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त 57,644 पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जी0एस0टी0 में प्रवर्जित किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान तक राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 2,63,959 हो चुकी है।

Number of Registerd Dealers in GST (Data as of 31 December, 2024)		
Sr.No.	**Dealers**	**Number**
1	**Number of Migrated Dealers (State)**	46294
2	**Number of Migrated Dealers (Centre)**	11350
3	**New Registration (State)**	91218
4	**New Registration (Centre)**	115097
5	**Total Dealers (State+Centre)**	**263959**
6	**Composition Dealers (State)**	25429
7	**Composition Dealers (Centre)**	17962
8	**Total Composition Dealers**	**43391**

स्रोत: राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

3.8 राज्य कर विभाग की प्रवर्तन इकाईयों द्वारा करापवंचनरोधी प्रयासः–

राज्य कर विभाग की सचलदल इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 (माह दिसम्बर, 2024 तक) में कुल ₹62.28 करोड़ कर/अर्थदण्ड के रूप में जमा कराये गये, जो कि गत वर्ष इसी अवधि में जमा कराये गये लगभग ₹54.62 करोड़ से 14 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग की विशेष कार्यबल इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 (माह दिसम्बर, 2024 तक) में कुल 134 सर्वेक्षण करते हुये लगभग ₹198.28 करोड़ का अपवंचित कर प्रकाश में लाया गया तथा सुनवाई के दौरान ही ₹79.74 करोड़ जमा कराये गये।

3.9 वित्तीय वर्ष 2024–25 मे माह दिसम्बर, 2024 तक राज्य कर विभाग द्वारा कुल (CGST+ IGST+ SGST+CESS) ₹15,617.74 करोड़ का संग्रहण किया गया है जो कि गतवर्ष की इसी अवधि में किये गये कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह ₹14,359.28 करोड़ से 09 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग द्वारा कुल कर (CGST+IGST+SGST+ CESS) संग्रह का माहवार विवरण तालिका–3.7 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.7

वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 का तुलनात्मक GST (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह	CGST			SGST			IGST			CESS			Total		
	2023-24	2024-25	%+/-	2023-24	2024-25	%+/-	2023-24	2024-25	%+/-	2023-24	2024-25	%+/-	2023-24	2024-25	%+/-
अप्रैल	387.32	460.53	19%	554.33	636.26	15%	1191.84	1132.22	-5%	14.94	10.02	-33%	2148.43	2239.03	4%
मई	307.40	322.98	5%	411.49	475.89	16%	702.97	1025.25	46%	9.32	12.62	35%	1431.18	1836.74	28%
जून	327.37	323.15	-1%	438.6	472.33	8%	745.08	897.87	21%	11.5	11.70	2%	1522.55	1705.05	12%
जुलाई	318.28	342.54	8%	415.18	490.49	18%	863.17	854.05	-1%	10.49	12.62	20%	1607.12	1699.70	6%
अगस्त	309.16	291.65	-6%	382.06	432.22	13%	653.02	617.77	-5%	8.68	9.09	5%	1352.92	1350.73	0%
सितम्बर	268.34	273.5	2%	387.27	399.73	3%	725.58	900.05	24%	11.17	8.48	-24%	1392.36	1581.76	14%
अक्टूबर	379.42	343.01	-10%	550.34	485.96	-12%	894.56	995.35	11%	10.1	9.42	-7%	1834.42	1833.74	0%
नवम्बर	313.35	337.15	8%	485.55	521.67	7%	791.52	951.34	20%	10.21	13.44	32%	1600.63	1823.60	14%
दिसम्बर	294.06	295.68	1%	421.38	439.24	4%	744.4	803.69	8%	9.83	8.78	-11%	1469.67	1547.39	5%
योग	**2904.70**	**2990.19**	**3%**	**4046.20**	**4353.79**	**8%**	**7312.14**	**8177.59**	**12%**	**96.24**	**96.17**	**0%**	**14359.28**	**15617.74**	**9%**

स्रोत– : राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.10 वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक राज्य को IGST Settlement के अन्तर्गत कुल ₹2,241.44 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था, जब कि वित्तीय वर्ष 2024–2025 की इसी अवधि में कुल IGST Settlement ₹2,723.65 करोड़ रहा, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष 21 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग द्वारा कुल IGST Settlement का विवरण तालिका–3.8 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.8

Sanction of provisional Settlement of IGST for the Return Filing (Fig in ₹Crore)														
Months	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilisation) 2023-24 (outward)	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilisation) 2024-25 (outward)	%+/-	SGST/ UTGST Liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilisation) 2023-24 (inward)	SGST/UTGST Liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilisation) 2024-25 (inward)	%+/-	Apportionment of IGST to the State /UT (2023-24)	Apportionment of IGST to the State /UT (2024-25)	%+/-	Adjustment of Adv. Apportionment of IGST to State/UT (2023-24)	Adjustment of Adv. Apportionment of IGST to State/UT (2024-25)	Total 2023-24	Total 2024-25	%+/-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(2+11) - (5+8)	(14) =(3+12) - (6+9)	(15)
April	418.40	502.52	20.11%	586.22	626.95	6.95%	133.36	156.33	17.23%	0.00	0.00	-301.17	-280.76	6.78%
May	341.16	388.70	13.87%	470.51	511.43	6.66%	115.99	115.03	-0.83%	0.00	0.00	-254.14	-237.76	-6.45%
June	368.38	434.62	17.98%	488.21	556.25	13.94%	101.81	115.89	13.83%	0.00	0.00	-221.64	-237.52	7.16%
July	423.66	409.75	-3.28%	523.49	604.09	15.40%	112.32	130.31	16.02%	0.00	0.00	-210.15	-324.65	54.48%
August	316.79	343.69	8.49%	446.74	510.47	14.27%	124.92	124.84	-0.06%	0.00	0.00	-254.87	-291.62	14.42%
September	367.84	356.22	-3.16%	449.03	512.11	14.05%	142.46	119.40	-16.19%	0.00	0.00	-223.65	-275.29	23.09%
October	430.50	435.59	1.18%	547.56	583.58	6.58%	168.47	160.76	-4.58%	0.00	0.00	-285.53	-308.75	8.13%
November	456.64	392.96	-13.95%	551.88	621.06	12.54%	173.74	176.08	1.35%	59.40	0.00	-209.58	-404.18	92.85%
December	361.33	416.26	15.20%	525.77	508.61	-3.26%	116.27	272.77	134.60%	0.00	0.00	-280.71	-363.12	29.36%
Total	**3484.90**	**3680.31**	**5.61%**	**4596.41**	**5032.55**	**9.49%**	**1189.33**	**1371.41**	**15.31%**	**59.40**	**0.00**	**-2241.44**	**-2723.65**	**21.51%**

Note- In Dec-24 inter head transfer Amount by tax payer within the cash ledger is Rs. 142.38 Cr. This amount is added to apportionment amount of Rs. 130.39 Cr. Hence apportionment amount is shown as Rs. 272.77 Cr. (130.39+142.38=272.77). *Inter head transfer of amount by tax payer within the cash ledger- Rs. 1423798203 (Rs. 142.38 Cr.) is also included in the actual IGST Settlement amount of Rs. 220.75 Cr. for December 2024. Hence, IGST Settlement is shown as Rs. 363.13 Cr. (220.75+142.38=363.13).

स्रोत– : राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.11 व्यापारी दुर्घटना बीमा योजनाः– जनहित में शासन/विभाग द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 18.11.2025 तक के लिए लागू की गयी है, जिसमें विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में ₹10.00 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है।

3.12 राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा आगामी वर्षों के लिए राजस्व प्राप्ति का अनुमान निम्न तालिका–3.9 में दर्शाया गया है–

तालिका– 3.9

Assured revenue and revenue projections for forthcoming years are as below (आगामी वर्षों के लिए सुनिश्चित राजस्व तथा राजस्व अनुमान) (धनराशि ₹ करोड़ में)				
S.N.	Financial year	Achieved/ Projected GST (without compensation)	Achieved/ Projected Non-GST	Total Achieved/ Projected Tax
(1)	(2)	(3)	(4)	5= (3+4)
1.	2023-24	8,297	2,515	10,812
2.	2024-25	9,379	2,675	12,054
3.	2025-26	10,320	2,807	13,127

स्रोत– : राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.13 बायोमैट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण पंजीयन :– जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य में बायोमैट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था 31 जुलाई, 2024 से लागू कर दी गयी है। देश में यह व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखण्ड चौथा राज्य और उत्तर भारत का प्रथम राज्य है।

3.14 व्यापारी सम्मान योजना :– राज्य मे पंजीकृत व्यापारियों को प्रोत्साहित किये जाने के लिए व्यापारी सम्मान योजना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यापारियों को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है, जिनके द्वारा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत रिटर्न व कर नियमानुसार जमा किया जा रहा है।

3.15 जी0एस0टी0 के अन्तर्गत ब्याज तथा अर्थदण्ड माफी योजना :– वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए धारा–73 के अन्तर्गत की गयी मांगों से सम्बन्धित ब्याज और अर्थदण्ड माफ किये जाने का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार ऐसे व्यापारियों, जिनके द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में धारा–73 के अन्तर्गत सृजित मांग किसी कारणवश जमा नहीं की गयी है, को ब्याज या जुर्माना दिए बिना सृजित मांग जमा करने का अवसर दिया गया है। विभागीय स्तर से उक्त योजना का प्रचार–प्रसार करने के लिए इसे विज्ञापित किया गया हैं और समस्त औद्योगिक–व्यापारिक संगठनों, अधिवक्ता संघों को उपर्युक्त योजना/प्राविधान का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उन्हें अवगत कराया गया है।

3.16 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (Stamp and Registration):– स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड राज्य सरकार की एक प्रमुख राजस्व शाखा है, जो नागरिकों के विभिन्न संपत्ति संबंधी लेनदेन की रिकॉर्डिंग और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी के साथ कार्यरत हैं। ई–पंजीकरण पहल के साथ स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग हितधारकों को नागरिक अनुकूल, परेशानी मुक्त और पारदर्शी सेवायें प्रदान कर रहा है । पंजीकरण के कानून का मुख्य उद्देश्य दस्तावेज की वास्तविकता का एक निर्णायक प्रमाण प्रदान करना , लेनदेन के लिए प्रचार करना और धोखाधड़ी को रोकना है । विभाग एक "रॉयल रिकॉर्ड कीपर" के रूप में कार्य कर रहा है, जो पुराने रिकॉर्डों को संरक्षित करता है और विधि न्यायालय में वास्तविकता के प्रमाण के रूप में प्रदान करने के लिए इसके द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की प्रतियां प्रदान करता है।

3.16.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर) ₹1828.50 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक प्राप्त आय ₹1970.00 करोड़ रही, जो कि गत वर्ष की तुलना में 7.74 प्रतिशत अधिक है।

3.16.2 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक वित्तीय वर्षवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय का विवरण निम्न तालिका–3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका–3.10

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्षवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय का प्रतिशत विवरण (धनराशि ₹ करोड़ में)					
क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आवंटित लक्ष्य	प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)	लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत	गत वर्ष के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2013–2014	640.00	686.60	107.28	(+) 5.89
2	2014–2015	708.79	713.78	100.70	(+) 3.96
3	2015–2016	777.21	872.17	112.21	(+) 22.19
4	2016–2017	1203.00	779.50	64.80	(–) 10.61
5	2017–2018	1100.00	860.16	78.19	(+) 10.34
6	2018–2019	1195.00	1035.35	86.64	(+) 20.37
7	2019–2020	1340.73	1071.49	79.92	(+) 3.49
8	2020–2021	1249.23	1107.04	88.61	(+) 3.31
9	2021–2022	1200.00	1487.89	123.99	(+)34.40
10	2022–2023	1590.05	1992.64	125.31	(+)33.92
11	2023–2024	2062.93	2461.04	119.29	(+)23.50
12	2024–2025	2665.00 (01 अप्रैल, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक प्राप्त आय)	**1970.00**	74.00	गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 01 अप्रैल, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक प्राप्त आय ₹1828.50 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में 31 दिसम्बर 2024 तक 7.74% की वृद्धि हुई।

स्रोत: स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड

3.16.3 सर्किल दरों हेतु GIS Application प्रणाली व जनहित में किये गये कार्यों का विवरण :–आम जनता की सुविधा हेतु विभागों की कार्यप्रणाली सरल बनाने की दिशा में विभाग में सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु प्रवृत्त सर्किल दरों को ऑनलाईन प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में G.I.S. Application प्रणाली प्रवृत्त की गयी है। इससे आम जन को सम्पत्ति की स्थिति के अनुसार सर्किल दर मूल्यांकन करने से आसानी होगी। इससे आम जन को निम्नलिखित लाभ होंगे–

विभागीय प्रगति

- सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु प्रवृत्त सर्किल दरों को ऑनलाईन प्रदर्शित किये जाने हेतु G.I.S Application प्रणाली को अपग्रेड कर और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे आम जन को सम्पत्ति की स्थिति के अनुसार सर्किल दर व सम्पत्ति का मूल्यांकन अधिक सुविधाजनक होगा तथा मूल्यांकन पुस्तिका तलाश करने से मुक्ति मिलेगी।

- भूमि सम्बन्धी विक्रय विलेखों में की गयी जालसाजी एवं धोखाधड़ी के प्रकरण संज्ञान में आने के पश्चात् उक्त प्रकरणों की पुनरावृत्ति न होने के दृष्टिगत व्यापक जांच एवं सुधार हेतु स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के अधीन 03 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (एस0आई0टी0) का गठन किया गया है।

- विशेष जांच दल द्वारा संदर्भित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु Forensic Expert की तैनाती की गयी है।

- Digital India, Ease of doing Bussiness एवं Ease of living के अन्तर्गत सरलीकरण, समाधान एवं त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत Online माध्यम से लेखपत्रों के e-Registration, e-Marriage एवं लेखपत्रों की सत्यापित प्रतियां e-Nakal के माध्यम से (घर बैठे कम्प्यूटर व मोबाईल से) प्रदान की जा रही है।

- e-Stamp की उपलब्धता के साथ–साथ बैंक विषयक दस्तावेजों के लिए DDE (Digital Document Execution) एवं डिजिटल ई–स्टाम्प को भी प्रवृत्त किया गया है।

- विभाग के सम्पूर्ण अभिलेखों के डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। वित्तीय वर्ष के अन्त तक समस्त डिजिटाईज्ड अभिलेखों के Online Search की सुविधा उपलब्ध होगी।

- Aadhar Authentication एवं Virtual Registration की प्रक्रिया गतिमान है। विडियो KYC एवं लेखपत्रों के Virtual Presentation की सुविधा चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक संचालित करने की योजना है। जिससे जन सुविधा के साथ–साथ फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी।

- उत्कृष्ट जन सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के 18 उप निबंधक कार्यालयों के अनुरक्षण/जीर्णोद्धार, रिकार्ड रूम माडर्नाईजेशन के निर्माण का कार्य गतिमान है।

आबकारी (Excise)

3.17 आबकारी विभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधियों उपयोग के निषेध का उन्नीयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। मद्यनिषेध की इस बात को प्रमुखता देते हुए आबकारी विभाग ये सुनिश्चित करता है कि उपर्युक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये।

चार्ट–3.2

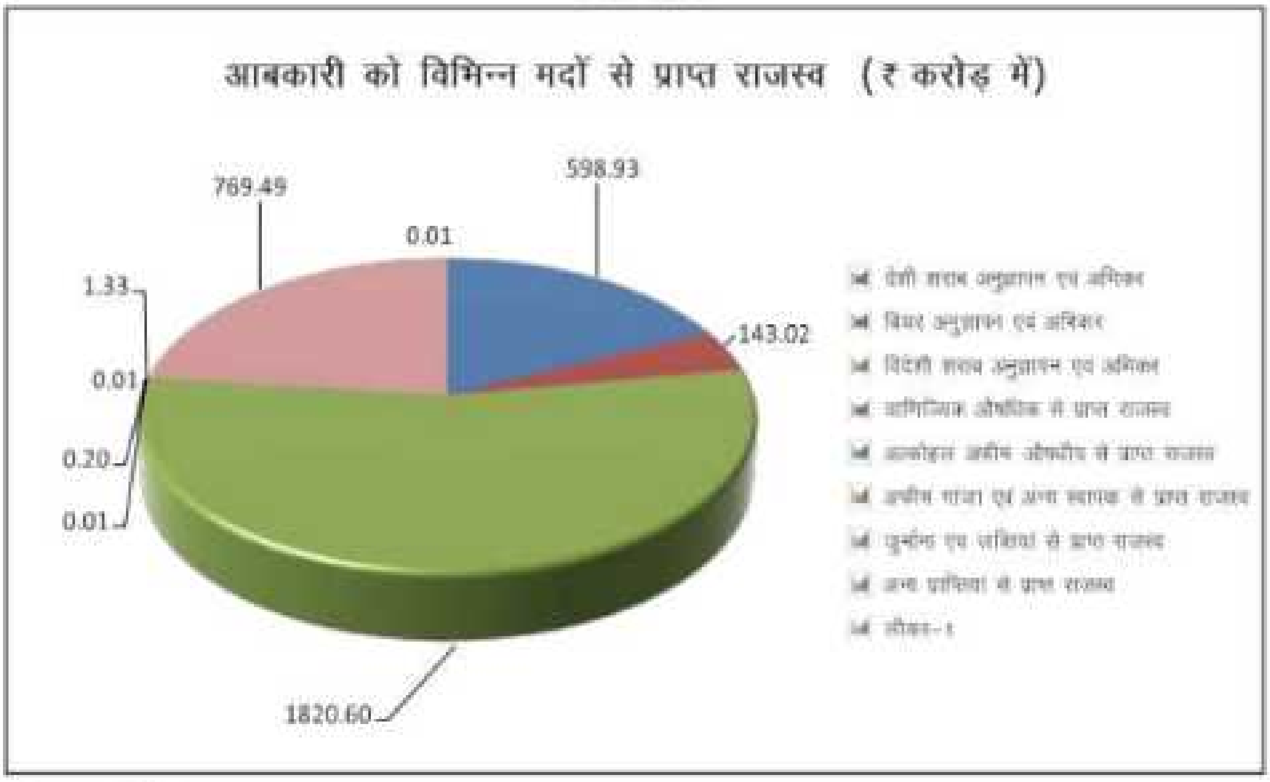

स्रोत: आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड

3.18 आबकारी नीति में गुणात्मक सुधार करने के लिए वर्ष 2024–25 के लिए आबकारी नीति दिनांक 21.02.2024 को जारी की गयी।

3.19 वर्ष 2023–24 के दौरान आबकारी विभाग द्वारा ₹4038.69 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया। वर्ष 2024–25 में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹4439.00 करोड़ के सापेक्ष 31 दिसम्बर 2024 तक ₹3343.97 करोड़ का संग्रह किया जा चुका है। आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किये जाने वाला राजस्व उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त राजस्व का 18 से 19 प्रतिशत के मध्य रहता है।

3.19.1 आबकारी विभाग को देशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर 2024 तक ₹598 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.2 बियर अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर 2024 तक ₹143 करोड से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.3 विदेशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर 2024 तक ₹1820 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.4 वाणिज्यिक औषधिक से 31 दिसम्बर 2024 तक ₹20 लाख से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.5 जुर्माना एव जब्तियां से 31 दिसम्बर 2024 तक ₹1.30 करोड से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.6 अन्य प्राप्तियां से 31 दिसम्बर 2024 तक ₹769.40 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.7 लीकर–1 से 31 दिसम्बर 2023 तक ₹60 हजार राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.20 वित्तीय वर्ष 2024–25 में आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹4,439.00 करोड़ के सापेक्ष कुल ₹3,343.97 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2001–02 से वर्ष 2024–25 तक आबकारी विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व प्राप्ति का विवरण तालिका–3.11 व (चार्ट–3.3) में दर्शाया गया है।

तालिका – 3.11

राजस्व बढ़ोतरी आबकारी विभाग (₹करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त राजस्व
(1)	(2)	(3)
2001–02	222.38	231.69
2002–03	256.36	246.46
2003–04	286.05	272.69
2004–05	292.76	292.09
2005–06	357.96	292.81
2006–07	360.00	372.84
2007–08	417.00	441.71
2008–09	501.00	528.32
2009–10	598.21	703.71
2010–11	686.93	755.98
2011–12	727.67	843.57
2012–13	942.00	1117.80
2013–14	1150.00	1269.04
2014–15	1500.00	1486.80
2015–16	1800.00	1736.60
2016–17	2100.00	1906.00
2017–18	2310.00	2262.02
2018–19	2650.00	2705.38
2019–20	3047.50	2729.15
2020–21	3461.37	3017.34
2021–22	3202.00	3260.35
2022–23	3600.00	3501.93
2023–24	4000.00	4038.68
2024–25*	4439.00	3343.97

नोट– * वास्तविक प्राप्तियाँ दि0 31.12.2024 तक।

चार्ट – 3.3

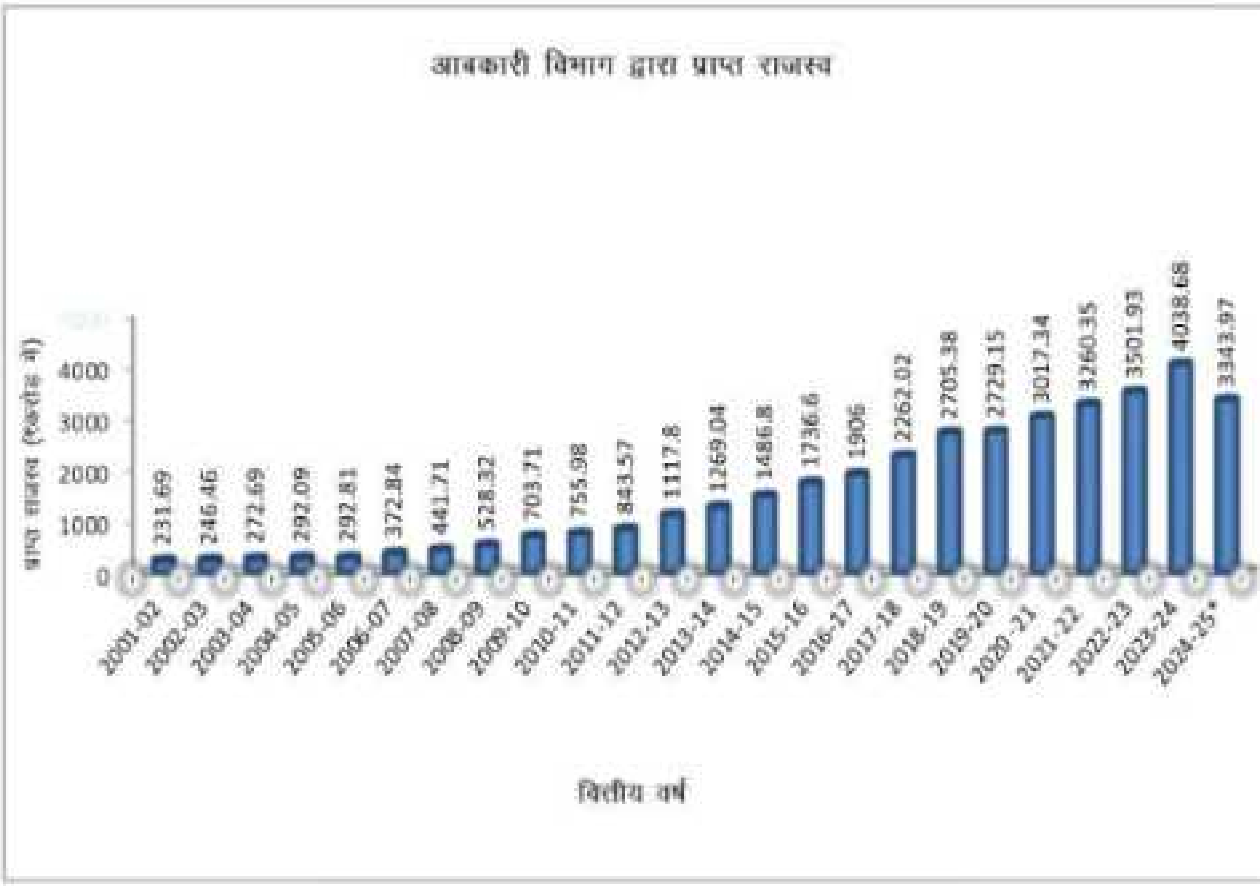

* 31 दिसम्बर 2024 तक।

स्रोत: आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड

अध्याय–4
भाव संचलन
Price Movement

4.1 मूल्य सूचकांक (Price Index):– मूल्य सूचकांक दो अवधियों या स्थानों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के एक चुने हुए बास्केट की कीमतों में औसत अंतर को दिखाता है। साथ ही, इनका इस्तेमाल समय के साथ कीमतों में आने वाले परिवर्तन का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से तीन तरह के Price Index का इस्तेमाल किया जाता है:–

4.2 थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index): यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति सूचक है।

4.3 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index): उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) वे कीमतें हैं जो किसी वस्तु के लिए अन्तिम उपभोक्ता को चुकानी पडती है। इसे जीवन निर्वाह सूचकांक भी कहा जाता है इसमें वस्तुओ का एक बासकेट तैयार किया जाता है। जिसमें शहरी ग्रामीण जैसे उपभोक्ता श्रेणीयों के आधार पर विभिन्न श्रेणीयां व उप श्रेणीया बनाई जाती हैं सी0पी0आई0 का उपयोग करके मुद्रास्फिति को मापा जाता है।

4.4 उत्पादक मूल्य सूचकांक (Producer Price Index-PPP): इसमें निर्माता या आउटपुट मूल्य को रखा जाता है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के साथ–साथ सार्वजनिक उपयोगिताओं को कवर किया जाता है। PPI की कीमतों में कर और परिवहन शुल्क शामिल होते है।

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) तैयार किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में वर्ष 2017–18 को आधार वर्ष निर्धारित करते हुए राज्य की कुल 74 चयनित बाजारों (34 ग्रामीण एवं 40 नगरीय) से नगरीय बाजारों हेतु 190 एवं ग्रामीण बाजारों हेतु 192 वस्तुओं का भाव संग्रह करते हुये उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार किया जा रहा है।

क्र0सं0	जनपद का नाम	ग्रामीण	नगरीय
1	उत्तरकाशी	2	2
2	चमोली	3	2
3	रुद्रप्रयाग	1	2
4	टिहरी	3	2
5	देहरादून	3	5
6	पौढ़ी	4	2
7	पिथौरागढ़	2	2
8	बागेश्वर	1	2
9	अल्मोड़ा	3	2
10	चम्पावत	1	2
11	नैनीताल	3	4
12	यू एस नगर	3	6
13	हरिद्वार	5	7
योग उत्तराखण्ड		**34**	**40**

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

माह जनवरी 2024 से दिसम्बर 2025 का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक निम्नवत् है :–

नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक आधार वर्ष (2017–18=100)

राज्य– उत्तराखण्ड			जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024	अप्रैल 2024	मई 2024	जून 2024	जुलाई 2024	अगस्त 2024	सितम्बर 2024	अक्टूबर 2024	नवम्बर 2024	दिसम्बर 2024
क्र0 सं0	समूह/ उप समूह	भार	भाव सूचकांक											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	(1) खाद्य वस्तुएँ समस्त	44.12	140.65	140.87	141.03	143.74	143.59	143.86	144.97	146.06	146.85	148.16	147.48	147.06
(1)	खाद्य वस्तुएँ	36.31	141.42	141.84	142.39	144.87	144.60	144.86	146.20	147.49	148.54	150.05	149.11	148.58
	(I) अनाज, उसके उत्पाद व सम्बन्धित सेवाएँ	2.46	137.88	137.88	138.48	142.43	142.43	143.12	143.89	144.39	148.64	146.28	147.01	147.73
	(II) मांस व मछली	4.54	137.42	137.59	137.23	138.99	139.32	139.23	139.18	138.78	141.46	142.36	139.36	139.64
	(III) अण्डा	0.25	145.05	140.15	132.25	127.14	123.64	123.41	127.42	125.43	125.98	125.45	130.14	136.93
	(IV) दुग्ध व उसके उत्पाद	2.71	132.49	132.73	133.28	133.89	134.16	136.06	136.25	136.55	137.41	137.86	137.84	138.15
	(V) खाद्य तेल	2.17	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13
	(VI) फल व मेवा	7.33	123.03	123.65	126.14	135.41	136.46	131.76	132.19	138.60	134.64	138.34	134.83	132.30
	(VII) साग–भाजी सब्जी/तरकारी व उनसे तैयार अचार आदि	2.56	138.20	141.74	146.18	149.90	144.25	159.16	174.06	175.22	184.03	192.18	179.20	174.36
	(VIII) दालें व उनके उत्पाद	0.95	142.45	142.83	143.21	143.53	145.76	148.13	148.86	151.78	150.65	151.92	149.85	149.97
	(IX) चीनी, शहद आदि	0.84	117.65	116.85	117.54	117.45	115.40	116.15	116.43	116.25	116.49	117.47	117.66	117.80
	(X) नमक व मसाले	0.82	158.21	158.04	158.36	158.31	158.50	156.53	156.47	158.41	159.32	158.77	157.45	157.44
	(XI) चाय व काफी	1.92	135.15	135.58	136.69	136.69	136.66	136.61	138.56	133.99	134.76	135.76	136.64	137.23
	(XII) खाद्य–नाश्ता/जलपान	9.76	161.27	161.39	161.39	161.38	161.40	161.36	161.36	162.08	162.44	162.44	165.93	165.87
(2)	धूम्रपान आदि	7.80	137.16	136.45	136.69	138.52	138.85	139.13	139.14	139.32	139.02	139.47	140.00	140.12
(2)	अखाद्य वस्तुएँ	55.88	163.85	163.88	163.82	163.76	164.18	164.40	164.48	167.14	167.31	168.26	168.36	168.32
	(III) वस्त्र, जूते इत्यादि	3.19	116.07	116.31	116.66	116.84	116.91	116.96	117.17	117.14	117.40	117.71	117.77	117.83
	(IV) भवन किराया/ गैराज किराया आदि	8.84	131.83	131.83	131.83	132.03	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	136.34	136.34	136.34
	(V) विद्युत व ईंधन	6.30	167.07	166.93	163.23	161.29	161.29	161.64	161.89	161.50	161.19	161.24	162.2	161.83
	(VI) मिश्रित व अन्य	37.55	175.25	175.28	175.46	175.47	175.48	175.71	175.83	179.59	179.98	180.12	180.76	180.72
	भाव सूचकांक	100.00	153.51	153.62	153.58	154.77	175.48	155.11	155.64	157.61	158.12	159.28	159.03	158.84

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

राज्य स्तर पर जनवरी 2024 एवं फरवरी 2024 तक सूचकांक में निरन्तर वृद्धि देखी गई, मार्च में कमी के उपरान्त अप्रैल, मई, में वृद्धि व जून 2024 में पुनः कमी एवं जुलाई से अक्टूबर तक लगातार वृद्धि के उपरान्त नवम्बर व दिसम्बर में हल्की कमी परिलक्षित हुई है।

4.5 CPI (संयुक्त) तैयार करने हेतु सभी वस्तुओं को 6 उप समूहों (Sub-groups) में वर्गीकृत करते हुये भारित (Weighted) किया गया है, जो इस प्रकार है: खाद्य एवं पेय पदार्थ (कुल भार 45.86%); पान, तम्बाकू और मादक पदार्थ (कुल भार 2.38%),कपड़े और जूते (कुल भार 6.53%); आवास (कुल भार 10.07%); ईंधन और प्रकाश (कुल भार 6.84%) तथा अन्य वस्तुएं (कुल भार 28.32%)। सूचकांक निर्माण में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार सर्वाधिक होने के कारण इनके भावों में परिवर्तन मुद्रास्फीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

NSSO के क्षेत्र संचालन प्रभाग द्वारा सीपीआई (शहरी) हेतु 310 चयनित शहरों/कस्बों

में तथा सीपीआई (ग्रामीण) हेतु 1,114 ग्रामीण बाजारों से मासिक मूल्य डाटा एकत्रित किया जाता है। साथ ही विशिष्ट राज्य/संघ शासित प्रदेशों के अर्थ एवं संख्या निदेशालय तथा डाक विभाग द्वारा चयनित 1,181 गांवों से वेब पोर्टल के जरिये कीमतें एकत्रित की जाती हैं।

मुद्रास्फीति के कारण

4.6 वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि या मुद्रास्फीति विषय लम्बे समय से सम्पूर्ण विश्व में चिंता एवं चर्चा का विषय बना हुआ है। मुद्रास्फीति क्रय शक्ति की क्रमिक हानि है, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में व्यापक वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव समस्त कारको पर पडता है जैसे घरेलू किराना वस्तुओ, आवास व ईंधन एवं प्रकाश आदि। कच्चे तेलो जैसी आयातित वस्तुओ पर निर्भरता के कारण भारत को वैश्विक मूल्य अस्थिरता का सामना करना पडता है रूपये के मूल्य पर पडने वाले प्रभाव से आयात की कीमते बढ जाती है, क्योंकि समान मात्रा में आयातित वस्तुओं को खरीदने के लिए अधिक रूपये की आवश्यकता होती है। उच्च वैश्विक ब्याज दरें भारत में विदेशी निवेश को बाधित कर रही है जिससे वित्तीय स्थिरता प्रभावित हुई है तथा मुद्रा अवमूल्य की स्थिति और खराब हुई है। इससे निवेशक अपनी पूंजी अमेरिका, यूरोप जैसे देशों की ओर स्थान्तरित कर रहें है। जहां उच्च प्रतिफल मिलता है। जिससे भारत जैसे उभरते बाजारों को विदेशी निवेश का प्रभाव कम हुआ है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) Consumer Price Index (Combined)

4.7 सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के फलस्वरूप राज्य में वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रही हैं, फिर भी उत्तराखण्ड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में अधिक रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2024 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) का अध्ययन करने पर दृष्टिगत् होता है कि माह जनवरी 2024 में मुद्रास्फीति की दर (+) 5.1 प्रतिशत थी जो दिसम्बर 2024 माह में अधिकतम स्तर(+) 5.69 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

इसके सापेक्ष राज्य में वर्ष 2024 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगत् होता है कि जनवरी 2024 माह में मुद्रास्फीति की दर (+) 4.55 प्रतिशत के स्तर पर थी, जो दिसम्बर 2024 माह में (+) 6.05 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 तक राष्ट्रीय एवं प्रदेश की मुद्रास्फीति दर का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगत् होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर माह मई 2024 तक कमी होती रही। जून 2024 में वृद्धि के उपरान्त जुलाई 2024 में कमी परिलक्षित हुई। तत्पश्चात् अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 तक वृद्धि नवम्बर 2024 में पुनः कमी एवं दिसम्बर में सूक्ष्म वृद्धि देखी गई। प्रदेश में माह अगस्त 2024 तक मुद्रास्फीति की दर में कमी देखी गई। सितम्बर 2024 से अक्टूबर 2024 तक वृद्धि एवं माह नवम्बर में पुनः कमी व दिसम्बर 2024 में वृद्धि परिलक्षित हुई, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय दर से अधिक एवं नवम्बर व दिसम्बर में तुलनात्मक रूप से कमी आई है। उत्तराखण्ड की मुद्रास्फीति दर माह जनवरी 2024 से सितम्बर 2024 तक राष्ट्रीय दर से कम रही है।

तलिका 4.1

अखिल भारतीय एवं उत्तराखण्ड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(संयुक्त)CPI(Combined)
(आधार 2012 = 100)

माह	2020		2021		2022		2023		2024		मुद्रास्फीति की दर (2024)	
	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड
जनवरी	150.2	145.4	156.3	153.5	166	163.3	176.5	173.7	185.5	181.6	5.1	4.55
फरवरी	149.1	145.0	156.6	153.9	166	164	176.8	174.9	185.8	181.8	5.09	3.95
मार्च	148.6	145.4	156.8	154.7	166	165	177.2	176.1	185.8	182.5	4.85	3.63
अप्रैल	151.4	–	157.8	156.5	170	167.1	178.1	177.1	186.7	183.5	4.83	3.61
मई	150.9	–	160.4	159.0	172	168.6	179.1	178.3	187.7	184.3	4.8	3.37
जून	151.8	150.4	161.3	158.4	173	169.3	181	180	190.2	185.3	5.08	2.94
जुलाई	153.9	151.6	162.5	160.4	173	170.2	186.3	184.8	193.0	190.3	3.6	2.98
अगस्त	154.7	152.5	162.9	160.5	174	172.2	186.2	185.5	193.0	189.9	3.65	2.37
सितम्बर	156.4	154.2	163.2	160.9	175	172.6	184.1	182.2	194.2	190.7	5.49	4.67
अक्टूबर	158.4	156.3	165.5	163.5	177	173.6	185.3	181.6	196.8	193.0	6.21	6.28
नवम्बर	158.9	156.4	166.7	165.0	177	174.2	186.3	183.5	196.5	193.3	5.48	5.34
दिसम्बर	157.3	154.4	168.1	163.4	176	173.5	185.7	181.7	185.7	192.7	5.69	6.05

Source: CSO, MoSPI, GoI (माह दिसम्बर 2024 में अनन्तिम आंकड़ों का प्रकाशन किया गया है)

चार्ट 4(अ)

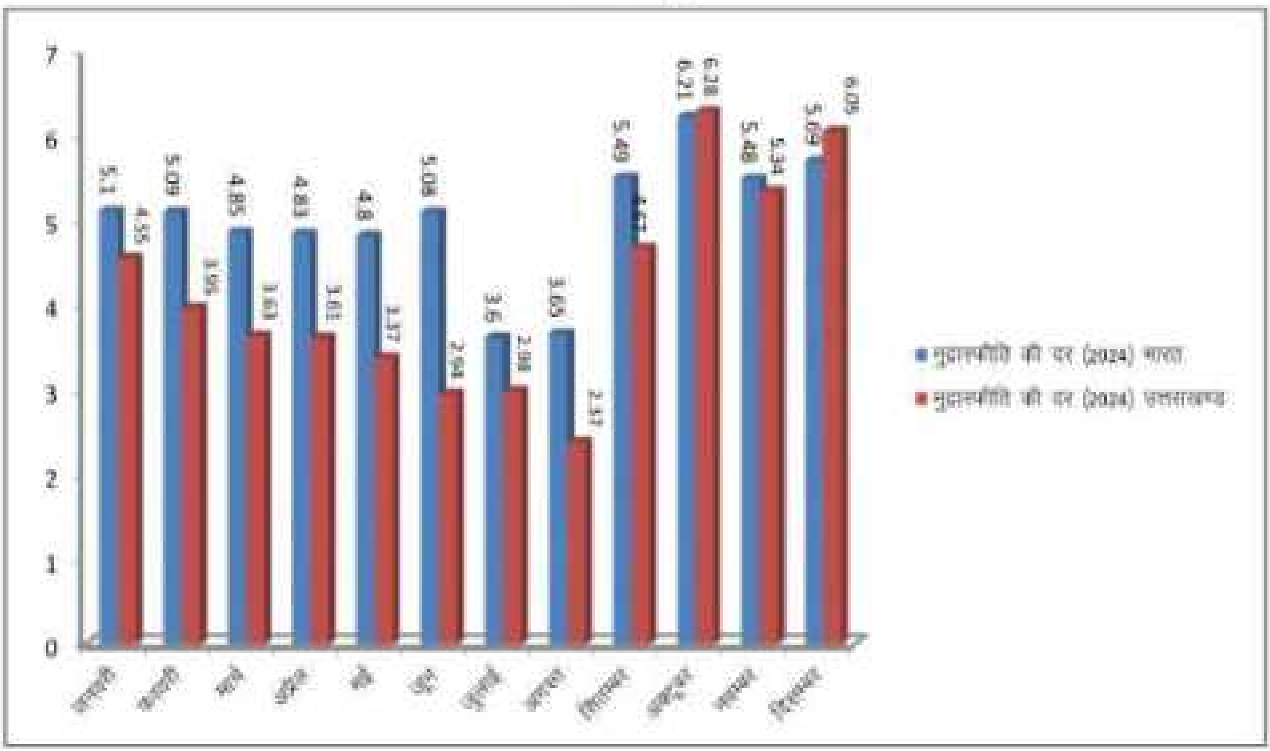

Source: CSO, MoSPI, GoI (माह दिसम्बर 2024 में अनन्तिम आंकड़ों का प्रकाशन किया गया है)

(Household Consumption Expenditure Survey 2023-24)

Average estimated MPCE in 2023-24 is observed to be Rs. 4,122 in rural India and Rs. 6,996 in urban India. The share of food and non-food items in total MPCE is shown below.

Average MPCE (Rs.) and share of food and non-food items in 2023-24: All -India				
Item Group	Rural India		Urban India	
	Average MPCE (Rs.)	Share in MPCE (%)	Average MPCE (Rs.)	Share in MPCE (%)
Food	1,939	47.04	2,776	39.68
Non-food	2,183	52.96	4,220	60.32

स्रोत: नीति आयोग, भारत सरकार

- The bottom 5% of India's rural population, ranked by MPCE, has an average MPCE of Rs. 1,677, while it is Rs. 2,376 for the same category of population in the urban areas.
- The top 5% of India's rural and urban population, ranked by MPCE, has an average MPCE of Rs. 10,137 and Rs. 20,310, respectively.
- Among the States, MPCE is the highest in Sikkim (Rural – Rs. 9,377 and Urban – Rs. 13,927) and it is the lowest in Chhattisgarh (Rural – Rs. 2,739 and Urban – Rs. 4,927).
- Among the UTs, MPCE is the highest in Chandigarh (Rural – Rs. 8,857 and Urban – Rs. 13,425), whereas it is the lowest in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Rs. 4,311) and Jammu and Kashmir (Rs. 6,327) in rural and urban areas, respectively.
- The urban-rural difference in average MPCE among the states is the highest in Meghalaya (104%) followed by Jharkhand (83%) and Chhattisgarh (80%)

Average MPCE for each State/UT in 2023-24

State/UT	Average MPCE (Rs.)	
	Rural	Urban
Andhra Pradesh	5,327	7,182
Arunachal Pradesh	5,995	9,832
Assam	3,793	6,794
Bihar	3,670	5,080
Chhattisgarh	2,739	4,927
Delhi	7,400	8,534
Goa	8,048	9,726
Gujarat	4,116	7,175
Haryana	5,377	8,428
Himachal Pradesh	5,825	9,223
Jharkhand	2,946	5,393
Karnataka	4,903	8,076
Kerala	6,611	7,783
Madhya Pradesh	3,441	5,538
Maharashtra	4,145	7,363
Manipur	4,531	5,945
Meghalaya	3,852	7,839
Mizoram	5,963	8,709
Nagaland	5,155	8,022
Odisha	3,357	5,825
Punjab	5,817	7,359
Rajasthan	4,510	6,574
Sikkim	9,377	13,927
Tamil Nadu	5,701	8,165
Telangana	5,435	8,978
Tripura	6,259	8,034
Uttar Pradesh	3,481	5,395
Uttarakhand	5,003	7,486
West Bengal	3,620	5,775
Andaman & N Islands	7,771	10,453
Chandigarh	8,857	13,425
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	4,311	6,837
Jammu & Kashmir	4,774	6,327
Ladakh	5,010	7,533
Lakshadweep	6,350	6,377
Puducherry	7,598	8,637
All -India	**4,122**	**6,996**

Source: CSO, MoSPI, GoI

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

अध्याय–5
कृषि, गन्ना एवं उद्यान
(Agriculture, Sugar Cane & Horticulture)

5.1 कृषि (Agriculture)

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

उत्तराखण्ड राज्य भौगोलिक दृष्टि से छोटा राज्य है परन्तु राज्य की विशेषतायें इसे देश के अन्य राज्यों से अलग पहचान प्रदान करती है। राज्य द्वारा वृहत स्तर पर जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया गया है। राज्य के पर्वतीय जनपदों में ग्रामीण आबादी का कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय होने के कारण आय का एक प्रमुख स्रोत भी है। कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय से प्राप्त आय जीवन स्तर तक सीमित होने के कारण आबादी का अत्यधिक पलायन रोजगार के अवसरों हेतु हुआ तथा राज्य का पर्वतीय क्षेत्र एक मनीआर्डर अर्थव्यवस्था के रूप में ही अपनी पहचान स्थापित कर सका। जनसंख्या के निरन्तर पलायन के फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में महिला जनसंख्या के पक्ष में एक जनांकिकीय लाभ विकसित होता गया जबकि यह वर्ग कृषि कार्य हेतु पूर्णतः कुशल नहीं है। समग्र रूप से राज्य का पर्वतीय क्षेत्र निम्न उत्पादकता, आगतों का अभाव, विपणन व्यवस्था का अभाव जैसी समस्याओं के बावजूद उत्तराखण्ड राज्य की जलवायु एवं पारिस्थितिकी इसे उच्च मूल्य कृषि उत्पादों के लिये आदर्श क्षेत्र के रूप में स्थापित करती है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में जैविक कृषि, औषधीय कृषि, पुष्प उत्पादन, उद्यानीकरण को प्रोत्साहित कर क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को तीव्रता प्रदान की जा सकती है। उत्तराखण्ड राज्य को जैविक प्रदेश के ब्रान्ड के रूप में विकसित कर आर्थिक प्रगति मे वृद्धि की जा सकती है।

राज्य में कृषि एवं उद्यान प्रसार कार्यक्रमों को निरन्तर विस्तार दिया जा रहा है। राज्य के 13 जनपदों में आत्मा, परियोजना संचालित की गई जिसके अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर प्रगतिशील किसानों का चयन कर ग्राम स्तर पर कृषि कार्यक्रमों को गति प्रदान की गई। राज्य में प्रतिवर्ष कृषि महोत्सव का आयोजन कर कृषि, उद्यान, पशुपालन, लघु सिंचाई, डेरी, मत्स्य एवं रेशम विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को किसानों के सम्मुख रखा गया जिससे अधिक से अधिक किसानों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। राज्य सरकार द्वारा **"सरकार किसान के द्वार"** जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया गया।

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि क्षेत्र को रोजगार परक एवं उत्पादक बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जैविक कृषि को वृहद योजना के आधार पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैविक कृषि द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादन को उच्च मूल्यों पर निर्यात किया जा रहा है। पारम्परिक कृषि के अतिरिक्त क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप हल्दी, अदरक, जैसी नकद फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में उद्यानीकरण के अन्तर्गत "जायका" योजना को प्रारम्भ कर 'कीवी' 'सेब' जैसी फलों के उत्पादन हेतु कलस्टर तैयार किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा औषधीय पादपों जैसे "ऐलोवीरा, आवंला, सर्पगन्धा, स्टीविया, गिलोय, किलमोड़ा, ब्राह्मी, लेमनग्रास, झंगोरा, मन्डुवा आदि की व्यावसायिक कृषि पर जोर दिया जा रहा है। यही नहीं अपितु राज्य सरकार द्वारा "न्यूनतम समर्थन मूल्य" (MSP) पर उत्पादन कय किया जा रहा है जिससे किसानों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है।

भारत सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन 2021–22 प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग पोर्टल के

माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिये, मौजूदा कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) मंडियों को जोड़ता है। ENAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) किसानों को बिना किसी मध्यस्थों के हस्तक्षेप के उत्पादों को बेचने में मदद करता है ताकि वह अपने निवेश से प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त कर सके। भारत सरकार द्वारा कृषि सम्मान योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष " ₹ 6000" सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। राज्य के कृषक लगातार उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

5.1.1 उत्तराखण्ड के कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों हेतु बजट आवंटन एवं सकल घरेलू उत्पाद में योगदान:– चार्ट 5.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 से 2023–24 तक राज्य में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र में बजट आवंटन कुल बजट का 2.95 प्रतिशत से 3.92 के मध्य रहा है। वर्ष 2023–24 में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र का GSDP में योगदान 0.66 प्रतिशत रहा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022–23 में राज्य सरकार द्वारा कुल बजट में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र हेतु लगातार वृद्धि की है, जोकि निरसंदेह कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने की ओर इंगित करता है।

चार्ट 5.1

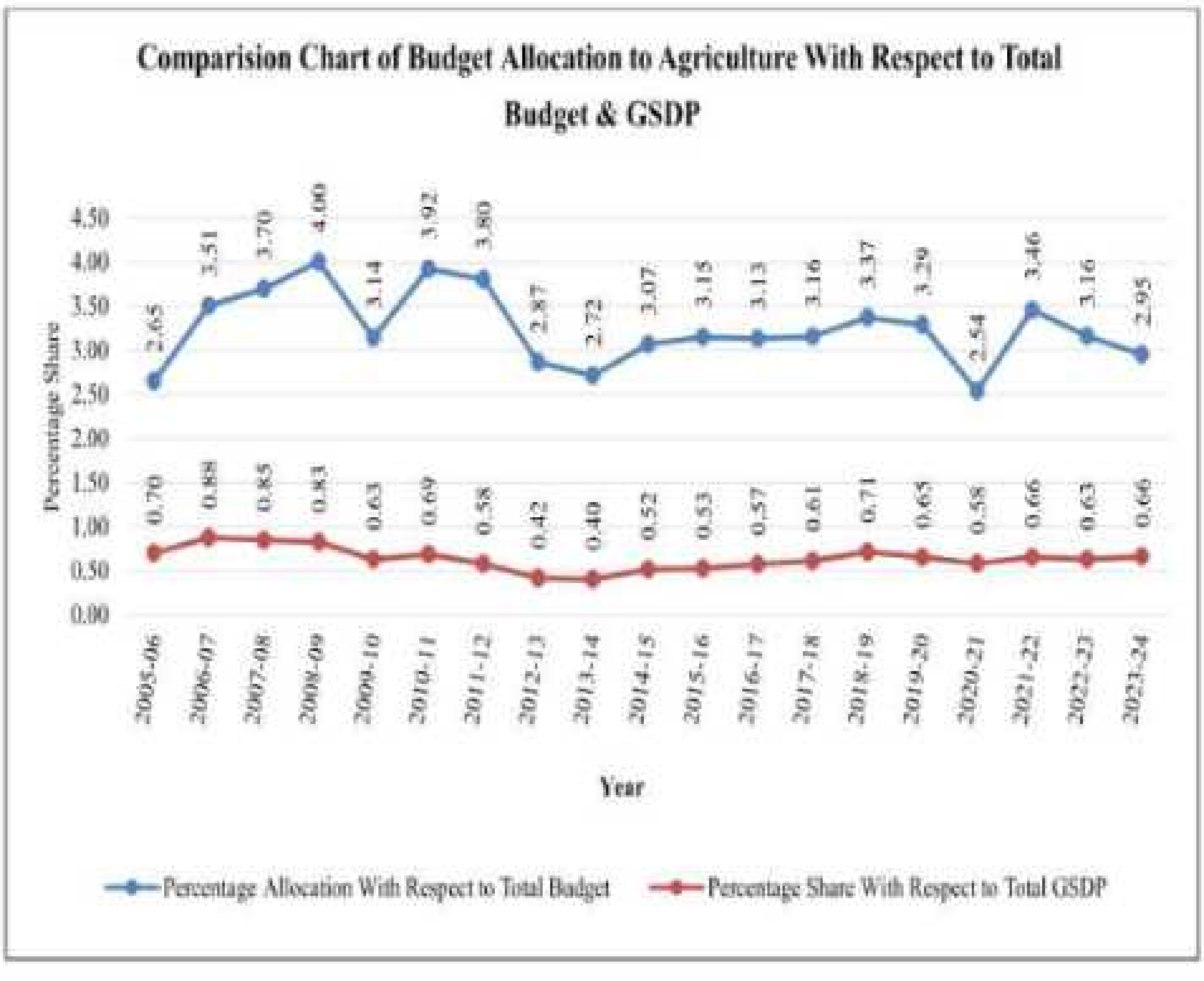

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

5.1.2 कृषि जोतें

वर्ष 2015–16 की कृषि गणना के आधार पर प्रदेश में कुल 881305 जोतें हैं। विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया जा रहा है–

तालिका सं0–5.1

क्षेत्रफल– हैक्टेयर में

क.स.	क्रियात्मकजोतों की श्रेणी	अनुसूचित जाति		अनुसूचितजन जाति		अन्य		योग	
		संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1	सीमान्त (1.0 है0 से कम)	109266	40279	15878	6081	533920	237081	659064	283442
2	लघु (1 .0 है0 से 2 . 0 है0 तक)	11182	15299	4374	6348	133261	184582	148817	206228
3	सीमान्त व लघु जोतों का योग	120448	55578	20252	12429	667181	421663	807881	489670
4	कुलजोतों के सापेक्ष सीमान्त व लघु जोतों का प्रतिषत	97.29	85.25	71.98	26.79	91.47	66.33	91.67	65.52
5	अर्द्ध–मध्यम (2.0 है0 से 4 .0 है0 तक)	2997	7714	4570	13097	50473	134721	58040	155532
6	मध्यम (4 .0 है0 से 10.0 है0 तक)	346	1787	3085	17872	11065	59176	14496	78834
7	बृहद (10.0 है0 से अधिक)	9	114	228	2996	651	20174	888	23284
	कुल योग– (3+5+6+7)	123800	65192	28135	46393	729370	635734	881305	747320

स्रोत: कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका– 5.2 मानसून– वित्तीय वर्ष– 2022

वर्षा के सामान्य एवं वास्तविक आंकड़े (अप्रैल, 2024 से दिसम्बर,2024 तक) इकाई– मि0मी0 में।

जनपद		अल्मोड़ा	बागेश्वर	चमोली	चम्पावत	देहरादून	पौड़ी	टिहरी	हरिद्वार	नैनीताल	पिथौरागढ़	रुद्रप्रयाग	उधमसिंहनगर	उत्तरकाशी	औसत उत्तराखण्ड
अप्रैल, 2024	सामान्य	31.1	31.1	47	25.2	36.3	18.8	34.6	18.5	34.8	61.5	67.1	11.2	49.2	39.3
	वास्तविक	2.9	2.8	13.3	2.3	9.8	1	4.7	1	2.6	4.8	2.8	0	13.4	6.2
मई, 2024	सामान्य	50.3	50.3	64	51.2	56.9	33.3	50.1	28.6	72.2	113.1	105.7	37.1	70.4	64.6
	वास्तविक	62.4	117.1	63.7	35.5	9.4	9.2	30	0	33.6	93.9	91.3	7.1	65.6	51.1
जून, 2024	सामान्य	146.3	146.3	104.7	211.9	193.4	150.8	129.5	134.3	265.8	248.9	220	174.5	176.6	176.8
	वास्तविक	41.6	156.1	110.2	95.6	124	39.1	51.4	27	146.9	114	118.4	47.9	76.9	89.5
जुलाई, 2024	सामान्य	274.2	274.2	263.5	473.8	533.6	445.4	332.6	333.6	566.1	542.2	552.7	390.2	425.4	417.8
	वास्तविक	375.4	996	432.8	686.3	675.3	261.4	350.9	267.3	549.2	709.8	517.7	568.9	293.4	481.9
अगस्त, 2024	सामान्य	241.8	241.8	248.2	397.6	498.4	472.1	333.1	355.7	444.3	475.7	568.8	375.5	380.9	385.7
	वास्तविक	248.2	882.8	463.3	201.5	625.8	291.3	353.1	367.1	297.1	425.7	529.9	337.3	480.8	419.4
सितम्बर, 2024	सामान्य	129.1	129.1	103.3	228.3	214.4	202.9	151.5	165.3	259.5	232.5	206.1	184.4	165.1	180.3
	वास्तविक	232.3	522.5	248.8	414.3	326.3	190.9	237	176.6	313.4	361.1	317.3	267.8	241.6	282.6
अक्टूबर, 2024	सामान्य	20.4	20.4	20.4	43.9	36.4	23.6	22.6	16	39	48.2	20.4	35.3	38	31
	वास्तविक	0.2	21.8	1.5	1.1	0	0	0	0	1.8	10.9	1.3	0	0.3	2.9
नवम्बर, 2024	सामान्य	5.1	5.1	7.3	4.6	11.7	2.6	5.1	3.5	5.1	9.7	8.4	0.9	8.3	6.4
	वास्तविक	0	8.3	0	0	0	0	0	0	0	2.4	0	0.1	0	0.7
दिसम्बर, 2024	सामान्य	18.3	18.3	20.6	15	21.1	11.5	18.2	13.6	15.8	15.2	21.2	7.9	23.7	17.5
	वास्तविक	27.6	26	41.8	21.7	52.1	30.5	47.5	29.7	33.2	21.3	32.5	9.6	38.6	33.1
%		-37	28	-10	-64	-25	-19	3	-10	-42	53	-32	78	44	33.15

कृषि कार्यकलापों का मानसून से गहन सम्बन्ध है। उत्तराखण्ड में वर्ष 2024 के मानसून के मौसम (अप्रैल से दिसम्बर, 2024) के आंकडे निम्नवत् हैं–

5.1.3 क्रॉपिंग पैटर्न– वर्ष 2023–24 के अनुसार कुल बोये गये क्षेत्रफल का 29 प्रतिशत क्षेत्र गेहूँ के अन्तर्गत है, जिस कारण यह प्रदेश की मुख्य फसल है। धान के अन्तर्गत 27 प्रतिशत, मंडुवा के अंतर्गत 7 प्रतिशत, गन्ना के अन्तर्गत 10 प्रतिशत, सांवा के अन्तर्गत 4 प्रतिशत, कुल दालों के अंतर्गत 6 प्रतिशत, कुल तिलहन के अन्तर्गत 3 प्रतिशत, मक्का के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, जौ के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, फल एवं सब्जियों के अन्तर्गत 5 प्रतिशत चारा 3 प्रतिशत एवं अन्य फसलों के अन्तर्गत 2 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित है। शेष कृषि क्षेत्र अन्य कृषि उत्पादों, सब्जियां, मसाले आदि के अन्तर्गत है।

कुल तिलहन के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, मक्का के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, जौ के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, फल एवं सब्जियों के अन्तर्गत 5 प्रतिशत चारा 3 प्रतिशत एवं अन्य फसलों के अन्तर्गत 2 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित है। शेष कृषि क्षेत्र अन्य कृषि उत्पादों, सब्जियां, मसाले आदि के अन्तर्गत है।

तालिका सं0–5.3

क्र0सं0	फसल का नाम	क्षेत्रफल (प्रतिशत में)
1	गेहूँ	29
2	धान	27
3	मण्डुवा	7
4	सांवा	4
5	गन्ना	10
6	मक्का	2
7	जौ	2
8	कुल दालें	6
9	कुल तिलहन	3
10	फल तथा सब्जियां	5
11	चारा	3
12	अन्य फसलें	2

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 5.2

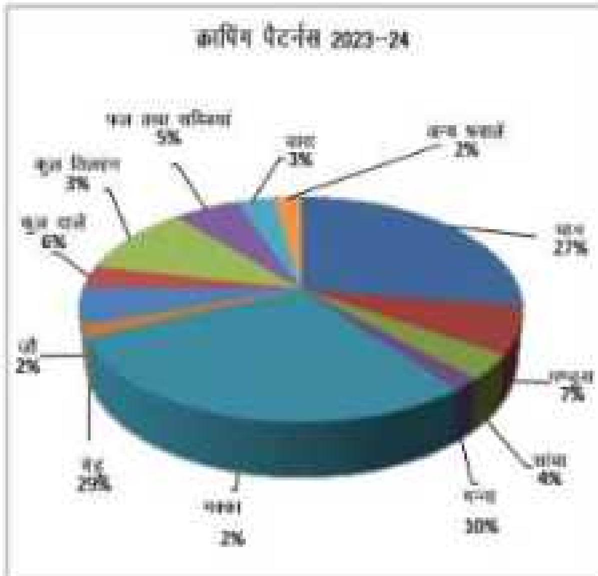

5.1.5 उत्तराखण्ड में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न के अन्तर्गत क्षेत्रफल

तालिका– 5.4

वर्ष	क्षेत्र('000हैक्टेयर)	उत्पादन('000मी.टन)	उत्पादकता('000कु./हैक्टेयर)
2011–12	909.305	1804.03	1.98
2012–13	898.974	1811.84	2.02
2013–14	872.75	1775.08	2.03
2014–15	875.38	1612.96	1.84
2015–16	866.78	1756.38	2.03
2016–17	867.88	1874.50	2.16
2017–18	842.389	1920.590	2.28
2018–19	814.833	1860.206	2.28
2019–20	806.681	1892.029	2.35
2020–21	782.969	1978.631	2.53
2021– 22	751.384	1886.52	2.51
2022–23	753.014	1774.73	2.36
2023–24	688.103	1796.87	2.61

स्रोतः कृषि विभाग

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में कृषि भूमि लगातार कम होने के बावजूद भी खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ी है। खाद्यान्न उत्पादन में औसत उत्पादकता बढ़ने का मुख्य कारण उन्नत किस्म के बीजों का वितरण तथा कृषि में नयी–नयी तकनीकों के उपयोग से हुआ है। सतत् विकास लक्ष्य दो को विभिन्न चरणों में पूर्ण करने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जो योजनायें चलायी जा रही है उसका विवरण निम्नानुसार है:–

केन्द्रपोषित योजनायें–

5.1.6 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

भारत सरकार द्वारा किसानों को आय सम्बन्धी सहायता दिये जाने हेतु शत–प्रतिशत सहायता के साथ दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम–किसान)''योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष रु. 6000 (रूपये छः हजार मात्र) की धनराशि रु. 2000 (रूपये दो हजार मात्र) की तीन समान किश्तों में प्रदान की जा रही है। योजना की किश्तों हेतु निर्धारित समयावधि निम्नानुसार है :–

- प्रथम किश्त की समयावधि – 01 अप्रैल से 31 जुलाई
- द्वितीय किश्त की समयावधि – 01 अगस्त से 30 नवम्बर
- तृतीय किश्त की समयावधि – 01 दिसम्बर से 31 मार्च

प्रदेश में योजना के संचालन हेतु शासनादेश संख्या: 232 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के द्वारा कृषि विभाग को नोडल विभाग तथा शासनादेश संख्या: 233 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

1. योजना के उद्देश्य–

(1) देश में समस्त किसानों को प्रत्यक्ष आय सम्बन्धी सहायता दिए जाने के प्रयोजनार्थ एक सुव्यवस्थित कार्य व्यवस्था कायम करने के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्र से शतप्रतिशत सहायता के साथ (पीएम–किसान) नाम की एक योजना आरम्भ की गई है।

(2) यह योजना समस्त किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता सुनिश्चित करते हुए पूरक आय प्रदान करेगी, जिससे उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल कटाई के पश्चात सम्भावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले संभावित व्ययों की पूर्ति सुनिश्चित होगी।

(3) यह योजना उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करते हुए उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। यह योजना उन्हें अपनी कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए सक्षम बनाएगी और उनके लिए सम्मानजनक जीवनयापन करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

2. योजना की प्रगति–

प्रदेश में दिनांक: 31 दिसम्बर, 2024 तक 8.89 लाख कृषक पंजीकृत है तथा ₹ 2926.24 करोड़ की धनराशि निम्नानुसार उपलब्ध करायी जा चुकी है।

तालिका सं0–5.5

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आंवटित धनराशि (करोड़ ₹ में)
1	2018–19	82.82
2	2019–20	432.03
3	2020–21	522.18
4	2021–22	547.77
5	2022–23	481.10
6	2023–24	513.28
7	2024–25	347.06
	कुल योग	292624

वर्ष 2023–24 में योजना से लाभान्वित कृषकों का जनपदवार विवरण

तालिका सं0–5.6

क्र. सं.	जनपद का नाम	कुल पंजीकृत कृषक (06.01.2025)	प्रथम ट्राईमेस्टर (अप्रैल से जुलाई 2024)		द्वितीय ट्राईमेस्टर (अगस्त से नवम्बर 2024)		कुल आंवटित धनराशि (लाख ₹ में)
			कृषकों की संख्या	देय किश्तों की संख्या	कृषकों की संख्या	देय किश्तों की संख्या	
1	अल्मोड़ा	108717	96584	109735	98493	103932	4273.34
2	बागेश्वर	42431	38587	41783	39658	42080	1677.26
3	चमोली	48411	46079	49716	46528	47894	1952.20
4	चम्पावत	40245	35639	39911	36099	37547	1549.16
5	देहरादून	47187	41103	48408	41384	44208	1852.32
6	हरिद्वार	122590	99187	117338	100209	108726	4521.28
7	नैनीताल	56270	50333	58032	51617	56644	2293.52
8	पौड़ी गढ़वाल	67272	60198	68039	60812	63338	2627.54
9	पिथौरागढ़	64053	56675	62689	57940	62590	2505.58
10	रूद्रप्रयाग	41817	37524	41361	37888	39972	1626.66
11	टिहरी गढ़वाल	117807	103779	113568	105235	111326	4497.88
12	उधमसिंहनगर	79795	72983	84621	73745	76421	3220.84
13	उत्तरकाशी	52650	48243	55023	48430	50514	2110.74
	महायोग–	**889245**	**786914**	**890224**	**798038**	**845192**	**34708.32**

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

5.1.7 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–

वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक 70493 कृषकों का बीमा किया गया। वर्ष 2024–25 में 17503.70 हे. क्षेत्रफल के अन्तर्गत रू. 124.53 करोड़ का बीमा किया गया है। माह फरवरी में बीमा कम्पनी द्वारा औसत उपज के आंकड़ों के आधार खरीफ 2024 की क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति की जायेगी। खरीफ 2024 में योजना मैदानी जनपदों में न्यायपंचायत/न्यायपंचायत समूह एवं पर्वतीय जनपदों में तहसील/तहसील समूह स्तर पर संचालित की जा रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) -30 सितम्बर, 2024 तक प्रदेश में 6.14 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये है।

5.1.8 न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support price):- रबी फसलों के वर्ष 2022–23 से 2024–25 में विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है:–

तालिका–5.7

खाद्य सामाग्री	एम0एस0पी0 2023–23	एम0एस0पी0 2023–24	एम0एस0पी0 2024–25
गेहूँ	2125	2275	2425
जौं	1735	1850	1980

चना	5335	5440	5650
मसूर	6000	6425	6700
सरसों / तोरिया	5450	5650	5950
कुसुम (Safflower)	5650	5800	5940

स्रोत: कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

5.1.9 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) (E-National Agricultural Market (e-NAM):- वर्तमान में कुल 20 मण्डी समितियां ई–नाम पोर्टल से जुड़ी हैं। माह दिसम्बर, 2024 तक 91827 कृषक, 6105 व्यापारियों एवं 2717 कमीशन एजेंटों का पंजीकरण ई–नाम पोर्टल पर किया जा चुका है। ई–नाम के अन्तर्गत 74.30 लाख कुन्तल कृषि उत्पाद का ई–ट्रेड किया गया है। वर्तमान तक कुल 374628 लाट की लैब टेस्टिंग की गयी है। इसके अन्तर्गत कुल 151.65 करोड़ के 25319 ई–भुगतान किये गये हैं।

5.1.10 प्रधानमंत्री– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पर ड्रॉप मोर क्रापघटक (PM-RKVY-PDMC):-

योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 मे ₹ 4666.00 लाख धनराशि का प्राविधान भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष ₹ 1871.949 लाख का आंवटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन के सापेक्ष रू0 1499.19 लाख का व्यय कर उपयोग किया गया है। योजनान्तर्गत वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर (सामुदायिक)–128, चैक डैम (सामुदायिक)–33, जल पम्प–53, नलकूप (उथले, मध्यम, एवं गहरे वाटर टेबल)–110 के कार्य निष्पादित कर कुल 2063 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

5.1.11 राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture-NMSA):- वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सतत् कृषि उत्पादकता को बढाने के लिय (NMSA) के तहत मुख्य कार्यक्रम / योजनायें संचालित है–

(अ) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RAD):-

वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सतत् कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 हेतु कुल 75 क्लस्टरों के लिए ₹ 1250.10 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी है तथा रू0 900.00 लाख का केन्द्रांश आवंटित हुआ है। अनुमोदित कार्ययोजनाओं के सापेक्ष राज्यांश सहित कुल रू0 723.33 लाख अवमुक्त किये गये है, जिसके सापेक्ष ₹ 437.10 लाख PFMS के माध्यम से माह दिसम्बर, 2024 तक व्यय किया गया। योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसल पद्धति आधारित 2675 है0 प्रदर्शनों के लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 1109 है0 क्षेत्रफल मे कार्य किये गये है।

(ब) मृदा स्वास्थ्य एवं कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme-SHC),(90 प्रतिशत, केन्द्रपोषित)

वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा योजना का नाम मृदा स्वास्थ्य कार्ड के स्थान पर मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कर दिया गया है। वर्ष 2022–23 में 57424 मृदा नमूनों का एकत्रण एवं विश्लेषण करते हुए कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किय गये है। वर्ष 2023–24 में मे 52368 मृदा नमूनों का एकत्रण एवं विश्लेषण करते हुए कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये है। वर्ष 2024–25 में रू0 405.56 लाख धनराशि की कार्ययोजना पर जनपदों द्वारा कार्य किया जा रहा है। 100570 मृदा नमूनों के लक्ष्यों के सापेक्ष लगभग 98% की पूर्ति कर ली गयी है।

(स) परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY):-

परम्परागत कृषि को बढ़ावा देने के लिये एवं जैविक उत्पादन प्राप्त करने हेतु विगत वर्षों से योजना प्रदेश के 13 जनपदों के 3900 कलस्टरों में संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत 78000 है0 में जैविक कृषि कार्यक्रम योजनान्तर्गत जैविक खेती पर प्रशिक्षण, जैविक प्रमाणीकरण, एकीकृत खाद प्रबन्धन, मृदा परीक्षण, जैविक उत्पादों का विपणन एवं कृषि यंत्रों हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2024–25 में ₹ 1553.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसके सापेक्ष ₹ 1342.00 लाख का उपयोग कर लिया गया है।

5.1.12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAR):- योजना में कृषि, उद्यान, रेशम उत्पादन, सगंध पौध की खेती, एन0आई0आर0डी0 आदि विभागों की परियोजनायें सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अनुमोदित परिव्यय / प्राविधान रू0 4008.89 लाख के सापेक्ष ₹ 2459.23 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी है तथा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 1952.69 लाख की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है। 14 परियोजनाओं पर कार्य संचालित है जिसे 6 विभागो द्वारा किया जा रहा है। योजना में उत्पादन वृद्धि के साथ–साथ अवस्थापना विकास के कार्यों को किया जा रहा है।

5.1.13 कृषि विस्तार एंव प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Agricultural Extension and Technology-NMAET):-

इस मिशन को चार उप–मिशन में विभाजित किया गया है।

1. कृषि विस्तार उप–मिशन (SMAE)
2. कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन (SMAM)
3. बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन (SMSP)
4. पौध संरक्षण एव पादप संगरोध (SMPP)
5. नेशनल ई0– गवरनेंस प्लान एग्रीकल्चर (NeGPA):-

उक्त योजनान्तर्गत (SMPP) के अतिरिक्त अन्य तीनों उप मिशन राज्य में संचालित है।

(1) कृषि विस्तार उप–मिशन (Sub Mission on Agricultural Extension-SMAE):- कृषि प्रसार के सुदृढ़ीकरण के उददेश्य से वर्ष 2024–25 हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 2083.33 लाख की योजना स्वीकृत की गयी है। जिसमें अवमुक्त ₹ 676.56 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 650.44 लाख की धनराशि का व्यय माह दिसम्बर, 2024 तक कर लिया गया है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक 20580 मानव दिवस प्रशिक्षण, 3667 प्रदर्शन तथा 4607 मानव दिवस भ्रमण कार्यक्रम, 226 क्षमता विकास कार्यक्रम तथा 261 फार्म स्कूल आयोजित किये गये हैं।

(2) कृषि यन्त्रीकरण (Sub Mission on Agricultural Mechanization- SMAM):- इस योजना के अन्तर्गत किसानों में नए कृषि यंत्र / मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत ₹ 2930.00 लाख अवमुक्त हुआ। ₹ 2153.31 लाख का उपयोग कर इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 20 ट्रैक्टर, 3165 पावर विडर तथा 1260 अन्य पावर चालित एवं 50 मानव चालित आदि यंत्र अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन (Sub Mission for Seed Planting material SMSP):-

बीज ग्राम कार्यक्रमः– वर्तमान में 30776.00 कु0 गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को अनुदान पर वितरित किये गये है।

पर्वतीय क्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम– हिल

सीड बैंक (Hill Seed Bank):-पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत फसलों को बढ़ावा दिये जाने तथा उनके बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु मडुवा, सांवा, गहथ, काला भट्ट, धान, मक्का, गेहूँ एवं मसूर आदि फसलों के बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसे सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2024–25 में रबी सत्र में 100 है0 क्षेत्रफल में बीज उत्पादन कार्यक्रम सम्पादित किया गया है,

5.1.14 उर्वरक उपभोग –

उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 2002–03 के 1,25,977 मै0टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 136719 मै0टन हो गया। वर्ष 2023–24 में 154580 मै0टन के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 146043 मै0टन उर्वरक पोषक तत्वों के रूप में वितरित किया गया है। वर्ष 2024–25 हेतु 271000 मै0टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष गतिमान वर्ष के माह जनवरी, 2025 तक 239000 मै0टन उर्वरक का वितरण किया गया है।

5.1.15 राज्य सैक्टर योजनायें:–

(क) अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के 74 अनुसूचित जाति एवं 15 अनुसूचित जन–जाति बाहुल्य ग्रामों के लगभग 917 परिवार (6835 कृषक) लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिसे पूर्ण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल बजट प्राविधान ₹ 500.00 लाख अनुसूचित जाति एवं ₹ 200.00 लाख अनुसूचित जनजाति हेतु कुल ₹ 700.00 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है।

5.1.16 स्वच्छता ऐक्शन प्लान– नमामि गंगें क्लीन अभियान

उत्तराखण्ड राज्य में ''स्वच्छता ऐक्शन प्लान–नमामि गंगें क्लीन अभियान'' का कियान्वयन वर्ष 2017–18 से प्रथत चरण में गंगा बेसिन पर बसे प्रदेश के 05 जनपदों यथा चमोली (220 है0), उत्तरकाशी (300 है0), पौड़ी (80 है0), रूद्रप्रयाग (120 है0) एवं टिहरी (120 है0) में चिन्हीत 42 ग्राम पंचायतों में परम्परागत कृषि विकास की गाईडलाईन के अनुसार किया गया है।

भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में योजनान्तर्गत कुल 50000.00 है0 क्षेत्रफल में योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 से जनपद हरिद्वार में 10000 है0, टिहरी में 20000 है0, चमोली में 5000 है0, उत्तरकाशी में 5000 है0, रूद्रप्रयाग में 5000 है0, पौड़ी में 5000 है0 एवं देहरादून में 500 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत उत्पादित जैविक उत्पादों का विपणन नमामि गंगे ब्रांड के अन्तर्गत किया जा रहा है।

5.1.17 मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना:– राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्त पोषित यह योजना वर्ष 2020–21 से संचालित की जा रही है। वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 3500.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

5.1.18 उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट मिशन

उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट्स मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राज्य भर के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेट्स उगाने के लिए इनपुट के साथ–साथ विपणन आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस हेतु प्रदेश सरकार द्वारा रु0 73.16 करोड का पॉच वर्ष (वर्ष 2023–24 से 2027–28 तक) हेतु स्टेट मिलेट मिशन का संचालन किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

मिशन का प्रमुख उद्देश्य

- घरेलू स्तर की खपत को बढ़ावा देना।

• विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना

• लक्षित मिलेट्स फसलों (मण्डुवा व सांवा) की उत्पादकता में सुधार लाना।

• किसान सामूहिक और विपणन को बढ़ावा देना।

• विपणन स्वीकार्यता, लोकप्रियकरण और उत्पादों के प्रचार की योजना बनाना।

• मिलेटस को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करना।

• कृषक समुहो का क्षमता विकास।

• एफ0पी0ओ0 को प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण।

मिलेट फसलों का अन्तःग्रहण– प्रदेश में खाद्य विभाग, मिड डे मिल, ऑगनबाडी तथा बाल विकास विभाग की मॉग के क्रम में मण्डुवा एवं सॉवा फसलों का अन्तःग्रहण कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सहकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिस हेतु निम्न व्यवस्था बनाई गई है–

1. पर्वतीय क्षेत्र में PACS पर मंडुवा क्रय केन्द्र स्थापित किये गये। जिन न्यायपंचायत में मंडुवा की उपलब्धता अधिक होगी ऐसे स्थानों पर एक से अधिक क्रय केन्द्र भी स्थापित किये गये।

2. मंडुवा उत्पादक कृषक लघु कृषक हैं, अतः ग्राम स्तर पर 257 समूह/एल0सी0/एल0सी0एफ0 को उपक्रय केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया।

3. कृषक समूह/एल0सी0/एल0सी0एफ0 स्तर पर अथवा PACS स्तर पर स्थापित क्रय केन्द्र पर मंडुवा विक्रय हेतु देने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

4. समूह द्वारा अपने से सम्बन्धित कृषकों से मंडुवा क्रय किया जायेगा, जिसके मानक उनको सम्बन्धित PACS द्वारा अवगत करायें जायेंगे।

5. समूह को मंडुवा क्रय कार्य के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ₹ 150.00 प्रति कु0 की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

6. विगत पॉच वर्षो में मिलेट फसलों का अन्तःग्रहण के लक्ष्य निम्नवत है–

5.2 गन्ना विकास एवं चीनी (Sugar and Cane)

5.2.1 चीनी मिलें– पेराई सत्र 2024–25 में राज्य में कुल 08 चीनी मिलें (02 सहकारी क्षेत्र, 02 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 04 निजी क्षेत्र) संचालित है। चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2023–24 हेतु कुल ₹ 305.80 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुऐ 31.12 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया। पेराई सत्र 2023–24 में राज्य की समस्त चीनी मिलों का औसत चीनी परता 10.18 प्रतिशत है।

तालिका सं0–5.8

मात्रा–मी0 टन में

क0 सं0	फसल	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26	वर्ष 2026–27	वर्ष 2027–28
1	मण्डुवा	10000	10000	12000	14000	18200
2	सॉवा	320	320	320	320	320
कुल योग		**1320**	**10320**	**12320**	**14320**	**18520**

स्रोत: कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

पेराई सत्र 2024–25 हेतु अध्यावधिक तक कुल 168.53 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुऐ 14.58 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया, तथा अंकन ₹ 625.95 करोड़ के सापेक्ष अंकन ₹ 374.09 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

5.2.2 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना : सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अंकन ₹ 111.69 लाख का परिव्यय रखा गया है।

5.2.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अंकन ₹ 44.22 लाख के सापेक्ष अंकन ₹ 44.22 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई है। जिसके सापेक्ष में ₹ 11.06 लाख अवमुक्त किये गये।

5.2.4 मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अंकन 103.36 लाख की कार्ययोजना को समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। जिसके सापेक्ष विभाग को आतिथि तक धनराशि अप्राप्त है। **अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना** के अर्न्तगत कार्यरत कार्मिकों के लम्बित देयकों का भुगतान मद में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अंकन ₹ 110.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अंकन ₹ 110.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है।

1. गन्ना विकास/प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कार्मिकों हेतु अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 373.68 लाख की धनराशि प्राविधानित है। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹ 300.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। जिसके सापेक्ष ₹ 229.91 लाख रू0 व्यय हो चुका है।

5.2.5 गन्ना कृषकों को ऋण वितरण : वित्तीय वर्ष 2023–24 में ऋण विवरण ₹ 15.45 करोड़ कृषि निवेश यथा उर्वरक, रसायन, कृषि यंत्र, गन्ना बीज आदि नाबार्ड ऋण में वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से कृषि निवेशों के रूप में अंकन ₹ 06.43 करोड़ का नाबार्ड ऋण 31.12.2024 तक कृषकों को वितरित किया गया है।

5.2.6 गन्ना कृषकों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण :– गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर द्वारा गन्ना शोध से सम्बन्धित विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में अध्यावधिक तक ग्राम स्तरीय 59 कृषक प्रशिक्षण कर 3091 कृषकों को एवं 59 कर्मचारी प्रशिक्षण कर 736 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। एक शरदकालीन गोष्ठी में 105 कृषक एवं 141 कर्मचारी/अधिकारी कुल 246 को प्रशिक्षित किया गया है।

5.2.7 शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु प्रजनक बीज गन्ना का आवंटन : वित्तीय वर्ष 2024–25 वास्ते वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु गन्ना शोध केन्द्रों से प्रजनक गन्ना बीज की चीनी मिल परिक्षेत्रों कुन्तल के सापेक्ष गन्ना शोध केन्द्रों पर गन्ना बीज की उपलब्धता के अनुसार 4630.00 कुन्तल प्रजनक गन्ना बीज का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु राज्य में गन्ना क्षेत्रफल 1.00 लाख हेक्टेयर किये जाने का लक्ष्य है।

5.2.8 गन्ना पेराई एवं चीनी उत्पादन : पेराई सत्र 2024–25 में राज्य में कुल 08 चीनी मिलें (02 सहकारी क्षेत्र, 02 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 04 निजी क्षेत्र) संचालित है। राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2024–25, 2023–24, 2022–23, 2021–22 एवं पेराई सत्र 2020–21 में की गई गन्ना पेराई, चीनी उत्पादन एवं चीनी परता का तुलनात्मक विवरण निम्नवत प्रस्तुत है :–

तालिका 5.9

क्र0 सं0	विवरण	इकाई	पेराई सत्र 2024–25 (07.01.2025 तक)	पेराई सत्र 2023–24	पेराई सत्र 2022–23	पेराई सत्र 2021–22	पेराई सत्र 2020–21
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गन्ना पेराई	लाख कुन्तल	168.53	305.80	484.06	436.42	378.09
2	चीनी उत्पादन	लाख कुन्तल	14.58	31.12	48.76	44.18	41.55
3	औसत चीनी परता	प्रतिशत	–	10.18	10.07	10.12	10.99

स्रोतः गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड

5.3 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभागः– राज्य की कृषि जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियॉं विभिन्न औद्यानिक फसलों (फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, मशरूम तथा मौनपालन) के उत्पादन हेतु अत्यधिक अनुकूल है। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन फसलों के विकास हेतु व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल 53.48 लाख हैक्टेयर में से लगभग 6.96 लाख हैक्टेयर भू–भाग कृषि फसलों के अन्तर्गत है। वर्ष 2023–24 के औद्यानिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 1.73 लाख है0 क्षेत्रफल में 11.26 लाख मै0टन उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से फलों के अन्तर्गत 0.80 लाख है0 क्षेत्रफल में 3.60 लाख मै0टन उत्पादन, सब्जियों के अन्तर्गत 0.58 लाख है0 में 4.77 लाख मै0टन उत्पादन, आलू के अन्तर्गत 0.17 लाख है0 में 1.92 लाख मै0टन उत्पादन, मसालों के अन्तर्गत 0.18 लाख है0 में 0.95 लाख मै0टन उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही फूलों की खेती 644 है0 में की जाती है, जिसमें लगभग 2259.94 मै0टन खुले पुष्प व 3.75 करोड़ डंडीयुक्त एवं बल्बयुक्त पुष्पों का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 1,600 मै0टन शहद का उत्पादन तथा लगभग 20,000 मै0टन मशरूम का उत्पादन किया जाता है। औद्यानिक गतिविधियों से प्रदेश के लगभग 4.50 लाख कृषक जुडे हुए है, जिसमें 88 प्रतिशत लघु एवं मझौले कृषक है। राज्य मे औद्यानिकी फसलों का वार्षिक व्यवसाय लगभग ₹ 3350 करोड़ का किया जा रहा है तथा राज्य के कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में औद्यानिकी क्षेत्र का (खाद्य प्रसंस्करण सहित) 30 प्रतिशत से अधिक भागेदारी है।

जनपदवार फल, सब्जी, आलू, मसाला तथा पुष्पों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़े
(वर्ष 2022–23 एवं 2023–24)
तालिका सं0–5.10

(क्षेत्रफल है0 में, उत्पादन–मै0टन में, स्पाईक/कटफ्लावर लाख संख्या में)

क्र0 सं0	जनपद	2022–23											2023–24										
		फल		सब्जी		आलू		मसाला		पुष्प			फल		सब्जी		आलू		मसाला		पुष्प		
											उत्पादन											उत्पादन	
		क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	स्पाईक	लूज	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	स्पाईक	लूज
1	नैनीताल	9684	86768	5386	40943	1440	16211	2343	12498	52	73	106	9744	86610	5396	41636	1444	16215	2346	12491	54	85	106
2	ऊधमसिंहनगर	7985	63199	9094	117386	2443	50738	1435	11987	148	85	663	8142	63593	8825	106879	2446	50776	1437	12014	149	90	686
3	अल्मोड़ा	8020	28451	3508	17224	758	4436	1868	6605	19	1	52	8040	27856	3637	17244	762	7968	1864	6798	20	2	55
4	बागेश्वर	2459	7498	1264	6452	735	4974	447	2753	7	0.03	5	2483	7639	1272	6527	737	4576	449	2756	8	0.11	4
5	पिथौरागढ़	5888	15990	3134	27120	1098	8954	681	4234	15	0.55	9	5913	15996	3217	27921	1122	9446	683	4329	18	3	12
6	चम्पावत	4118	7941	2374	15651	899	8639	1220	6421	7	6	7	4123	7503	2389	15684	900	8642	1227	6427	6	8	11
7	देहरादून	6528	32784	5323	46475	580	9898	2501	14412	94	0	146	6872	30292	4973	35080	587	11290	2440	13522	71	95	103
8	पौड़ी	9047	21474	3422	23718	634	3520	1670	8240	32	1	58	6567	14908	3073	19882	576	4885	1427	7258	38	3	53
9	टिहरी	5108	21476	5776	53213	1828	16779	2012	15301	66	2	337	5099	20973	5782	53280	1833	16809	2016	15340	67	2	336
10	चमोली	3390	7161	1925	11882	693	4509	572	1527	21	0.35	17	3465	6761	1882	5750	706	4801	600	1567	25	0.5	23
11	रुद्रप्रयाग	2366	2689	1279	1822	717	1046	659	495	13	0	9	2050	2651	1294	1876	710	885	664	549	12	6	11
12	उत्तरकाशी	6644	36837	10770	56051	3990	30883	1611	3852	3	0	4	6799	38749	11015	58015	4022	32166	1709	3886	4	0	4
13	हरिद्वार	6548	34972	5009	84344	1263	23031	1024	6509	195	434	844	6599	35462	4961	84203	1227	23050	977	7873	169	87	784
	योग	81892	369447	59289	501788	17083	183921	18030	95849	669	606	2348	79898	369014	57716	477456	17171	191522	17868	94810	644	375	2269

स्रोत: उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड

5.3.1 . औद्यानिक कलस्टरः–

बागवानी मिशन के अन्तर्गत राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु के अनुसार क्लस्टरों का चयन कर क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुल 1050 क्लस्टर चयनित किये गये हैं, जिनमें 6,563 ग्राम सम्मिलित हैं, जिनमें से 384 क्लस्टर फलों के, 437 क्लस्टर सब्जियों के 179 क्लस्टर मसालों तथा 50 क्लस्टर फूलों के चयनित किये गये हैं। वर्तमान में चयनित क्लस्टरों एवं गॉवों में कुल 51,032 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया जा चुका है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका 5.11

क्र0 सं0	जनपद	फल			सब्जी			मसाला		
		कलस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	कलस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	कलस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)
01	उधमसिंहनगर	10	56	613	10	63	392	12	35	221
02	नैनीताल	18	140	5176	5	34	875	4	40	352
03	अल्मोड़ा	70	670	437	55	576	508	29	332	359
04	बागेश्वर	14	128	323	10	107	366	9	87	203
05	पिथौरागढ़	35	191	702	33	381	520	32	408	290
06	चम्पावत	38	145	865	48	155	802	41	165	430
07	हरिद्वार	26	78	673	25	95	934	3	18	216
08	देहरादून	19	159	4678	27	155	2627	9	101	806
09	टिहरी	8	53	544	10	56	641	2	15	296
10	पौढ़ी	26	167	11738	59	158	712	6	70	201
11	चमोली	13	155	573	9	103	423	4	43	248
12	रूद्रप्रयाग	26	176	555	24	169	872	20	139	207
13	उत्तरकाशी	81	307	4972	122	255	3694	8	82	292
	कुल योग	**384**	**2425**	**31849**	**437**	**2307**	**13366**	**179**	**1535**	**4121**

स्रोतः उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड

तालिका 5.12

क्र0 सं0	जनपद	पुष्प			कुल		
		कलस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	कलस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)
01	उधमसिंहनगर	11	28	59	43	182	1285
02	नैनीताल	3	23	40	30	237	6443

03	अल्मोड़ा	3	14	48	157	1592	1352
04	बागेश्वर	1	7	47	34	329	939
05	पिथौरागढ़	-	-	12	100	980	1524
06	चम्पावत	-	-	—	127	465	2097
07	हरिद्वार	6	17	387	60	208	2210
08	देहरादून	10	96	381	65	511	8492
09	टिहरी	1	7	77	21	131	1558
10	पौड़ी	3	15	84	94	410	12735
11	चमोली	1	10	89	27	311	1333
12	रूद्रप्रयाग	10	79	275	80	563	1909
13	उत्तरकाशी	1	0	197	212	644	9155
	कुल योग	**50**	**296**	**1696**	**1050**	**6563**	**51032**

स्रोत: उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड

5.3.2 परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत चयनित कलस्टर

तालिका 5.13

क0 सं0	जनपद	फल		सब्जी		मसाला	
		कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)
1	टिहरी	23	460	188	2360	93	1855
2	देहरादून	0	0	66	1320	34	680
3	हरिद्वार	0	0	25	500	0	0
4	पौड़ी	0	0	50	487	35	1046
	कोट द्वार	0	0	29	580	51	1020
5	उत्तरकाशी	0	0	48	949.52	2	38.48
6	रुद्रप्रयाग	0	0	30	600	5	100
7	चमोली	9	180	18	360	10	200
8	पिथौरागढ	49	980	56	1120	8	160
9	अल्मोड़ा	14	280	76	1520	37	740
10	बागेश्वर	26	520	11	220	13	260
11	चम्पावत	8	160	26	520	6	120
12	नैनीताल	0	0	44	880	9	180
13	उ0सिंहनगर	10	200	13	260	0	0
	योग	**139**	**2780**	**680**	**11676.52**	**303**	**6399.48**

स्रोत: उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड

तालिका 5.14

क्र0 सं0	जनपद	आलू		पुष्प		जड़ी–बूटी		कुल योग	
		कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)
1	टिहरी	66	1325	0	0	0	0	300	6000
2	देहरादून	0	0	0	0	0	0	100	2000
3	हरिद्वार	0	0	0	0	0	0	25	500
4	पौड़ी	15	467	0	0	0	0	100	2000
4	कोटद्वार	14	280	0	0	0	0	94	1880
5	उत्तरकाशी	26	532	0	0	0	0	76	1520
6	रूद्रप्रयाग	5	100	5	100	0	0	45	900
7	चमोली	11	220	6	120	9	180	63	1260
8	पिथौरागढ़	1	20	0	0	4	80	118	2360
9	अल्मोड़ा	0	0	1	20	0	0	128	2560
10	बागेश्वर	3	60	0	0	0	0	53	1060
11	चम्पावत	10	200	0	0	0	0	50	1000
12	नैनीताल	13	260	0	0	0	0	66	1320
13	ऊधमसिंहनगर	0	0	0	0	0	0	23	460
	योग	164	3464	12	240	13	260	1241	24820

स्रोतः उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड

5.3.3 फल उत्पादनः–राज्य में विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु होने के कारण शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण फलों का उत्पादन किया जाता है। फलों के विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 4000 है0 में बागान स्थापित किये जाते हैं।

5.3.3.1 शीतोष्णः– राज्य में मुख्य रूप से शीतोष्ण फल सेब, आड़ू, नाशपाती, अखरोट, प्लम, खुबानी आदि का उत्पादन किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से सेब 11,594 है0 में खेती करते हुए 43,659 मै0टन, आड़ू 5,515 है0 में खेती करते हुए 35,930 मै0टन, प्लम 2,649 है0 में खेती करते हुए 12,141 मै0टन, खुबानी 2,260 है0 में खेती करते हुए 8,601 मै0टन, नाशपाती 3,700 है0 में खेती करते हुए 19,972 मै0टन व अखरोट 5,683 है0 में खेती करते हुए 9,565 मै0टन उत्पादन किया जाता है। राज्य में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत सेब की नवीनतम स्पर प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा, अखरोट एवं अन्य गिरीदार फलों, रंगीन नाशपाती तथा आड़ू को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में कीवी आदि फसलों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

5.3.3.2 समशीतोष्णः– राज्य में मुख्य रूप से समशीतोष्ण फल आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार व नीबू वर्गीय आदि का उत्पादन किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से आम 21,197 है0 में खेती करते हुए 1,12,057 मै0टन, नीबू वर्गीय फलों की 10,068 है0 में खेती करते हुए 36,487 मै0टन, लीची 5,312 है0 में खेती करते हुए 19,173 मै0टन, आंवला 1,004 है0 में खेती करते हुए 4,075 मै0टन, अमरूद 4,825 है0 में खेती करते हुए 38,391 मै0टन उत्पादन किया जाता है।

5.3.4 सब्जी उत्पादनः– राज्य में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। सब्जियों के विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 4000 कु0 बीज काश्तकारों को निर्धारित राज सहायता पर वितरित किया जाता है।

राज्य में उत्पादित होने वाली मुख्य रूप से सब्जियों के अन्तर्गत मटर की खेती 11,450 है0 में करते हुए 82,483 मै0टन उत्पादन, मूली की खेती 4,207 है0 में करते हुए 38,115 मै0टन उत्पादन, फ्रासबीन की खेती 4,322 है0 में करते हुए 22,338 मै0टन उत्पादन, बन्दगोभी की खेती 4,725 है0 में करते हुए 46,843 मै0टन उत्पादन, फूलगोभी की खेती 2,811 है0 में करते हुए 28,680 मै0टन उत्पादन, प्याज की खेती 4,029 है0 में करते हुए 41,390 मै0टन उत्पादन, सगिया मिर्च की खेती 2,367 है0 में करते हुए 11,554 मै0टन उत्पादन, भिण्डी की खेती 3,085 है0 में करते हुए 20,152 मै0टन उत्पादन, टमाटर की खेती 6,060 है0 में करते हुए 62,137 मै0टन उत्पादन, बैंगन की खेती 2,136 है0 में करते हुए 22,752 मै0टन उत्पादन व अन्य सब्जियों की खेती 12,524 है0 में करते हुए 1,01,010 मै0टन उत्पादन किया जा रहा है।

5.3.5 आलू उत्पादनः– वर्तमान में आलू की खेती 17,171 है0 में करते हुए 1,91,522 मै0टन उत्पादन किया जा रहा है। आलू के क्षेत्र विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 4,200 कु0 बीज काश्तकारों को वितरित किया जाता है।

5.3.6 मसाला उत्पादनः– राज्य में मुख्य रूप से हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची आदि की खेती की जाती है। मसाला विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 7,000 कु0 बीज काश्तकारों को वितरित किया जाता है। मसालों के अन्तर्गत हल्दी की खेती 3,260 है0 में करते हुए 27,456 मै0टन उत्पादन, अदरक की खेती 4,590 है0 में करते हुए 33,090 मै0टन उत्पादन, मिर्च की खेती 3,513 है0 में करते हुए 10,041 मै0टन उत्पादन, लहसुन की खेती 2,939 है0 में करते हुए 14,068 मै0टन उत्पादन, धनिया की खेती 1,846 है0 में करते हुए 3,653 मै0टन उत्पादन, बड़ी इलायची की खेती 55 है0 में करते हुए 43 मै0टन उत्पादन, मेथी की खेती 856 है0 में करते हुए 2,918 मै0टन उत्पादन व अन्य मसालों की खेती 806 है0 में करते हुए 3,541 मै0टन उत्पादन किया जाता है।

5.3.7 पुष्प उत्पादनः– राज्य में पुष्पों की खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य इसकी बढ़ती हुई मांग तथा दिल्ली / चण्डीगढ़ का बाजार नजदीक होना है। वर्तमान में लगभग 669 है0 हो गयी है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से कट फ्लावर के अन्तर्गत मुख्य रूप से जरबेरा, कारनेशन, ग्लेडियोलाई व लिलियम तथा लूज फ्लावर के अन्तर्गत गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा व अन्य पुष्पों का उत्पादन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत जरबेरा की खेती 45 है0 में करते हुए 161 लाख स्पाईक, कारनेशन की खेती 5 है0 में करते हुए 20 लाख स्पाईक, ग्लेडियोलाई की खेती 61 है0 में करते हुए 104 लाख स्पाईक व लिलियम की खेती 11 है0 में करते हुए 22 लाख स्पाईक उत्पादित की जा रही है। साथ ही लूज फ्लावर के अन्तर्गत गेंदा की खेती 326 है0 में करते हुए 1840 मै0टन उत्पादन, गुलाब की खेती 116 है0 में करते हुए 211 मै0टन उत्पादन, रजनीगंधा की खेती 5 है0 में करते हुए 3 मै0टन उत्पादन व अन्य पुष्पों की खेती 76 है0 में करते हुए 206 मै0टन उत्पादन किया जा रहा है।

5.3.8 संरक्षित खेतीः– कम जोत में अधिक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन के दृष्टिगत राज्य में सब्जी तथा पुष्पों की खेती पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस के अन्तर्गत की जा रही है। वर्तमान में लगभग 17.50 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापित हैं, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत पुष्पों के अन्तर्गत व शेष सब्जी के अन्तर्गत आच्छादित हैं। संरक्षित

खेती को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष पॉलीहाउस की स्थापना की जा रही है। साथ ही फलों को ओलावृष्टि से होने वाली क्षति से बचाव हेतु प्रतिवर्ष लगभग 30.00 लाख वर्गमीटर एन्टी हेलनेट कृषकों को निर्धारित राज सहायता पर उपलब्ध कराया जाता है।

5.3.9 मौनपालन उत्पादनः—राज्य में 6,162 मौनपालकों द्वारा लगभग 2.71 लाख मौनवंशों के माध्यम से वर्ष 2024–25 में लगभग 1,700 मै0टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है।

5.3.10 मशरूम उत्पादनः— इस योजना के अन्तर्गत कास्तकारों को 50 प्रतिशत राजसहायता पर स्पान (मशरूम बीज) एवं पाश्चुराइज्ड कम्पोस्ट वितरित किया जा रहा है, साथ ही ग्राम स्तर पर मशरूम उत्पादन, पैकिंग तथा विपणन सम्बंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। बटन मशरूम उत्पादन हेतु प्राकृतिक रूप से 170 इकाईयाँ, नियन्त्रित वातावरण में 13 इकाईयों तथा ओस्टर व मिल्की मशरूम उत्पादन हेतु 145 इकाईयाँ स्थापित हैं। वर्तमान तक राज्य में लगभग 20,000 मै0टन मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है।

6.1 फसल बीमा योजनाः—मौसम रबी 2023–24 तथा खरीफ 2024 में 1,21,704 कृषकों की फसलों का बीमा किया गया है।

6.2 राष्ट्रीय उद्यान मिशन योजना (HMNEH) — वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजनान्तर्गत ₹ 41.67 करोड़ की कार्य योजाना स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से 437 है0 में फलों, 573 है0 में सब्जियों, 30 है0 में मसाला व 70 है0 में पुष्पों का क्षेत्रफल विस्तार, 07 इकाई जल स्त्रोतों का सृजन, 437 है0 क्षेत्रफल में प्लास्टिक मल्चिंग, 20,900 वर्गमी0 संरक्षित खेती, 6.36 लाख वर्गमी0 एन्टी हेलनेट की स्थापना भी की गई है। यह भारत सरकार के 90% वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है।

6.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का Per Drop More Crop घटकः— भारत सरकार के 90 प्रतिशत वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है। वर्ष 2024–25 में लगभग 699.60 है0 क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गयी।

6.4 औद्यानिकी के क्षेत्र में निवेश हेतु प्रयासः— राज्य में निवेश औद्यानिकी के क्षेत्र में लगभग ₹ 4679.11 करोड़ के निवेश हेतु कुल 100 निवेशकों द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये गये, जिसमें ₹ 43. 60 करोड़ के प्रस्तावों की ग्राउन्डिंग की गयी है।

6.5 पैक हाउसः— राज्य में औद्यानिक उत्पादों के संग्रहण, ग्रेडिंग/पैकिंग व्यवस्था हेतु लगभग 1,380 पैक हाउस स्थापित किये गये हैं।

6.6 कोल्ड चैनः— उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कुल 24 कोल्ड चैन इकाईया (जनपद उधमसिंहनगर में 16, नैनीताल में 02, हरिद्वार में 02 व देहरादून में 02) स्थापित हैं। इन कोल्ड चैन इकाईयों में 21 इकाईयाँ औद्यानिकी आधारित है, जिनकी वार्षिक क्षमता लगभग 64,508 मै0टन है एवं दुग्ध आधारित 02 कोल्ड चैन इकाईयों की क्षमता 187.60 कि0लीटर प्रतिदिन है।

6.7 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँः— उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के समय प्रदेश में स्थापित प्रसंस्कृत इकाईयों की उत्पादन क्षमता लगभग 01 प्रतिशत थी, जो कि वर्तमान में लगभग 13 प्रतिशत चल रही है। राज्य में औद्यानिकी आधारित HMNEH योजनान्तर्गत 66 खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित हो चुकी है, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 2.70 लाख मै0टन है। इसके अतिरिक्त राज्य में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत कोल्ड चैन घटक में 29

प्रस्ताव स्वीकृत हैं जो कि खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां ही है। इसी योजनान्तर्गत हिमालयन काशीपुर में 06 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित की जा चुकी है।

6.8 मेगा फूड पार्कः– राज्य में रू0 100–100 करोड़ की लागत से पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क जनपद हरिद्वार में 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित है तथा दूसरा हिमालय मेगा फूड पार्क, महुआखेड़ा, काशीपुर, उधमसिंहनगर में 25 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित किया गया है तथा विभाग द्वारा मेगा फूड पार्क में स्थापित इकाईयों के लिए इन्सेंटिव के रूप में बिजली, ब्याज इत्यादि पर छूट दिये जाने का प्राविधान राज्य योजना से किया गया है।

6.9 मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकासः– कोविड–19 के दौरान राज्य में वापस आये प्रवासियों एवं उत्तराखण्ड राज्य में पूर्व से औद्यानिकी से जुड़े कृषकों को कम समय में उत्पादन कर आय हेतु राज्य सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत रू0 1400.00 लाख का प्राविधान किया गया है। इस योजनान्तर्गत कृषकों को फल–पौध, सब्जी–बीज, मसाला बीज, पुष्प बीज/बल्ब 50 प्रतिशत राजसहायता पर , कीटनाशन रसायन 60 प्रतिशत राजसहायता पर तथा कृषक समूह, कृषक उत्पादक संघ आदि को नियन्त्रित वातावरण में परिवहन एवं भण्डार हेतु कूल हाउस/रेफ्रिजरेटेड वैन पर 50 प्रतिशत राजसहायता उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष 2024–25 में लगभग 2.70 लाख फल पौध, 87.09 कुन्तल सब्जी, 211.60 कु0 लहसुन/मसाला बीज, 474 कि0/ली0 पौध रक्षा रसायन का वितरण, 09 फल पौधशालाओं की स्थापना, 10.00 है0 में घेरबाड़ किया गया है।

6.10 उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजनाः– वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रु0 526.00 करोड़ की "उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना" स्वीकृत की गई है। इसका कियान्वयन जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ मे किया जायेगा। वर्ष 2024–25 में ₹ 15.44 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है।

मुख्य पहलेंः–

- **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PMFME)**:– असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को संगठित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजनान्तर्गत इकाई स्थापना करने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त (कुल 60 प्रतिशत) राजसहायता प्रदान करने हेतु शासनादेश जारी कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग रू0 56.00 करोड के निवेश से 760 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें से 630 इकाईयों द्वारा स्थापना उपरान्त व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। इन इकाईयों से लगभग 2520 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत 1000 सूक्ष्म खाद्य इकाईयों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष लगभग 150 इकाई स्थापित हो चुकी है।

- **सेब की अति सघन बागवानीः–** कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन प्राप्त करते हुए कृषकों की आय में गुणात्मक वृद्धि हेतु सेब की अति सघन बागवानी को बढ़ावा देते हुए कृषकों को 60 प्रतिशत राज सहायता पर आगामी 08 वर्षों में 5000 है0 सेब के अति सघन बागान स्थापित कराये जायेगें, जिसके अन्तर्गत लगभग कुल ₹ 808.79 करोड़ व्यय किया जायेगा, जिससे लगभग 45,000 से 50,000 रोजगार सृजन होंगे। उच्च उत्पादन क्षमता वाली उन्नत प्रजातियों तथा क्लोनल मूलवृन्त के प्रयोग से सूक्ष्म सिंचाई सुविधा के साथ

सुनियोजित बागवानी तकनीकी अपनाते हुए उच्च सघन रोपण को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को 03 विकल्प यथा–1- M-9 रूटस्टॉक हेतु ₹ 12.365 लाख प्रति एकड़, 2- MM-111 रूटस्टॉक हेतु ₹ 7.86 लाख प्रति एकड़ एवं 3. सीडलिंग आधारित हेतु ₹ 3.34 लाख प्रति एकड़ उपलब्ध कराते हुए 60 प्रतिशत राजसहायता से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना में वर्ष 2023–24 में 138.17 हैक्टेयर क्षेत्रफल सेब की अति सघन बागवानी के अन्तर्गत आच्छादित किया गया तथा वर्ष 2024–25 में 500 हैक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 35.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

- **कीवी उत्पादनः**– राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (CMRKVY) का संचालन जनपद चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर एवं चंपावत में किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुमन्य लागत ₹ 12.00 लाख प्रति एकड़ का 80 प्रतिशत अर्थात् ₹ 9.60 लाख प्रति एकड़ प्रदान की जा रही है। बाजार में कीवी की अत्यधिक मॉग, विभिन्न रोगों के उपचार एवं पौष्टिक गुणों के दृष्टिगत कीवी उत्पादन के माध्यम से कृषको की आय में कई गुना वृद्वि संभव है। योजनान्तर्गत 104 इकाई स्थापित हो चुकी है।

- **ड्रैगन फ्रूट उत्पादन को बढ़ावाः**– राज्य में उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत ₹ 15.00 करोड़ ड्रैगन फ्रूट हेतु योजना स्वीकृत करायी गयी है, जिस हेतु ₹ 1.90 करोड़ अवमुक्त किये जा चुके हैं। वर्तमान में उत्तराखण्ड में लगभग 35 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की बागवानी करते हुए 70 मै0टन उत्पादन किया जा रहा है।

- **पॉलीहाउस स्थापनाः**– नाबार्ड की आर0 आई0 डी0 एफ0 योजनान्तर्गत क्लस्टर अवधारणा अपनाते हुए 50 से 500 वर्ग मी0 आकार के छोटे पॉलीहाउस स्थापना हेतु 80 प्रतिशत राज सहायता अनुमन्य है। योजनान्तर्गत 14,777 क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (50 से 100 वर्गमी0 (Natural Ventilated Tubular Structure) हेत 304.43 करोड़ का प्रस्ताव नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है।

मुख्य उपलब्धियॉः–

- **रोपण सामग्री व निवेश वितरणः**– विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में (माह दिसम्बर, 2024 तक) 12.50 लाख फल पौध वितरण, 576.26 कुन्तल सब्जी एवं आलू बीज वितरण, लगभग 7183.92 हैक्टर में पौध सुरक्षा कार्य तथा व्यक्तियों को 2748 औद्यानिक संयत्र वितरण किये गये।

- **मशरूम उत्पादन योजनाः**–वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा मशरूम उत्पादन हेतु 39.60 मै0टन पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट का उत्पादन, स्पॉन 1748 कि0ग्रा0 वितरण किया गया तथा 559 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

- **फल सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण**– राज्य में स्थापित सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर लगभग 827.95 कुन्तल फल एवं सब्जी प्रसंस्करण किया गया 2.99 लाख कोरोगेटेड बॉक्स वितरण, 4058 प्लास्टिक क्रेट्स का वितरण, 11 सिंचाई टैंक की स्थापना की गई तथा 3803 व्यक्तियों को इस विषय में प्रशिक्षण दिया गया।

- **रोपण सामग्री का उत्पादनः**–राजकीय प्रक्षेत्रों में विभिन्न फल प्रजातियों के 2.77 लाख फल पौधों का उत्पादन 114.12 कुन्तल उन्नत किस्म के सब्जी बीज, 10.64 लाख सब्जी पौध का उत्पादन किया गया।

• **मौनपालन योजना:**– परपरागण योजनान्तर्गत (i) औद्यानिक फसलों में मौनवंशों/मौनगृहों को उद्यानों में रखने हेतु यातायात पर रू0 350.00 प्रति मौनवंश अधिकतम 4 मौनवंश प्रति है0 की दर से राजसहायता दी जा रही है। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 340 मौन बॉक्स/मौन कॉलोनी वितरण किये गये हैं व साथ ही 233 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। (ii) ₹ 800. 00 प्रति मौनगृह/मौनवंश राजसहायता के अन्तर्गत 1 व्यक्ति को अधिकतम 10 मौनगृह दिये जाने की योजना है। (पपप) मौनपालन में 7 दिवसीय प्रशिक्षण ₹ 350.00 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से व्यय करते हुए ₹ 700.00 प्रति प्रशिक्षार्थी के खाते में भुगतान किया जाता है।

• **घेरबाड़ योजना:**– राज्य में स्थापित बागानों को जंगली जानवरों से बचाने हेतु बागानों की घेरबाड़ योजनान्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर 50 प्रतिशत राजसहायता जिसकी अधिकतम सीमा 1. 00 लाख प्रति हैक्टर राजसहायता प्रदान करते हुए 18.34 हैक्टर बागानों में घेरबाड़ की गयी है।

• **फल पौध रोपण की योजना:**– निःशुल्क वृहद् वृक्षारोपण के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 (वर्षाकाल) एवं शीतकाल में 4.92 लाख निःशुल्क फल पौध वितरण किया गया है। शीतकालीन में लगभग 3.00 लाख पौध वितरण का लक्ष्य है।

• **वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की योजना:**– राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ₹ 33.300 प्रति इकाई की लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम एक इकाई हेतु राजसहायता प्रदान पर 42 इकाईयों की स्थापना की गई है।

• **मसाला मिर्च उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि की योजना (₹ 7.00 प्रति किग्रा की दर से):**– प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त मशाला मिर्च (लाल मिर्च) की खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 7.00 प्रति किग्रा0 की दर से कास्तकारो/कृषकों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

• **ग्रीन हाउस की पॉलीथीन बदलाव की योजना**–कृषकों का 5 वर्ष पुराने जीर्ण–शीर्ण/फटे पॉलीहाउस की पॉलीथीन बदलने हेतु ₹ 50 प्रति वर्ग मी0 का 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम 75000.00 वर्ग मी0 तक अनुदान का प्राविधान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत 4000.00 वर्गमीटर पर राजसहायता दी जा चुकी है।

• **मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना:**– योजनान्तर्गत कृषकों को पॉलीहाउस में खेती करने हेतु 100 से 500 वर्ग मीटर तक पॉलीहाउस निर्माण हेतु (50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 30 प्रतिशत राज्यांश) 80 प्रतिशत राजसहायता की दर से अधिकतम ₹ 365.70 प्रति वर्ग मी0 की दर से राजसहायता दी जा रही है। वर्ष 2024–25 में 1500.00 वर्ग मी0 पर राजसहायता दी गयी है।

भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड
विगत पाँच वर्षों एवं वर्तमान की उपलब्धियाँ
तालिकाः 5.15

क्र. सं.	विवरण	इकाई	वर्षवार प्रगति विवरण					
			2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25 (दिसम्बर,2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जड़ी–बूटी कृषिकरण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमः–							
(क)	कृषक संख्या	संख्या	3595	2848	3179	2990	3167	3250
(ख)	वितरित रोपित पौध	संख्या	1210435	2150175	1806145	1483480	1477084	3262000
(ग)	आच्छादित क्षेत्रफल	है0 में	249.16	164.55	166.92	176.6	202.03	169.57
2.	हरेला कार्यक्रम अंतर्गत कृषिकरण एवं वृक्षारोपणः–							
(क)	कृषक संख्या	संख्या	347	900	474	66	205	572
(ख)	वितरित रोपित पौध	संख्या	40798	62740	57461	46663	90991	91052
(ग)	आच्छादित क्षेत्रफल	है0 में	65.47	117.7	82.80	63.5	122.6	146.38
3.	नाप भूमि से उत्पादित जड़ी–बूटी/निर्गत रवन्नाः–							
(क)	निर्गत किये गये रवन्ना	संख्या	626	1193	842	1714	888	373
(ख)	विक्रय जड़ी–बूटी मात्रा	कु0 में	9554	22550	14902	45587.5	13608	5188.13
(ग)	विक्रय जड़ी–बूटी मूल्य	रू0 लाख में	764.00	1216	1050	2070.48	1125.37	671.57
4.	वन क्षेत्र से जड़ी –बूटी संग्रहण व्यवसाय							
(क)	संग्रहित जड़ी–बूटी मात्रा	कु0 में	10230.92	11515.79	11038	7023	7284.68	3692.31
(ख)	संग्रहित जड़ी–बूटी मूल्य	रू0 लाख में	1564.65	1965.68	2519	2194	1608.89	562.55

5.	वन क्षेत्र से संग्रहित व्यवसाय से प्राप्त राजस्वः–							
(क)	रायल्टी	रू0 लाख में	17.89	31.10	46.66	49.06	45.81	122.36
(ख)	व्यापार कर/ जी.एस.टी.	रू0 लाख में	59.53	82.61	104.08	88.88	60.59	21.05
(ग)	आयकर (टी. डी.एस.)	रू0 लाख में	29.78	29.66	52.59	43.01	28.55	10.90
(घ)	मण्डी शुल्क	रू0 लाख में	11.00	13.43	15.85	10.71	10.73	4.54
	योग (5 क ख ग घ)		118.2	156.8	192.18	191.66	145.68	158.85

स्रोतः–भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड

6.5 सगन्ध पौधा केन्द (कैप),सेलाकुई, देहरादून ऐरोमेटिक सेक्टर

1.एरोमेटिक सेक्टर का वर्तमान परिदृश्यः– सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई के तकनीकी सहयोग से उत्तराखण्ड में 109 ऐरोमा कलस्टर विकसित किये गये है, जिनमें लगभग 28548 कृषकों द्वारा 9713 है0 क्षेत्रफल में सगन्ध फसलों का कृषिकरण किया जा रहा है, जिससे 1940 टन सगन्ध तेल, हर्ब, फूल एवं पत्तियों का उत्पादन हो रहा है। सगन्ध फसलों के प्रसंस्करण हेतु 199 आसवन सयंत्रों की स्थापना की गयी है।

2.महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (MGNREGA):–मनरेगा कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में कुल 345.48 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष अब तक कुल 233.14 है0 भूमि को लैमनग्रास, तेजपात, तिमूर से आच्छादित किया गया तथा कुल 1411 कृषकों को लाभान्वित करते हुये, 70 हजार मानव दिवसों का सृजन किया गया।

3.उत्तराखण्ड महक क्रांति नीति– उत्तराखण्ड महक क्रांति नीति के अन्तर्गत राज्य में सगन्ध फसल क्षेत्र विस्तार हेतु जनपद पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में 07 ऐरोमा वैली विकसित कर प्रथम चरण में 90,000 से अधिक किसानों को लाभावित करने के उद्देश्य से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सगन्ध फसलों से आच्छादित किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में लैमनग्रास एवं मिन्ट वैली, चम्पावत व नैनीताल में सिनॉमन वैली, चमोली व अल्मोड़ा में डैमस्क रोज़ वैली, ऊधमसिंह नगर में मिन्ट वैली, पिथौरागढ़ में तिमूर वैली एवं पौड़ी में लैमनग्रास वैली के माध्यम से 2.27 करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे।

4.'तिमूरू द उत्तराखण्ड''– कैप द्वारा स्थानीय सगन्ध प्रजाति तिमरू से 'तिमूरू द उत्तराखण्ड' परफ्यूम विकसित किया गया है, जिसका हाउस आफ हिमालय के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

5.ऐरोमा पार्क की स्थापनाः– काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) में सिडकुल द्वारा निर्धारित औद्योगिक अस्थान की 40 एकड़ भूमि में 50 इकाईयों की स्थापना एरोमा पार्क में की जा रही है। वर्ष 2023–24 में 12 उद्यमियो द्वारा भू–खण्ड आरक्षित किये गये है। वर्तमान तक विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा 37 प्लॉट आरक्षित किये, जिन्हे भौतिक नियंत्रण पत्र प्रदान किये जा चुके है। एरोमा पार्क की स्थापना से 1500 स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष व 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

6.सेटेलाईट सेन्टर:–ऐरोमा वैली में कृषकों को गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण आदि की सुविधा Door step पर प्रदान करने हेतु 06 सेटेलाईट सेन्टर विकसित किये जा रहे है।

7.सगन्ध फसलों की चयन प्रक्रिया :–

- सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई द्वारा चयनित कलस्टर की कृषि जलवायु के अनुरूप निम्नुनसार सगन्ध फसलों का चयन कृषिकरण हेतु किया जाता है–

LOWER HILLS (Upto 4000 ft)	MIDDLE HILLS (4000-6000 ft)	UPPER HILLS (>6000 ft)
लैमनग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, गेन्दा (पटूला), पूजा तुलसी, मीठी तुलसी, मिन्ट, चंदन	डेमस्क गुलाब, तेजपात, कैमोमिल, तिमूर, रोजमेरी, ओरिगेनो, जिरेनियम, गेन्दा (माइन्यूटा)	डेमस्क गुलाब, कालाजीरा, कूठ, लैवेन्डर,

स्रोत– सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप),सेलाकुई, देहरादून

- **1.प्रोत्साहन योजनाऐं**:–सगन्ध पौधा केन्द्र द्वारा राज्य में सगन्ध फसलों की ओर कृषकों के रूझान हेतु निम्न प्रोत्साहन योजनाऐं चलाई जा रही हैः–

- जिन कृषकों के नाम विधिवत् भूमि है, उन्हे प्रति कृषक 05 नाली (0.1है0) क्षेत्रफल हेतु निःशुल्क बीज–पौध सामग्री ।

कृषिकरण अनुदान योजनान्तर्गत चयनित 9 सगन्ध फसलों यथा– सगन्ध घासें (लैमनग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा एवं खस आदि), डेमस्क गुलाब, मिन्ट (जापानीमिन्ट को छोड़कर), जिरेनियम, कालाजीरा, रोजमेरी, तेजपात, तिमूर व चंदन की स्वयं के व्यय पर खेती करने पर किसी एक कृषक के लिए अनुदान की वित्तीय सीमा ₹ 1.00 लाख या अधिकतम् 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल के कृषिकरण के लिए देय अनुदान धनराशि में से जो भी कम हो, अनुमन्य होगी। सगन्ध फसलों के कृषिकरण पर प्रति हेक्टेयर अनुदान का विवरण निम्नवत् है–

तालिका सं0–5.16

क्र0 सं0	प्रजाति	प्रथम वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल धनराशि (रू0)
1.	सगन्ध घासें (लैमनग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, खस आदि)	31250	10400	41650
2.	डेमस्क गुलाब	56100	18700	74800
3.	मिन्ट (जापानी मिन्ट को छोड़कर)	36650	–	36650
4.	जिरेनियम	44100	14700	58800
5.	कालाजीरा	25950	8650	34600
6.	रोजमेरी	44500	14850	59350
7.	तेजपात एवं तिमूर	34050	11350	45400
8.	चंदन	47150	15750	62900

स्रोत– सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप),सेलाकुई, देहरादून

• सगन्ध पौधों के प्रोसेसिंग हेतु आवश्यक यंत्र/उपकरण, आसवन यूनिट आदि की स्थापना पर ₹10 लाख तक के व्यय पर पर्वतीय क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान।

• मनरेगान्तर्गत लैमनग्रास, डैमस्क गुलाब व तेजपात आदि फसलों का कृषिकरण।

• कैप में पंजीकृत कृषकों को सुगन्धित तेलों की गुणवत्ता परीक्षण शुल्क पर 50 प्रतिशत छूट।

• कृषकों द्वारा उत्पादित सगन्ध उत्पाद/तेलों का बाजार सुनिश्चित करने हेतु 25 प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य।

उक्तानुसार निम्न कार्यक्रमों के द्वारा सगन्ध कृषिकरण से कृषकों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैः–

• बंजर एवं असिंचित कृषि भूमि में लैमनग्रास की खेती।

• बाउन्ड्री फसल के रूप में डेमस्क गुलाब की खेती एवं गुलाब तेल उत्पादन।

• जापानीमिन्ट की एकल व इन्टरक्रापिंग।

• कृषि वानिकी के रूप में तेजपात की खेती।

• अन्य सगन्ध फसल जैसे–कैमोमाईल, गेन्दा, रोजमेरी, तिमरू, चन्दन, जिरेनियम आदि की खेती।

तालिका 5.17

क्रस	योजना का नाम	इकाई	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25 (माह दिसम्बर, 2024 तक)		वर्ष 2025–26 हेतु अनुमानित लक्ष्य
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
1	**सगन्ध प्रसार**						
	कृषित क्षेत्रफल	हेक्टैयर	1300	1500	1400	597	1500
	कृषक संख्या	संख्या	5500	6919	5600	4434	6000
	सगन्ध तेल/हर्ब उत्पादन	टन	800	1397	950	1000	1050
	सगन्ध पौध उत्पादन	लाख	36	36.64	10	12.73	10
	निःशुल्क पौध वितरण	लाख	110	129.00	115	98	120
	जागरूकता कार्यक्रम	संख्या	145	226	155	194	165
	सूक्ष्म उद्यम इकाईयों की स्थापना	संख्या	12	14	14	5	14
	रोजगार सृजन	संख्या	6500	7500	7000	2327	7500
	सगन्ध फसलों का टर्न ओवर	रू० करोड़	85	86	87	95	100
2	**शोध एवं विकास**						
	वेराईटल ट्रायल/एग्रोनोमिकल ट्रायल	संख्या	6	9	11	11	11
	उत्तराखण्ड के व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण जैव सुगन्धित पौधों का अध्ययन करना	संख्या	1	1	4	4	4

	Himalayan minor essential Oil के व्यवसायिक उपयोगों पर अध्ययन	संख्या	3	3	4	4	4
	सुगन्धित फसलों के ऐग्रोनोमिल एवं वेराईटल परीक्षणों के दौरान उनके तेल उत्पादन और रसायनिक प्रोफाइलिंग का अध्ययन	संख्या	3	3	4	5	4
	गुणवत्ता विश्लेषण और प्रमाणीकरण	संख्या	600	602	650	181	700
	डेबलपमेन्ट ऑफ प्रोसेस मेथड	संख्या	2	2	2	2	2
	मानव संसाधन विकास	संख्या	6	7	7	7	7

स्रोत– सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप),सेलाकुई, देहरादून

तालिका 5.18

सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) की वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक की भौतिक प्रगति

क्र. स.	विवरण	इकाई	वर्ष 2019–20		वर्ष 2020–21		वर्ष 2021–22		वर्ष 2022–23		वर्ष 2023–24	
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	सगन्ध कृषिकरण	हेक्टेयर	900	960	1000	1225	1100	1104	1200	1210	1300	1500
2	कृषक	संख्या	3500	3235	4000	4814	4500	4197	5000	4318	5500	6919
3	उत्पादन (सगन्ध तेल एवं हर्ब)	टन	650	954	700	807	700	1389	750	1616	800	1397
4	आसवित सगन्ध हर्ब	टन	65000	71623	60000	63666	60000	73922	70000	73810	80000	75266
5	सगन्ध उत्पादों का टर्न ओवर	रू0 करोड़	80	80.26	80	85	80	85	85	85	85	86
6	रोजगार सृजन	संख्या	4500	4800	5000	6125	5500	5518	6000	6051	6500	7500
7	एग्रोनोमिकल ट्रायल	संख्या	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9
8	वेराईटल ट्रायल	संख्या	6	6	6	6	3	4	3	6	3	3
9	गुणवत्ता परीक्षण	नमूने संख्या	400	400	450	451	500	638	550	3007	600	602
10	पौध उत्पादन	संख्या लाख	32	32.78	33	33.48	34	32	35	38	36	36.64
11	पौध वितरण	संख्या लाख	30	91.25	30	119	100	128	100	130	110	129.276
12	जागरूकता कार्यक्रम	बैच संख्या	95	157	115	162	125	212	135	268	145	226

13	प्रशिक्षित कृषक	संख्या		4121	2900	3329	3200	4277	3500	5275	3800	6058
14	आसवन संयत्र स्थापना	संख्या	12	2	12	13	12	6	12	9	12	14

अनुसंधान एंव तकनीकी विकास कार्यक्रम के तहत नवाचार

• 'तिमरू द उत्तराखण्ड' एवं 'उत्तराखण्ड भंगजीरा' का जी.आई. फाइल किया जा चुका है।

• कुण्जा (आर्टिमिशया वलोरिस) का व्यवसायिक उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इसके तेल की Anti-dandruff activity पर कार्य किया गया, जिसका पेटेन्ट लेने हेतु भारतीय पेटेन्ट ऑफिस में आवेदन किया गया है।

• **सिनेमन के Cinnamaldehyde content, TPC, TFC के आधार पर एक एण्टी–** ओबिसिटी कैप्सूल फार्मूलेशन तैयार किया गया है, जिसकी निर्माण प्रक्रिया का पेटेन्ट लेने हेतु भारतीय पेटेन्ट ऑफिस में आवेदन किया गया है, जोकि प्रकाशित हो चुका है।

• **चाय विकास बोर्ड–** उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा राज्य के 9 पर्वतीय जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत वर्तमान तक 1432.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सफलतापूर्वक चाय बागान विकसित किये जा चुके है। चाय विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य के पर्वतीय क्षेत्रो में कृषको की कृषि योग्य बंजर पडी भूमि में चाय विकास कार्यक्रम संचालित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन व कृषको की आय में वृद्वि करना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में निर्धारित लक्ष्यो के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 5.19

क्र.सं.	कार्य विवरण	वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25	
		निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1.	बागान रखरखाव (है0 में)	1344.00	1367.28	1359.00	1376.01
2.	नया प्लान्टेशन (है0 में)	54.00	31.21	120.00	46.13
3.	नर्सरी रखरखाव (पौध लाख में)	37.50	39.05	47.00	28.25
4.	नयी नर्सरी स्थापना (पौध लाख में)	18.00	4.17	31.00	–
5.	चाय पत्तियो की तुड़ाई (कि0ग्रा0 में)	5,50,000.00	4,92,25100	6,44,222.00	5,05,181.00
6.	निर्मित चाय (कि0ग्रा0 में)	1,23,750.00	1,09,295.00	1,44,370.00	1,12,127.00
7.	चाय बिक्री (कि0ग्रा0 में)	1,23,750.00	91,544.00	1,44,370.00	95,340.00
8.	मानव दिवस सृजन	8,15,342	3,63,958	8,15,342	3,43,780

तालिका 5.20
वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	कार्य विवरण	वित्तीय वर्ष	
		2023–24	2024–25
1.	कुल बजट प्राविधान	3575.51	4675.64
2.	स्वीकृत बजट	2635.97	2748.58
3.	अवमुक्त बजट	1670.95	1772.89
4.	व्यय	1510.15	1857.05
5.	आय/मनरेगा प्रतिपूर्ति	159.82	103.08

स्रोत: चाय विकास बोर्ड उत्तराखण्ड

तालिका 5.21

वित्तीय वर्ष 2024–25 में उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड को आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बोर्ड योजना	एस0सी0एस0पी0	मनरेगा	कुल योग
1	कुल बजट प्राविधान	3642.50	558.81	474.33	4675.64
2	स्वीकृत बजट	1873.25	401.00	474.33	2748.58
3	अवमुक्त बजट	1551.62	101.00	120.27	1772.89
4	व्यय	1551.62	185.41	120.27	1857.30
5	आय	103.08	–	–	103.08

स्रोत: चाय विकास बोर्ड उत्तराखण्ड

तालिका 5.22

विगत पाँच वर्षों के अन्तर्गत (2019–20 से 2023–24) विभागीय कार्यों की प्रगति से सम्बन्धित रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	कार्य विवरण	वित्तीय वर्ष				
		2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1.	बागान रखरखाव (हे0 में)	1360.00	1394.00	1429.00	1434.00	1367.28
2.	नया प्लान्टेषन (हे में)	75.00	34.00	36.00	23.00	31.21
3.	नर्सरी रखरखाव (पौध लाख में)	28.00	19.00	40.00	38.00	39.05
4.	नयी नर्सरी स्थापना (पौध लाख में)	–	43.00	29.00	11.00	4.17
5.	चाय पत्तियों की तुड़ाई (किग्रा.)	3,63,125.00	3,85,790.00	4,13,817.00	4,24,868.00	4,92,251.00
6.	निर्मित चाय (किग्रा. में)	77,681.00	81,929.00	91,586.00	89,914.00	1,09,295.00
7.	चाय बिक्री (किग्रा. में)	53,170.00	1,00,109.00	84,131.00	80,997.00	91,544.00
8.	मानव दिवस सृजन	5,11,786	5,21,051	5,50,154	5,14,129	3,63,958

स्रोत: चाय विकास बोर्ड उत्तराखण्ड

वर्ष 2024–25 की विशिष्ट उपलब्धियां :

1.बीज संगठन :

राज्य में शहतूती रेशम कीटाण्ड उत्पादन हेतु प्रेमनगर देहरादून में विभागीय कीटाण्ड उत्पादन केन्द्र का संचालन सफलता पूर्वक किया जा रहा है। वर्ष 2024–25 में केन्द्र के अन्तर्गत 3.6 लाख डी0एफ0 एल्स0 का उत्पादन किया गया है,

जिसके फलस्वरूप शहतूती कीटाण्ड उत्पादन हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं अन्य संस्थाओं पर निर्भरता कम हुई है। बीजागार द्वारा उत्पादित बाईबोल्टीन शहतूती रेशम कीटाण्ड की आपूर्ति राज्य के विभिन्न जनपदो में करते हुये कीटापालन के माध्यम से उच्चगुणवत्ता का शहतूती रेशम उत्पादन किया जा रहा है।बीजागार के गतिशील होने से राज्य शहतूती रेशम कीटाण्ड आपूर्ति में आत्मनिर्भर हो रहा है।

2.ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP)

प्रदेश में रेशम उद्योग के विकास एवं प्रसार हेतु विभाग द्वारा ग्राम्य विकास विभाग की पक्के माध्यम से संचालित ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) के अन्तर्गत राज्य के 13 जनपदों में आजीविका से जुडे महिला समूहों की कुल 300 महिला कृषकों को स्वरोजगार से नियोजित करने हेतु विभिन्न रेशम विकास कार्यक्रमों से जोडने के उददेश्य से प्रस्तावित परियोजना Preservation of Doon Silk Heritage का संचालन किया जा रहा है। परियोजना के अन्तर्गत चयनित महिला कृषकों को रेशम कीटापलन कार्य के साथ साथ कताई कार्य एवं ककून क्राफ्ट का प्रशिक्षण प्रदान करते हुये रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

अध्याय– 6
पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य
Animal Husbandary, Dairy And Fisheries

पशुपालन (ANIMAL HUSBANDARY):- पशुपालन का महत्व विशेषतः पारिस्थितिकी तंत्र को सतत विकास की अवधारणा के अनुरूप जीवन को सुचारू एवं शाश्वत बनाये रखने में अत्यन्त आवश्यक है। पशुपालन देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों में से एक है जिसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि क्षेत्र से सम्बद्ध अन्य क्रियाकलापों में पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी उत्पादन का रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

पशुधन किसी भी देश के लिये आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। वास्तव में पशुपालन द्वारा कृषि की तुलना में अधिक आय प्राप्त की जा सकती है जिसके द्वारा उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में निर्धनता की समस्या का एक व्यापक समाधान हो सकता है। उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में पशुपालन का निम्न आय वर्ग की जनसंख्या हेतु बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी की गम्भीर समस्याओं के समाधान करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। पशुपालन के साथ सहायक व्यवसाय के रूप में डेयरी विकास, मत्स्य पालन को अपना कर ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन के नये आयाम स्थापित किये जा सकते हैं।

डेरी उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त साधन के रूप में विकसित करने तथा शहरों, यात्रा मार्गों, तीर्थ स्थानों एवं अन्य संस्थानों में उत्तम गुणवत्ता का दूध एवं दूध से बने पदार्थों की उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा सहकारिता के माध्यम से डेयरी कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया है।

उत्तराखण्ड में मत्स्य विकास हेतु प्रचुर मात्रा में जल सम्पदा उपलब्ध है जिसमें मत्स्य विकास कर इस सम्पदा के समुचित उपयोग से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण आंचल में प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन एवं पारिस्थितिकीय सन्तुलन के साथ–साथ निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जा सकता है।

पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल पशुधन संख्या 44.27 लाख और कुक्कुटों की कुल संख्या 50.19 लाख है। साथ ही 21वीं पशुधन संगणना 2024 का कार्य भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में संपादित की जा रही है।

तालिका–6.1
वर्ष 2019 की पशुगणना का वर्ष 2012 की पशुगणना से तुलनात्मक विवरण

क0सं0	पशुओं का वर्ग	पशुगणना 2012 उत्तराखण्ड	पशुगणना 2019 उत्तराखण्ड	%वृद्धि / ह्रास उत्तराखण्ड
1	क्रासब्रीड गोवंशीय	497592	57 6820	15.92
2	स्वदेशी गोवंशीय	1508461	1275303	15.46
3	कुल गोवंशीय	2006053	18 52123	7.67
4	महिषवंशीय	987775	866318	12.30
5	कुल गोवंशीय तथा महिषवंशीय	2993828	271 8441	9.20
6	भेड़	368756	284615	22.82
7	बकरी	1367413	1371971	0.33
8	सूकर	19907	17659	11.29
9	कुल कुक्कुट	4641937	5018684	8.12

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

6.1 वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यकमों तथा अभियानों का विवरण–

स्वरोजगार परक योजनायें

1– महिला बकरी पालन योजना (राज्य सेक्टर)– परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित तथा अकेली रह रही महिलाओं एवं आपदा प्रभवित महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किये जाने एक इकाई जिसमें 03 बकरी एवं 01 बकरा, 100 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष 2024–25 में कुल 300 महिला लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।

2–गौ पालन योजना– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ करने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु चतुर्थ ब्यात या इससे कम ब्यात की दुधारू गाय की इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष 2024–25 में कुल 1298 लाभार्थियों लाभान्वित किया जाना है।

3–भेड़ पालन योजना– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ करने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु 10 भेड़ एवं 01 मेढ़ा की एक इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष 2024–25 में कुल 204 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।

4–बकरी पालन योजना– बकरी पालन योजना राज्य सैक्टर के अन्तर्गत राज्य के सभी वर्गों के एस0ई0सी0सी0 में आने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु 10 बकरियों एवं 01 बकरे की एक इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष 2024–25 में कुल 1,529 लाभार्थियों लाभान्वित किया जाना है।

5– कुक्कुट पालन योजना– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को कुक्कुट पालन योजना के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों का चयन कर 50–50 एक दिवसीय चूजों की यूनिट निःशुल्क स्थापित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 50 एक दिवसीय चूजें, 1 माह का राशन व जाली निःशुल्क दी जाती है। जिसमें वर्ष 2024–25 में कुल 11,870 इकाईयां के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक कुल 4,388 इकाईयां स्थापित की जा चुकी है।

6–गौसदनों की स्थापना– उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007' के प्राविधानों के अनुरुप वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में 64 मान्यता प्रदत्त गौ सदन हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत निराश्रित, बीमार, अशक्त गोवंशीय पशुओं को उचित आश्रय उपलब्ध कराने, निराश्रित गोवंशीय पशुओं के कारण संभावित सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा गोवंश संरक्षण के उद्देश्य से पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं को निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण मद में लगभग 5 गुना से अधिक वृद्धि कर प्रति गोवंश ₹ 80 प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2024–25 में 64 पंजीकृत गौसदनों को भरण पोषण मद में ₹ 4257.96 लाख का प्रावधान किया गया है।

6.1.2 कुक्कुट विकास – वर्ष 2024–25 में 06 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर ब्रायलर चूजों का उत्पादन कर 6.88 लाख चूजे कुक्कुट पालकों को वितरित किया जा चुके है।

6.1.3 वर्ष 2024–25 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों हेतु किये गये प्रयासों का विवरणः–

1– राष्ट्रीय पशुरोग नियन्त्रण कार्यक्रम– वर्ष 2024–25 में 44.00 लाख गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में खुरपका मुहपका रोग के नियन्त्रण हेतु

दिसम्बर 2024 तक कुल 30.81 लाख पशुओं में टीकाकरण किया गया है।

2– पशुधन बीमा योजना– नेशनल लाईवस्टॉक मिशन रिस्क मैनेजमेन्ट एण्ड इंश्योरेंस योजनान्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में पशुधन बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के संचालन के लिए ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी, देहरादून एवं हिन्दुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर लि0 नई दिल्ली के साथ अनुबन्ध किया गया है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 के लिए निर्धारित 1.00 लाख एनिमल यूनिट बीमा के लक्ष्यों के सापेक्ष वर्तमान तक 52,143 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।

3– पशु प्रजनन फार्म कालसी– पशु प्रजनन फार्म, कालसी में 591 गौवंशीय पशुओं (514 गाय, बछिया एवं 77 सांड/नर बछड़े) का प्रबन्धन किया जा रहा है। पशु प्रजनन फार्म कालसी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत देशी नस्ल की गायों के सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है, जिसमें रेड सिन्धी, साहिवाल एवं गिर नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है।

4– पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियालगांव– पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, नरियालगांव, चम्पावत मे 505 बद्री नस्ल के गौवंशीय पशुओं (431 गाय, बछिया एवं 74 सांड/नर बछड़े) का प्रबन्धन किया जा रहा है। फार्म में बद्री नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अतिहिमीकृत वीर्य एवं लिंग वर्गीकृत वीर्य का उपयोग किया जा रहा है।

5– भेड़–बकरी विकास कार्यक्रम– भारत सरकार द्वारा सहायतित नेशनल लाईवस्टाक मिशन योजना के अन्तर्गत स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु विदेश (आस्ट्रेलिया) से मेरिनो नस्ल की 199 भेड़ें तथा 41 नर भेड़े क्रय कर दिसम्बर 2019 के अन्तिम सप्ताह में राज्य के टिहरी जनपद में स्थित राजकीय भेड प्रजनन प्रक्षेत्र कापड़ाधार में व्यवस्थित किये गये थे। माह दिसम्बर 2024 तक आस्ट्रेलिया से आयातित मैरीनों भेड़ों से आतिथि तक 437 Pure line एवं 3056 Cross line (कुल 3493 मैरीनो संतति) उच्च गुणवत्ता की संतति प्राप्त हुई है।

6–बैकयार्ड कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना– कुक्कुट पालन योजना जिला सैक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने/स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 50 कुक्कुट पक्षी क्षमता की एक कुक्कुट इकाई शत प्रतिशत अनुदान पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जाती है। योजना का मुख्य उददेश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ–साथ परिवार के पोषण मूल्य में वृद्धि करना है। वर्ष 2023–24 में रू0 595.80 लाख से 12,024 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

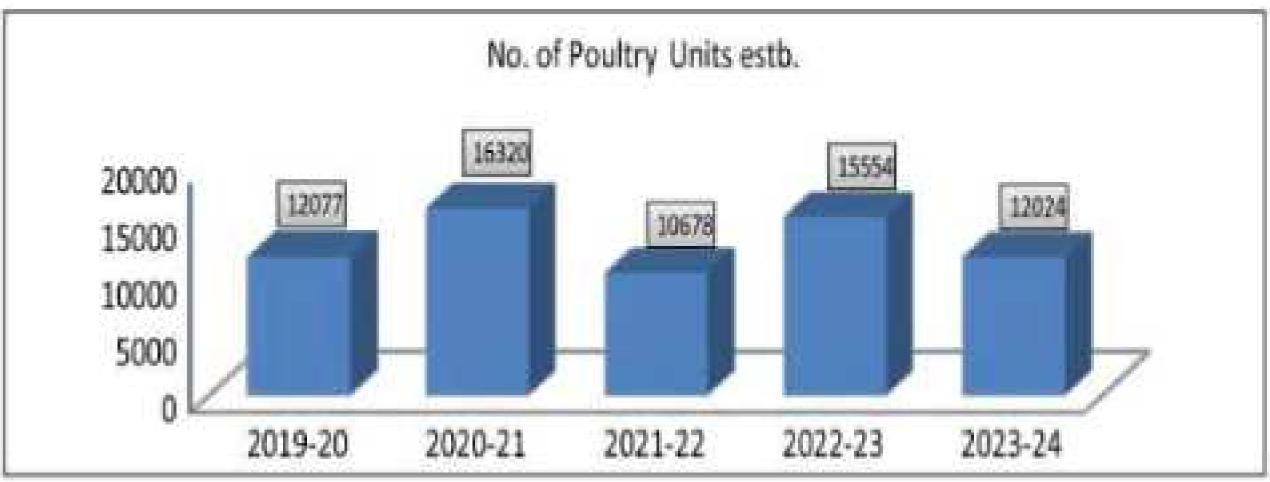

6.1.4 उत्तराखण्ड में पशुधन उत्पाद (Major Livestock Products):- वर्ष 2023–24 में 1898 हजार टन दूध, 462 हजार किलोग्राम ऊन, 5941 लाख अंडे, 245 लाख किलोग्राम मांस का उत्पादन हुआ। राज्य का देश के पशु उत्पाद में अंश तालिका 6.1 में दर्शायी गई है।

तालिका–6.2
उत्तराखण्ड राज्य में पशुजन्य उत्पादों की उपलब्धि

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (हजार टन)	अण्डा उत्पादन (लाख संख्या)	मांस उत्पादन (लाख कि0ग्रा0)	ऊन उत्पादन (हजार कि0ग्रा0)
2018–19	1792	4532	292	552
2019–20	1845	4786	253	497
2020–21	1194	3221	117	215
2021–22	2254	5007	320	526
2022–23	1859	5413	212	452
2023–24	1898	5941	245	462

स्रोत: पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 6.1
उत्तराखण्ड राज्य में पशुजन्य उत्पादों की उपलब्धि

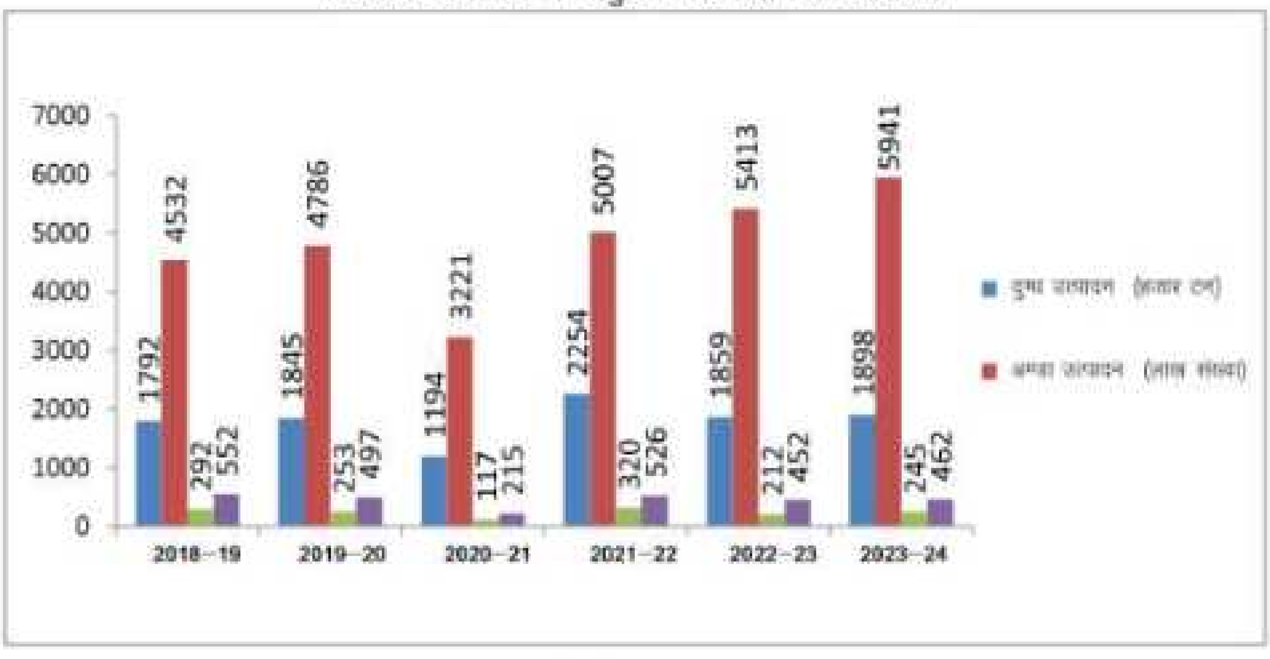

तालिका 6.3
राज्य का दुग्ध उत्पादन में अंशदान

क्रम सं0	उत्पादन	उत्पादन				राज्य का अंश (प्रतिशत में)
		2022–23	2023–24			
		उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश	भारत	
1	दुग्ध उत्पादन (हजार मी0टन)	**1859**	**1898**	1749	239299	0.79
2	अण्डा उत्पादन (लाख में)	**5413**	**5941**	858	1427716	0.42

3	ऊन उत्पादन (हजार कि0ग्रा0 में)	452	462	1423	33689	1.37
4	मांस उत्पादन (हजार टन)	21.24	24.56	5.54	10262.65	0.24

स्रोत: पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

वर्ष 2011–12 में दूध का उत्पादन 3.019 कि0ग्रा0 प्रति गाय से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 4.69 कि0ग्रा0 हो गया है। वर्ष 2011–12 में दूध का उत्पादन 4.128 कि0ग्रा0 प्रति भैंस से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 5.07 कि0ग्रा0 हो गया है। सरकार द्वारा संचालित रोग नियंत्रण तथा नस्ल सुधार कार्यक्रम का पशु उत्पादकता की वृद्धि में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2011–12 में प्रति भेड़ वार्षिक ऊन के उत्पादन 1.446 कि0ग्रा0 से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 1.884 कि0ग्रा0 हो गया।

1–अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन–राज्य के श्यामपुर (देहरादून) में स्थित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया गया है। केन्द्र में सांड़ों का रख–रखाव, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन और देय सुविधाओं की गुणवत्ता भारत सरकार के मिनीमम स्टैण्डर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबन्धित की जा रही है। यह लैब आईएसओ 9001–2015 मानक प्राप्त है। वर्ष 2024–25 तक के लिए निर्धारित 15.00 लाख वीर्य स्ट्रा उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक 11.33 लाख वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए 10.63 लाख वीर्य स्ट्रा का वितरण किया गया।

2–लिंग वर्गीकृत वीर्य (सेक्स सॉर्टेड सीमन) उत्पादनः– राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत लिंग वर्गीकृत वीर्य के उत्पादन हेतु अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर–ऋषिकेश में देश के राजकीय क्षेत्र में प्रथम लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला (Sex Sorting Semen Production Laboratory) की स्थापना की गई है। वर्ष 2024–25 तक के लिए निर्धारित 3.00 लाख लिंग वर्गीकृत वीर्य स्ट्रा उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक 0.71 लाख वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए 1.19 लाख वीर्य स्ट्रा का वितरण किया गया।

3–कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम– वर्ष 2023–24 तक के लिए निर्धारित 100 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को खोले जाने के लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 23 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये।

- 1804 कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों द्वारा वर्ष 2024–25 तक के लिए निर्धारित 8.50 लाख कृत्रिम गर्भाधान लक्ष्यों के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक 4.06 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये गये, जिससे 1.16 लाख संतति उत्पन्न हुई है।

- लिंग वर्गीकृत वीर्य (SSS) वर्ष 2024–25 तक के लिए निर्धारित 5.00 लाख कृत्रिम गर्भाधान लक्ष्यों के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक 1.38 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये गये, जिससे 30823 संतति उत्पन्न हुई, जिसमे 27302 संतति मादा है।

- इस प्रकार कुल उत्पन्न संतति मे मादा संतति का प्रतिशत 90.33 रहा है।

4–भेड़–बकरी कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination in Sheep and Goat)- पशुलोक ऋषिकेश में एक आधुनिक कृत्रिम गर्भाधन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। योजनान्तर्गत आयातित मेरिनो रैम के वीर्य तथा विभिन्न प्रजाति के बकरियों के वीर्य का उपयोग करके राज्य में हीट सिंक्रोनाइजेशन और कृत्रिम गर्भाधान शुरू किया गया है।

- प्रयोगशाला में उच्च गुणवत्ता के बीटल व जमुनापरी नस्ल के नर के वीर्य का हिमीकृत वीर्य (Frozen Semen) का उत्पादन किया जा रहा है।

- वर्तमान तक 43019 से अधिक डोज उत्पादित किये जा चुके है।

5–अंशदान पर मेंढ़ा वितरण योजनाः–

उत्तराखण्ड राज्य के भेड़पालको के हितार्थ स्थानीय भेड़ों में नस्ल सुधार के लिए अंशदान पर मेढ़ा वितरण योजना का शुभारम्भ मा० पशुपालन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 07 नवम्बर, 2023 को किया गया। योजना का संचालन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया। उत्तराखण्ड राज्य के भेड़ बाहुल्य क्षेत्र के भेड़पालक को 'अंशदान पर मेढ़ा वितरण योजना' में शामिल किया जाना है।

तालिका–6.4

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में प्रस्तावित पुस्तकीय मूल्य					
क्र.स.	आयु सीमा	भारतीय मैरिनों क्रॉस ब्रीड	लाभार्थी द्वारा 20 प्रतिशत के अनुसार दी जाने वाली धनराशि	भारतीय मैरिनो Pureline	लाभार्थी द्वारा 20 प्रतिशत के अनुसार दी जाने वाली धनराशि
1.	09 माह	5600.00	1120.00	12000.00	2400.00
2.	10 माह	6000.00	1200.00	15000.00	3000.00
3.	11 माह	6500.00	1300.00	18000.00	3600.00
4.	12 माह से 02 वर्ष तक	7500.00	1500.00	20500.00	4100.00

स्रोत: पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

➢ राज्य सेक्टर व अन्य विभागीय योजनाओं में निर्धारित मेढे की धनराशि के अनुसार ही मेढा उपलब्ध कराया जायेगा।

➢ अंशदान पर मेढ़ा वितरण योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 में अब तक उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी में 03, चमोली में 27 क्रास ब्रीड मैरिनों मेढ़े वितरित किये जा चुके है।

6–प्रशिक्षण कार्यक्रम– वित्तीय वर्ष 2024–25 में पशुचिकित्सा परिषद्, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून के प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान तक विभागीय व नवनियुक्त 88 पशुचिकित्सा अधिकारियों व 24 अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ पशुचिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही डॉ० आर० एस० टोलिया प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 250 प्रशिक्षणार्थियों को इस केन्द्र से प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

7–जैविक ऊन उत्पादक संगठन– राष्ट्रीय पशुधन मिशन, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड तथा ऊन ग्रोथ सेन्टर के अभिसरण के माध्यम से राज्य में 10 भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों में 10 जैविक ऊन उत्पादक संगठनों का निर्माण किया जा रहा है

8–केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के सहयोग से संचालित योजना– केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के सहयोग से आधुनिक ऊन कतरन शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

गोट वैली की स्थापना

- प्रदेश में बकरी पालन गतिविधि को सहयोग, सशक्त व उच्चीकरण करने हेतु गोट वैली (Goat Valley) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना–भेड़ बकरी सेक्टर तथा पशुपालन विभाग की राज्य सेक्टर, जिला सेक्टर एवं सहकारिता विभाग की दीन दयाल उपाध्याय योजना का युगपतिकरण किया जा रहा है।
- चयनित वैली के अन्तर्गत लाभार्थियों को सर्वप्रथम राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत न्यूनतम रू0 30,000 का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लाभार्थी द्वारा 5 से 6 बकरियों का क्रय किया जाता है। तद्पश्चात पशुपालन विभाग की राज्य सेक्टर योजना से 10 बकरियां

तथा 01 बकरे हेतु रू0 63,000 (90 प्रतिशत) अथवा जिला योजना के माध्यम से 5 से 10 बकरियों हेतु अनुदान की धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

योजना का संचालन सम्पूर्ण राज्य में किया जा रहा है। योजना प्रारम्भ से वर्तमान तक कुल 22 गोट वैली संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत वर्तमान तक 1309 लाभार्थियों का चयन किया गया है तथा 5644 बकरियां वितरित की गई है।

➢ **मोबाइल वेटरनरी यूनिट(MVU):–**

भारत सरकार की सहायता से 60 मोबाइल वेटनरी यूनिट (वैन) के माध्यम से पशुपालक के द्वार पर पशुचिकित्सा, टीकाकरण, रोग परीक्षण आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पशुपालकों की सुविधा हेतु विभागीय हेल्पलाइन नम्बर (1962) प्रारम्भ किया गया है। दिनांक 31.12.2024 तक कुल 3,67,648 काल्स प्राप्त हुई हैं तथा कुल 2,14,647 पशुओं को चिकित्सा दी गयी है।

➢ **उत्तराखंड चारा नीतिः–** राज्य में मौसमी चारे की कमी को कम करने और राज्य के पशुपालकों को चारे की उपलब्धता में वृद्धि के लक्ष्य से उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड चारा नीति को मंजूरी दी है। जिससे अगले 5 वर्षों में लगभग 13.30 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त चारा उपलब्ध हो सकेगा। वर्तमान में अन्य गतिविधियों के साथ पशुपालकों को उन्नत मौसमी चारा बीज निःशुल्क उपलब्ध करायें जा रहे है तथा सूखे चारे (भूसे) पर अनुदान दिया जा रहा है।

➢ **किसान क्रेडिट कार्ड योजनाः–** पशुपालकों को पशुधन की संख्या के आधार पर पशुपालन के लिए आवश्यक संसाधान, चारा व चारा मशीन क्रय, पशु आहार क्रय इत्यादि के लिए आवश्यक ऋण बैंक से न्यून ब्याज दरों पर आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट योजना प्रदेश भर में संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष 2024–25 में 1.45 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 71 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है।

➢ **मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजनाः–**

राज्य के पशुपालकों को 90 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण (Interest subvention) उपलब्ध करवाकर पशुपालन आधारित गतिविधियों में भागीदार बनाते हुए उद्यमिता विकास के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, जो पलायन रोकने में सहायक भी होगा। इस हेतु मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना प्रस्तावित की गई है।

- भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पशुधन मिशन की तर्ज पर उत्तराखण्ड राज्य में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना प्रारम्भ की जा रही है।

- योजना का मुख्य उद्देश्य पशुधन विकास एवं पशुपालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु संसाधनों की मांग व उपलब्धता के अन्तर को दूर करना, पशुपालन विभाग की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु अवसंरचना विकास, सभी प्रजाति के पशुधन का सर्वांगीण विकास आदि है।

- "मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन" योजनान्तर्गत उद्यमिता विकास घटक में बड़े पशुओं, लघु पशुओं तथा कुक्कुट विकास सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर 90 प्रतिशत Interest Subvention इस योजना में दिया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत लाभार्थी द्वारा लिए गये ऋण के बैंक को पुर्नभुगतान की अवधि 3 वर्ष होगी।

- प्रथम चरण में इस वित्तीय वर्ष 2023–24 मे "मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन" योजनान्तर्गत उद्यमिता विकास घटक में निम्न विवरणनुसार इकाईयां स्थापित की जानी प्रस्तावित है:–

तालिका–6.5

क० सं०	योजना	यूनिट लागत (लाख रू०)	बैंक द्वारा प्रस्तावित ऋण (लाख रू०)	भौतिक लक्ष्य
1	बड़े पशुओं हेतु उद्यमिता विकास			
अ)	डेयरी पशु इकाईयों की स्थापना			
	5 गाय यूनिट	3.75	3.375	100
	2 भैंस यूनिट	3.75	3.375	100
	10 गाय यूनिट	7.50	6.75	94
	5 भैंस यूनिट	7.50	6.75	95
ब)	भारवाहक पशु इकाईयों की स्थापना			
	1 खच्चर यूनिट	1.0	0.90	250
	2 खच्चर यूनिट	2.0	1.80	125
2	लघु पशुओं हेतु उद्यमिता विकास			
अ)	भेड़ /बकरी इकाईयों की स्थापना			
	5 + 1 भेड़ /बकरी यूनिट	1.0	0.90	375
	10 + 1 भेड़ /बकरी यूनिट	2.0	1.80	190
ब)	सूकर इकाईयों की स्थापना			
	5 + 1 सूकर यूनिट	0.50	0.45	48
3	कुक्कुट पालन उद्यमिता विकास			
	कामर्शियल ब्रायलर यूनिट (1000 पक्षी)	4.54	4.086	64
	छोटे कामर्शियल लेयर फार्म (250 पक्षी)	3.5	3.15	124

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशनः– मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित **राष्ट्रीय गोकुल मिशन** योजनान्तर्गत **देश में प्रथम बार नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन** के पायलेट प्रोजेक्ट का संचालन उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं चम्पावत में अप्रैल, 2021 से अक्टबर, 2023 तक संचालित किया गया है। अप्रैल, 2023 से कार्यक्रम को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। विभागीय उच्च अधिकारियों के प्रयास के कारण उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में **देश मे प्रथम बार "भारत पशुधन ऐप"** पर कार्य करते हुए 10 अप्रैल, 2023 से 30 नवम्बर, 2024 तक 97,54,571 टीकाकरण, 8,35,616 कृत्रिम गर्भाधान, 3,59,229 गर्भ परीक्षण, 33034 पशु चिकित्सा एवं 511502 पशु सम्बन्धित सूचना एवं 363265 पशु स्वामी से सम्बन्धित सूचनाओं को सही करने के साथ अन्य मदों में कुल 1,18,57,217 संख्या की डाटा ऐन्ट्री माह नवम्बर 2024 तक की जा चुकी है।

सफलता की कहानी

1. श्री मुंशी लाल जनपद उत्तरकाशी के वार्ड नंबर 1 विकासखंड चिन्यालीसौड़ के रहने वाले हैं। पशुपालन विभाग द्वारा संचालित ब्रायलर फार्म योजना वर्ष 2023–24 में इनका चयन किया गया। इनको विभाग द्वारा बाड़ा मरम्मत हेतु रु 15,000 की सहायता धनराशि दी गई। साथ ही इनके द्वारा 500 ब्रायलर मुर्गियों का बैच लाने पर रु 15 / मुर्गी की सब्सिडी दी गई। अभी तक 1500 मुर्गियां कुल 3 लॉट पाल लिए गए हैं, जिससे इनको अभी तक प्रति लॉट लगभग रु 20,000 का मुनाफा हुआ है एवं इनकी आर्थिकी में काफी सुधार आया है।

2. वाईब्रेंट विलेज योजना के अन्तर्गत भारत तिब्बत–सीमा पुलिस बल (आई0टी0बी0पी0) की उत्तराखण्ड राज्य में तैनात वाहिनी/फॉरमेशनों के लिये स्थानीय उत्पादों (जिन्दा बकरी/भेड़, चिकन एवं मछली) की आपूर्ति हेतु अनुबंधः–

➢ आई0टी0बी0पी0 एवं पशुपालन व मत्स्य पालन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के मध्य प्रथम चरण के अन्तर्गत जिन्दा बकरी/भेड़, चिकन एवं मछली आपूर्ति हेतु दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को अनुबंध किया गया।

➢ आई0टी0बी0पी0 वाहिनी/फॉरमेषनों पर तैनात सैनिको को भेड़/बकरी, चिकन व मछली का स्थानीय, स्वस्थ्य व गुणवत्ता युक्त मांस आहार हेतु प्राप्त होगा।

➢ आई0टी0बी0पी0 को वाईब्रेंट गॉवों से प्रत्येक वर्ष लगभग 800 मिट्रिक टन जिन्दा बकरी/भेड़, चिकन एवं मछली आपूर्ति की जायेगी।

➢ सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित किसानों को प्रत्येक वर्ष रू0 20 करोड़ का व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होगा।

➢ किसानों द्वारा आई0टी0बी0पी0 पोस्ट पर उत्पाद आपूर्ति करने के 02 दिनों के अन्तर्गत DBT के माध्यम से भुगतान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 5 करोड़ का रिवाल्विंग फंड निर्मित किया गया है।

➢ इस पहल से राज्य के 2000 से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा तथा यह पलायन रोकने में मील का पत्थर साबित होगा।

➢ प्रथम माह में किसानो द्वारा 9899 कि0ग्रा0 जिन्दा भेड़/बकरी, 5390 कि0ग्रा0 चिकन व 1459 कि0ग्रा0 ट्राउट मछली आई0टी0बी0पी0 को उपलब्ध कराया गया है।

➢ प्रथम माह मे 8 सहकारी समिति/किसान उत्पादक संगठनों के 168 किसानों द्वारा जिन्दा भेड़/बकरी, चिकन व मछली उपलब्ध कराया गया है।

किसानों को उनके उत्पाद से सापेक्ष ₹ 43 लाख 47 हजार का भुगतान DBT के माध्यम से किया जा चुका है।

21वीं पशुधन संगणना– भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार राज्य के समस्त जनपदो में पशुधन व कुकुक्ट की 16 प्रजातियों व 219 देशी सहित अन्य नस्लों की गणना NDLM द्वारा विकसित किये गये Livestock Census Software पर 965 प्रगणको तथा 184 पर्यवेक्षकों के माध्यम से समस्त ग्रामों व शहरी वार्डो में माह अक्टूबर 2024 से माह फरवरी 2025 तक सम्पादित किया जा रहा है। पशुधन संगणना कार्यक्रम से प्राप्त आंकड़े भविष्य में विभिन्न योजनाओं के सृजन में लाभप्रद सिद्ध होगी। 21वीं पशुधन संगणना की मुख्य विशेषता निम्नवत हैः–

➢ सम्पूर्ण डिजिटलीकृत डेटा संग्रह।

➢ स्वच्छंद पशुओं की गणना।

➢ पशुपालन में समय देने के आधार पर अनुपातिक लैंगिक भागीदारी।

➢ चरवाहों के पशुधन की जानकारी।

6.2 दुग्ध विकास (DAIRY DEVELOPMENT):-

भूमिका:–

दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों की दुग्ध सहकारी समितियां गठित करते हुए उन्हें उनके द्वारा उत्पादित दूध की वर्ष पर्यन्त उचित दर विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं दूसरी ओर नगरीय उपभोक्ताओं, पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों तथा विभिन्न संस्थाओं को उचित दर पर शुद्ध एवं उत्तम गुणवत्ता का दूध व दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन में सतत वृद्धि करने हेतु तकनीकी निवेश कार्यक्रम अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, रियायती दर पर संतुलित पशुआहार, पशुस्वास्थ्य एवं चारा विकास सम्बन्धी सेवायें ग्राम स्तर पर प्रदान की जा रही है।

तालिका–6.6

उत्तराखण्ड राज्य बनने से पूर्व एवं वर्तमान की उपलब्धियाँ– एक दृष्टि में

क0 सं0	योजना	इकाई	उत्तराखण्ड राज्य स्थापना से पूर्व की उपलब्धियां (वर्ष 1999–2000)	उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के उपरांत की उपलब्धियां (वर्ष 2023–24)
	समिति संगठन			
1	**कुल कार्यरत दुग्ध समितियां**	संख्या	1526	2724
	(अ) कुल कार्यरत में महिला डेयरी परियोजनान्तर्गत	संख्या	309	715
	(ब) कुल कार्यरत में जिला सेक्टर योजनान्तर्गत	संख्या	680	737
	(स) कुल कार्यरत में आइडी.डी.पी. योजनान्तर्गत	संख्या	59	475
	(द) अन्य में	संख्या	478	797
2	**समिति सदस्यता**			
	(अ) कुल सदस्य	संख्या	76825	167934
	(ब) कुल में महिला डेयरी परियोजनान्तर्गत	संख्या	12459	29881
	(स) कुल अनुसूचित जाति/जनजाति	संख्या	14654	31302
	(द) कुल महिलाएं	संख्या	25646	87959
	(य) पोरर सदस्य	संख्या	25624	53071
3	औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन (ली0 में)	लीटर	68019	184555
4	औसत दैनिक दुग्ध विक्रय (कि0ग्रा0 में)	कि0ग्रा0	63214	157476
5	दुग्ध संघ की क्षमता (प्रतिदिन)	लीटर	115000	320000
6	दुग्ध संघ अन्तर्गत चिलिंग सैन्टर की दैनिक क्षमता	लीटर	34500	75000
7	बल्क मिल्क कूलर	संख्या	18	39
8	गंगा गाय महिला डेरी योजना लाभार्थी	संख्या	0	1086
9	दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना लाभार्थी	संख्या	0	52698
10	सचिव प्रोत्साहन लाभार्थी	संख्या	0	1474

11	प्रशिक्षण कार्यक्रम (लाभार्थी, सचिव, कार्मिक एवं अन्य)	संख्या	195	2652
12	डी.पी.एम.सी.यू./मिल्क एनालाईजर/आईओ.टी. डिवाईस की स्थापना	संख्या	0	2227
13	डिवरमिंग	संख्या	8580	41797
14	प्राथमिक पशु चिकित्सा यूनिट	संख्या	9	26
15	पशु टीकाकरण	संख्या	13126	37176
16	पशु आहार	मै0 टन	2496	14162
17	साईलेज	मै0 टन	0	6158
18	काम्पैक्ट फीड ब्लॉक	मै0 टन	0	2318

स्रोतः दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका सं0–6.7

दुग्ध समितियों की संख्या (माह–दिसम्बर, 2024 तक)

क0 सं0	जनपद का नाम	जनपदवार दुग्ध समितियों की संख्या माह दिसम्बर, 2024 तक	जनपदवार महिला दुग्ध समितियों की संख्या
1	नैनीताल	619	115
2	ऊधमसिंह नगर	447	147
3	अल्मोड़ा	260	104
4	बागेश्वर	66	118
5	पिथौरागढ़	228	112
6	चम्पावत	229	106
7	देहरादून	206	102
8	हरिद्वार	246	105
9	टिहरी	61	65
10	उत्तरकाशी	71	80
11	चमोली	73	97
12	रूद्रप्रयाग	42	93
13	पौड़ी गढ़वाल	121	100
	कुल योग–	**2669**	**1344**

स्रोतः दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड

राज्य योजना

1. डेरी विकास योजनाः– योजनान्तर्गत सचिव मानदेय ₹ 0.50 प्रति ली0 की दर से तथा ग्रुप सचिव वेतन हेतु प्रबंधकीय अनुदान, समिति से दुग्ध संघ तक दुग्ध प्रबन्धन हेतु यातायात अनुदान का भुगतान किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 439.82 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष माह 31 दिसम्बर, 2024 तक ₹ 339.37 लाख की धनराशि उपयोग की गयी हैं।

2. महिला डेरी विकास योजनाः– राज्य सेक्टर में महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 402.13 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 394.15 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

3. दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण– राज्य सेक्टर की दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष

2024–25 हेतु ₹ 100.00 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 100 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है जिसमे विभिन्न जनपदों की दुग्धशालाओं का सुदृढ़ीककरण आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार कार्य किया जाता है।

4. दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनाः– राज्य सेक्टर की दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादकों को योजनान्तर्गत 8.00 : एस.एन.एफ 7.50 से 7.99 : एस.एन.एफ की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 3.00 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि राज्य अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2024–25 में ₹ 1600.00 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 1599.14 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक प्रदेश में कुल 49183 हजार दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया।

तालिका सं0–6.8

दुग्ध बिक्री का वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक औसत दैनिक प्रगति विवरण (ली0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	2021–22	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25 (माह दिसम्बर, 2024 तक)
1	नैनीताल	84410	84799	85409	82604	84780
2	ऊधमसिंह नगर	21649	20960	21806	18701	18922
3	अल्मोड़ा एवं बागेश्वर	10037	10461	9621	9318	9597
4	पिथौरागढ़	5564	5053	5419	5843	5889
5	चम्पावत	4246	5189	9246	7714	8204
6	देहरादून	17149	16504	16760	17130	18361
7	हरिद्वार	7910	7114	6282	6789	6684
8	टिहरी	156	422	298	1305	1455
9	उत्तरकाशी	1256	1291	1304	563	625
10	चमोली	1844	1781	1951	2293	2044
11	पौड़ी गढ़वाल एवं रूद्रप्रयाग	2332	2481	2093	1741	2401
	कुल योग–	**156553**	**156075**	**160188**	**154001**	**158962**

स्रोतः दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका–6.9

गत वर्षों के सापेक्ष दुग्ध उत्पादन में प्रगति

क्र0सं0	वर्ष	उत्पादन (कि0ग्रा0)
1	2019–20	183489
2	2020–21	189026
3	2021–22	201092
4	2022–23	185161
5	2023–24	188780
6	2024–25 (माह दिसम्बर, 2024 तक)	196888

स्रोतः दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट–3

राज्य दुग्ध उत्पादन की प्रगति (कि0ग्राम)

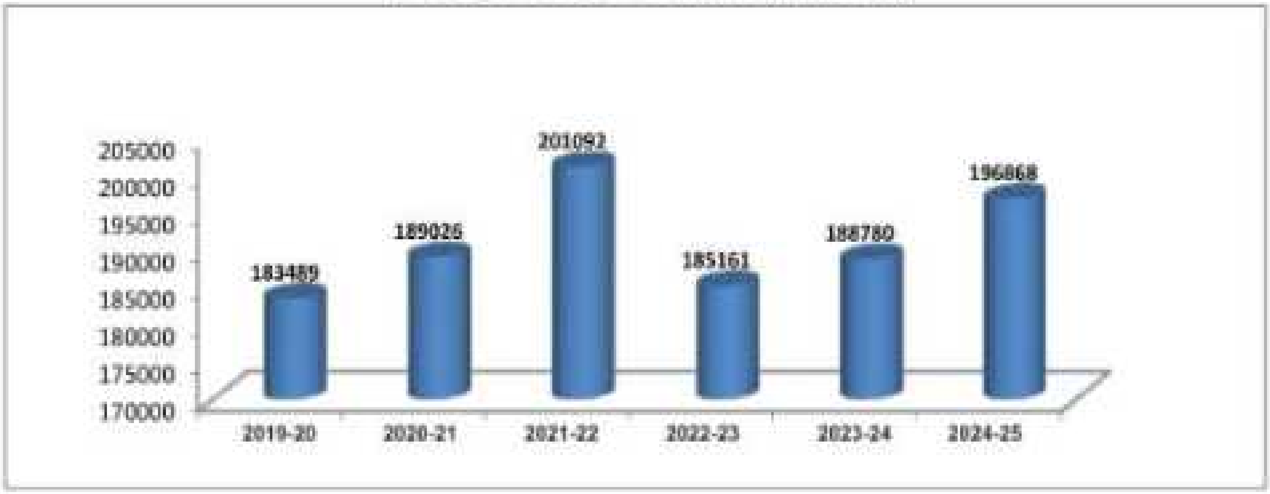

5. गंगा गाय महिला डेरी योजना संबद्ध एन0सी0डी0सी:– वित्तीय वर्ष 2024–25 योजना गंगा गाय महिला डेरी योजनान्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत प्राथमिक दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध समिति सदस्यों को योजनान्तर्गत 02, 03 एवं 05 पशु यूनिट उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु 75 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग सदस्य हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ–2 पशुधन बढ़ाया जा सके। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 250.00 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 207. 22 लाख व्यय की जा चुकी है।

6. दुग्ध संघ के कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना– प्रदेश में घाटे में चल रहे दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना संचालित की गयी है।

7. साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना– योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनके दुधारू पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से साईलेज एंव पशु पोषण योजना तैयार की गई है। जिसके अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से जुडे दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनके दुधारू पशुओं के उपयोग हेतु साइलेज, पशुआहार, मिनरल मिक्सचर एवं प्रोबाइटिक्स पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप दी जाती है।

तालिका सं0–6.10

क्षेत्र का विवरण	साइलेज	पशुआहार प्रति किलोग्राम	मिनरल मिक्सचर	प्रोबाईटिक्स	काम्पेक्ट फीड ब्लाक
पर्वतीय क्षेत्र	75 प्रतिशत	₹ 6.00	50 %	50 %	50 %
मैदानी क्षेत्र	75 प्रतिशत	₹ 4.00	50 %	50 %	50 %

स्रोत: दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड

8. पशुचारा परिवहन अनुदान योजनाः– दुग्ध सहकारी समितियां से जुडे दुग्ध उत्पादक सदस्यों के दुधारू पशुओं को आवश्कतानुसार पशुचारा यथा संतुलित पशुआहार, वैक्यूम पैकड साईलेज एवं कॉम्पेक्ट फीड ब्लाक उपलब्ध कराया जा रहा है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचते हुए साईलेज एवं संतुलित पशुआहार की दरें, परिवहन व्यय बढ़ने के कारण अधिक हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹150.00 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 129.90 लाख व्यय की जा चुकी है।

तालिका सं0–6.11

क्षेत्र का विवरण	साइलेज, फेडरशन देहरादून एवं पशुआहार निमार्णशाला रूद्रपुर से दुग्ध संघों अथवा उनके दुग्ध अवशीतन केन्दों तक परिवहन अनुदान	दुग्ध संघ मुख्यालय एवं उनके चिलिंग सेन्टर से दुग्ध समितियो तक ढुलान हेतु	लोडिंग/ अनलोडिंग	योग
पर्वतीय क्षेत्र	वास्तविक व्यय धनराशि	रू0 1 .00	रू0 0 .25	रू0 1 .25
मैदानी क्षेत्र	वास्तविक व्यय धनराशि	रू0 0 .50	रू0 0 .25	रू0 0 .75

स्रोतः दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड

9.नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित (आर0आई0डी0एफ0) के अन्तर्गतः– योजनान्तगर्गत राज्य में गठित दुग्ध संघों एवं उनके दुग्ध अवशीतन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण एवं नये दुग्ध संघों की स्थापना का कार्य किया जाता है। ₹ 2467.67 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 2237.73 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत दुग्ध अवशीतन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया।

विभाग द्वारा किये गये नवोन्मेषी (Innovative) कार्यों का विवरण

डेयरी विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश में दुग्ध उपार्जन में अपेक्षित वृद्धि न हो पाने के कारण विभागीय फील्ड कार्मिकों से कराये गये सर्वे के उपरांत ज्ञात हुआ कि प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में हरे चारे की अत्यंत कमी है। हरे चारे की कमी को दूर करने के लिए जनपद चम्पावत के चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत, के डेरी परिसर में 22,700 बड नैपियर घास की नर्सरी स्थापित की गई, जिन्हें प्राथमिक दुग्ध समिति, चम्पावत को निःशुल्क वितरित करते हुए स्थापित पशुओं हेतु हरे चारे की आपूर्ति के साथ–साथ दुग्ध उपार्जन में अपेक्षित वृद्धि पायी गयी है।

वर्तमान में जनपद के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, चम्पावत में 224 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 16,000 ली0 औसत दूध को प्रतिदिन जनपद मे क्रय किया जा रहा है। जिसके द्वारा लगभग 5500 दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हो रहे हैं। चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 चम्पावत में स्थापित नर्सरी से जनपद के 46 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी दुग्ध समिति में नैपियर घास के 38719 बड, 1535 दुग्ध समिति सदस्यों को निःशुल्क वितरित किये जाने के पश्चात दुग्ध समिति में 919 लीटर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुयी है। इस प्रकार विभाग द्वारा विभिन्न नवोन्मेशी कार्यों के द्वारा वर्ष 2030 तक बढ़ा कर 45,000 ली0 प्रतिदिन करने एवं उपभोक्ताओं तक दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

> ➢ 6.3 मत्स्य (Fisheries):–

राज्य में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों के अन्तर्गत नदियों के रूप में 2686 कि०मी०, वृहद जलाशयों के रूप में 20587 हैक्टेयर, प्राकृतिक झीलों के रूप में 297 हैक्टेयर तथा तालाब/टैंक एवं पोखरों के रूप में 935 हैक्टेयर, 1500 ट्राउट रेसवेज से अधिक जलक्षेत्र उपलब्ध है, जिनके मात्स्यिकी दृष्टिकोण से समुचित उपयोग हेतु विभाग द्वारा विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं।

तालिका सं0–6.12

मत्स्य विकास – एक दृष्टि में

क्र0 सं0	मद	इकाई	संख्या
1.	आच्छादित जनपद	संख्या	13
2.	मत्स्य प्रक्षेत्र/हैचरियाँ केन्द्र	संख्या	12
3.	राज्य स्तरीयब्रूड बैंक	संख्या	02
4.	राज्य स्तरीय इण्टीग्रेटेड एक्वापार्क (निर्माणाधीन)	संख्या	01
5.	फिश मार्केट/मण्डी	संख्या	03 एवं 01 (निर्माणाधीन)
6.	मत्स्य पालक विकास अभिकरण	संख्या	01
7.	राज्य स्तरीय ट्राउट महासंघ	संख्या	01
8.	जनपद स्तरीय फेडरेशन	संख्या	01
9.	मत्स्य किसान उत्पादन संगठन (एफ०एफ०पी०ओ०)	संख्या	06
10.	मत्स्य सहकारी समितियाँ	संख्या	239
11.	नदियों की लम्बाई	कि0मी0	2686
12.	वृहद जलाशय	संख्या हैक्टेयर	7 20587
13.	झील	संख्या हैक्टयर	31 297
14.	तालाब/पोखर/निजी तालाब	हैक्टेयर	935 .58
15.	ट्राउट रेसवेज	संख्या	1500

स्रोतः मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड

– वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा प्रमुख नवोन्मेषी (Innovative) योजनाओं का विवरण:–

- सरकार के नीतिगत एवं अभिनव प्रयासों से मात्स्यिकी क्षेत्र का समुचित विस्तार हो रहा है एवं इस वर्ष भारत सरकार द्वारा उत्तर–पूर्वी एवं हिमालयन राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य हेतु उत्तराखण्ड को पुरस्कृत किया है।
- राज्य में मात्स्यिकी क्षेत्र के समुचित विस्तार हेतु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में सभी वर्गों, युवाओं, महिलाओं को दृष्टि में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 से नवीन योजना ''मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना'' संचालित की गयी है।
- ''मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना'' अन्तर्गत राज्य में प्रथम बार महिलाओं हेतु 60 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है तथा एक पूर्ण महिला आधारित गतिविधि ''मत्स्य सहेली'' प्रारम्भ की गयी है।
- मत्स्य पालकों के समाजिक हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मत्स्य पालकों को कृषि की भाँति न्यूनतम दरों पर विद्युत आपूर्ति की सुविधा अनुमन्य करने की घोषणा के क्रम में 01 अप्रैल, 2024 से मत्स्य पालकों को कृषि दरों पर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।
- ट्राउट मछलियों के विपणन हेतु वर्ष 2024–25 में सरकार द्वारा आई०टी०बी०पी० के साथ अनुबंध किया गया है जिसके क्रम में सीमांत क्षेत्रों में आई०टी०बी०पी० चौकियों को मछलियों के रूप में प्रोटीनयुक्त भोजन की आपूर्ति की जा रही है।
- भारत सरकार के कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट ''राज्य स्तरीय इण्टीग्रेटेड फिश एक्वापार्क'' एवं ''होलसेल फिश मार्केट'' के निर्माण कार्य गतिमान है।

तालिका सं0–6.13
उत्तराखण्ड में जनपदवार मत्स्य उत्पादन
वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 (अनुमानित)

जनपद	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25
	मत्स्य उत्पादन (हजार मेट्रिक टन)	मत्स्य उत्पादन का मूल्य (लाख रू० में)	अनुमाति मत्स्य उत्पादन (हजार मेट्रिक टन)
उत्तरकाशी	185. 7704	704.664	180.00
चमोली	289.0787	909.124	340.00
टिहरी गढ़वाल	189.2185	731.718	220.00

देहरादून	589.2901	838.560	630.00
पौड़ी गढ़वाल	113.5868	144.573	130.00
रूद्रप्रयाग	91.5031	315.100	120.00
हरिद्वार	2872.8518	3692.764	3300.00
गढ़वाल मण्डल	4331.2994	7336.503	4920.00
पिथौरागढ़	160.7738	440.343	200.00
अल्मोड़ा	79.0008	107.311	85.00
नैनीताल	94.0616	124.810	100.00
बागेश्वर	112.5242	373.783	140.00
चम्पावत	67.702	100.280	74.00
उधमसिंह नगर	4062.912	4819.426	4800.00
कुमायूँ मण्डल	4576.9744	5965.953	5399.00
उत्तराखण्ड	8908.2738	13302.45	10319.00

स्रोतः मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड

2– वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सृजित रोजगार सृजन का विवरण–

वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से माह दिसम्बर, 2024 तक लगभग 342 प्रत्यक्ष जबकि 1026 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुये।

3– वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमो तथा अभियानों के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरण–

- प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि आदि से मत्स्य पालकों की अवसंरचना एवं मत्स्य सम्पदा को हो रहे नुकसान के दृष्टिगत मत्स्य पालन क्षेत्र में बीमा की व्यवस्था स्वीकृत करायी गयी हैं, जिसके लिए बीमा कम्पनी से टाई–अप किया जा रहा है।
- मत्स्य आहार पर मत्स्य पालकों की अधिक धनराशि व्यय होने के कारण अधिकांश मत्स्य पालक

पारम्परिक रूप से मत्स्य पालन कर रहे हैं, के निदान हेतु वर्ष 2024–25 मे अनुदानित दरों पर प्रति व्यक्ति मत्स्य आहार मात्रा को बढ़ा दिया गया है।

- वर्तमान समय मे मत्स्य बीज उत्पादन एवं पूर्ति में गैप होने तथा ट्राउट मत्स्य बीज की निरन्तर बढ़ रही मांग को पूरा करने हेतु इस वर्ष डेनमार्क से 13 लाख ट्राउट आईड ओवा का आयात किया जा रहा है।
- मछलियों की शेल्फ लाईफ कम होने के कारण मार्केटिंग हेतु मत्स्य पालकों को आ रही समस्याओं के निदान हेतु प्रंस्करण यूनिटों की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्यिगिकी संस्थान, कोच्चि के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित किया गया है।
- मात्स्यिकी क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण कर कार्य आधारित पहचान दिलाये जाने हेतु 10272 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है।

4– वर्ष 2024–25 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों तथा तकनीकी तथा नवाचारों (Investment, Technology and innovations) **हेतु किये गये प्रयासों का विवरण–**

- राज्य में आयोजित इन्वेस्टर समिट 2023 अन्तर्गत मात्स्यिकी क्षेत्र में ₹ 1900 करोड़ अनुबंध हस्ताक्षर किये गये जिसके क्रम में निवेश हेतु आर०एफ०पी० (प्रस्ताव हेतु निवेदन पत्र) तैयार किये जा रहे है।
- मात्स्यिकी क्षेत्र अन्तर्गत सहकारिता स्ट्रक्चर विकसित किये जाने हेतु कुल 62 नवीन मत्स्य जीवी सहकारी समितियाँ गठित की गयी हैं।
- मत्स्य पालको की विपरीत परिस्थितियो में आर्थिक एवं समाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत वर्तमान वर्ष में 5147 मत्स्य पालकों को निःशुल्क बीमा से आवरित किया गया है।
- मत्स्य पालको को मत्स्य पालन हेतु वार्षिक निवेश हेतु धनराशि की आवश्यकता आदि के निराकरण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्तमान तक 2841 व्यक्तियो को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किया गया है।
- मत्स्य पालन की विविध गतिविधियो को एकसाथ आवरित किये जाने हेतु जनपद उधमसिंहनगर में राज्य स्तरीय इन्टीग्रेटेड एक्वापार्क के साथ होलसेल फिश मार्केट की स्थापना की जा रही है।

अध्याय–7
सहकारिता
(Co-operative)

उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा 671 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (एमपैक्स), 10 जिला सहकारी बैंकों व उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० की कुल 327 बैंक शाखाओं के माध्यम से सहकारी सदस्यों को आर्थिक व सामाजिक रुप से सशक्त किये जाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में विभिन्न प्रकार की 4267 सहकारी समितियाँ संचालित है, जिनके द्वारा राज्य की आबादी को बहुआयामी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें पीडीएस के तहत उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण, उर्वरकों और अन्य कृषि सम्बन्धी उपकरणों का वितरण, कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद एवं उनका विपणन, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का उत्पादन, मत्स्य पालन, मानव संसाधन उपलब्ध कराना आदि गतिविधियाँ संचालित कर सहकारी समिति/संस्था को लाभप्रद कर उसके सदस्यों के जीवनस्तर को भी ऊँचा उठाने का सतत् प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:–

7.1 राज्य सेक्टर योजनायें:–

7.1.1सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आहूत कर 275 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 20.00 लाख के सापेक्ष कुल रू0 4.95 लाख का व्यय किया गया है। सहकारी समितियों के विभिन्न कार्मिकों को उर्वरक लाइसेन्स, पैक्स कम्प्यूटरीकरण एवं विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विभाग के क्रियाकलापों में दक्षता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 400 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्वि होगी।

7.1.2 उर्वरक परिवहन पर राज सहायता–

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 117467.0361 मै0टन रसायनिक उर्वरक का वितरण कर योजना के संचालन हेतु अवमुक्त धनराशि ₹ 125.00 लाख के सापेक्ष शत–प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 125.00 लाख धनराशि के बजटीय प्राविधान के सापेक्ष ₹ 125.00 लाख का व्यय किया जा चुका है।

7.1.3 पैक्स मिनी बैंक में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना–

ग्रामीण क्षेत्रों के मिनी बैंकों में निक्षेप वृद्वि किये जाने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023–24 में उक्त योजनान्तर्गत ₹ 20.00 लाख धनराशि समस्त सहकारी बैंकों को उनके यहां जमा समिति निक्षेपित धनराशि ₹ 124860.63 लाख की गारन्टी हेतु आवंटित की गयी। उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित धनराशि ₹ 20.00 लाख के सापेक्ष ₹ 20.00 लाख का व्यय किया गया।

7.2 जिला सेक्टर योजनायें:–

7.2.1 ऋण एवं अधिकोषण योजना–

इस योजना के अन्तर्गत पैक्स के सचिवों को वेतन हेतु कॉमन केडर अनुदान, पैक्स/मिनी बैंक की स्थापना, क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ब्याज में राहत एवं अंशक्रय हेतु ब्याज रहित ऋण अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 664.59 लाख अनुमोदित होने के सापेक्ष ₹ 664.59 लाख धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 632.13 लाख अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष नवम्बर 2024 तक ₹ 565.33 लाख का व्यय किया जा चुका है।

7.2.2 सहकारी क्रय–विक्रय योजना–

उक्त योजनान्तर्गत पैक्स के क्षतिग्रस्त गोदामों के जीर्णोद्वार/मरम्मत तथा क्रय विक्रय समितियों के कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 345.43 लाख के सापेक्ष ₹ 345.43 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2023–24 में विभाग अन्तर्गत विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा 105.00 मै०टन गेहूँ व 123456.000 मै० टन धान की खरीद स्थानीय कृषकों से की गयी है। योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 320.05 लाख अनुमोदित होने के सापेक्ष नवम्बर 2024 तक ₹ 260.87 लाख धनराशि व्यय की गयी।

7.2.3 सहकारी उपभोक्ता योजना–

इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक जटिलता तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के कृत्रिम अभाव को समाप्त करने और उनकी निरन्तर आपूर्ति बनाये रखने तथा उच्च गुणवत्ता वाली दैनिक उपभोग की वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित है। योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में कुल 35.14 लाख के सापेक्ष ₹ 35.14 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 9.80 लाख के अनुमोदित होने के सापेक्ष नवम्बर 2024 तक ₹ 9.45 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

7.3 अन्य योजनायें

7.3.1 दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना:–

किसानों की आय दो गुना करने के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 से संचालित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्यो हेतु ₹ 01.00 लाख तथा कृषियेत्तर कार्यो यथा पशुपालन, जड़ी–बूटी, सगन्ध पादप, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य, मुर्गी पालन, मशरुम, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि–यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली–हाउस, आदि कार्यौआदि कार्यो हेतु ₹ 3.00 लाख तक एवं स्वंय सहायता समूहों को ₹ 5.00 लाख तक की धनराशि का ब्याजरहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्षवार् विवरण निम्नवत् है:–

तालिका 7.1 (धनराशि लाख ₹ में)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	वितरित ऋण (धनराशि लाख रू० में)	लाभार्थियों की संख्या		कुल लाभार्थियों की संख्या
			व्यक्तिगत	स्वयं सहायता समूह	
1	2017 -18	38087.46	80868	0	80868
2	2018 -19	76148.63	162472	1	162473
3	2019 -20	71130.88	125161	1246	126407

4	2020 -21	76716.15	122802	1317	124119
5	2021 -22	80476.35	119889	1167	121056
6	2022 -23	93000.34	169450	965	170415
7	2023 -24	89429	125736	594	126330
8	2024 -25	76362.15	103560	428	103988
कुल योग		**601351**	**1009938**	**5718**	**915656**

स्रोत–सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 7.1

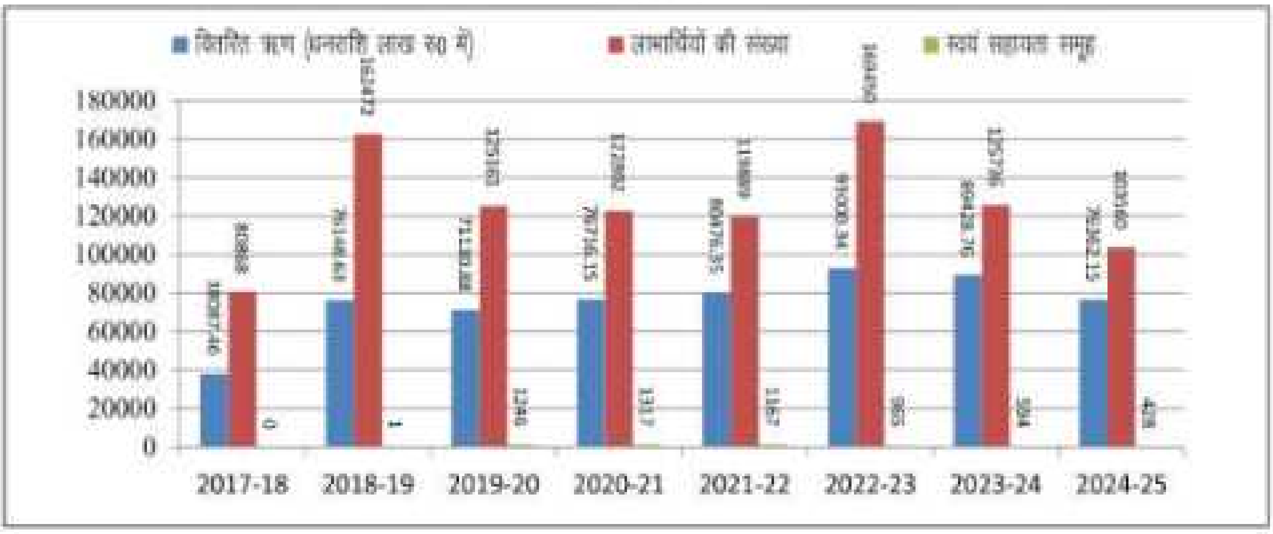

7.3.2 राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजनाः–

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से राज्य में संचालित 'राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना' के अन्तर्गत चार क्षेत्रक सहकारिता, मत्स्य, भेड़ बकरी पालन एवं डेयरी विकास के अन्तर्गत जनपदवार विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है।

परियोजना द्वारा वर्तमान समय माह दिसम्बर, 2024 तक 200 सहकारी समितियों से जुड़ें लगभग 55,000 सीमान्त कृषकों तक पहुंच विभिन्न आयसृजक गतिविधियों के क्रियान्वयन के माध्यम से बना चुकी है, मुख्यतः संयुक्त सहकारी खेती सहकारिता कॉर्पोरेट भागीदारी द्वारा मशरूम उत्पादन, सेब उत्पादन, मौनपालन, सायलेज उत्पादन एवं विपणन, अदरक बीज उत्पादन, आलू बीज उत्पादन, कॉआपरेटिव भागीदारी से बंजर जमीनों पर सहकारिता के माध्यम से कृषक उन्नयन परियोजना, समितियों का ई–मार्किटिंग प्लेटफार्म एवं ढांचागत विकास किया जा रहा है। परियोजना द्वारा किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त आख्या निम्नवत् है:–

क. सहकारिता क्षेत्रक :–

1. सायलेज उत्पादन एवं विपणनः– परियोजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून की 06 सहकारी समितियों से जुड़े 2330 कृषकों की 8075 एकड़ भूमि पर कुल 38633.80 मीट्रिक टन सायलेज का उत्पादन किया गया है तथा 27000 से अधिक पशुपालकों को साइलेज की आपूर्ति की गयी। आगामी द्वितीय चरण में सायलेज की मांग को देखते हुए मक्का उत्पादन क्षेत्र का विस्तार कर जनपद हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर के लगभग

1000 कृषकों की 2000 एकड़ कृषि भूमि पर मक्का बुआई की जानी है एवं सायलेज वितरण राज्य के समस्त पर्वतीय क्षेत्र की 152 सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

2. माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती:– परियोजना के माध्यम से संयुक्त सहकारी खेती के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक 70 सहकारी समितियों में 1235 एकड़ भूमि चयनित कर ली गयी है जिसमें माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती हेतु 2400 किसानों का चयन किया गया है। पायलट परियोजना हेतु 24 सहकारी समितियों से जुड़ें कुल 1200 किसानों द्वारा 849.71 एकड़ भूमि पर वीर माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती किया जाना प्रस्तावित है। जिनमें से 23 समितियों ने परियोजना द्वारा प्रेषित माइक्रोप्लान पर अपनी सहमति दे दी गयी है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस परियोजना में किसानों से ली जाने वाली भूमि की लीज राशि हेतु रू0 10.00 करोड़ की राजकीय सहायता की सहमति भी प्रदान की गयी है। भूमि जांच और किसानों से समझौते की प्रक्रिया प्रगति पर है। रूद्रप्रयाग में अदरक की कटाई 40 क्विंटल तथा आलू की 120 क्विंटल अनुमानित है। रूद्रप्रयाग, अल्मोडा टिहरी एवं पिथौरागढ में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

3.मुर्गीपालन:– परियोजना द्वारा जनपद देहरादून के जाड़ी, काण्डोईभरम एवं त्यूनी की सफलता के बाद पशुपालन विभाग एवं परियोजना द्वारा संयुक्त रूप से पोल्ट्री वैली स्कीम का गठन किया गया है जिसमें 10 जनपदों के 26 ब्लॉकों में 79 सहकारी समितियों के 2255 मुर्गीपालकों का चयन किया गया है जिनमें से दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत 2091 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत कर दिया गया है, एवं 11 नोडल मदर यूनिट गढ़वाल मण्डल में स्थापित किये गये हैं। किसानों के द्वारा 2134 पोल्ट्री यूनिट तैयार किये गये हैं। लाभार्थियों को कुल 3.60 लाख चूजे वितरित किये गये। साथ ही कुल 1,58,256 जीवित मुर्गीयों की बिक्री की गयी जिससे परियोजना को कुल ₹ 348.16 लाख की आय अर्जित हुई है।

4. लेमनग्रास:– परियोजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार की लालढांग सहकारी समिति के माध्यम से 61 कृषको की 100 एकड़ भूमि के सापेक्ष 56 एकड़ भूमि पर लेमनग्रास का उत्पादन कर समिति द्वारा प्रोसेसिंग कर तेल उत्पादन एवं विपणन का कार्य किया जा रहा है जिससे कृषक एवं समिति लाभान्वित हो रहे हैं।

5. विक्रय केन्द्र / विपणन केन्द्र:– बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 301.49 मीट्रिक टन ताजी सब्जियों एवं 98.76 मी0टन अदरक का विपणन किया जा चुका है जिससे ₹ 138.68 लाख की आय अर्जित की गयी है। बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 2500 से अधिक किसानों ने 430 मीट्रिक टन कृषि उपज उत्पादित की गई है जिससे रू0 100.01 लाख की आय अर्जित की गयी है।

6. मशरूम उत्पादन:– वर्तमान में संशोधित मशरूम उत्पादन का कार्य संयुक्त उपक्रम के माध्यम से किया जा रहा है साथ ही मशरूम उत्पादन से जुड़ें 247 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया 175 मशरूम यूनिट का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। मशरूम का कुल वार्षिक उत्पादन 2.5 मीट्रिक टन अर्जित किया गया।

7. मौनपालन:– वर्तमान में मौनपालन गतिविधि हेतु संशोधित प्लान तैयार किया गया है जिसमें तेजस अपेरी एवं हिमनाद कॉरपोरेट संस्था द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा। वर्तमान में 500 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है

जिसके सापेक्ष 290 लाभार्थियों को ऋण वितरण की प्रक्रिया गतिमान है, एवं 2500 कि0ग्रा0 शहद का उत्पादन कर विक्रय किया जा चुका है।

8. होमस्टे गतिविधिः– परियोजनान्तर्गत राज्यस्तरीय होमस्टे फैडरेशन का गठन किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत चयनित लाभार्थियो को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

9. अदरक गतिविधिः– परियोजना द्वारा जनपद चम्पावत में अदरक बीज उत्पादन हेतु 12 सहकारी समितियों के साथ कार्य किया जा रहा है जिनके द्वारा इस वर्श लगभग 200 मीट्रिक टन अदरक उत्पादन एवं विपणन किया जाना है।

10. ई–मार्केटिंग कॉपरेटिव प्लेटफार्मः– परियोजना द्वारा प्रदेश की 09 मार्केटिंग समितियों को ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल द्वारा जोड़ दिया गया है जिनके माध्यम से समितियां अपने पास उपलब्ध जीन्सों का विवरण पोर्टल पर डाल सकती हैं जिससे कि केता सम्बन्धित सामग्री के लिए इन मार्केटिंग समितियों से ऑनलाइन सम्पर्क स्थापित कर खरीदारी कर सकते हैं।

ख. भेड़–बकरी क्षेत्रक

1. भेड़ बकरी इकाईयों की स्थापना (प्रथम चरण)

❖ योजनान्तर्गत प्रथम चरण में राज्य में गठित प्राथमिक भेड़ बकरी सहकारी सदस्यों को 10 भेड़/बकरियां तथा 01 उच्च गुणवत्ता का मेढ़ा/बकरा उपलब्ध करा कर 21(20+1) की एक इकाई स्थापित की गयी।

❖ भेड़/बकरी इकाई के स्वास्थ परीक्षण, टैगिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, टीकाकरण एवं बीमा निःशुल्क कराया गया तथा सदस्य के पास उपलब्ध सभी पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, टैगिंग, पेट के कीडे मारने की दवा, टीकाकरण के साथ अन्य आवश्यक उपचार की सुविधा भी फेडरेशन के द्वारा कराया गया।

❖ योजना अन्तर्गत 4,262 लाभार्थियों का चयन कर लाभान्वित किया गया, जिनमें से 3,134 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है।

2. गोट वैली की स्थापना (द्वितीय चरण) :–

❖ एक वैली के अन्तर्गत न्यूनतम् 100 लाभार्थीयों को लाभान्वित किया जाना है।

❖ वर्तमान तक 1579 लाभार्थीयों का चयन कर लाभान्वित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान तक 20,000 बकरियां व 1434 बकरों का वितरण किया जा चुका है।

3. Aggregation cum Breeding Farm & Training Center :

❖ परियोजना के माध्यम ACBF पशुलोक, ऋशिकेश में स्थापित Breeding Centre के माध्यम से माह दिसम्बर, 2023 तक 19680 लीटर बकरी के दूध के विक्रय से लगभग ₹ 58.96 लाख की आय अर्जित की गयी है।

❖ ACBF पशुलोक, ऋषिकेश में ही स्थापित Training Centre के माध्यम से 989 भेड़ बकरी पालकों अथवा अन्य को भेड़ बकरी से सम्बन्धित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा चुका है।

4.BAKRAW- The Himalayan Goat Meat :

- Meat-On-Wheel वाहन तथा आउटलेट के माध्यम से वर्तमान तक लगभग ₹ 3.5 करोड़ से अधिक का कारोबार किया जा चुका है।
- BAKRAW- The Himalayan Goat Meat के साथ–साथ UttaraFish तथा Himala Chicken

के विस्तार हेतु एक मार्केटिंग कम्पनी स्थापित की गयी है जिसके अन्तर्गत प्राईवेट पार्टनर के साथ संयुक्त उद्यम कर सभी मीट उत्पादों को एक ही कम्पनी के अन्तर्गत देहरादून तथा देश के अन्य शहरो में बिक्री जा जाएगी।

ग. डेयरी क्षेत्रक

❖ डेयरी क्षेत्रक 02 03 05 यूनिट दुधारू पशुओं की स्थापना के सापेक्ष 3456 दुधारू पशु क्रय किए गये है, जिसके फलस्वरूप 14421 ली0 प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन कर 854 उत्पादकों को लाभान्वित किया गया है।

❖ 50 दुधारू पशु यूनिट की स्थापना की गयी, जिसके परिणामस्वरूप 237.50 ली0 प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन किया गया है।

❖ 18 दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई जिसके माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को पशुआहार, साइलेज, मिनरल मिक्सचर, भूसा, भेली, चाटन भेली एवं सामान्य दवाएं इत्यादि सामग्री उनकी मांग पर तत्काल उपलब्ध करायी जा रही है। जिसके फलस्वरूप 348 DCS तथा 17543 सदस्य लाभान्वित हुए। साथ ही लगभग 76 लाख रू0 माह का टर्नओवर किया गया।

❖ 78 आंचल मिल्क बूथों और 21 आँचल कैफे की स्थापना की गई जिसके माध्यम से आंचल दही, दूध, मक्खन, पनीर, चीज इत्यादि का विक्रय किया जा रहा है।

घ. मत्स्य क्षेत्रक

❖ मत्स्य क्षेत्रक 50 ट्राउट कलस्टर विकास के सापेक्ष 61 कलस्टरों की स्थापना कर ट्रॉउट फ्रॉर्मिंग किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप 300 मी0 टन ट्रॉउट का उत्पादन किया जा रहा है।

❖ 60.7 हेक्टेयर भूमि में इन्टीग्रेटेड फार्मिंग के अन्तर्गत पन्गास एवं कार्प की फार्मिंग की जा रही है, जिसके फलस्वरूप 300 मी0 टन प्रति हेक्टेयर पंगास एवं कार्प का उत्पादन किया जा रहा है।

❖ उत्तरा फिश ब्राण्ड का विकास परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है जिसके क्रम में विपणन हेतु तीन विपणन आउटलेट की स्थापना की जा चुकी है, जिसके माध्यम से 490 लाभार्थियों के उत्पादन 30 मी0 टन मछली का विपणन कर रू0 86.21 लाख की आय अर्जित की गई है।

तालिका 7.2

वित्तीय प्रगति :–

रू0 लाख में

प्राप्त ऋण	सहकारिता क्षेत्रक	डेयरी क्षेत्रक	मत्स्य क्षेत्रक	भेड़–बकरी क्षेत्रक	कुल
ट्रैंच 1	3300	2200	1500	3000	10000
ट्रैंच 2	3600	1200	500	2000	7300
ट्रैंच 3	4500	0870	2005	3325	10700
कुल	11400	4270	4005	8325	28000
जनवरी 2024 तक पुन र्भुगतान	4444 .52	2331 .21	1747 .86	3624 .84	12148 .43

स्रोतः–सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

7.3.3 मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजनाः–

राज्य के युवाओं/युवतियों को रोजगार प्रदान किये जाने के दृष्टिगत रोजगार सृजन हेतु "मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजनान्तर्गत" सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवकों/युवतियों को ई–रिक्शा खरीद हेतु 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज

दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 44 लाभार्थियों को ₹ 1.02 करोड़ रू0 का ऋण ई–रिक्शा कल्याण योजना के तहत वितरित किया गया। उक्त योजनान्तर्गत कुल 3477 महिला एवं पुरूष लाभार्थियों को कुल ₹ 47.32 करोड़ का ऋण ई–रिक्शा खरीद हेतु वितरित किया गया है।

7.3.4 मोटर साईकिल टैक्सी योजनाः–

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित "मोटर साइकिल टैक्सी योजना" अन्तर्गत आवेदनकर्ता को प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटक/यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन क्रय किये जाने हेतु ₹ 60 हजार से 01 लाख 25 हजार तक का 02 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत कुल 305 लाभार्थियों को कुल ₹ 368.49 लाख का ऋण ई–रिक्शा खरीद हेतु वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 14 लाभार्थियों को ₹ 19.18 लाख का ऋण वितरित किया गया।

7.3.5 स्टेट मिशन मिलेट्स योजना :–

राज्य में कृषि की मुख्य फसलों के अतिरिक्त स्थानीय फसलें जैसे रामदाना, मण्डुवा, झंगोरा इत्यादि फसलों का उचित मूल्य कृषकों को प्रदान कर उनकी आय दोगुनी किये जाने के उद्देश्य से मिलेट मिशन योजना अन्तर्गत सहकारिता विभाग की शीर्ष सहकारी संस्था उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून द्वारा मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्टेट मिलेट मिशन में स्थानीय कृषकों से खरीद की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 268 क्रय–केन्द्र के माध्यम से कुल 7801 कृषकों से 18961 कुन्तल मण्डुआ, 86 कुन्तल झंगोरा, 25 कुन्तल रामदाना, 74 कुन्तल सोयाबीन पर्वतीय मिलेट खरीद कर, कुल ₹ 650.00 लाख का भुगतान स्थानीय कृषकों को किया गया। इस प्रकार कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान कर उनकी आजीविका में वृद्वि की गयी।

नवोन्मेषी योजनायें

- सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य के समस्त 670 एमपैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने हेतु पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना संचालित की जा रही है जिसके माध्यम से समिति के कार्यों में पारदर्शिता होने के साथ ही समिति अभिलेखों का भी डिजिटलीकरण किया जायेगा।

- एमपैक्स 'जन औषधि केन्द्र' के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण दवाईयां (जेनरिक दवाईयां) विक्रय की जा रही है। राज्य की 18 एमपैक्सों द्वारा जन औषधि केन्द्र' संचालित किया जा रहा है।

- एमपैक्सों को 'जन सुविधा केन्द्र' के रूप में विकसित कर 300 से अधिक ई–सर्विस समिति स्तर पर ही प्रदान करने के उद्देय से राज्य के 638 Common Service Centres (CSC) के रूप में क्रियाशील हो गये हैं।

- सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भण्डारण योजना के लिए उत्तराखंड राज्य के बहुउदेशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, सहसपुर जिला देहरादून की 0.75 एकड़ भूमि पर लगभग 500 मैट्रिक टन की 1.28 करोड़ लागत से गोदाम का निर्माण किया गया है।

- ग्राम सभा स्तर पर पानी पाइपलाइन के संचालन एवं उसके रख–रखाव हेतु प्रत्येक जनपद की 5 पैक्सों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पानी समिति के रूप में चयन कर किया जाना है। वर्तमान में राज्य की 45 एमपैक्सों का पानी समिति के रूप में चयन किया गया है।

- सहकार से समृद्वि के ध्येय वाक्य के अन्तर्गत

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नेशनल कॉ–ऑपरेटिव डाटाबेस के अन्तर्गत राज्य की कुल 5360 सहकारी समितियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

➤ राज्य में कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से वर्तमान में 421 पैक्सों में "प्रधानमंत्री समृद्धि केन्द्र" खोले जा चुके हैं।

➤ सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारिता से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरुप देश की अनाच्छादित ग्राम पंचायतो में नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियो के गठन सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत 15.02.2023 के उपरान्त राज्य में 125 नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

➤ राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई प्रकार की समितियों में राज्य की 473 एमपैक्सों द्वारा National Cooperative Export Society की, 503 एमपैक्सों द्वारा National Cooperative Organic Society एवं 501 एमपैक्सों द्वारा Bharatiya Beej Sahakari Samiti की सदस्यता ग्रहण कर ली गयी है।

अध्याय–8
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
Food Civil Supplies and Consumer Affairs

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशनकार्डों का डिजिटलिकरण एवं उन पर बायोमैट्रिक अथॉन्टिकेशन के आधार पर खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है – राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय अन्न योजना एवं राज्य खाद्य योजना प्रचलित है। उक्त योजनाओं में वर्तमान में लगभग 23.91 लाख राशनकार्ड धारक प्रचलित हैं, जिनको मानकानुसार खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 8.1

क्र0 सं0	योजना का नाम		राशनकार्ड का रंग	राशनकार्डों की संख्या (लाख में)	मासिक नियमित देयता	वितरण स्केल (प्रति कि0ग्रा0)			वितरण की दर (रू0 प्रति कि0ग्रा0)		
						गेहूँ	चावल	चीनी	गेहूँ	चावल	चीनी
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	अन्त्योदय अन्न योजना	गुलाबी	1.84	35 कि0ग्रा0 प्रति राशनकार्ड	13.300	21.700	01.00	नि: शुल्क		13.50
		प्राथमिक परिवार	सफेद	12.14	05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट	02	03	-			-
2	राज्य खाद्य योजना		पीला	9.93	7.50 कि0ग्रा0 प्रति राशनकार्ड	—	7.50	-	—	11.00	-

स्रोत–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड

8.1 मुख्यमंत्री अन्त्योदय नि:शुल्क गैस रिफिल योजना" –

- उत्तराखण्ड राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 से "मुख्यमंत्री अन्त्योदय नि:शुल्क गैस रिफिल योजना" के अन्तर्गत वर्ष में 03 गैस रिफिल नि:शुल्क वितरित की जा रही है।

- उक्त योजना को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक विस्तारित कर दिया गया है।

- उत्तराखण्ड राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु उक्त योजना में ₹ 55 करोड़ का बजट प्राविधानित किया गया है।

- उक्त योजना में राज्य के लगभग 1.84 अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को लाभ दिया जा रहा है।

8.2 "मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना" –

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय परिवार के राशनकार्ड धारकों को प्रति कार्ड 08 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 01 कि0ग्रा0 प्रति माह नमक सब्सिडाईज्ड दरों पर वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय परिवार के लगभग 14 लाख परिवारों को लाभ दिया जा रहा है।

8.3 एण्ड–टू–एण्ड कम्प्यूटराईजेशन–

- वर्तमान में राज्य में प्रचलित समस्त राशनकार्डों

को यू0आई0डी0ए0आई0 (UIDAI) के माध्यम से आधार से लिंक कर लिया गया है।

• राज्य में प्रचलित समस्त राशन की दुकानों एवं राशनकार्डों का डिजिटलीकरण करने के उपरान्त बायोमैट्रिक/ऑनलाईन राशन वितरण किया जा रहा है। बेस गोदाम से आन्तरिक गोदाम एवं आन्तरिक गोदाम से राशन की दुकान तक व राशन की दुकान से उपभोक्ता तक वितरित की जाने वाले खाद्यान्न की प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जा रही है।

• **एफ0पी0एस0 ऑटोमेशन** – वर्तमान में राज्य की 9063 राशन की दुकानों को सी0एस0सी/बेसिल के माध्यम से लैपटॉप तथा ई–पॉज उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से राशनकार्ड धारकों को बायोमेट्रिक/ऑनलाईन अर्थोन्टिकेशन के उपरान्त राशन का वितरण किया जा रहा है।

8.4 "वन नेशन वन राशन कार्ड" योजना –

• योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डधारकों को एक राज्य से दूसरे राज्य एवं एक जनपद से दूसरे जनपद में किसी भी राशन की दुकान से आधार अर्थोन्टिकेशन के उपरान्त खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।

• इस योजना से प्रवासी मजदूरों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है।

• "वन नेशन वन राशन कार्ड" (ONORC) योजना के अन्तर्गत वितरण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य देश में पांचवें स्थान पर है।

8.5 ग्रेन ए0टी0एम0 –

• संयुक्त राष्ट्र–विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN-WFP) के शतप्रतिशत आर्थिक सहयोग से पायलट परियोजना के रूप में देहरादून शहर में पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया।

• उत्तराखण्ड ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य है। इससे पहले हरियाणा और उड़ीसा में ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है।

• ग्रेन एटीएम को e-Pos से जोड़ा गया है और बायोमैट्रिक के माध्यम से वितरण किया जा रहा है।

• उपभोक्ताओं को बायोमैट्रिक अर्थोन्टिकेशन के उपरान्त मानकानुसार खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है।

• वर्तमान में राज्य में 21 नये ग्रेन एटीएम स्थापित किये गये हैं।

8.6 जनपद नैनीताल के रामनगर में संयुक्त राष्ट्र–विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN-WFP) के आर्थिक सहयोग से 500 मी0टन0 क्षमता का खाद्यान्न गोदाम (Flospans) की स्थापना की गयी है। उक्त फ्लोस्पेन गोदाम देश का पहला खाद्यान्न गोदाम है।

8.7 "मंडुवा" वितरण की व्यवस्था –

• खरीफ खरीद सत्र 2022–23 से राज्य मे प्रथमवार मंडुवा की खरीद की गयी।

• खरीफ खरीद सत्र 2023–24 के अन्तर्गत भारत सरकार से लगभग 0.164 लाख मी0टन मंडुवा क्रय किये जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कुल 1889 मी0टन0 मडुवा (रागी) का क्रय किया गया है।

• उक्त योजना से पर्वतीय क्षेत्र में कृषकों को जहाँ एक ओर आर्थिकी में सुधार होगा वहीं दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को भी रोका जा सकेगा एवं उपभोक्ताओं को पोषण भी प्राप्त होगा।

• खरीफ खरीद सत्र 2024–25 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मंडुवा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4290 प्रति कु0 निर्धारित किया गया है। महिला एवं बाल

विकास विभाग द्वारा WBNP (Wheat Based Nutrinational Programme) संचालित योजनाओं तथा खाद्य विभाग द्वारा उपलब्धता के आधार पर पी0डी0एस0 के अन्तर्गत मंडुवा का वितरण किया जा रहा है।

- खरीफ खरीद सत्र 2024–25 के अन्तर्गत दिनांक–31.12.2024 तक 238 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 3138.00 मी0टन0 मंडुवा क्रय कर लिया गया है।

8.8 रबी (गेहूँ) खरीद सत्र 2024–25 –

- रबी खरीद सत्र 2024–25, गेहूँ का समर्थन मूल्य रू0 2275.00 प्रति कुन्तल घोषित किया गया है। इस सत्र में 1700.600 मी0टन0 गेहूँ का क्रय किया गया।

8.9 खरीफ (धान) खरीद सत्र 2023–24 –

- राज्य सरकार द्वारा धान क्रय का लक्ष्य 8.30 लाख मी0टन0 निर्धारित किया गया। (कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2183 तथा ग्रेड । का समर्थन मूल्य 2203 रू0 प्रति कुन्तल।)

- कृषकों की सुविधा हेतु ई–खरीद पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कृषकों से ही धान का क्रय कर कृषकों के खाते में पी0एफ0एम0एस0 / आर0टी0 जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किये जाने की व्यवस्था का प्राविधान किया गया।

- नामित क्रय संस्थाओं (खाद्य विभाग, सहकारिता, यू0पी0सी0यू0, एन0सी0सी0एफ0) के संचालित क्रय केन्द्रों में वृद्धि करते हुये 758 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये।

8.10 खरीफ (धान) खरीद सत्र 2024–25 –

खरीफ विपणन सत्र 2024–25 हेतु धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 प्रति कुन्तल एवं ग्रेड । का न्युनतम समर्थन मूल्य 2320 रू0 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2024–25 हेतु 7.50 लाख मी0टन0 धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2024 तक 687 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 6.588 लाख मी0टन0 धान क्रय किया गया है।

8.12 फोर्टिफाइड (विटामिन B-12, फोलिक एसिड तथा आयरन पोशणयुक्त) चावल का वितरण–

- प्रधानमंत्री पोषण योजना भारत सरकार तथा मा0 प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है।इस योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 2022 से राज्य के दो जनपदों हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत समस्त लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारम्भ किया गया।

- 01 अप्रैल, 2023 से पूरे राज्य में पी0डी0एस के अन्तर्गत समस्त योजनाओं (अन्त्योदय, प्राथमिक परिवार एवं राज्य खाद्य योजना) में फोर्टिफाईड चावल का वितरण किया जा रहा है।

8.11 "मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना" – उत्तराखण्ड राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के राषनकार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में तीन गैस रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु उक्त योजना में ₹ 55 करोड़ का बजट प्राविधानित किया गया है। उक्त योजना में राज्य के लगभग 1.83 अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को लाभ दिया जा रहा है।

"राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून"

- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के गठन की तिथि अप्रैल, 2002 से दिसम्बर, 2024 तक 9176 वाद दर्ज हुए, इनमें से दिसम्बर, 2024 तक 8268 वाद निस्तारित हो चुके हैं। माह अप्रैल, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक कुल 24 वाद दर्ज हुए

हैं तथा कुल 208 वाद निस्तारित हुए हैं।"

• जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में गठन की तिथि से नवम्बर, 2024 तक 55,141 मामलें दर्ज हुए, इनमें से नवम्बर, 2024 तक 50,449 मामलें निस्तारित हो चुके हैं। माह अप्रैल, 2024 से नवम्बर, 2024 तक कुल 422 वाद दर्ज हुए हैं तथा कुल 152 वाद निस्तारित हुए हैं"।

तालिका 8.2

FILING, DISPOSAL & PENDENCY OF CASES IN THE STATE COMMISSION AS ON 31.12.2024

S.No.	State Commission	No. of cases filed since inception (O.P.+F.A.+Misc.+ Rev.+Exe.+Caveat+T.A+ R.A.)	No. of cases disposed of since inception (O.P.+F.A.+Misc.+ Rev.+Exe.+Caveat+T.A+ R.A.)	No. of cases pending (O.P.+F.A.+Misc.+ Rev.+Exe.+Caveat+T.A +R.A.)
1.	**Uttarakhand**	9176	8268	908(11 Restore Cases not included)

स्रोतः–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड

तालिका 8.3

DISTRICT COMMISSIONS AS ON 30.11.2024

S.No.	Name of District Commission	No. of cases filed since inception (O.P.+ Misc.)	No. of cases disposed of since inception (O.P.+ Misc.)	No. of cases pending (O.P.+ Misc.)
1.	Dehradun	15728	14103	1625
2.	Haridwar	11911	10501	1410
3.	Almora	3692	3182	510
4.	Udham Singh Nagar	4219	3871	348
5.	Nainital	6945	6742	203
6.	Chamoli	1711	1596	115
7.	PauriGarhwal	2384	2273	111
8.	Uttarkashi	2666	2562	104
9.	Pithoragarh	1841	1777	64
10.	TehriGarhwal	2571	2518	53
11.	Bageshwar	612	560	52
12.	Champawat	323	272	51
13.	Rudraprayag	539	492	47
Grand Total		**55141**	**50449**	**4692**

स्रोतः–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड

तालिका 8.4

क्र0सं0	जिला उपभोक्ता फोरम	दर्ज वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1.	हरिद्वार	11742	10476	1266
2.	देहरादून	15577	14086	1491
3.	उधमसिंहनगर	4167	3864	303
4.	उत्तरकाशी	2641	2559	82
5.	नैनीताल	6828	6665	163
6.	अल्मोड़ा	3644	3122	522
7.	पिथौरागढ़	1833	1777	56
8.	चमोली	1698	1596	102
9.	पौड़ी गढ़वाल	2346	2262	84
10.	चम्पावत	318	271	47
11.	टिहरी गढ़वाल	2556	2514	42
12.	बागेश्वर	590	535	55
13.	रूद्रप्रयाग	524	489	35
	योग	**54464**	**50216**	**4248**

स्रोत:–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड

अध्याय–9
वन तथा पर्यावरण
Forest and Environment

वन, प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई एक अमूल्य निधि हैं और ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि एवं प्रगति के प्रतीक हैं। यह प्राकृतिक सौन्दर्य में वृद्धि करने के साथ–साथ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकते हैं, जलवायु को संयत रखते है, भूमि तथा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं तथा हमारे जीवन को आनन्दमय बनाते हैं। इनके विवेकपूर्ण संरक्षण और पृथ्वी पर इनकी एक निर्धारित मात्रा में उपस्थिति पर समस्त मानव एवं प्राणी जाति का अस्तित्व निर्भर करता है।

उत्तराखण्ड में विस्तृत वन क्षेत्र हैं जिसमें प्रचुर जैविक विविधता विद्यमान है। उत्तराखण्ड के भौगोलिक क्षेत्रफल का दो तिहाई से अधिक वनों से आच्छादित है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जड़ी–बूटियों के अतिरिक्त उच्च कोटि के साल, चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस एवं बांज आदि के वन हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव वास करते हैं। महत्वपूर्ण वन्यजीवों में बाघ, गुलदार, हाथी, कस्तूरी मृग, हिम तेन्दुआ (स्नो लैपर्ड) आदि एवं विभिन्न प्रकार के पक्षी, वनस्पति, सरीसृप, कीट–पतंगे आदि विद्यमान हैं। वन्यजीवों के संरक्षण हेतु प्रदेश में 6 राष्ट्रीय पार्क, 7 वन्यजीव विहार व 4 संरक्षण आरक्षिति उपलब्ध हैं, जहाँ वन्यजीवों एवं पक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2022 की भारतीय वन्यजीव संस्थान–एन.टी.सी.ए. की गणना के अनुसार उत्तराखण्ड में बाघों की संख्या 560 हो गयी है। एक भौगोलिक रूप से कम क्षेत्रफल व पर्वतीय राज्य होने के बावजूद भी उत्तराखण्ड बाघों की संख्या की दृष्टि से देश में तीसरे नम्बर पर आता है।

संवहनीय विकास लक्ष्यों के लक्ष्य–15 के अन्तर्गत वन एवं पर्यावरण विभाग को रखा गया है, जिसमें 2030 तक फायर लाईन निर्माण हेतु 49524 कि0मी0 का लक्ष्य रखा गया है।

ग्राफ संख्या–9.1 में राज्य में वानिकी क्षेत्र में आंवटित बजट की स्थिति कुल बजट तथा सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रदर्शित है। वर्ष 2005–06 से वर्ष 2022–23 तक वन क्षेत्र में बजट आवंटन कुल बजट का 1.35 प्रतिशत से 3.98 प्रतिशत के मध्य रहा है। विभिन्न वर्षो में बजट आवंटन में

ग्राफ संख्या:– 9.1

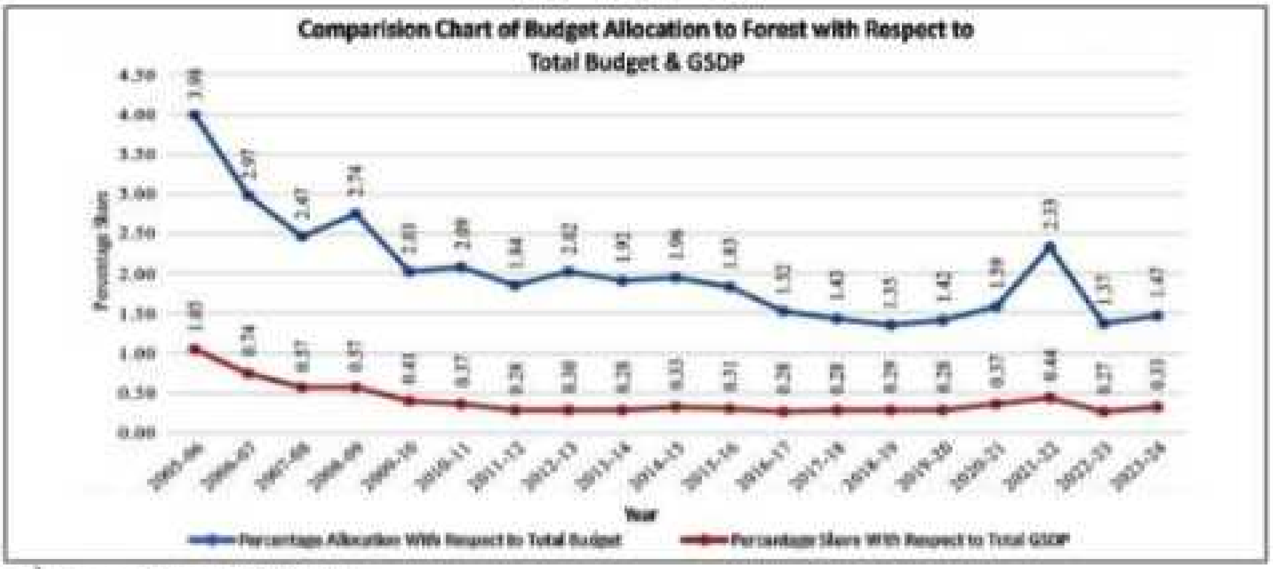

स्रोत :– अर्थ एवं संख्या निदेशालय

जनपदवार वनावरण
तालिका 9.1

India State of Forest Report - 2023 के अनुसार प्रदेश में वनावरण 24,305.83 वर्ग किमी. है, जिसका जनपदवार विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	जनपद	भौगोलिक क्षेत्रफल	वनावरण (वर्ग कि.मी.)				
			अत्यन्त घन वन	मध्यम घने वन	खुले वन	योग	भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्मोड़ा	3,144.05	222.24	817.89	682.83	1722.96	54.80
2	बागेश्वर	2,241.00	167.73	741.21	354.43	1263.37	56.38
3	चमोली	8,030.21	442.65	1522.23	676.42	2641.30	33.89
4	चम्पावत	1,765.78	382.01	571.36	266.02	1219.39	69.06
5	देहरादून	3,088.00	680.99	588.99	370.32	1640.30	53.12
6	पौड़ी गढ़वाल	5,328.55	588.44	1847.84	924.27	3360.55	63.07
7	हरिद्वार	2360.20	76.86	274.35	213.55	564.76	23.93
8	नैनीताल	4,251.35	780.03	1583.17	503.35	2866.55	67.43
9	पिथौरागढ़	7,090.05	518.02	978.53	640.78	2137.33	30.15
10	रूद्रप्रयाग	1,984.14	272.76	582.17	291.68	1146.61	57.79
11	टिहरी गढ़वाल	3,642.17	305.87	1149.08	767.73	2222.68	61.03
12	ऊधमसिंह नगर	2,542.25	157.69	216.42	120.06	494.17	19.44
13	उत्तरकाशी	8,016.81	671.29	1644.39	708.18	3023.86	37.72
	योग	53,483.36	5266.58	12517.63	6519.62	24303.83	45.44

स्रोत :– India State of Forest Report, 2023

ग्राफ संख्या 9.2

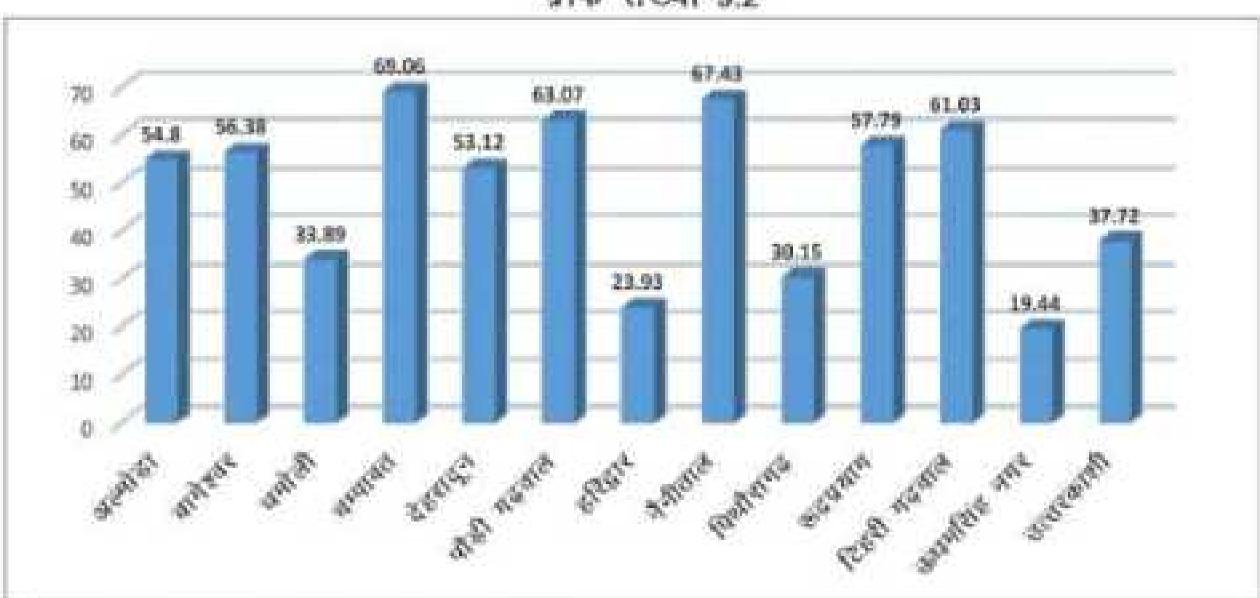

स्रोत :– India State of Forest Report, 2023

उतार–चढ़ाव देखने को मिला है, जबकि वन क्षेत्र में आवंटित बजट जी0एस0डी0पी0 का 0.27 प्रतिशत से 1.05 प्रतिशत के मध्य रहा है।

9.1.1 वनावरण में वृद्धि–वर्ष 2021 की भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,305.13 वर्ग किमी0 पाया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,303.83 वर्ग किमी0 पाया गया। दो वर्षों की अवधि में वनावरण में 1.3 वर्ग किमी0 की कमी पायी गयी है।

विभागीय योजनाए– वित्तीय वर्ष 2022–23 से विभाग में शासन के अनुमोदन से वित्तीय सुधार के रूप में राज्य सेक्टर की 52 योजनाओं को मर्ज व सुसंगत (Rationalize) कर 7 योजनाओं में परिवर्तित किया गया है। विभाग के अन्तर्गत वनों के संरक्षण एवं सवर्द्धन हेतु वर्तमान में संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

9.2.1 अधिष्ठान एवं क्षमता विकास– पूर्व में संचालित सामान्य अधिष्ठान, वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति, अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास, उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद तथा उत्तराखण्ड पारिस्थितकीय पर्यटन सलाहकार परिषद योजनाओं को सम्मिलित करते हुए योजना का नाम अधिष्ठान एवं क्षमता विकास कर दिया गया है। उक्त योजना का उद्देश्य प्रशासन, क्षमता विकास है जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वेतन भत्तों आदि का भुगतान तथा प्रशासनिक व्यय।
प्रशिक्षण केन्द्रों का रखरखाव, प्रशासनिक व्यय पुस्तको का क्रय
उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद के प्रशासनिक व्यय हेतु
उत्तराखण्ड पारिस्थितकीय पर्यटन सलाहकार परिषद के प्रशासनिक व्यय हेतु

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 62430.01 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक ₹ 44378.01 लाख व्यय किया गया है।

9.2.2 वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन – पूर्व में संचालित आरक्षित वनों की अग्नि से सुरक्षा, सिविल/सोयम वन पंचायतों में अग्नि से सुरक्षा, वनों की सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण, वन बंदोबस्त, इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरण द्वारा निकाली गई वन उपज, बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्धन, लीसा, कार्य योजना का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य, ईको–टूरिज्म योजना, ग्रामीण ईको–पर्यटन योजना आरक्षित वनों की अग्नि से सुरक्षा, वनों की सुरक्षा तथा ईको–टूरिज्म योजनाओं को सम्मिलित करते हुए वनों की सुरक्षा एंव प्रबन्धन कर दिया गया है। उक्त योजना का उद्देश्य वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन है, जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है, जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
कन्ट्रोल बर्निंग– 35000 है0, क्रू स्टेशन निर्माण–31 सं0, क्रू स्टेशन रखरखाव– 286 सं0, फायर वाचर– 3393 सं0, वाच टावर निर्माण –9 स0,मोटर मार्गो के दोनो ओर कटना फुकान कार्य–95 किमी0 पैदल

मार्गों के दोनो ओर कटान फुकान कार्य–117 किमी0, मास्टर कन्ट्रोल रूम का सुदृढ़ीकरण–8, बाउण्ड्री पिलर निर्माण–484, वाटर हॉल निर्माण– 142, वाटर टैंक निर्माण–105
संवेदनशील क्षेत्रों में बाउण्ड्रीवाल निर्माण– 1305 किमी0, संवेदनशील क्षेत्रों में वृक्षारोपण–100 है0, चेक पोस्ट/वैरियर का सुदृढ़ीकरण–251 सं0, बाउन्ड्री पीलर निर्माण –368 स0, पेट्रोलिंग मार्गों का रखरखाव–325 किमी0, बाउण्ड्री पीलर मरम्मत–1520 सं0, क्षतिग्रस्त दीवाल की मरम्मत–517 सं0, वृक्षारोपण अनुरक्षण–280 है0, खाईयों का नवीनीकरण–27
सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं जी0आई0 एस0 यूनिट का रखरखाव –01
सीमांकन कार्य पिलरों का अनुरक्षण एवं निर्माण कार्य
छपान हेतु घनों का निर्माण, वन निगम से छपान कार्य हेतु अग्रिम के रूप में ली गयी धनराशि के वापसी एवं छपान कार्य।
बुग्यालो में भूमि एवं जल सं0कार्य– 550 सं0 बुग्यालों की सुरक्षा –220 सं0, चैकडैम निर्माण–50 सं0, व्यू पांइन्ट –03 स0, हट/चहल निर्माण –210 स0, बुग्यालों का संरक्षण (जियो जूट विधि से उपचार)–20
लीसा उत्पादन – 1,10,000 कुन्तल
कार्य योजना का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य पर होने वाले व्यय हेतु।
ट्रेकिंग रूट/वन मोटर मार्ग/ब्राइडल पाथों का जीर्णोद्धार– 127 किमी0, वन विश्राम भवनों का रखरखाव–94, ट्रेकिंग मार्ग मरम्मत–40 किमी0, पर्यटन हब विकास–75 सं0, पार्क के अन्दर शौचालय निर्माण–10 सं0, पार्क के अन्दर छतरियों का निर्माण–8 सं0, पार्क के अन्दर कूड़ादान का निर्माण–30 सं0, गंगा वाटिका का अनुरक्षण–2, शोभास्थली निर्माण कार्य–2

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 6900.00 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक ₹ 4323.52 लाख व्यय किया गया है।

9.2.3 वनीकरण एवं संरक्षण– पूर्व में संचालित बहुउददेशीय वृक्षारोपण एवं वनो का संरक्षण, औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्द्धन, हमारा पेड़ हमारा धन, हमारा स्कूल हमारा वृक्ष, हरेला कार्यक्रम में पौध वितरण योजना, वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण, बागान, वर्षा जल संरक्षण योजना, भू–क्षरण की रोकथाम तथा रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी डवलपमेन्ट योजनाओं को सम्मिलित करते हुए वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन कर दिया गया है। उक्त योजना का उद्देश्य वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन है। जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
वृक्षारोपण – 3721.67 है0, अग्रिम मृदाकार्य – 4080 है0 वृक्षारोपण अनुरक्षण–8198.02 है0,ए0एन0आर0 – 230 है0, भू0सं0कार्य – 2758 स0, चैक डेम/चरी निर्माण– 1010 सं0, कन्टूर ट्रैंच निर्माण–270, वृक्षारोपण– 100 है0, अग्रिम मृदा कार्य –305 है0

भू0सं0कार्य–379 सं0, पौधालय स्थापना–1, हर्बल गार्डन सुदृढ़ीकरण कार्य–1 सं0 हर्बल गार्डन का अनुरक्षण–1, वृक्षारोपण अनुरक्षण–21 है0, पौधालय अनुरक्षण–16 सं0, सुरक्षा वाल फेंसिंग कार्य– 0.2 किमी0, रखरखाव कार्य–150 सं0,
पौध रोपण –29000 पौध
पौध उगान का लक्ष्य– 150500 पौध
पौध उगान– 104750 लाख सं0
वन पंचायतों में जागरुकता वृद्धि जिससे वन पंचायतें वनों की सुरक्षा में रुचि उत्पन्न हो रही है तथा वन पंचायतें वनों के प्रति जागरुक हो रही है।
सिल्विकल्चर कार्य–500 है0 एवं नर्सरियों का अनुरक्षण–20
जलाशय / जल कुन्ड / चालखाल –1200 स0, चहल निर्माण –75 स0, पिरुल / तारजाल चैक डेम निर्माण–800 सं0, कन्टूर ट्रेंच–690 है0, सूखे जल स्रोत रिचार्ज–86 सं0, भू0स0कार्य0–576 स0,
भू जल संरक्षण कार्य–300, चैक डेम / क्रेटवायर निर्माण –2242 सं0, आर0आर0ड्राई चैकडेम–20, भू–क्षरण की रोकथाम सम्बन्धी विभिन्न कार्य
विभिन्न वानिकी अनुसंधानों के माध्यम से वानिकी तथा वन्य जीवों के वास स्थल सुधार करने हेतु नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया जाना।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 9833.00 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक ₹ 3838.22 लाख व्यय किया गया है।

9.1.4 वन मार्ग, अश्व मार्ग, पुल एवं अन्य अवस्थापना विकास – पूर्व में संचालित वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुदृढ़ीकरण योजना का नाम वन मार्ग, अश्व मार्ग, पुल एवं अन्य अवस्थापना विकास कर दिया गया है है। उक्त योजना का उद्देश्य वन मोटर मार्गों, का सुदृढ़ीकरण करना हैं, जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
वन मोटर मार्गों का रख रखाव–1798.2 किमी0, वन पैदल मार्गों का रख रखाव–496.82 किमी0, पुलिया / काजवे / ब्रस्टवाल निर्माण– 23 सं0,
वन विश्राम भवनों का सुदृढ़ीकरण प्रतिवर्ष लगभग–15 सं0।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 2100.00 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक व्यय शून्य है।

9.2.5 आवासीय, अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण– पूर्व में संचालित वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण एवं वन संचार साधन–पुल,

टेलीफोन तथा भवन योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आवासीय, अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढीकरण कर दिया गया है। उक्त योजना का उद्देश्य आवासीय, अनावासीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण एवं उनका रखरखाव इत्यादि कार्य है। जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
आवासीय/अनावासीय भवनों का रखरखाव–315,भवनों में बिजली एवं पानी संयोजन–25 सं0 एवं आवासीय/अनावासीय भवनों का जीर्णोद्वार, विभिन्न राजकीय आवासीय भवनों की मरम्मत विभिन्नों रेजों में भवन मरम्मत–15

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 655.00 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक ₹ 468.53 लाख व्यय हुआ है।

9.2.6 मानव वन्यजीव संघर्ष एवं गूजर पुनर्वास– पूर्व में संचालित जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता की जान–माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति, मुठभेड़ में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्यों हेतु वनाधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता/पुरुस्कार, गूजर एवं अन्य प्रभावित पुर्नवास योजना, मानव–वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना, मानव–वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना तथा मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीवों से खेती सुरक्षा योजनाओं को सम्मिलित करते हुए मानव वन्यजीव संघर्ष एवं गूजर पुनर्वास योजना कर दिया गया है।

उक्त योजना का उद्देश्य मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम , जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि तथा वन्य जीवों से खेती सुरक्षा आदि है। जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि 2012 के अनुसार मानव क्षति, पशु क्षति, भवन क्षति एवं फसल क्षति के मामलों का निस्तारण किया जायेगा।
बाथरूम एवं टॉयलेट–110, हैण्डपम्प–150, ट्यूबवैल मेन्टनेंस–3 पुनर्वासित गूजर बस्तियों में अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य एवं उनका रखरखाव तथा पुनर्वास सम्बन्धी अन्य विविध व्यय
एलीफेंट प्रूफ ट्रैंच निर्माण–11.5 किमी0, एलीफेंट प्रूफ वाल निर्माण–3 किमी0, खाई खुदान–5 कि0मी0, सोलर फैंसिंग– 8 कि0मी0, सोलर फैंसिंग मरम्मत– 10 कि0मी0, हेबीटेट इम्प्रूवमेन्ट/लैण्टाना आदि अनावश्यक वीड उन्मूलन–524 है0, चाल–खाल एवं जल संरक्षण–60 सं0, खाई खुदान–22 कि0मी0, मुआवजा वितरण
उत्पाती वानरों का बान्ध्याकरण हेतु केन्द्र का रखरखाव–3 स0, वानरों को पकडकर बन्ध्याकरण के पश्चात दूरस्थ वनों में छोडना–12000।
बायोफसिंग का निर्माण, जंगली सुअररोधी दीवाल निर्माण–61.42 किमी0, हाथी/नील गाय रोधी खाई–10 कि0मी0, सोलर फेसिंग–4 किमी0, लैण्टाना एवं अनावश्यक वीड उन्मूलन–520 है0।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹3090.00 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक ₹ 1520.34 लाख व्यय किया गया है।

9.2.7 वन्य जीव, प्रबन्धन, राष्ट्रीय पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास तथा 'जू' प्रबन्धन– पूर्व में संचालित जीवों के वास स्थलों का विकास, वन्यजन्तु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास, मालसी मिनी जू का विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, जंगली सूअरों के आखेट हेतु कारतूसों का वितरण, पक्षियों का संरक्षण एवं उनके वास स्थलों का विकास, हिम तेन्दुयें का संरक्षण/विकास तथा हल्द्वानी में जू निर्माण योजनाओं को सम्मिलित करते हुए वन्य जीव, प्रबन्धन, राष्ट्रीय पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास तथा 'जू' प्रबन्धन कर दिया गया है। उक्त योजना का उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण, उनके वास स्थलों का सुधार, चिड़ियाघर/रेस्क्यू सेन्टर्स (जू) का प्रबन्धन है। जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
लैण्टाना उन्मूलन कर चारा/घास रोपण– 370 है0, मगरमच्छों के वास स्थल का विकास कर संरक्षण केन्द्र की स्थापना–1, वाटर होल निर्माण–112, जल कुण्ड निर्माण– 110, लैण्टाना आदि अनावश्यक वीड उन्मूलन–1720 है0, पूर्व वर्षों में किये गये लैण्टाना उन्मूलन का अनुरक्षण– 1053 है0
देहरादून जू, नैनीताल जू एवं अल्मोड़ा जू का रखरखाव एवं अनुरक्षण कार्य, वन चेतना केन्द्र का विकास–3, वन चेतना केन्द्र का अपग्रेडेशन–2, वाटर हॉल/भूमि संरक्षण–64, पर्यटक केन्द्रों का रखरखाव–12, वाच टावर रखरखाव–8, नेचर इन्टरपिटेशन सेन्टर रखरखाव–12
मलसी "जू" सुदृढीकरण एवं उसमें रखे जानवरों का रखरखाव
आखेट हेतु कारतूसों की व्यवस्था।
पक्षियों के संरक्षण हेतु जल संरक्षण कार्य।
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिम तेन्दुये का संरक्षण।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 3400.00 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक ₹ 191.81 लाख व्यय किया गया है।

9.2.8 विभिन्न बोर्डों, परिषदों एवं फॉउण्डेशन को सहायता– पूर्व में संचालित बांस एवं बायोफ्यूल प्रजातियों का रोपण, उत्तराखण्ड बांस एवं रेसा विकास परिषद, वोमैन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य, वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता तथा टाईगर फाण्डेशन को सहायता योजनाओं को सम्मिलित करते हुए विभिन्न बोर्डों, परिषदों एवं फॉउण्डेशन को सहायता योजना कर दिया गया है। उक्त योजना का उद्देश्य वभिन्न बोर्डों, परिषदों से सम्बन्धित कार्य है। जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
बांस से जुडी आजीविका में वृद्धि व बाघ संरक्षण के प्रयासों में सहायता, महिला पौधालयों की स्थापना, प्रशिक्षण कार्य।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 1800.00 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक ₹ 1371.21 लाख व्यय किया गया है।

9.2.9 उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण दंडित प्रतिपूरक वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण / प्रतिकारात्मक वनीकरण प्राधिकरण (कैम्पा):– वर्ष 2010–11 से कैम्पा परियोजना सोसाइटी मोड में गठित की गयी। वर्तमान में कैम्पा का संचालन उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक प्रावधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय का योजनावार सारांश

तालिका– 9.2

दिनांक 03.01.2025 की स्थिति (धनराशि– लाख में)

वित्तीय वर्ष	योजना	स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान	शासन से अवमुक्त धनराशि	03 जनवरी 2025 तक का व्यय
1	2	3	4	5
2024 – 25	क्षतिपूरक वनीकरण योजना	6000.01	5352.08	1724.05
	जल संग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान	3500.01	3423.37	968.07
	समेकित वन्यजीव प्रबन्धन योजना	1000.01	1000.00	330.78
	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	20000.00	20000.00	7028.01
	कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज	2000.00	1567.78	583.24
	अन्य कार्य	1800.00	1800.00	396.28
	योग	34300.03	33143.23	11031.33

उत्तराखण्ड में वनावरण (forest Cover)

तालिका–9.3

(वर्ग कि0मी0)

श्रेणी (Class)	क्षेत्रफल (Area)	भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनावरण क्षेत्र का प्रतिशत
अत्यन्त घने वन	5266.58	9.85
मध्यम घने वन	12517.63	23.40
खुले वन	6519.62	12.19
कुल	24303.83	45.44
स्क्रबलैंड	412.88	0.77

स्रोत :– India State of Forest Report, 2023

अग्नि संवेदनशील वन भूभागः–

तालिका–9.4

संवेदनशीलता	क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
अति संवेदनशील	24.39	0.10
उच्च संवेदनशील	3193.95	12.92
अधिक संवेदनशील	6832.16	27.64
मध्यम संवेदनशील	4946.88	20.01
कम संवेदनशील	9719.33	39.33

स्रोत :– India State of Forest Report, 2023

तालिका– 9.4 से स्पष्ट है कि एफ0एस0आई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 40.56 प्रतिशत वन भाग अग्नि के प्रकोप के लिहाज से उच्च/अधिक संवेदनशील है। जिसका क्षेत्रफल 10026.11 वर्ग कि0मी0 है तथा 24.39 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्रफल अति संवेदनशील बताया गया है।

9.3 प्रमुख वन्य जीव गणनाः– वन्य जीव प्रबन्धन में वन्य जीव गणना व संख्या का अनुमान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यवाही है जिसके द्वारा महत्वपूर्ण वन्य जीवों का आंकलन किया जाता है। कुछ प्रमुख वन्यजीवों के आंकडे निम्नानुसार है–

9.3.1 बाघः–बाघों की संख्या का आंकलन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा–निर्देशानुसार प्रत्येक 04 वर्ष मेंकिया जाता है। विगत वर्षो के आंकलन के आंकडे निम्नानुसार हैः–

तालिका–9.5

गणना वर्ष	2006	2010	2014	2018	2022
बाघों की संख्या	178	227	340	442	560

9.3.2 गुलदार गणना 2022

प्रदेश में वर्ष 2022 में भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से पहली बार वैज्ञानिक आधार पर गुलदारों की संख्या का आंकलन किया गया, जो कि 3115 पाया गया। प्रदेश मे वर्ष 2008 की गणना में गुलदारों की संख्या 2335 आंकलित की गयी थी। इस प्रकार वर्ष 2022 की गणना में गुलदारों की संख्या में 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

9.3.3 स्नो लैपर्ड गणना–वर्ष 2023–24 में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा की गयी गणना में देश में स्नो लैपर्ड की संख्या 718 आंकलित की गयी है। उक्त गणना में उत्तराखण्ड राज्य में स्नो लैपर्ड की संख्या 124 आंकलित की गयी है।

विभिन्न राज्यों में स्नो लैपर्ड की संख्या का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका–9.6

राज्य	स्नो लैपर्ड की संख्या
लद्दाख	477
उत्तराखण्ड	124
हिमाचल प्रदेश	51
अरूणाचल प्रदेश	36
सिक्किम	21
जम्मू एवं कश्मीर	9
कुल योग	718

स्रोत: कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2023–24

9.3.4 हाथी गणना–

तालिका–9.7

प्रभाग / वृत्त	हाथियों की संख्या (वर्ष वार)								क्षेत्र वर्ग किमी0 में
	2001	2003	2005	2007	2012	2015	2017	2020	
रामनगर टाइगर रिजर्व	441	477	560	515	429	850	-	1011	661.62
कालागढ़ टाइगर रिजर्व	149	150	78	107	314	185	-	213	626.73
कार्बेट टाइगर रिजर्व	**590**	**627**	**638**	**622**	**743**	**1035**	-	**1224**	**1288.35**
देहरादून वन प्रभाग	90	85	27	27	26	27	-	89	504.82
लैन्सडौन वन प्रभाग	125	139	157	180	186	160	-	150	433.43
कालसी वन प्रभाग	0	0	0	0	0	2	-	0	233.31
हरिद्वार वन प्रभाग	88	77	130	31	52	59	-	113	390.74
शिवालिक वृत्त	**303**	**301**	**314**	**238**	**264**	**248**	_	**352**	**1562.3**
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	13	12	18	3	0	0	-	0	39.52
भागीरथी वृत्त	**13**	**12**	**18**	**3**	**0**	**0**	_	**0**	**39.52**
तराई पूर्वी वन प्रभाग	18	13	28	38	11	21	-	10	824.3
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग	7	8	13	7	23	10	-	30	404.97
रामनगर वन प्रभाग	21	36	25	4	116	84	-	16	487.37
हल्द्वानी वन प्रभाग	75	92	29	5	43	55	-	30	595.79
तराई पश्चिमी वन प्रभाग	0	6	20	1	31	27	-	41	384.07
पश्चिमीवृत्त	**121**	**155**	**115**	**55**	**224**	**197**	_	**127**	**2696.5**

राजाजी राष्ट्रीय पार्क	**453**	**469**	**416**	**418**	**302**	**309**	-	**311**	**851.62**
चम्पावत वन प्रभाग	27	18	9	10	26	8	-	12	205.21
उत्तरी वृत्त	**27**	**18**	**9**	**10**	**26**	**8**	_	**12**	**205.21**
कुल योग	**1507**	**1582**	**1510**	**1346**	**1559**	**1797**	**1839**	**2026**	**6643.5**

स्रोत: कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2023–24

9.3.5 बंदर गणना 2015:–

तालिका–9.8

Uttarakhand	No. of Adult Male	No. of Adult Female	No. of Infants	No. of Young	No. of Unknown	Total
Grand Total	**34110**	**49743**	**27281**	**21363**	**13919**	**146423**

स्रोत: कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2023–24

Total number of **rhesus macaque** (sex/age classes) recorded in different forest divisions during Uttarakhand state macaque and langur population **estimation exercise, December 2021**

तालिका–9.9

Uttarakhand	Total	Adult male	Adult Female	Sub adults	Infants	Unknown
Total	**110840**	**28482**	**35220**	**19193**	**19705**	**8240**

स्रोत: कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2023–24

वर्ष 2015 की गणना में बंदरो की संख्या 146423 आंकलित की गई थी एवं वर्ष 2021 में 1,10,840 आंकलित की गयी। वर्ष 2015 के सापेक्ष वर्ष 2021 में बन्दरों की संख्या मे लगभग 35,500 (24.30 प्रतिशत) की कमी आयी है। बन्दर जनित समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखण्ड मे बन्दर बन्ध्याकरण किया जा रहा है, जिसके भविष्य में सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होंगे।

9.3.6 लंगूर गणना 2021:–

Total number of langur (sex/age classes) recordedin different forest divisions during Uttarakhand state macaque and langur population estimation exercise, December 2021

तालिका–9.10

Uttarakhand	Total	Adult male	Adult female	Sub adults	Infants	Unknown
Total	**38011**	**9635**	**11899**	**6165**	**6343**	**3969**

स्रोत: कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2023–24

9.3.7 जलीय जीवों (मगरए घड़ियाल और उद बिलाव) की गणना:–

वर्ष 2020 में प्रदेश में जलीय जीवों की गणना की गयी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका–9.11

प्रभाग	मगर	घड़ियाल	उद बिलाव
कार्बेट टाइगर रिजर्व	145	75	133
राजाजी टाइगर रिजर्व	0	01	12
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग	0	0	11
चम्पावत वन प्रभाग	0	0	19
हल्द्वानी वन प्रभाग	0	0	10
तराई पूर्वी वन प्रभाग	255	0	03
रामनगर वन प्रभाग	0	0	05
हरिद्वार वन प्रभाग	51	01	01
योग	451	77	194

स्रोत: कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2023–24

उभरती हुयी चुनौतियां (Emerging Issues and Risks)

- बढ़ती जनसंख्या से वनों पर दबाव में भारी वृद्धि।
- शहरीकरण व मानवीय दबावों के कारण वन्य जीवों के वास स्थलों पर प्रभावों के कारण मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनायें।
- जलवायु परिवर्तन के कारण वनों में प्रजातियों पर प्रभाव तथा जल स्रोतों की कमी।
- ग्लेशियरों का पिघलना।
- आपदा से भू–स्खलन होने से वनों को हानि।
- गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के कारण वनावरण का प्रभावित होना।
- वनों के प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय विशेषकर महिलाओं की सहभागिता।
- पंचायती वनों का सर्वेक्षण व सीमा स्तम्भों की स्थापना।
- जनता को गैर प्रकाष्ठ वन उपज (NTFP) के माध्यम से आजीविका के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना।
- विकास कार्यों एवं वनों के संरक्षण में सामंजस्य स्थापित करना।
- वनों एवं वन्य जीवों के प्रबन्धन हेतु कार्ययोजनाओं/प्रबन्ध योजनाओं के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु समुचित बजट स्वीकृत किया जाना।
- प्रदेश के वनों से यद्यपि पर्याप्त राजस्व प्राप्त किया जा रहा है, फिर भी इसमें वृद्धि के उपायों पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Uttarakhand Pollution Control Board

9.4 वायु गुणवत्ता की विशेशताएँ:– राज्य के चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर में वायु गुणवत्ता मापन केन्द्र स्थापित है। जहाँ पर नियमित रूप से पी0एम0 10, पी0एम0 2.5, सल्फर डाई ऑक्साइड तथा नाईट्रिक्स आक्साईड के पूर्व निर्धारित मानकों के सापेक्ष वायु की गुणवत्ता का मापन किया जाता है। राज्य में वायु गुणवत्ता के मानक आवासीय तथा औद्योगिक/व्यवसायिक क्षेत्रों हेतु पृथक–पृथक

निर्धारित है। राज्य इन केन्द्रो में वर्ष 2024 के माह नवम्बर में औसत वायु गुणवत्ता का विवरण निम्न तालिका– 9.5 में प्रदर्शित है:–

Uttarakhand Ambient Air Quality Characteristics

Uttarakhand Pollution Control Board

तालिका–9.11

Category					PM10		PM2.5		SO2		NO2	
Unit					μg/m3							
Time					Annual	24Hr	Annual	24Hr	Annual	24Hr	Annual	24Hr
Industrial, Residential, Rural and other Area												
Ecologically sensitive area (notified by Central Govt.)					60	100	40	60	20	80	30	80
S. No.	Name of City	Location	Monitoring	Category	PM 10	PM2.5	SO2	NO2				
1	Dehradun	Clock Tower	Manual	Residential	191.14	103.55	9.40	21.12	Good (0-50)		Minimal Impact	
		ISBT		Residential	201.26	101.62	11.13	21.12				
		Raipur		Residential	186.21	90.62	8.13	20.24				
		Doon University	CAAQMS	Residential	100.60	74.94	0.78	2.30				
Cumulative concentration									Satisfactory (51-100)		Minor beathing discomfort to sensitive people	
2	Rishikesh	Nagar Nigam	Manual	Commercial	141.35	64.27	4.43	22.92				
		SPS Hospital		Commercia	143.44	61.55	3.02	22.65				
		Natraj Hotel		Commercial	141.58	65.37	3.68	22.79				
		Shivaji Nagar	CAAQMS	Residential	80.71	59.91	4.95	9.32				
Cumulative concentration												
3	Kahsipur	Govt. Hospital	Manual	Sensitive	113.69	57.79	12.70	18.99	Moderate (101-200)		Breathing discomfort to the people with lung, heart disease, children and older adults	
		Govt.Girls Inter College	CAAQMS	Sensitive	110.34	66.45	5.74	28.07				
Cumulative concentration									Poor (201-300)		Breathing discomfort to people on prolonged expoeure	
4	Haridwar	SIDCUL	Manual	Industrial	133.05	74.57	6.16	21.36				
		Rishikul		Industrial	-	-	-	-				
		Nagar Nigam Roorkee		Commercial	134.19	-	-	-				
5	Rudrapur	Govt. Hospital	Manual	Sensitive	111.70	-	13.00	18.87				
6	Haldwani	Jal Sansthan	Manual	Commercial	116.08	36.01	8.07	28.30				
7	Uttarkashi	CMO OFFICE	Manual	Commercial	30.38	21.92	-	-				
8	Tehri	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial	48.54	17.12	-	-	Very Poor (301-400)		Respiratory illness to the people on pronged exposure	
9	Pauri	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial	42.25	30.71	-	-				
10	Gopeshwar	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial	25.62	10.09	-	-				
11	Almora	Vikas Bhawan	Manual	Commercial	45.12	29.01	-	-	Severe (>401)		Respiratory effects even on healthy people	
12	Bageshwar	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial	45.18	26.90	-	-				
13	Nainital	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial	70.25	-	-	-				

स्रोत: वन विभाग उत्तराखंड

ध्वनि प्रदूषणः–

9.5 राज्य के चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर में ध्वनि प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापित है। जहाँ पर नियमित रूप से ध्वनि को न्यून्तम मानक, अधिकतम मानक व औसत मानक डेसिबल ईकाई में मापा जाता है। राज्य के इन केन्द्रों में वर्ष 2024 के माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर में ध्वनि गुणवत्ता का विवरण निम्न तालिका– 9.6 में प्रदर्शित है–

तालिका–9.12

NOISE DATA -2024						
NOISE LEVEL DB(A) L AVERAGE						
	AUGUST			SEPTEMBER		
	L Min	L Max	L AV	L Min	L Max	L AV
Survey Chowk, Dehradun	75.40	86.30	80.85	80.10	90.20	85.15
Doon Hospital, Dehradun	75.60	82.70	79.15	64.40	79.60	72.71
Clock Tower,Dehradun	80.60	90.70	85.65	77.20	87.40	81.83
Gandhi Park,Dehradun	81.40	86.70	84.05	71.20	83.50	77.35
Race Course,Dehradun	65.50	79.40	72.45	60.30	74.80	68.94
CMI Hospital Chowk,Dehradun	76.30	81.70	79.00	65.20	83.40	73.18
Nehru Colony,Dehradun	53.70	70.10	61.90	53.10	60.50	56.78
Pentagon Mall Chowk, SIDCUL, Haridwar	66.21	84.64	75.63	68.70	83.25	73.48
Mallital Near NPP Office Nainital	51.70	69.50	60.50	54.20	71.90	63.80
Awas Vikas Colony, Haldwani	44.30	57.70	51.50	46.30	59.60	53.50
Beersheba School Nainital Road, Haldwani	51.50	69.20	61.30	54.50	70.40	63.70
Tikonia Chauraha Nainital Road, Haldwani	54.20	71.60	64.10	56.30	73.60	65.50
Govt. Hospital, Kashipur	39.50	64.83	58.10	31.83	59.00	67.99
M.P. Chowk Kashipur	53.50	91.50	84.02	74.00	99.00	92.04
Residential Area Awas Vikas kashipur	44.00	84.00	76.65	34.33	76.17	71.33
Govt. Hospital, Rudrapur	40.33	69.00	61.61	30.17	58.17	67.95
DD. Chowk Rudrapur	77.83	98.67	93.45	72.17	99.00	92.74
Residential Area Awas Vikas Rudrapur	45.83	82.00	76.13	33.50	75.33	71.32

स्रोतः वन विभाग उत्तराखंड

सेवा क्षेत्र

अध्याय–10
परिवहन एवं संचार
Transport and Communication

परिवहन एवं संचार साधनों का आर्थिक गतिविधियों के विकास के मध्य सकारात्मक संबंध है, परिवहन के माध्यम से ही हमारी अर्थिक क्रियाएं सम्पादित होती हैं। यह मानव समाज का अभिन्न अंग हैं, संचार के माध्यम से ही मनुष्य विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आज सम्पूर्ण दुनिया को अपनी मुठ्ठी में किये हुए हैं । इनका महत्व न केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य संपर्क के विषय में है, बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र में लोगों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के विषय में भी है। उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र हों या राज्य के सुदूर क्षेत्रों में प्रदेश के दूरदराज में रहने वाली आबादी, सड़क परिवहन उन इलाकों की आबादी को देश के विकसित इलाकों से जोड़ने का प्रमुख माध्यम है। संसाधनों के परिवहन की बात हो या लोगों को एक स्थान से दूसरी स्थान ले जाने की, सड़क नेटवर्क उन प्रमुख माध्यमों में से एक है जिसे लोग चुनते हैं।

10.1 उत्तराखण्ड परिवहन निगम–

उत्तराखण्ड राज्य जहाँ एक ओर पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों के लिए सदैव आकर्षण का केन्द्र रहा है वहीं दूसरी ओर तीर्थाटन की दृष्टि से भी देश/विदेश के अन्तर्गत राज्य की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। इसके अतिरिक्त विश्व प्रसिद्ध चारधाम (श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री) सहित पावन तीर्थ स्थल हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊखीमठ, पाण्डुकेश्वर, जागेश्वर, बागेश्वर, माँ पूर्णागिरी, पाताल भुवनेश्वर आदि तथा पहाड़ों की रानी नाम से विख्यात 'मसूरी' के साथ ही नैनीताल, औली, रानीखेत, पिथौरागढ़, कौसानी आदि मनोरम/दर्शनीय पर्यटक स्थल भी उत्तराखण्ड राज्य में स्थित होने से देश/विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फलतः राज्य में स्थानीय यातायात व्यवस्था के अतिरिक्त देश–विदेश से भी तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों का आवागमन अनवरत रूप से वर्षभर बना रहता है। प्रदेश में आने वाले तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों को सुलभ, आरामदायक एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत् विभाग द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम के साथ–साथ निजी एवं ठेका यात्री वाहनों को उदारनीति से परमिट जारी किये जाते हैं। इस प्रकार परिवहन विभाग राज्य के अन्तर्गत यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213 के अन्तर्गत राज्यों में परिवहन विभाग की स्थापना का प्राविधान है। उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत ही राज्य में परिवहन विभाग की स्थापना की गयी है।

10.1.1 परिवहन विभाग द्वारा कृत कार्यों एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है–

चार्ट–10.1
परिवहन विभाग में (वित्तीय वर्ष 2001–02 से वर्तमान तक) कुल राजस्व प्राप्तियों का विवरण

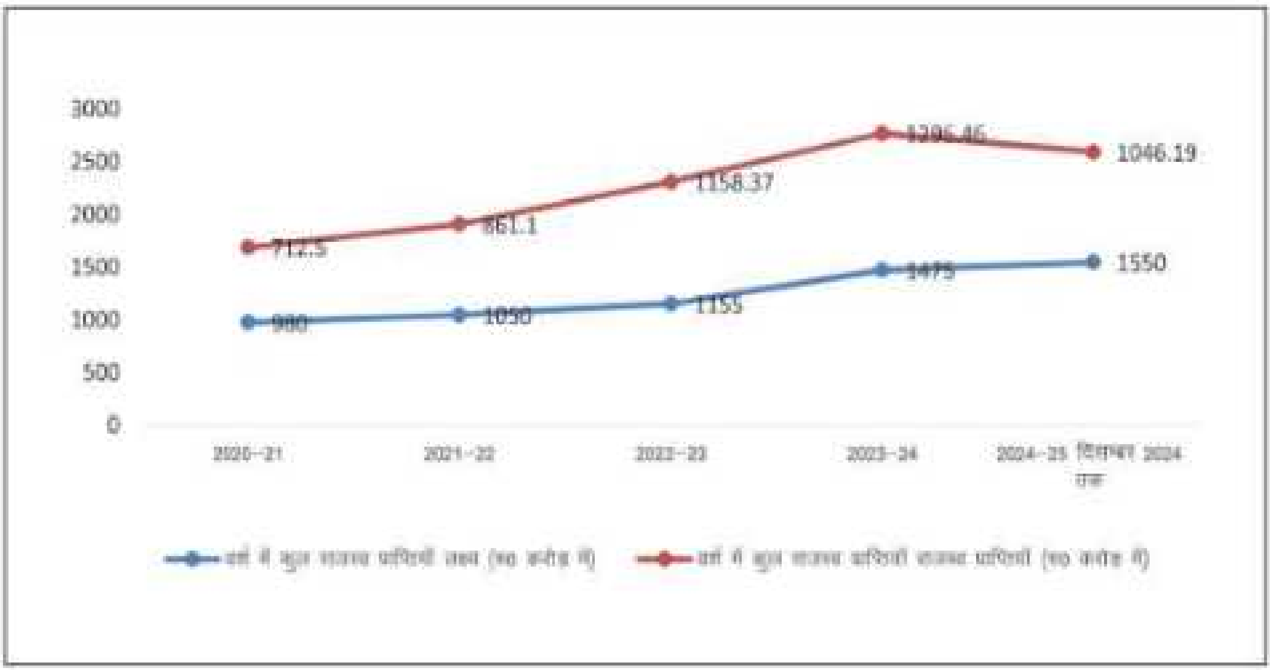

स्रोतः परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चार्ट–10.2
परिवहन विभाग में (वित्तीय वर्ष 2001–02 से वर्तमान तक) कुल पंजीकृत वाहनों का विवरण

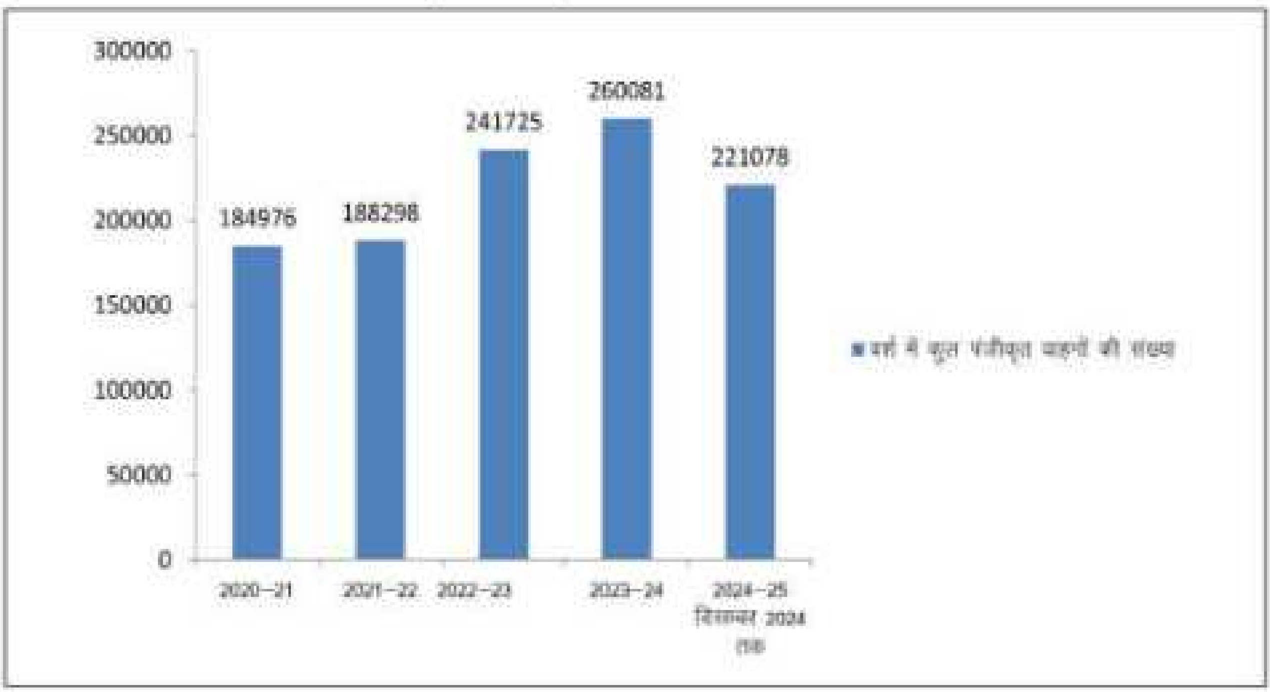

स्रोतः परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चार्ट–10.3
प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य

स्रोतः परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चार्ट–10.4
राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

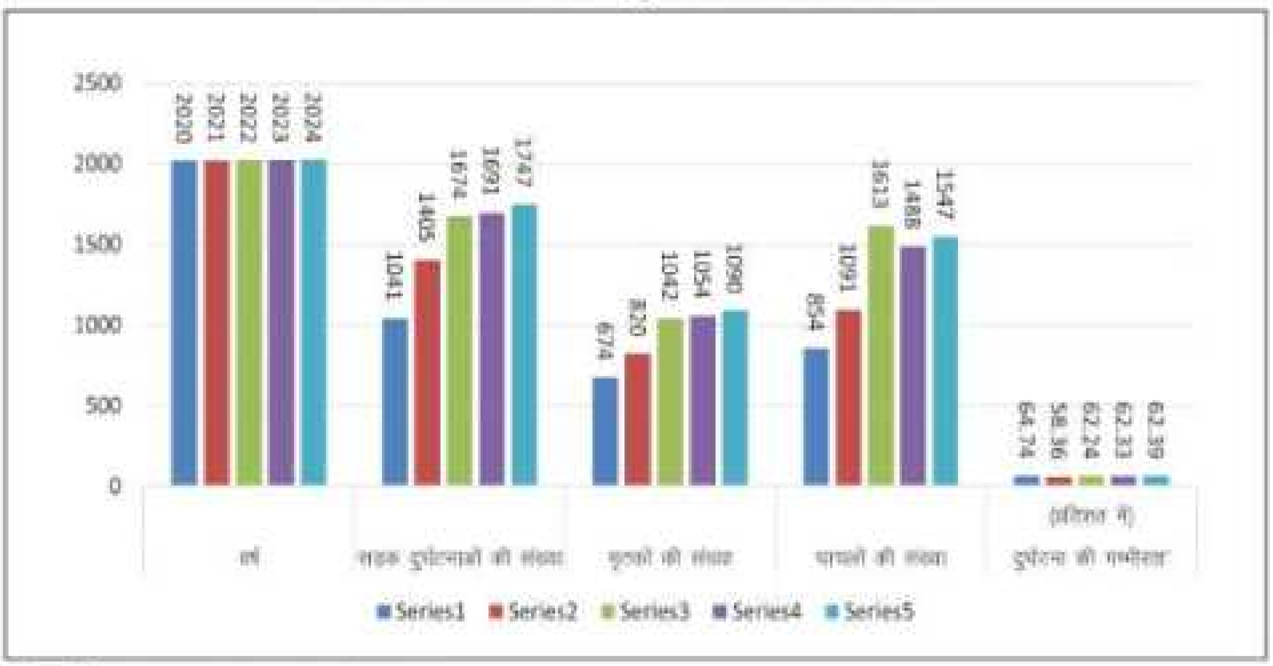

स्रोतः परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

10.1.2 रोजगार–

- **प्रत्यक्ष रोजगार**– वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2024–25 के माह दिसम्बर–2024 तक 171 नियमित नियुक्तियां एवं 26 आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुल 197 नियुक्तियाँ प्रदान की गयी है।
- **अप्रत्यक्ष रोजगार**– वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2023–24 (माह दिसम्बर–2024

तक) कुल 188952 परमिट जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 283000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023–24 के माह दिसम्बर, 2024 तक कुल 366 प्रदूषण जाँच केन्द्र, 22 मान्यता प्राप्त गैराज, 55 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं रेन्ट ए मोटर साईकिल (स्कीम), 1997 के अंतर्गत जारी लाईसेंसों (391 लाईसेंस) के माध्यम से भी लगभग 1000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

10.1.3 ई–गवर्नेन्स के माध्यम से जनता को ऑनलाईन सेवाएं– ऑनलाईन सेवाएं देने के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा ई–व्हीकल पालिसी, रेन्ट ए कैब स्कीम, रेन्ट ए मोटर साईकिल स्कीम तथा एग्रीगेटर स्कीम लागू की गई है। प्रदेश में पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मोटर साइकिल किराए पर दिए जाने हेतु 543 लाइसेन्स जारी किये गये हैं। जनता को सस्ती सुलभ यातायात व्यवस्था प्रदान करने के लिए दुपहिया/तिपहिया एवं चौपहिया वाहनों के संचालन हेतु 08 एग्रीगेटर लाइसेंस जारी किये गये हैं।

10.1.4 उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 – के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 2,10,19,264.00 एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के माह दिसम्बर–2024 तक ₹ 3,26,07,953.00 की धनराशि जिलाधिकारियों को आंवटित की गयी है। उत्तराखण्ड में सड़क सुरक्षा के सुदृढीकरण तथा सडक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन हेतु पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में एकत्रित किये गये प्रशमन शुल्क की धनराशि को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

10.1.5 विभागांतर्गत गतिमान एवं प्रस्तावित योजनाओं का विवरण–

i) ऑटोमेटिड फिटनेस टेस्टिंग लेन की स्थापना–

- राज्य मे वाहनों की फिटनेस में गुणवत्ता विकास एवं फिटनेस संबंधी कार्य मानवीय हस्तक्षेप के बिना कम्प्यूटरीकृत रूप से किये जाने के दृष्टिगत आटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना की जा रही है।
- ऋषिकेश तथा कोटद्वार कार्यालय में भारत सरकार के सहयोग से निरीक्षण एवं सर्टिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है।
- मैदानी जनपदों में 07 कार्यालयान्तर्गत निजी क्षेत्र के सहयोग से टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं जिनमें से 06 कार्यालय (देहरादून, रूद्रपुर, हल्द्वानी, विकासनगर, रूड़की तथा हरिद्वार) में संचालित एवं टनकपुर में कार्यवाही गतिमान है।
- पर्वतीय जनपदों में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा उत्तरकाशी में निर्माण कार्य गतिमान एवं पौड़ी में टेस्टिंग स्टेशन हेतु भूमि चयनित/कार्यदायी संस्था नामित तथा डी0पी0आर0 (Detailed Project Report) तैयार की गई है।

ii) ऑटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना–

- वाहन चालकों की परीक्षा कम्प्यूटरीकृत रूप में लिये जाने हेतु राज्य के प्रत्येक कार्यालय क्षेत्रान्तर्गत आटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स की स्थापना प्रस्तावित है।
- देहरादून के IDTR (Institute of Driver Training and Research) झाझरा में ट्रैक्स संचालित है।

- ऋषिकेश, कोटद्वार एवं हरिद्वार में निर्माण कार्य एवं ऑटोमेशन का कार्य मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) के सहयोग पूर्ण है।
- 06 स्थानों (अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रूड़की, रामनगर, एवं काशीपुर) में ट्रैक निर्माण का कार्य गतिमान है।
- 02 स्थानों में डी0पी0आर0 प्रतीक्षित, 08 स्थानों में भूमि हस्तान्तरण तथा शेष में भूमि चयन की कार्यवाही की जा रही है।

(iii) वाहनों की रीयल टाईम मॉनिटरिंग हेतु वाहनों में वी0एल0टी0 डिवाईस एवं आपातकालीन अलर्ट सिस्टम की स्थापना–

- दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक 86,529 वाहनों में वीएलटी डिवाईस संस्थापित की जा चुकी है।
- वी0एल0टी0 Vehicle location Tracking कन्ट्रोल रूम परिवहन मुख्यालय, देहरादून में स्थापित किया गया है।
- संभाग स्तर पर वाहनों की मॉनिटरिंग को सशक्त किये जाने के लिए संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं पौड़ी में वी0एल0टी0 कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) ए0एन0पी0आर0 Automatic Number Plate Recognition कैमरों की स्थापना–

- राज्य की सीमा पर परिवहन विभाग की चैकपोस्टों को समाप्त करते हुए ए0एन0पी0आर0 कैमरों की स्थापना की जा रही है। उक्त कैमरों के माध्यम से इलैक्ट्रानिक इनफोर्समेन्ट की कार्यवाही गतिमान है। उक्त ए0एन0पी0आर0 कैमरो के माध्यम से दिसंबर, 2024 तक 102872 चालान किए गए एवं ₹ 250.99 लाख का प्रशमन शुल्क वसूल किया गया है।

(v) इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना–

- उत्तराखण्ड राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सड़को पर 35 से 40 किमी0 की दूरी पर इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जा रही है।
- प्रथम चरण में चारधाम मार्ग पर भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से 12 स्थलों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गयी है।
- गढ़वाल मंडल के अन्तर्गत 25 स्थलों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गयी है।
- द्वितीय चरण में कुमाऊँ मंडल के अन्तर्गत 41 स्थलों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की कार्यवाही गतिमान हैं।

(vi) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा–

- वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम मे ऐसे शासकीय वाहनों हेतु, जिनकी मॉडल सीमा 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, के स्क्रैपिंग हेतु पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की व्यवस्था की गई है। जिसके अंतर्गत उत्तराखण्ड परिवहन विभाग द्वारा अभी तक 05 फर्मों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई है।
- स्क्रैप किए गए वाहनों के सापेक्ष क्रय किए गए वाहनों को कर में छूट का प्रावधान है।

(vii) डायनैमिक टास्क फोर्स –

- सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ ही कर अपवंचना, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों, तीव्र गति से संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही एवं चैकिंग हेतु 14 डायनैमिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो 24*7 प्रवर्तन कार्य करते हैं।

(viii) चार धाम यात्रा मार्गों पर वाहन चालकों हेतु विश्राम, चिकित्सा एवं अन्य सुविधा–

- चारधाम यात्रा के वाहन चालक/परिचालकों के सुविधार्थ विश्राम स्थलों का निर्माण किया जा रहा है।
- प्रथम चरण में बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर तथा उत्तराखण्ड परिवहन निगम के ऋषिकेश एवं श्रीनगर बस अड्डों में उपलब्ध भूमि पर निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
- इसी प्रकार की स्थायी सुविधा हेतु रूद्रप्रयाग (केदारनाथ) तथा उत्तरकाशी (गंगोत्री एवं यमुनोत्री) में भूमि चयन/हस्तांतरण की कार्यवाही गतिमान है।

10.1.6 सड़क सुरक्षा जागरूकता के दृष्टिगत गतिमान कार्यवाही का विवरण–

(i) सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तक का प्रकाशन–

- स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से परिवहन विभाग द्वारा कक्षा–3 से 12 तक के बच्चों के लिये सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तक का संकलन किया गया है। उक्त पुस्तक की 52000 प्रतियां मुद्रित कराते हुए सभी स्कूलों में अध्यापकों के उपयोगार्थ वितरित कराई गई है।
- कक्षा 9 से 12 तक के छात्र–छात्राओं हेतु सड़क सुरक्षा नियमों से सम्बन्धित पुस्तिका का प्रकाशन किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- स्कूलों में सड़क सुरक्षा जागरूकता के अंतर्गत वर्ष 2022 में 350 एवं वर्ष 2023 मे 475 कार्यक्रम संचालित किये गये है।
- ओवरस्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु व्यावसायिक वाहनों में गति नियन्त्रक (Speed Limiting Device) उपकरण की अनिवार्यता की गई है।
- दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक 131113 वाहनों में गति नियन्त्रक उपकरण संयोजित किए जा चुके हैं।
- परिवहन उपनिरीक्षक स्तर पर 30 प्रवर्तन दलों (बाईक स्क्वॉड) का गठन।
- 25 बॉडीवार्न कैमरों के माध्यम से प्रवर्तन दलों का सुदृढीकरण।
- 08 इन्टरसेप्टर वाहनों का क्रय।
- 13 स्पीड रडार गन का क्रय।

10.1.7 आई–रैड परियोजना का शुभारम्भ–

- दिनांक 24–05–2022 से उत्तराखण्ड राज्य में आई–रैड (Integrated Road Accident Database) परियोजना को लागू कर दिया गया है। उक्त परियोजना के लागू होने से राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का डाटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा, जिससे दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु भविष्य की कार्ययोजना बनाने में सहायता मिलेगी। उक्त सॉफ्टवेयर में पुलिस, परिवहन, लो0नि0वि0 एवं चिकित्सा विभाग द्वारा सूचनाएं अंकित की जा रही है।

10.2 उत्तराखण्ड परिवहन निगम–

परिवहन व्यवस्था का दूसरा मुख्य घटक राज्य सड़क परिवहन निगम (State Road Transport Corporation) है, जिसे उत्तराखंड में भी उत्तराखंड परिवहन निगम के रूप में पुनर्गठित किया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना ने 31 अक्टूबर 2003 को हुई और यह राष्ट्रीयकृत मार्गों के साथ–साथ अंतरराज्यीय मार्गों पर भी सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

परिवहन निगम के देहरादून, नैनीताल तथा टनकपुर में निगम के तीन क्षेत्रीय कार्यालय तथा 20 डिपो कार्यरत हैं। परिवहन निगम के कुल 574 मार्ग हैं जिनमें से 311 मार्गों पर बसें संचालित हो रही हैं जिन मार्गों पर निगम 967 सेवायें प्रदान कर रहा है जिनमें से 263 बस सेवाऐं पर्वतीय एवं मिश्रित मार्गों पर एवं 704 बस सेवाऐं मैदानी मार्गों पर संचालित हो रही हैं। वर्ष 2023–24 में निगम की 1311 बसों द्वारा कुल 1549.55 लाख संचालित किमी0 के द्वारा 420.35 लाख यात्रियों द्वारा यात्रायें की गयी। वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2024 तक निगम द्वारा संचालित 1490 यात्री बसों में 1161.78 लाख किमी0 की संचालन से 344.56 लाख यात्रियों ने यात्रायें की। वर्तमान में निगम के बस बेड़े में कुल 1485 बसें हैं जिनमें 185 सी0एन0जी0 बसों सहित 1425 साधारण बसें, 7 ए0सी0 जनरथ बसें एवं 53 वोल्वो बसें शामिल हैं। बसों में कुल 1731 चालक एवं 2536 परिचालक हैं।

10.2.1– परिवहन निगम की मुख्य उपलब्धियां वर्ष 2024–25 (माह दिसम्बर तक) में परिवहन निगम की बसों की बस उपयोगिता 329, लोड फैक्टर 68 प्रतिशत तथा प्रतिबस प्रतिदिन आय ₹ 15532 रही।

10.2.2– वर्ष 2023–24 में परिवहन निगम का कुल व्यय तथा प्राप्तियां क्रमशः 712.28 करोड़ तथा 727.60 करोड़ हो गयी। चार्ट 10.6 में परिवहन निगम की वर्षवार आय, व्यय तथा लाभ / हानि के आंकडें प्रदर्शित किये गये हैं:–

चार्ट–10.5
उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वर्षवार प्राप्तियां एवं व्यय एवं लाभ/ हानि (रू0 करोड़ में)

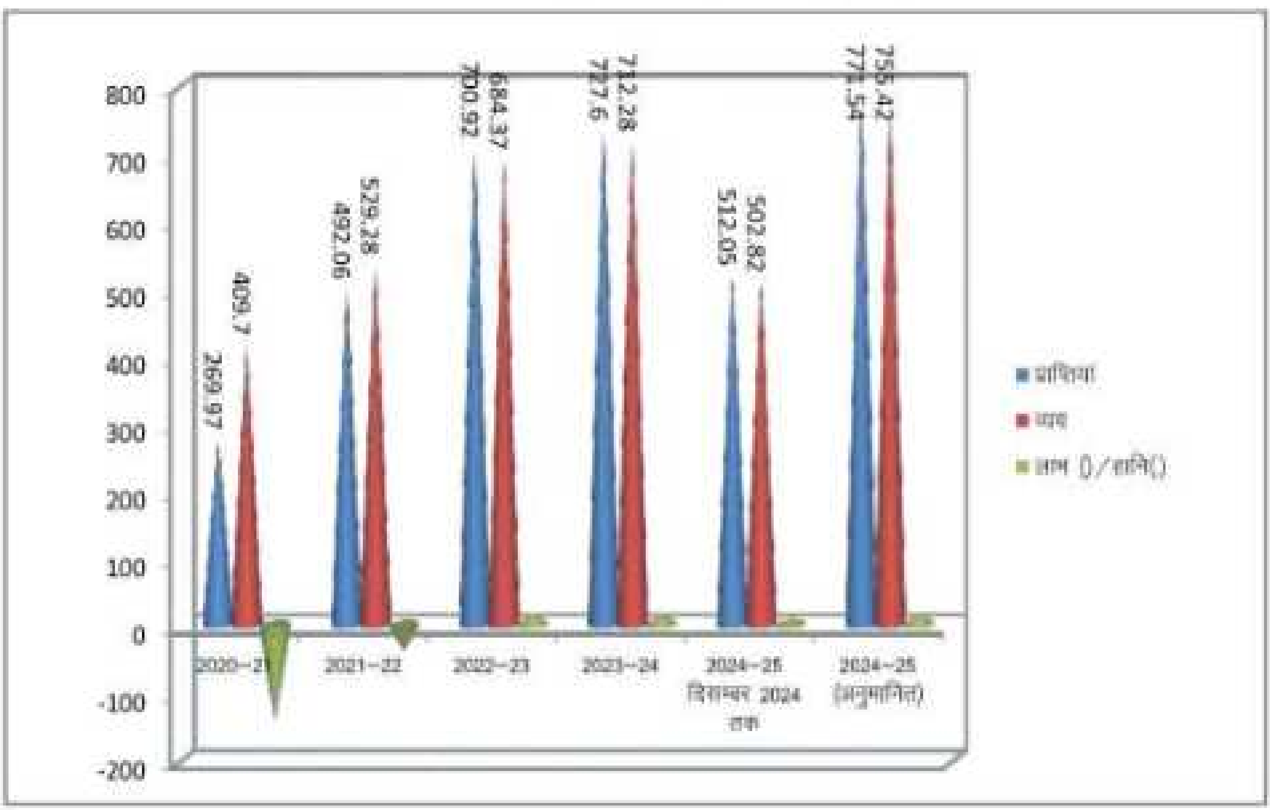

स्रोत: परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

10.2.3 – परिवहन निगम द्वारा संचालित योजनाएं:– परिवहन निगम विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों हेतु निम्न योजनायें संचालित करता है:–

i) **मासिक पास योजना:–** परिवहन निगम की बसों में दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों हेतु माह में 30 ट्रिप यात्राओं मासिक पास योजना वर्ष 2011 से लागू है। जारी किये गये पास की वैधता 30 दिन है। 2023–24 में 17546 तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2024 तक 19518 पास जारी किये गये जिनका वित्तीय वर्ष 2024–25 में 24500 होने का अनुमान है।

ii) **छात्राओं हेतु निःशुल्क यात्रा:–** परिवहन निगम की बसों में छात्राओं को अपने घर से विद्यालय तक आवागमन हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा 2013 में प्रारम्भ की गई। 2023–24 में 682042 छात्राओं को तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2024 तक 501260 छात्राओं को निःशुल्क सुविधा प्राप्त हुई।

iii) **रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को निःशुल्क यात्रा:–** महिलाओं को रक्षा बन्धन के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा 2008 में प्रारम्भ की गई है। अगस्त, 2022 में 41500 महिलाओं को तथा चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त 2024 में 48763 महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त हुई।

iv) **दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा:–** निगम द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के व्यक्तियों को निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा 2003 से संचालित है। 2023–24 में 282272 तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2024 तक 214309 विकलांग यात्रियों को निःशुल्क सुविधा प्राप्त हुई।

v) **वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा:–** निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गई। वर्ष 2023–24 में **2310160** यात्रियों को तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2024 तक **1761038** यात्रियों को सुविधा प्राप्त हुई।

vi) **स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा दिवगंत हुये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं एवं उनके प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकरियों को परिवहन निगम की साधारण बसों मे निःशुल्क यात्रा सुविधा:–** वर्ष 2023–24 मे **8684** यात्रियों को सुविधा प्राप्त हुयी तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2024 तक 7284 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

vii) **उत्तराखण्ड राज्य के आंदोलनकारियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा:–** वर्ष 2023–24 में 95023 तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2024 तक **72365** यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

viii) **मान्यताप्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क यात्रा:–** वर्ष 2006 मे प्रारम्भ हुयी इस योजना के अन्तर्गत 2023–24 में 13623 तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2024 तक **9559** यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

10.2.4 आई0टी0 सैल में प्रस्तावित कार्यों का विवरण:–

i) जी0पी0एस0 (Global Positioning System)

उक्त सुविधा के अन्तर्गत निगम के वाहनों में जी0पी0एस0 युक्त उपकरण लगाये जायेगें, जिनके द्वारा निगम के वाहनों की Live Location को Track किया जा सकेगा एवं निगम के वाहनों को अनाधिकृत मार्गो पर संचालित होने से रोका जा सकेगा।

ii) इन्वैन्ट्री मैनेजमेंन्ट

उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कार्यशालाओं मे उपलब्ध भण्डारो को Computerized किये जाने हेतु NIC, देहरादून के सहयोग से Inventory Management System Software Develop किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भण्डारो के समस्त कार्य Online Portal से सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये मण्डल स्तर पर उक्त Software की Testing हेतु Team का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उक्त Software Testing उपरान्त निगम को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

10.3 डाक संचार

1950 से अधिक वर्षों से डाक विभाग देश की रीढ़ है। इनसे देश के संचार और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने मे महत्वूपर्ण भूमिका निभाई है यह कई मायनों में भारतीय नागरिकों के जीवन को छूता है, मेल डिलीवर करना, लघु बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करना, डाक जीवन बीमा (PCI) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) के तहत जीवन बीमा कवर प्रदान करना और बिल जैसी रिटेल सेवाएँ प्रदान करना संग्रह, प्रपत्रों की ब्रिक्री, आदि कार्य करता है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत मजदूरी वितरण और वृद्धावस्था पेंशन भुगतान जैसे नागरिकों के लिए अन्य सेवाओं के निर्वहन में भारत सरकार के लिए एक एजेन्ट के रूप में कार्य करता है। डाक विभाग, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की डाक संभालता है।

तालिका 10.1
डाकघरों की कुल संख्या

वर्ग	शहरी	ग्रामीण	कुल
जी0पी0ओ0	01		01
प्रधान डाकघर	12		12
उपडाकघर	286	96	382
शाखा डाकघर	80	2261	2341
कुल	379	2357	2736

स्रोतः डाक संचार परिमंडल, उत्तराखण्ड।

तालिका 10.2
उत्तराखण्ड डाक परिमण्डल में बचत बैंक खातों की संख्या (31.12.2024 तक)

बचत खाते (SB)	1411892
आवर्ती जमा (RD)	1781168
मासिक आय योजना (MIS)	154503
सावधि जमा (TD)	474679
लोक भविष्य निधि (PPF)	52720
सुकन्या समृद्धि योजना (SSA)	564113
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)	30952
राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)	764479
किसान विकास पत्र (KVP)	481832
महिला सम्मान बचत पत्र (MSSC)	44692

स्रोतः डाक संचार परिमंडल, उत्तराखण्ड।

तालिका 10.3
वित्तीय सेवा

क0सं0	विवरण	दिसम्बर, 2024 तक
1	खोले गए पी0ओ0एस0बी0(पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक) खाते	440681
2	बंद हुए पी0ओ0एस0बी0 खाते	331193
3	Opened Net कुल पी0ओ0एस0बी0 खाते	109488
4	जारी किए गए बचत पत्र	45730

स्रोतः डाक संचार परिमंडल, उत्तराखण्ड।

तालिका 10.4
डाक जीवन बीमा(पी0एल0आई0) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर0पी0एल0आई0) में उपलब्धियाँ

क्र0सं0	दिसम्बर, 2024 तक	
	विवरण	डाक जीवन बीमा
1	नई पॉलिसियों की संख्या	5799
2	प्रीमियम से प्राप्त धनराशि (करोड़ रूपये में)	2.83
ग्रामीण डाक जीवन बीमा(आर0पी0एल0आई0)		
1	नई पॉलिसियों की संख्या	13192
2	प्रीमियम से प्राप्त धनराशि (करोड़ रूपये में)	03 -07

स्रोतः डाक संचार परिमंडल, उत्तराखण्ड।

तालिका 10.5
वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2024 तक प्राप्त शिकायतें व निपटान का विवरण

क0 सं0	शिकायतों का प्रकार	प्राप्त की संख्या	निस्तारण की संख्या
1	सीपीग्राम (Centalised Public Grievance Redress and Monitoring)	1514	1506
2	सीआरएम पोर्टल (Customer Relationship Management Portal)	17365	17220

स्रोतः डाक संचार परिमंडल, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड परिमण्डल में कुल 6 डाकघर पासपोर्ट सेवा है। अल्मोडा प्रधान डाकघर, रूडकी प्रधान डाकघर, नैनीताल प्रधान डाकघर, काठगोदाम उपडाकघर, रूद्रपुर मुख्य डाकघर, श्रीनगर उपडाकघर।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2024 तक परिमण्डल के डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से कुल 68385 पासपोर्ट आवेदनों का प्रसंस्करण किया गया।

गंगाजल परियोजना

गंगोत्री (उत्तराखण्ड में गंगा नदी के उद्‌गम) से गंगा नदी के पवित्र जल गंगाजल का संग्रह किया जा रहा है, जिसका निस्पंदन और बॉटलिंग दिनांक 01.01.2019 से उत्तकाशी मुख्य डाकघर में 250 मिलीलीटर की आकार की बोतलों में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2024 तक गंगाजल की कुल 2690 बोतलें उत्तराखण्ड परिमण्डल के डाकघरों के माध्यम से वितरित की गयी।

तालिका 10.6
आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केन्द्र (माह दिसम्बर, 2024 तक)

क्र0सं0	विवरण	संख्या
1	आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केन्द्र	208
2	आधार पंजीकरण एवं अद्यतन किये गये	96630
3	आधार सेवाओं से प्राप्त कुल राजस्व (लाख रूपये में)	54-548

स्रोत: डाक संचार परिमंडल, उत्तराखण्ड।

जन सेवा केन्द्र(सीएससी):–

सीएससी के माध्यम से समस्त प्रकार की सेवायें जैसे बिजली का बिल,पानी का बिल, आदि आर सी टी सी बुकिंग,प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एवं मोबाइल/डिश टी0वी0 रिचार्ज प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2024 तक सीएससी लेनदेन से डाक विभाग उत्तराखण्ड परिमण्डल ने 71345 रूपये का राजस्व अर्जित किया।

यात्री आरक्षी तन्त्र (पी.आर.एस):–

उत्तराखण्ड परिमण्डल में कुल 10 पैसेन्जर रिजर्वेशन सिस्टम (पी.आर.एस) अल्मोड़ा (05), नैनीताल (02), पिथौरागढ़ (03) स्थापित हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2024 तक 9456 टिकट बुक किये गये और 1.69 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया।

डाकघर निर्यात केन्द्र (डी.एन.के):–

वर्तमान में उत्तराखण्ड परिमण्डल में 19 डाकघर निर्यात केन्द्र स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2024 तक 6129 सामान बुक किये गये जिससे 65.46 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया है।

पार्सल पैकेजिंग यूनिट :–

पार्सल के सुरक्षित प्रेषण के लिये उत्तराखण्ड परिमण्डल में 36 पार्सल पैकेजिंग यूनिट की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2024 तक 2.78 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया है।

अध्याय–11
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन
Tourism and Civil Aviation

उत्तराखण्ड की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियां इस प्रकार की है कि राज्य में आय के अवसरों की तीव्रता से गति प्रदान करने के लिये तीव्र औद्योगिकरण एवं विनिर्माण सम्बन्धी गतिविधियों पर आवश्यकता से अधिक दबाव नहीं दिया जा सकता है। पर्यावरण के अनुरूप तथा राज्य में पर्यटन की दिशा में विकास की असीम सम्भावनाओं के मध्यनजर पर्यटन राज्य के आय में नये अवसरों को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, मोटल, पर्यटन वाहन, होम–स्टे, टूरिस्ट गाइड, पर्वतारोहण के संस्थान, प्रशिक्षक, साहसिक खेलों की परियोजनायें तथा तत्सम्बन्धी मानव संसाधनों का विकास आदि ऐसे क्षेत्र है, जिनसे न केवल अवसर प्राप्त हो सकते हैं वरन् पलायन जैसी गम्भीर समस्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है। राज्य में प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ देशी–विदेशी पर्यटक भ्रमण करने आते हैं। इससे राज्य की पर्यटन क्षमता का पता चलता है, स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने तथा रोजगार के नवीन अवसरों को सृजित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना, होम–स्टे योजना जैसे विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

पर्यटन आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण दिन प्रतिदिन आर्थिकी का प्रमुख क्षेत्र बनता जा रहा है। राज्य में पर्यटन के विकास की अपार सम्भावना मौजूद होने के कारण राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विकास पर अत्यधिक फोकस किया गया है। पर्यटन क्षेत्र राजस्व, रोजगार सृजन एवं रिवर्स माइग्रेसन के रूप में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है।

राज्य सरकार द्वारा व्यापक पर्यटन नीति 2023 लागू की गई है। विविधतापूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास, स्वास्थ्य पर्यटन, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य में ऑल वेदर रोड का निर्माण, अधिक से अधिक रोड कनेक्टिविटी, मोबाईल कनेक्टिविटी के साथ–साथ पर्यटकों को बेहतरीन सुविधायें प्रदान करने हेतु होम–स्टे योजना पर विशेष बल दिया गया है। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी) नये पर्यटन व्यवसायों की स्थापना हेतु कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करता है। उत्तराखण्ड राज्य धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। धार्मिक पर्यटन के अन्तर्गत चारधाम यात्रा, हेमकुण्ड साहिब यात्रा के साथ ही ''मानसखण्ड माला मिशन'', टिहरी फेस्टिविल आदि कार्यक्रमों को पर्यटन विभाग द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। राज्य में चार धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या वर्ष 2024 दिसम्बर तक 48.01 लाख हो गई है।

राज्य सरकार द्वारा ''होम–स्टे नीति'' साहसिक पर्यटन नीति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के संचालन से स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार प्रदान किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विभिन्न पर्यटक स्थलों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। ''हिमालय दर्शन योजना'', विभिन्न शहरों को हवाई यातायात से जोड़ने, रोप–वे बनाने के साथ–साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु निवेशकों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखण्ड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में एक प्रमुख केन्द्र बनाया जा रहा है।

राज्य गठन के उपरान्त 24 वर्ष की विकास यात्रा में पर्यटन के अन्तर्गत सराहनीय प्रगति हुई है, परन्तु फिर भी अनेक पर्यटक स्थल विकसित होने से छूट गये हैं। इन स्थलों को पर्याप्त महत्व दिया जाना आवश्यक है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनायें हैं। राज्य में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर के स्मार्ट पर्यटन को बढावा दिया जाना चाहिये। होम–स्टे की ऑनलाइन बुकिगं तथा प्रत्येक जनपद में एक "पर्यटन गांव" विकसित करने के साथ ही स्थानीय उत्पादनों को बढावा देने हेतु नीति तैयार किये जाने की आवश्यकता है

उत्तराखण्ड हमेशा से ही देश–विदेश के पर्यटकों / यात्रियों को आकर्षित करता रहा है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ–गंगोत्री–यमुनोत्री तथा हेमकुण्ड–लोकपाल, नानकमत्ता, मीठा–रीठा साहिब एवं पिरान कलियर नामक विभिन्न धर्मों के पवित्र तीर्थ स्थलों युक्त इस प्रदेश में पर्यटन की प्रमुख विधा, तीर्थाटन प्राचीन काल से ही प्रभावी रही है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक, नैसर्गिक, साहसिक, वन्य–जन्तु, इको टूरिज्म, मनोरंजन (आमोद–प्रमोद) आदि अनेक विधाओं के लिये संसाधन उपलब्ध है। भारत के उत्तरी भू–भाग को हरा–भरा करने वाली पतित पावनी गंगा–यमुना के उद्‌गम स्थलों के इस प्रदेश की सांस्कृतिक परम्परा, अलौकिक / नैसर्गिक सौन्दर्य तथा शीतल व प्राणदायिनी शुद्ध जलवायु पर्यटकों को आर्कषित करने के लिये प्रमुख संसाधन है। पर्यटन विभाग राज्य में विविध एवं मनमोहक पर्यटन स्थलों के स्तत एवं सुनियोजित विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग स्थायी पर्यटन प्रथाओं, सामुदायिक जुडाव और प्रोद्यागिकी के एकीकरण के लिये प्रतिबद्ध है। राज्य में पर्यटन क्षेत्र की सफलता सरकार स्थानीय समुदाओं, निजी उद्यमियों के साथ ही यात्रियों / पर्यटको के सहयोगात्मक प्रयासो पर निर्भर है। राज्य की आर्थिकी में पर्यटन की महत्तवपूर्ण भूमिका है जिसे सभी हितधारको के सहयोग एवं प्रयासों से निश्चित रूप से बढाया जा सकता है।

चार्ट – 11.1

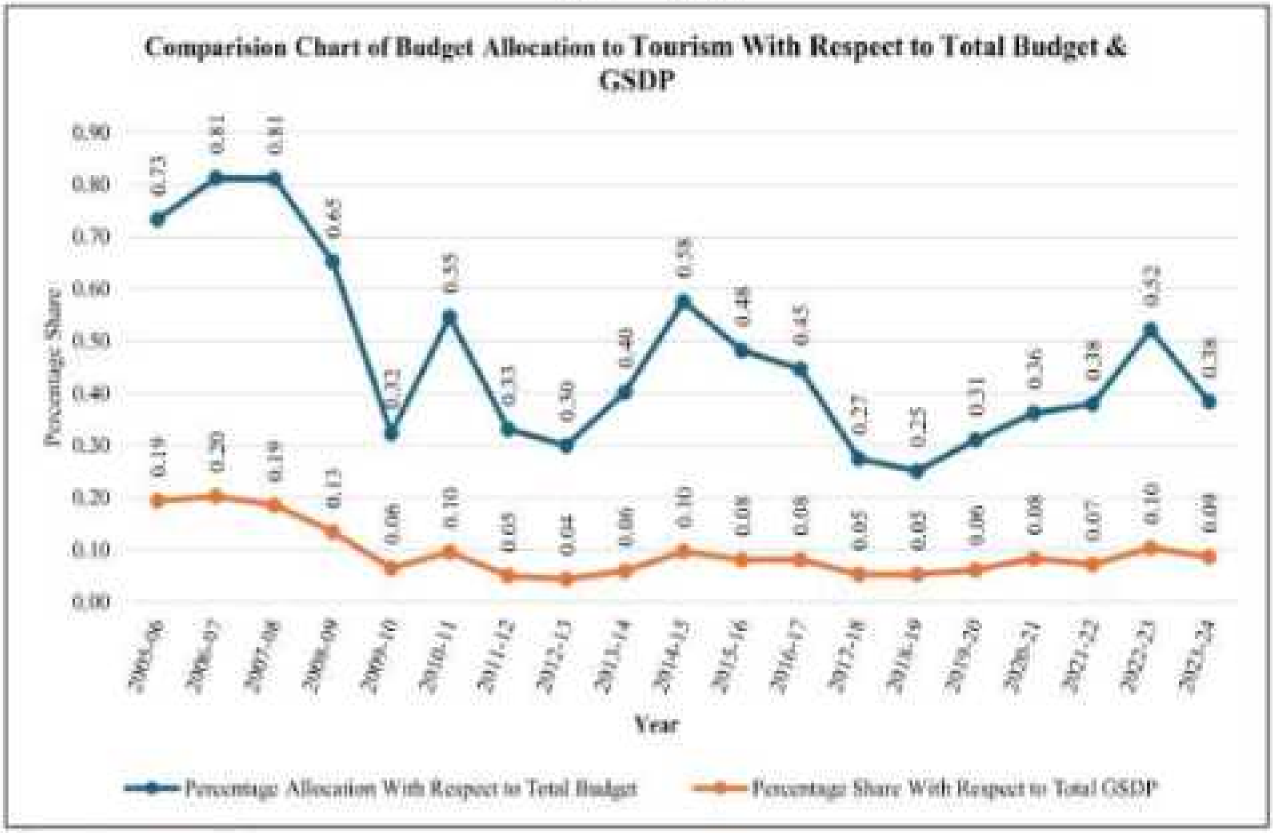

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

11.1 पर्यटन विभाग के बजट परिव्यय का कुल बजट एवं GSDP से प्रतिशतः— वर्ष 2005–06 में पर्यटन विभाग का बजट परिव्यय कुल बजट का 0.73 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2023–24 में घटकर 0.38 प्रतिशत है । GSDP में पर्यटन विभाग का योगदान वर्ष 2005–06 में 0.19 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2023–24 में घटकर 0.09 प्रतिशत है।

11.1.1 उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना–2024

पर्यटन नीति– 2023 के उद्देश्यों के साथ–साथ स्थानीय समुदाय को समानुपाती पर्यटन लाभ प्रदान किये जाने व पर्यटन गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने, आजीविका तथा रोजगार सृजन के लाभ का संतुलित वितरण किये जाने तथा वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की परिकल्पना की गई है।

प्रदेश की भौगोलिक एवं आर्थिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवासियों के स्वरोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा दिए जाने हेतु छोटे स्तर पर होम स्टे विकास योजना एवं वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का सफल संचालन किया जा रहा है, जिसमें अधिकतम 33 प्रतिशत अथवा 33 लाख की वित्तीय अनुदान का प्राविधान किया गया है, जिसमें अधिकतम 01 करोड़ तक की परियोजनाओं पर अधिकतम वित्तीय अनुदान ही प्राप्त किया जा सकता है।

प्रदेश के स्थायी उद्यमियों हेतु चिन्हित पर्यटन गतिविधियों/क्रियाकलापों में 01 करोड़ से 05 करोड़ तक के निवेश को बढ़ावा दिए जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। इस क्षेत्र के समावेशी विकास को केन्द्रित तरीके से

बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर सृजित करने एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के दृष्टिगत वर्तमान परिदृश्य और अनुमानित भविष्य के अनुरूप, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना–2024 प्रख्यापित की गयी है।

उद्देश्यः–

- स्थानीय निवासियों हेतु लघु पर्यटन इकाईयों की स्थापना और विकास को प्रोत्साहित करना तथा राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था में उनके विकास और योगदान को बढ़ावा देना।
- वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता प्रदान कर स्थानीय निवेशकों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना तथा क्षेत्र में समावेशी विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ ही अनुकूल व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय निवेश को प्रोत्साहित करना।
- 01 करोड से 05 करोड लागत के अन्तर्गत चिन्हित पर्यटन गतिविधियों/क्रियाकलापों में उच्च गुणवत्ता और स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देना।
- राज्य में छोटे व मंझोले पर्यटन व्यवसायियों को पर्यटन के क्षेत्र में अनुदान/वित्तीय प्रोत्साहन का अधिकतम लाभ प्रदान कर नये निवेश हेतु प्रेरित कर देश विदेश के निवेशकों के अनुकूल वातावरण प्रदान करना।
- संसाधनों और सहायता के केंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित कर समावेशी पर्यटन विकास के माध्यम से उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों तक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे में वृद्धि से लाभ सुनिश्चित करना।
- यह योजना उत्तराखंड पर्यटन नीति–2023 के उद्देश्यों के साथ संरेखित है, जो राज्य के समग्र आर्थिक विकास और कल्याण में योगदान देने वाली पर्यटन संबंधी पहलों को बढ़ावा देने और समर्थन करने का प्रयास करती है।

पात्रता

- योजना उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों/उद्यमियों के लिए है।
- निवेश की सीमा ₹ 1 करोड़ से ₹ 5 करोड़ के बीच होनी चाहिए।
- चिन्हित पर्यटन गतिविधियों या परियोजनाओं में निवेश करने वाले उद्यमी ही पात्र होंगे।
- इकाई की स्थापना के लिए पूर्ण स्वामित्व/पट्टे की भूमि आवश्यक है।

क्षेत्रीय वर्गीकरण/श्रेणीकरण

श्रेणी–ए (A)

- हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र
- देहरादून जिले के ऐसे क्षेत्र जो श्रेणी 'बी' में सम्मिलित नहीं है
- अल्मोड़ा जिले की रानीखेत तथा अल्मोड़ा तहसील

श्रेणी–बी (B)

- अल्मोड़ा जिले का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'ए' में सम्मिलित नहीं है)
- देहरादून जिले की कालसी, चकराता तथा त्यूनी तहसील
- बागेश्वर जिले की गरूड़ तहसील
- पौडी गढ़वाल जिले की कोटद्वार, लेंसडाउन, यमकेश्वर तथा धूमाकोट तहसील
- टिहरी गढ़वाल जिले की धनोल्टी तथा नरेन्द्रनगर तहसील

श्रेणी–सी (C)

- उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा पिथौरागढ़ जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र
- बागेश्वर, पौडी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल जिलों का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'बी' में सम्मिलित नहीं है)

वित्तीय प्रोत्साहन का विस्तृत विवरण

- स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति
- नई इकाइयों की स्थापना पर 100% स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति।

पूंजीगत प्रोत्साहन / अनुदान

- ₹ 1 करोड़ के निवेश पर न्यूनतम ₹ 33 लाख अनुदान।
- ₹ 1 करोड़ से ऊपर अतिरिक्त निवेश परः–
- श्रेणी ए में 15% अतिरिक्त अनुदान (कुल अधिकतम ₹ 80 लाख)
- श्रेणी बी में 25% अतिरिक्त अनुदान (कुल अधिकतम ₹ 1.20 करोड़)
- श्रेणी सी में 30% अतिरिक्त अनुदान (कुल अधिकतम ₹ 1.50 करोड़)

ब्याज सहायता

- 3 वर्षों तक सावधि ऋण पर ब्याज सहायताः–
- श्रेणी ए–3% (अधिकतम ₹ 4 लाख प्रति वर्ष)
- श्रेणी बी–3% (अधिकतम ₹ 5 लाख प्रति वर्ष)
- श्रेणी सी–3% (अधिकतम ₹ 6 लाख प्रति वर्ष)

11.1.2 मानसखण्ड मंदिर माला मिशन

मानसखण्ड का उल्लेख स्कन्दपुराण में वर्तमान कुमाऊँ क्षेत्र से है। प्राचीन साहित्य (पुराणों) में भौगोलिक दृष्टि से हिमालय को पाँच खण्डों में विभाजित किया गया है– नेपाल खंड, मानसखण्ड (कूर्मांचल / कुमाऊँ), केदारखण्ड (गढवाल), जालंधर खंड (हिमाचल), एवं कश्मीर खंड। प्राचीन मानसखण्ड साहित्य के अनुसार मानसखण्ड का विस्तार पर्वतीय सीमा "नंद पर्वत"(नंदा देवी गिरि पिण्ड का पूर्वी शिखर नंदाकोट) से आरंभ होकर काकगिरि (पश्चिमी नेपाल का एक पर्वत) तक है। इस क्षेत्र में अनेकों प्राचीन मंदिर एवं गुफाएं अवस्थित है। राज्य सरकार गढवाल मण्डल में होने वाली चारधाम यात्रा की भांति मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के रूप में कुमाऊँ क्षेत्र के पौराणिक मंदिरो का चिन्हिकरण करते हुये इनमें आवश्यकतानुसार अवस्थापना सुविधाएं विकसित करना चाहती है। इससे देशी विदेशी पर्यटको को क्षेत्र की समृद्ध पौराणिक एवं सांस्कृतिक विरासत से परिचित भी कराया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागो एवं जिलाधिकारियों के सहयोग से इस मिशन के लिए कुल–48 मंदिरों को चिन्हित किया गया है। जिसमें से प्रथम चरण के 16 मंदिरों के अवस्थापना विकास कार्य करवाये जाने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा कन्सलटेंट के माध्यम से Concept Plan तैयार करवायें गये है।

योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में चयनित 16 मंदिरों मे से अब तक 9 मंदिरों जिनमें जागेश्वर धाम, मां नंदा देवी मंदिर, पाताल भुवनेश्वर, हाटकालिका मंदिर, बैजनाथ मंदिर, नैना देवी, कैंचीधाम, पाताल रूद्रेश्वर, मां बाराही देवी देवीधुरा, शामिल है के लिये कुल ₹ 106.72 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के रूप में ₹ 43.93 करोड़ निर्गत कर दिये गये हैं। इस योजना के अवस्थापना कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। जिनके स्तर पर निर्माण कार्य सम्बन्धी कार्यवाही विभिन्न चरणों में गतिमान है

मानसखण्ड मंदिरों का देशभर में प्रचार–प्रसार किये जाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा IRCTC के साथ मिलकर **"भारत गौरव मानसखण्ड एक्सप्रेस"** ट्रेन का संचालन पुणे, बैंगलोर, मुम्बई, चेन्नई, से करवाया गया जिसमें कुल 1170 यात्रियों/श्रद्धालुओं द्वारा मानसखण्ड मंदिरों सहित ही कुमाऊँ क्षेत्र के अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाया गया। आगे भी इस ट्रेन का संचालन देश के अन्य बडे शहरों से किया जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

11.1.3 चारधाम यात्रा–2024

- चारधाम यात्रा–2024 के अन्तर्गत बद्रीनाथ में 14.35 लाख, केदारनाथ में 16.52 लाख, गंगोत्री में 8.15 लाख, यमुनोत्री में 7.15 लाख एवं हेमकुण्ड साहिब में 1.84 लाख कुल 48.01 लाख श्रद्धालुओं/यात्रियों द्वारा वर्ष 2024 में चारधाम तथा श्री हेमकुण्ड साहिब के दर्शन किये गये है।
- चारधाम यात्रा के सम्बन्ध में IIM रोहतक द्वारा चारधाम धारक क्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया उक्त अध्ययन के आधार पर चारधाम की धारक क्षमता का निम्नानुसार आंकलन किया गया है:–

तालिका 11·1

क्र0 सं0	चारधाम	धारक क्षमता
01	श्री केदारनाथ	17894
02	श्री बद्रीनाथ	15088
03	गंगोत्री धाम	9016
04	यमुनोत्री धाम	7871

स्रोत पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

11.1.4 डेस्टीनेशन बेस्ड प्लानिंगः–

- जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत श्री जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान तैयार किया गया, मास्टर प्लान में प्रस्तावित ₹ एक सौ तैंतीस करोड पिच्चसी लाख (₹ 133.85 करोड़) के कार्यो के सापेक्ष ₹ इक्कीस करोड़ चौतीस लाख (₹ 21.34 करोड़) की वित्तीय स्वीकृति अब तक जारी की गयी है।

- विद्युतीकरण योजना (Illumination Project) के अंतर्गत तहसील ऋषिकेश के पर्यटक स्थलों भवनों/आश्रमों/घाटों/मंदिरों/सेतुओं आदि स्थलों पर Illumination के कार्य ₹ 1116.61 लाख की लागत से करवाये गये। ठंडी सडक, नैनीताल में Facade Illumination के कार्य हेतु ₹ 765.37 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके सापेक्ष प्रथम चरण में 100.00 लाख की लागत से Illumination कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही जागेश्वर धाम मास्टर प्लान के अंतर्गत धाम का विद्युतीकरण कार्य भी करवाये जा रहें हैं।

- ₹ 285 करोड़ की लागत से देहरादून (पुरूकल गांव) से मसूरी (लाईब्रेरी चौक) रोप–वे परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, वर्ष 2026 तक उक्त योजना पूर्ण होना अनुमानित है।

- टूलीगाड से पूर्णागिरी तथा जानकीचट्टी (खरसाली) से यमुनोत्री मंदिर तक रोप–वे परियोजना पी0पी0पी0 मोड में विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन करते हुए रोपवे निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

- वर्ष 2024 में माह अप्रैल से अक्टूबर तक कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश एवं ओम पर्वत के दर्शन हेतु हैली दर्शन योजना संचालित की गयी। जिसमें 144 यात्रियों को दर्शन करवाये गये।

- वाईब्रेंट विलेज योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी के जांदुग गॉव जो कि 1962 के भारत–चीन युद्व के समय खाली करवाया गया था, गॉव में जीर्ण–शीर्ण भवनों को पुर्ननिर्मित करते हुए होम–स्टे के रूप में विकसित करने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत जांदुग गांव के 06 भवनों का जीर्णोद्वार कार्य प्रांरम्भ कर दिया गया है।

- श्री केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की तर्ज पर महासू देवता हनोल का मास्टर प्लान तैयार करवाया जा रहा है।

11.1.5 ट्रैवल एण्ड ट्रेडः–

1–मानव संसाधन का विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकासः–

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें जनपद नैनीताल एवं पिथौरागढ़ में डैस्टिनेशन टूरिस्ट गाइड कार्यक्रम आयोजित किया गया। धारचूला (पिथौरागढ़) एवं बिनसर (अल्मोड़ा में होमस्टे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। SIDBI के Tourism Cluster Intervention कार्यक्रम के अन्तर्गत चार धाम यात्रा मार्ग पर जोशीमठ (चमोली) गुप्तकाशी, ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग), हर्षिल, नौगांव (उत्तरकाशी) में होमस्टे प्रशिक्षण आयोजित किया गया एवं ऋषिकेश तथा हरिद्वार में कैब ड्राईवर प्रशिक्षण

कार्यक्रम आयोजित किया गया।

2–जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करना:–

विभाग द्वारा प्रशिक्षित गाइडों का रोजगार हेतु तैयार करने के लिये उनकी Upskilling करने हेतु Tour Manager, Naturalist, Street Food Vendor,Astro Tourism, Homestay Training का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। गाइडों के कार्यों को रिकॉर्ड करने हेतु Web Portal/Mobile Application विकसित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

3–प्रशिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध करना :–

विभाग द्वारा विभाग द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय एवं INTACH संस्थान को टूरिस्ट डैस्टिनेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सूचीबद्ध किया गया था। RPL के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु THSC एवं UTDB के मध्य मार्च 2023 में 4000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया था। होम–स्टे प्रशिक्षण हेतु गढ़वाल मण्डल हेतु SIHM नई टिहरी एवं कुमाऊं मण्डल हेतु IHM देहरादून, SIHM रामनगर को सूचीबद्ध किया गया है।

4–प्रशिक्षण आवश्यकता की पहचान:–

राज्य के अन्तर्गत पर्यटन गतिविधियों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की पहचान कर स्थानीय व्यक्तियों को सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा। वाइब्रेन्ट विलेज कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले गांवों के युवाओं को भी विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

5– पर्यटन / Hospitality क्षेत्र में Skilled मानव संसाधन:–

पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार किये जाने हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हुनर से रोजगार तक एवं स्किल टैस्टिंग एण्ड सर्टिफिकेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन की कार्यवाही गतिमान है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा होम–स्टे संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, टूरिस्ट डैस्टिनेशन गाइड प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पर्यटक स्थलों के ढाबा संचालकों, गेस्टहाउस कीपर आदि को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या:–

वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न संस्थानों के माध्यम से कराये जा रहे हैं:–

विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 में आयोजित प्रशिक्षण

तालिका 11.2

क्र0सं0	प्रशिक्षण का नाम	संस्थान का नाम
1	टूरिस्ट डैस्टिनेशन गाइड प्रशिक्षण।	Tourism and Hospitality Skill Council(THSC)
2	होम–स्टे प्रशिक्षण	आइ0एच0एम0 देहरादून, एस0आई0एच0एम0 नई टिहरी एवं एम0आई0एच0एम0, रामनगर।
3	हुनर से रोजगार, स्किल टैस्टिंग एण्ड सर्टिफिकेशन्स एवं Entrepreneurship कार्यक्रम	आई0एच0एम0 देहरादून, जी0आई0एच0एम0 अल्मोड़ा, जी0आई0एच0एम0 देहरादून एवं एस0आई0एच0एम0 नई टिहरी

स्रोतः पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

तालिका 11.3

कार्यक्रमों में वर्तमान तक प्रशिक्षुओं की संख्या निम्नवत है:-

क्र0सं0	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	कुल प्रशिक्षणार्थी
1	हुनर से रोजगार तक	100
2	स्किल टैस्टिंग एण्ड सर्टिफिकेशन्स	100
3	डैस्टिनेशन टूरिस्ट गाइड कार्यक्रम	336
4	हैरिटेज टुअर गाइड	999
5	नेचर गाइड	550
6	ढाबा संचालक, गेस्ट हाउसकीपर, कोमी शेफ आदि प्रशिक्षण	1976
7	टैक्सी संचालक (टुअर ड्राईवर)	500
8	होम–स्टे प्रशिक्षण	554
9	मेक माई ट्रिप के माध्यम से प्रशिक्षण	142
10	SIDBI ds Tourism Cluster Intervention कार्यक्रम के अन्तर्गत चार धाम यात्रा मार्ग पर होमस्टे प्रशिक्षण	153
11	SIDBI ds Tourism Cluster Intervention कार्यक्रम के अन्तर्गत कैब ड्राईवर प्रशिक्षण	251
12	Airbnb द्वारा चौकोड़ी, पिथौरागढ़ में होमस्टे संचालकों को प्रशिक्षण	46
13	Airbnb द्वारा कौसानी, अल्मोड़ा में होमस्टे संचालकों को प्रशिक्षण	40
	योग	**5747**

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

होम स्टे पंजीकरण हेतु OTA (Online Travel Aggregator) Platform विकसित किया गया है जिसमे आतिथि तक कुल 690 OTA द्वारा पंजीकरण किया गया है जिनका जनपदवार विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका 11.4

क्र0सं0	जनपद का नाम	पंजीकृत होमस्टे की संख्या
01	अल्मोड़ा	78
02	बागेश्वर	09
03	चंपावत	23
04	पिथौरागढ़	12
05	उधमसिंहनगर	02
06	नैनीताल	164

07	देहरादून	58
08	पौडी	99
09	चमोली	66
10	उत्तरकाशी	64
11	टिहरी	65
12	रुद्रप्रयाग	17
13	हरिद्वार	33
	योग	**690**

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

11.2 साहसिक पर्यटन गतिविधियां

1–वर्ल्ड एक्रो चैम्पियनशिप एवं एयरो शो टिहरी:–वर्ष 2024–25 मे दिनांक 19.12.2024 से 23.12.2024 तक पर्यटन विभाग के सौजन्य से जनपद टिहरी में वर्ल्ड एक्रो चैम्पियनशिप एवं एयरो शो का भव्य आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में विश्व स्तर की एक्रो प्रतियोगिता में 24 विदेशी पायलट, भारतीय स्तर की एक्रो प्रतियोगिता में 12 स्वदेशी पायलट एवं भारतीय स्तर की एस0आई0वी0 प्रतियोगिता में 76 स्वदेशी पायलटों ने प्रतिभाग किया एवं फ्लाईट विंग सूट जम्पस, एक्रोबैटिक्स, डी–बैग शो का प्रदर्शन किया गया। वर्ल्ड एक्रो चैम्पियनशिप एवं एयरो शो में पर्यटन विभाग द्वारा ₹ 1.5 करोड़ (₹ एक करोड पचास लाख) की धनराशि एवं पैराग्लाईडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये ₹ 1.41 करोड़ (₹ एक करोड़ इकतालीस लाख) की धनराशि व्यय की गई है। टिहरी स्थानीय युवाओं को निशुल्क पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण के अन्तर्गत गाइडेड कोर्स, एस0आई0वी0, क्रॉस कन्ट्री और थरमलिंग कराया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य जून 2025 तक 160 से अधिक कुशल पैराग्लाइडर को सशक्त बनाने का है। यह प्रयास न केवल साहसिक खेलों को बढावा देता है, बल्कि हमारे स्थानीय युवाओं के लिये रोजगार के अमूल्य अवसर भी पैदा कर रहा है। झील की आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि और अद्वितीय स्थलाकृति से समृद्ध टिहरी दुनिया की पैराग्लाइडिंग राजधानी बनने के लिये तैयार है। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद उत्तराखण्ड राज्य को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्वता मे दृढ रहा है प्राकृतिक सुंदरता रोमांच और सांस्कृतिक विरासत का सामजस्य मिश्रण है। टिहरी एक्रो फेस्टिवल इस प्रतिबद्वता का एक प्रमाण है।

2– आदि कैलाश, ओम पर्वत तथा कैलाश दर्शन हैली यात्रा:–

आदि कैलाश जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, कुमाऊँ हिमालय मे स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। हिन्दू पौराणिक कथाओं में इसका आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व है और इस क्षेत्र में भगवान शिव के निवास एवं तप स्थल कैलाश पर्वत की सांसारिक अभिव्यक्ति माना जाता है। आदि कैलाश हिन्दुओं के लिए बहुत धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व रखता है, मान्यता है, कि इस पवित्र पर्वत की तीर्थयात्रा करने से आध्यात्मिक शान्ति स्वतः ही मिलती है। आदि कैलाश पर्वत को तिब्बत में अवस्थित कैलाश

पर्वत की प्रतिकृति माना जाता है और मान्यता है कि यहां भगवान शिव का मूल निवास है। आदि कैलाश के आस पास स्थित ऊँ पर्वत हिन्दुओं का पूजनीय एक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। पर्वत का नाम पवित्र हिन्दू प्रतीत "ओम" (ॐ) से लिया गया है, जो प्राकृतिक रूप से पूर्व से पर्वत की ढलानों पर बर्फ जमा होने से बनता है। आदि कैलाश के दर्शन जौलिंगकांग तथा ऊँ पर्वत के दर्शन नावीढांग से किये जाते है।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रथम चरण में दिनांक 08 अप्रैल से 15 मई 2024 तक कुल 77 यात्रियों एवं दिनांक 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक कुल 34 यात्रियों को आदि कैलाश एवं ओम पर्वत के दर्शन हैलीकॉप्टर के माध्यम से कराये गये, जिसमें कुल 111 (77 + 34) यात्रियों के पक्ष में प्रति यात्री @₹ 26,000.00 की दर से कुल ₹ 28,86,000.00 का राजकीय अनुदान दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के जखोल को Best Tourism Village का पुरस्कार, जनपद बागेश्वर के सूपी को Best Adventure Village पुरस्कार, जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम गुंजी एवं जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल को Best Vibrant Village पुरस्कार प्रदान किया गया।

3. "महिला व्हाइट वॉटर रिवर राफ्टिंग गाईड प्रशिक्षण शिविरः–

ऋषिकेश में माह अप्रैल 2024 में महिलाओं को राफ्टिंग व्यवस्था से जोड़े जाने हेतु प्रथम बार 05 दिवसीय "महिला व्हाइट वॉटर रिवर राफ्टिंग गाईड प्रशिक्षण कराया गया तथा 03 माह की इंटर्नशिप करायी गयी। उक्त प्रशिक्षण शिविर में 16 महिला प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिस पर पर्यटन विभाग द्वारा ₹ 4.41 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है।

4– भीमताल झील में लॉइफ सेविंग टैक्निक एवं बेसिक क्याकिंगः–

साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत राफ्टिंग गतिविधियों के दौरान रेस्क्यू को प्रबलता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत 18 प्रशिक्षणार्थियों को लॉइफ सेविंग टैक्निक एवं बेसिक क्याकिंग का प्रशिक्षण कराया गया। उक्त प्रशिक्षण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा ₹ 3. 00 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है।

5– ऋषिकेश में लॉइफ सेविंग टैक्निक एवं व्हाइट वॉटर क्याकिंगः–

साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत राफ्टिंग गतिविधियों के दौरान रेस्क्यू को प्रबलता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत 14 प्रशिक्षणार्थियों को लॉइफ सेविंग टैक्निक एवं बेसिक क्याकिंग का प्रशिक्षण कराया गया। उक्त प्रशिक्षण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा ₹ 14. 00 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है।

11.1.7 पर्यटन स्वरोजगार योजनाएं

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली अंतर्गत जनपद वार लाभार्थियों का विवरण

उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासियों एवं मुख्य रूप से युवावर्ग को पर्यटन सेक्टर में अधिकाधिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड की प्रथम स्वरोजगार योजना **"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना"** का प्रारम्भ 01 जून, 2002 को किया गया। यह योजना राज्य के मूल/स्थाई निवासियों को स्वरोजगार प्रदान कर स्वावलम्बी बनाने की दिशा में भी उत्तराखण्ड पर्यटन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हो रही है।

चार्ट 11.2

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद वार लाभार्थियों का विवरण

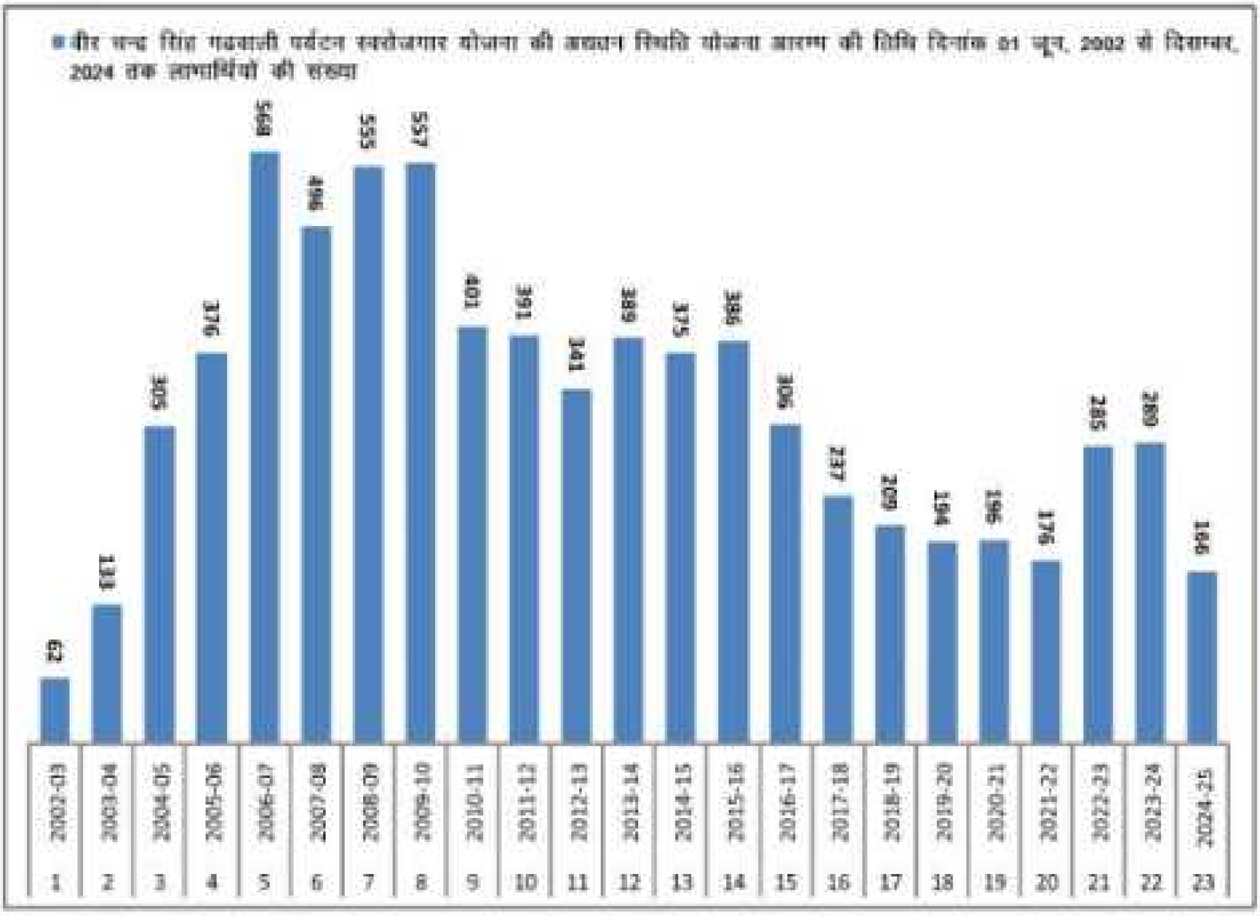

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

11.2.1 दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे योजना)

ग्रामीण पर्यटन विकसित करने तथा पलायन को रोकने के उद्देश्य से ''दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना'' प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निवासियों को होमस्टे निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 15.00 लाख का पूंजी अनुदान तथा प्रथम 05 वर्षो तक अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.50 लाख की दर से ब्याज अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2024 तक कुल 969 व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

तालिका 11.6

दीन दयाल उपाध्याय अंतर्गत जनपद वार लाभार्थियों का विवरण

Deen Dayal Upadhyay Grah Awas (Home -Stay) Scheme								
S.No.	District	Year wise Beneficiaries						
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 upto (December 2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	10

1	Almora	4	8	7	16	19	32	13
2	Bageshwar	0	3	5	8	8	15	3
3	Champawat	1	5	3	1	14	15	8
4	Chamoli	2	17	27	14	35	32	17
5	Dehradun	2	5	2	6	6	9	2
6	Haridwar	0	0	0	0	2	4	1
7	Nainital	3	10	14	23	30	29	23
8	Pauri	1	8	15	10	18	19	8
9	Pithoragarh	3	11	23	14	13	9	8
10	Rudraprayag	0	10	2	9	18	15	4
11	Tehri	4	18	14	13	32	29	29
12	Udham Singh Nagar	0	1	0	0	1	1	0
13	Uttarkashi	5	9	16	17	26	26	7
	Total	**25**	**105**	**128**	**131**	**222**	**235**	**123**

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

तालिका 11.7
अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होमस्टे)''पंजीकरण योजना''

Atithi Uttarakhand Grah Awas Home -Stay Registration Scheme

		Year wise Beneficiaries								
S.No	**District**	**2015 - 16**	**2016 - 17**	**2017 - 18**	**2018 - 19**	**2019 - 20**	**2020 - 21**	**2021 - 22**	**2023 - 24**	**2024 -25 upto (December 2024)**
1	**Almora**	0	0	0	27	20	16	36	41	55
2	**Bageshwar**	0	15	8	13	28	45	16	14	26
3	**Champawat**	0	0	0	2	6	75	44	17	16
4	**Chamoli**	0	0	0	125	195	95	42	55	70
5	**Dehradun**	0	7	59	86	108	78	58	137	48
6	**Haridwar**	2	1	2	8	5	6	7	32	6
7	**Nainital**	5	14	12	67	89	117	105	175	145
8	**Pauri**	0	0	4	16	62	26	60	30	18
9	**Pithoragarh**	0	0	0	141	177	193	70	61	16

10	Rudraprayag	0	0	0	57	66	38	42	23	12
11	Tehri	0	14	21	23	46	40	45	102	123
12	Udham Singh Nagar	0	0	0	0	2	1	0	1	0
13	Uttarkashi	0	0	0	0	13	43	88	88	40
	Total	**7**	**51**	**106**	**565**	**817**	**773**	**613**	**776**	**575**

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

11.2.2 "ट्रेकिंग ट्रक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना"

वर्ष 2020 में "ट्रेकिंग ट्रक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना" प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर मुख्य शहर से दूर ऐसे स्थानों पर विकसित किये जायेंगे जहां से अधिकतम ट्रैकिंग मार्ग गुजरते हो। इन सेंटरों से गुजरने वाले ट्रैकिंग मार्गों पर स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर से 02 किमी0 की परिधि व ट्रैकिंग मार्ग पर होमस्टे बनाये जाने पर आकर्षक राज्य सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

तालिका 11.8

ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर होम–स्टे अनुदान योजना की प्रगति मार्च–2024

क्र0सं0	जनपद	लक्ष्य	प्रगति	ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर का नाम	ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर के अन्तर्गत आच्छादित गांव का नाम
1	बागेश्वर	**25**	**15**	1. खाती	1. दऊ 2. जैकुनी 3.खाती गांव।
				2. गोगिना	1. कीमू गांव 2.गोगिना 3. नामिक।
2	चमोली	**50**	**50**	1. लोहाजंग	1. लोहाजंग 2 . मुन्दोली, 3. वॉक 4. कुलिंग 5. दिदिना 6. वाण 7. वलाण 8. हिमनी 9. घेस।
				2. भविष्य बद्री	1. तपोवन 2.रिंगी 3.सुभाई 4.सलधान
				3. बडगिण्डा	1.बडगिण्डा 2.देवग्राम 3.गीरा 4.डुमक 5. ल्यारी 6.धैणा 7. मैठा 8. नकी
3	पिथौरागढ़	**50**	**19**	1. सिरमोली सुरिंग	1. सरमोली 2.सुरिंग 3.रिलकोट 4.मरतोली 5. मिलम
				2. दर	1.दर 2.नागलिंग 3.सौन 4.डाकर 5. दुग्तु।
				3.पांगू	1. पांगू 2. बूंदी 3.गुंजी 4.कुटी 5.सोसा 6. नाबी
4	टिहरी	**50**	**71**	1. घुत्तू	1. घुत्तू 2.रानीडाल 3.ऋषिधार 4.सत्याला 5.मल्ला 6 .मेहरगांव 7 .रीथक 8 .गंगी 9 . पुजार गांव 10 सेंदवाल गांव 11.बैत्याण गांव 12 . जोगीयाडा 13 . भाटगांव 14 . अगवा गांव 15 .मल्लागवणा 16 . तल्लागवणा 17. मेण्डू 18. रिन्धवाल
				2. बुढ़ाकेदार	1.बुढ़ाकेदार 2.कोटी 3.पिस्वाड़
				3. पंतवाड़ी	1.पन्तवाडी 2.बाण्डासारी 3. तेवा 4. औतंड 5. देवलसारी 6. सेन्दुल 7.नागथात

5	उत्तरकाशी	**50**	**45**	1. अगोड़ा	1. अगोडा 2.भंकुली 3.गजोली 4.दासड़ा 5. नौगांव 6.दन्दालका 7. निसणी 8.बाड़िया 9. पिण्ढकी
				2 हर्षिल	1 हर्षिल 2 बगोरी 3.धराली 4.मुखवा
				3. सांकरी	1. कोट गांव 2.सांकरी 3.सौड़ 4.गंगाड 5. ओसला 6. सिदरी
				4. रैथल	1.रैथल 2. नटीण 3. बन्द्रणी 4. द्वारी 5. क्यार्क 6.बार्सु
6	रूद्रप्रयाग	**25**	**0**	1. सारी	1. दिलमी 2. दैड़ा 3.मस्तूरा 4. सारी
				2. अक्तोली भौंसार	1. रांसी 2. गौण्डार
		250	**200**	**17**	**102**

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

वर्तमान में 06 जनपदों में ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर होम–स्टे अनुदान योजना लागू है, जिसमें 17 ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर एवं 102 गावं अधिसूचित है योजना आरम्भ से लेकर माह दिसम्बर 2024 तक 553 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

11.3 नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण

तालिका 11.10

क्र.सं.	उपलब्धियाँ
1.	आर0सी0एस0 योजना के अंतर्गत 13 हैलीपोर्ट में से 08 हैलीपोर्ट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है। 1. चिन्यालीसौड (उत्तरकाशी) 2. गौचर (चमोली) 3.कोटी कॉलोनी (टिहरी गढ़वाल) 4. श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) 5. फलसीमा टाट्रिक(अल्मोड़ा) 6.हल्द्वानी (नैनीताल) 7. सहस्त्रधारा(देहरादून) 8. मुनस्यारी (पिथौरागढ़)
2.	उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न नए स्थानों पर हैलीपैड बनाये जाने हेतु सर्वे का कार्य उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। जिसमें 17 स्थानों पर भूमि हैलीपैड निर्माण हेतु उपयुक्त पायी गयी है तथा हैलीपैड निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है।
3.	उत्तराखण्ड राज्य में आर0सी0एस0 उड़ान योजना के अंतर्गत के कुल 22 रूटों पर हवाई सेवा गतिमान थी, जिसका विवरण निम्न है:– 1-Dehradun – Tehri 2-Tehri – Srinagar 3-Srinagar – Gauchar 4-Gauchar – Srinagar 5-Srinagar – Tehri 6-Tehri – Dehradun 7- Dehradun – Srinagar 8-Srinagar – Dehradun 9-Dehradun – Gauchar 10-Gauchar – Dehradun 11-Sahastradhara – Gauchar 12-Gauchar – Sahastradhara 13-Sahastradhara – Chinyalisaur 14-Chinyalisaur – Sahastradhara 15-Dehradun – Haldwani/Pantnagar 16-Haldwan- Pantnagar/Dehradun 17-Pantnagar – Pithoragarh 18-Pithoragarh – Pantnagarh 19-Pantnagar – Almora 20-Almora – Pantnagar 21-Almora-Pithoragarh 22-Pithoragarh-Almora आर0सी0एस0 उड़ान योजना के अंतर्गत उपरोक्त 22 गतिमान रूटों में से वर्तमान में निम्नलिखित 08 रूटों पर

	(हेलीकाप्टर) सेवा संचालित हो रही है:– 1-Dehradun-Almora 2-Almora-Dehradun 3-Haldwani-Munsyari 4-Munsyari-Haldwani 5-Haldwani-Pithoragarh 6-Pithoragarh-Haldwani 7-Haldwani-Champawat 8-Champawat-Haldwani उपरोक्त के अतिरिक्त 22 गतिमान रूटों में से निम्नलिखित 04 रूटों पर (वायुयान) सेवा सप्ताह में 06 दिन (सोमवार से शनिवार) संचालित हो रहीं है:– 1-Dehradun- Naini Saini 2-Naini Saini-Dehrarun 3-Naini Saini-Pantnagar 4-Pantnagar-Naini Saini
4.	उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड हवाई सम्पर्क योजना (UACS) के अंतर्गत निम्नलिखित रूटों पर वायुयान सेवा सप्ताह में 03 दिन (मंगलवार,वृहस्पतिवार,शनिवार) संचालित हो रही है:– 1-Delhi-Pithoragarh 2-Pithoragarh-Delhi उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड हवाई सम्पर्क योजना (UACS) के अंतर्गत निम्नलिखित रूटों पर हेलीकाप्टर सेवा सप्ताह में 06 दिन (सोमवार से शनिवार) संचालित हो रही है:– 1-Sahasrtdhara-Joshiyara
	2-Joshiyara- Sahastradhara 3- Sahastradhara -Gaucher 4-Gaucher- Sahastradhara
5.	उत्तराखण्ड राज्य मे उत्तराखण्ड हवाई सम्पर्क योजना (UACS) के अंतर्गत निम्नलिखित रूटों पर हवाई सेवा प्रस्तावित है:– 1-Jollygtrant-Gaucher 2-Gaucher-Jollygrant 3-Jollygrant-Chinyalisaur 4-Chinyalisaur-Jollygrant 5-Dehradun-Pauri 6-Pauri-Dehradun
6	उत्तराखण्ड राज्य में क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (RCS)के अंतर्गत निम्नलिखित रूटों पर हवाई सेवा प्रस्तावित है:– 1-Dehradun -Bageshwar 2-Bageshwar-Dehradun 3-Dehradun- Nainital 4-Nainital-Dehradun

स्रोत:– नागरिक उड्डयन विभाग उत्तराखण्ड

दीनदयाल उपाध्याय गृह–आवास योजना

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2023–24 हेतु राज्य में स्थापित 625 गृह–आवासों में से 608 का सर्वेक्षण कराया गया । जनपद नैनीताल में 06, उत्तरकाशी व रूद्रप्रयाग में 03–03, चमोली व पौड़ी गढ़वाल में 02–02 तथा टिहरी गढ़वाल में 01 गृह–आवास, इस प्रकार कुल 17 गृह–आवासों के आंकड़े, ''असहयोगी'' व ''दिये गये पते पर उपलब्ध नहीं'' श्रेणियों के अन्तर्गत पाये जाने के कारण, संग्रहीत नहीं किये जा सके। प्राप्त आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष निम्न प्रकार है:–

- सर्वेक्षित गृह–आवासों में 488 (80-26%) के स्वामी (Owner) पुरूष व 120 (19-74%) की स्वामिनी (Owner) महिलाएं रही, जिनमें से सर्वाधिक 269 (44-24%) के स्वामी (Owner) 35–50 वर्ष के आयुवर्ग के पाये गये।

- 32-57% सर्वेक्षित गृह–आवासों के स्वामी के परिवार की आय का मुख्य स्रोत होम–स्टे संचालन पाया गया।

- सर्वाधिक 38-41% सर्वेक्षित गृह–आवासों के स्वामियों द्वारा गृह–आवास हेतु ₹15 लाख से ₹ 30 लाख ऋण(सब्सिडी सहित) लिये जाने की पुष्टि की गई।

- 440 (72-37%) सर्वेक्षित गृह–आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया है। 81 सर्वेक्षित गृह–आवासों का निर्माण तो पूर्ण हो गया है, किन्तु सब्सिडी अप्राप्त है।

- 34-55% निर्मित गृह–आवासों में स्थानीय उत्पादों के विक्रय की दुकान की सुविधा है।

- निर्मित गृह–आवासों में कुल 1139 एकल कक्ष तथा 1224 युगल कक्ष निर्मित है। इसके अतिरिक्त कुल 161 बड़े कक्ष (Halls) है।

- राज्य में योजनान्तर्गत निर्मित गृह–आवासों के कुल 2164 कक्षों में वर्तमान में 4254 व्यक्तियों के ठहरने की क्षमता है। निर्माणाधीन 168 गृह–आवासों के पूर्ण होने के पश्चात् व्यक्तियों के ठहरने की क्षमता में वृद्धि होकर 5879 होने का अनुमान है।

- 98-86% निर्मित गृह–आवासों के शौचालयों और स्नानघरों में नल से पानी की सुविधा उपलब्ध है। 93-64% निर्मित गृह–आवासों में पेयजल की आपूर्ति पाईप लाईन द्वारा है।

- 87-68% निर्मित गृह–आवासों में होम–स्टे के रसोई घर से पर्यटकों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

- 95-89% निर्मित गृह–आवासों के स्वामियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया कि गृह–आवास के संचालन से उनके परिवार के जीवन स्तर (Living Standard) में सुधार हुआ है।

• राज्य के निर्मित समस्त गृह–आवासों के संचालन से ₹ 344.54 लाख की सकल मूल्य वृद्धि का आंकलन किया गया है।

• योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु गृह–आवास स्वामियों / सर्वेक्षणकर्ताओं से प्राप्त बहुमूल्य सुझाव निम्न प्रकार हैः–

✓ योजना के अन्तर्गत स्थापित / पंजीकृत होम–स्टे के प्रचार प्रसार एवं आरक्षण / बुकिंग आदि की व्यवस्था हेतु राज्य स्तरीय शासकीय वेबसाइट विकसित की जाय तो आगन्तुकों को सुविधा रहेगी तथा लेन–देन ऑनलाईन होने की दशा में पारदर्शिता भी बनी रहेगी।

✓ पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर होम–स्टे की जी0पी0एस0 लोकेशन सहित उसके आस–पास के दर्शनीय स्थलों की दूरी, महत्व आदि की जानकारी दर्शाये जाने से पर्यटकों को धार्मिक, दशनीय एवं पौराणिक स्थलों के भ्रमण में लगने वाले समय का अभिज्ञान हो सकेगा।

✓ होम–स्टे स्वामियों और उनके कार्मिकों को होटल व्यवसाय के आतिथ्य सत्कार गतिविधियों के संचालनार्थ समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है, जो कि विभिन्न विभागों यथा पर्यटन, महिला कल्याण, खेल एवं कौशल विकास आदि के माध्यम से कराया जा सकता है।

✓ योजना की उपयोगिता को देखते हुए यह कहना समुचित रहेगा कि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर एवं बी0पी0एल0 परिवारों को भी दीनदयाल उपाध्याय गृह–आवास (Home Stay) के लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। साथ ही सीमान्त गाँवों में होम स्टे का बढ़ावा देने के लिए अनुदान की धनराशि को बढ़ाना श्रेयस्कर हो सकता है।

✓ दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास योजना (Home-Stay) के अन्तर्गत वित्त पोषित किये गये होम स्टे की जानकारी हेतु प्रत्येक होम–स्टे के सामने शासकीय व्यय पर बोर्ड लगाकर उसमें योजना का नाम, वित्तीय वर्ष, लागत, उद्यमी अशंदान, स्वीकृत ऋण, अनुदान सहायता, बैंक का नाम आदि का विवरण लिखने से योजना का समुचित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जा सकता है।

✓ स्थानीय उत्पादों, व्यंजनों, साहित्य आदि के विषय में पर्यटकों को जानकारी देने हेतु होम–स्टे स्वामियों को होम–स्टे में Showcase लगाने के लिए प्रेरित किया जाना होगा।

अध्याय–12
बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त
Banking and Institutional Finance

भूमिका

उत्तराखण्ड राज्य में भारतीय स्टेट बैंक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड का संयोजक बैंक है। उल्लेखनीय है कि राज्य में 03 बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गयी है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक 09 पर्वतीय जिलों, यथा: उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में, पंजाब नेशनल बैंक को 02 मैदानी जिलों–देहरादून एवं हरिद्वार एवं बैंक ऑफ बड़ौदा को 02 मैदानी जिलों–नैनीताल एवं उधम सिंह नगर का कार्य आवंटित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दिनांक 30.06.2022 से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा आंकड़ों का संकलन Revamp Portal (SLBC India Portal) के माध्यम से किया जा रहा है। एस.एल.बी.सी. के समस्त सदस्य बैंक प्रत्येक त्रैमास के अंत में MIS/CBS से आंकड़े संकलित कर सीधे Revamp Portal में upload करते हैं, तदुपरांत आंकड़ों का संकलन system generated आंकड़ों द्वारा किया जाता है।

12.1 वर्ष 2024–25 में 30 सितम्बर 2024 तक राज्य में कुल 2,572 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 47.12 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 23.72 अर्द्धशहरी क्षेत्रों तथा 29.16 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। वर्तमान में 1212 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 610 शाखाएं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 750 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। राज्य में 30.09.2024 तक क्षेत्रवार शाखाओं की संख्या एवं प्रतिशत निम्न ग्राफ–12.1 में दर्शायी गयी है–

GRAPH - A

Total Number of Branches in Uttarakhand

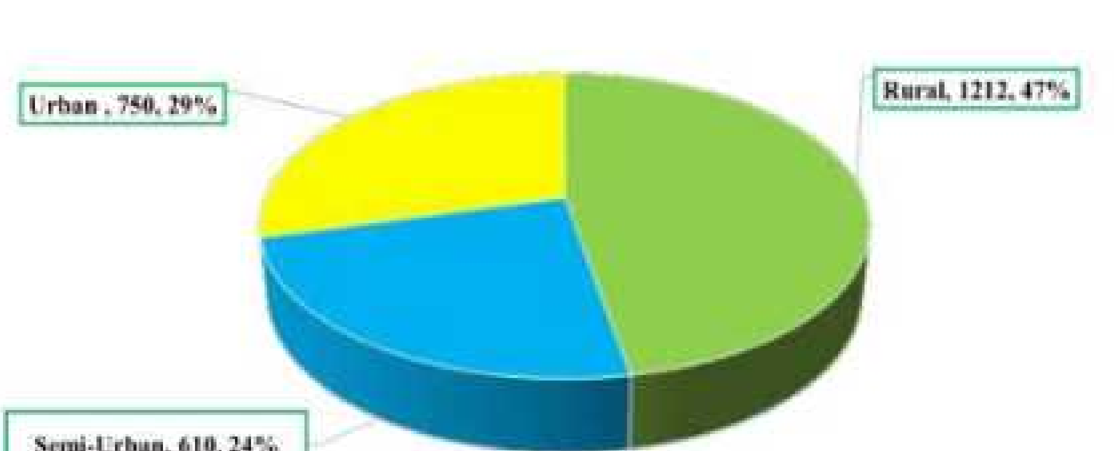

स्रोत: SLBC

12.2 जिलेवार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में देहरादून जिले में सबसे अधिक 623 बैंक शाखाएं तथा रुद्रप्रयाग में सबसे कम 55 बैंक शाखाएं हैं। राज्य में 30.09.2024 तक बैंकवार एवं जिलावार शाखाओं की संख्या निम्न तालिका–12.1 एवं GRAPH - B में दर्शाया गया है–

तालिका–12.1

UTTARAKHAND

DISTRICT WISE BRANCH NETWORK AS ON 30.09.2024

SR.	Name of District	Rural	Semi-Urban	Urban	Total
1	DEHRADUN	170	95	368	633
2	U S NAGAR	128	123	101	352
3	HARIDWAR	87	62	164	313
4	NAINITAL	128	57	96	281
5	PAURI GARHWAL	138	69	1	208
6	ALMORA	103	51	1	155
7	TEHRI GARHWAL	107	34	12	153
8	PITHORAGARH	81	32	3	116
9	CHAMOLI	65	40	0	105
10	UTTARKASHI	49	27	1	77
11	CHAMPAWAT	49	17	3	69
12	RUDRAPRAYAG	52	3	0	55
13	BAGESHWAR	55	0	0	55
	UTTARAKHAND	**1212**	**610**	**750**	**2572**

स्रोत SLBC

GRAPH - B

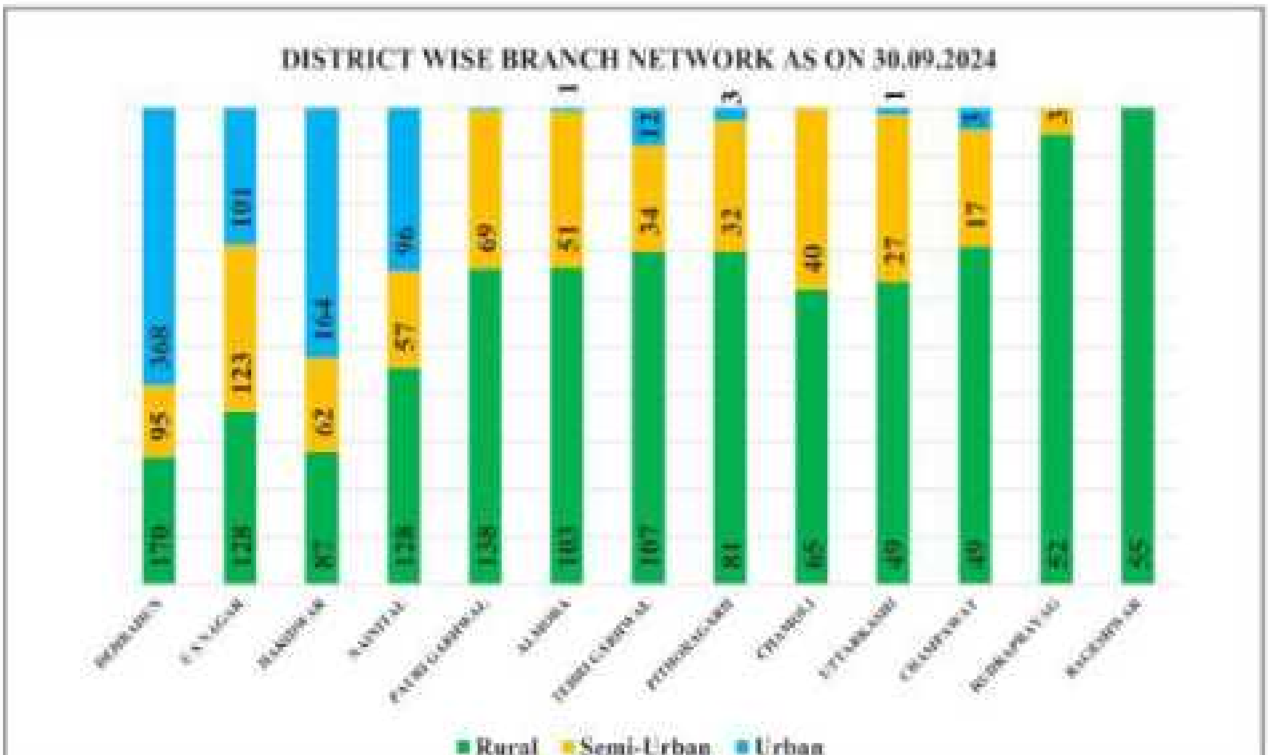

स्रोत SLBC

12.3 30 सितम्बर 2024 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल 1417 शाखाओं का नेटवर्क है। एस.बी.आई की सबसे ज्यादा 445, पी.एन.बी. की 297 और बैंक ऑफ बड़ोदा की 134 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 490 शाखाओं का नेटवर्क है। शेष शाखायें अन्य बैंकों से सम्बन्धित है। राज्य में 30.09.2024 तक बैंकवार शाखाओं की संख्या निम्न तालिका–12.2 में दी गयी है–

तालिका–12.2

BANK WISE BRANCH NETWORK OF UTTARAKHAND AS ON 30.09.2024

SR.	Name of Bank	Rural	Semi-Urban	Urban	Total	Previous Qty Total
1	STATE BANK OF INDIA	278	65	102	445	445
2	PUNJAB NATIONAL BANK	154	61	82	297	297
3	BANK OF BARODA	52	29	53	134	134
	Total Lead Banks	**484**	**155**	**237**	**876**	**876**
4	UNION BANK OF INDIA	39	35	37	111	111
5	CANARA BANK	53	28	53	134	134
6	CENTRAL BANK OF INDIA	8	13	20	41	41
7	PUNJAB AND SIND BANK	16	12	16	44	44
8	UCO BANK	19	24	14	57	57
9	INDIAN OVERSEAS BANK	21	11	16	48	46
10	BANK OF INDIA	12	16	10	38	37
11	INDIAN BANK	10	18	22	50	50
12	BANK OF MAHARASHTRA	0	7	11	18	18
	Total Non-Lead Banks	**178**	**164**	**199**	**541**	**538**
	Total N. Banks (A + B)	**662**	**319**	**436**	**1417**	**1414**
13	UTTARAKHAND G.B	219	41	30	290	290
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	1	0	0	1	1
	Total R.R.B.	**220**	**41**	**30**	**291**	**291**
15	CO-OPERATIVE BANK	180	95	60	335	337
	Total Cooperative	**180**	**95**	**60**	**335**	**337**
	Total (C+D+E)	**1062**	**455**	**526**	**2043**	**2042**
16	THE NAINITAL BANK LTD	53	25	21	99	99
17	AXIS BANK	13	20	40	73	70
18	ICICI BANK	26	16	6	48	48
19	IDBI BANK	10	13	8	31	31
20	HDFC BANK	29	31	54	114	108
21	J & K BANK	0	0	3	3	3
22	FEDERAL BANK	0	0	2	2	2
23	INDUSIND BANK	4	7	15	26	26

24	SOUTH INDIAN BANK	0	0	1	1	1
25	KARNATAKA BANK	0	0	4	4	4
26	YES BANK	3	3	8	14	14
27	KOTAK MAHINDRA BANK	0	3	11	14	14
28	BANDHAN BANK	8	26	15	49	49
29	IDFC FIRST BANK	0	0	11	11	11
30	RBL BANK	0	0	1	1	1
	Total Private Bank	**146**	**144**	**200**	**490**	**481**
31	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	0	1	5	6	6
32	UTKARSH SMALL FIN. BANK	4	10	12	26	24
33	JANA SMALL FIN. BANK	0	0	2	2	2
34	SHIVALIK SMALL FINANCE BANK	0	0	3	3	3
35	EQUITAS SMALL FIN. BANK	0	0	2	2	2
	SMALL FINANCE BANK	**4**	**11**	**24**	**39**	**37**
	Total All Bank	**1212**	**610**	**750**	**2572**	**2560**

स्रोत SLBC

12.4 वर्ष 2024–25 मे 30 सितम्बर 2024 तक राज्य में कुल 2630 ए०टी०एम० का नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है। 47.15 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों, 27.26 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों तथा 25.59 प्रतिशत अर्द्धशहरी क्षेत्रों के साथ राज्य में ए०टी०एम० की सुविधा का निरन्तर विस्तार किया जा रहा है। राज्य में 30.09.2024 तक ए०टी०एम० सुविधा का क्षेत्रवार विवरण निम्न तालिका–12.3 में दर्शाया गया है–

तालिका–12.3
UTTARAKHAND

BANK WISE ATM NETWORK AS ON 30.09.2024

SR.	Name of Bank	Rural	Semi-Urban	Urban	Total
1	STATE BANK OF INDIA	265	204	310	779
2	PUNJAB NATIONAL BANK	158	113	191	462
3	BANK OF BARODA	57	44	94	195
	Total Lead Banks	**480**	**361**	**595**	**1436**
4	UNION BANK OF INDIA	39	28	53	120
5	CANARA BANK	48	24	35	107
6	CENTRAL BANK OF INDIA	2	10	13	25
7	PUNJAB AND SIND BANK	10	11	11	32
8	UCO BANK	11	22	10	43
9	INDIAN OVERSEAS BANK	10	6	16	32
10	BANK OF INDIA	5	6	11	22
11	INDIAN BANK	2	9	15	26
12	BANK OF MAHARASHTRA	0	6	11	17
	Total Non -Lead Banks	**127**	**122**	**175**	**424**

	Total N. Banks (A + B)	**607**	**483**	**770**	**1860**
13	UTTARAKHAND G.B	6	5	0	11
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	0	0	0	0
	Total R.R.B.	**6**	**5**	**0**	**11**
15	CO -OPERATIVE BANK	34	33	46	113
	Total Cooperative	**34**	**33**	**46**	**113**
	Total (C+D+E)	**647**	**521**	**816**	**1984**
16	THE NAINITAL BANK LTD	0	0	0	0
17	AXIS BANK	20	41	79	140
18	ICICI BANK	7	20	87	114
19	IDBI BANK	11	18	22	51
20	HDFC BANK	27	53	152	232
21	J & K BANK	0	0	3	3
22	FEDERAL BANK	0	0	1	1
23	INDUSIND BANK	3	6	20	29
24	SOUTH INDIAN BANK	0	0	1	1
25	KARNATAKA BANK	0	0	5	5
26	YES BANK	0	4	12	16
27	KOTAK MAHINDRA BANK	0	1	13	14
28	BANDHAN BANK	0	1	5	6
29	IDFC FIRST BANK	0	0	10	10
30	RBL BANK	0	0	1	1
	Total Private Bank	**68**	**144**	**411**	**623**
31	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	1	1	4	6
32	UTKARSH SMALL FIN. BANK	1	7	7	15
33	JANA SMALL FIN. BANK	0	0	1	1
34	SHIVALIK SMALL FINANCE BANK	0	0	0	0
35	EQUITAS SMALL FIN. BANK	0	0	1	1
	SMALL FINANCE BANK	**2**	**8**	**13**	**23**
	Total All Bank	**717**	**673**	**1240**	**2630**

स्रोत SLBC

12..5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) अर्थात् उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक को एस.बी.आई. बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है, जिसमें 30 सितम्बर 2024 तक कुल 290 शाखाओं का नेटवर्क है। सहकारी बैंक का 335 शाखाओं का नेटवर्क है। जनपद स्तरीय सहकारी बैंकों का रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत को छोड़कर, शेष 10 जनपदों में मुख्यालय है तथा राज्य स्तरीय बैंक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग को छोड़कर, शेष 09 जनपदों में मुख्यालय कार्यरत है। उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक की समस्त शाखाएं पूर्णतः सी.बी.एस. प्रणाली पर कार्यरत हैं। उत्तराखण्ड सहकारी बैंक सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाईनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है, जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर विद्यमान सभी प्रमुख बैंकों के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक के खाता धारक ए0टी0एम0, एन0ई0एफ0टी0, आर0टी0जी0 एस0, रूपे कार्ड, आदि के माध्यम से कहीं भी धनराशि का हस्तांतरण कर सकते हैं।

12.6 तालिका–12.4 से स्पष्ट है कि शाखा के आधार पर जनपद देहरादून,उधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में सबसे अधिक बैंकिग आच्छादित हुआ है तथा जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत में सबसे कम बैंकिग आच्छादित हुआ है। जबकि ऋण–जमा अनुपात सबसे अधिक जनपद उधमसिंह नगर, चम्पावत तथा हरिद्वार में है। सबसे कम ऋण–जमा अनुपात बागेश्वर, पौड़ी एवं अल्मोड़ा में हैं।

तालिका–12.4

उत्तराखण्ड में जनपदवार बैंकों का ऋणः जमा अनुपात

30-Sep-2024 **No. in Actual and Amount in Crore**

SR.	Name of District	Deposits	Adavances	CD Ratio
1	ALMORA	8566.61	2318.87	27.07
2	BAGESHWAR	2595.62	626.00	24.12
3	CHAMOLI	5308.34	2344.14	44.16
4	CHAMPAWAT	3091.61	2838.23	91.80
5	DEHRADUN	95195.52	39522.53	41.52
6	HARIDWAR	30781.90	20911.18	67.93
7	NAINITAL	26584.36	14194.06	53.39
8	PAURI GARHWAL	12418.67	3345.87	26.94
9	PITHORAGARH	6320.81	2089.65	33.06
10	RUDRA PRAYAG	3079.71	873.17	28.35
11	TEHRI GARHWAL	7837.67	2592.44	33.08
12	UDAM SINGH NAGAR	22408.09	24563.49	109.62
13	UTTAR KASHI	3186.20	1596.32	50.10
TOTAL ALL DISTT		**227375.11**	**117815.95**	**51.82**
RIDF			**3276.15**	
TOTAL (ALL DISTT + RIDF)		**227375.11**	**121092.10**	**53.26**

स्रोत SLBC

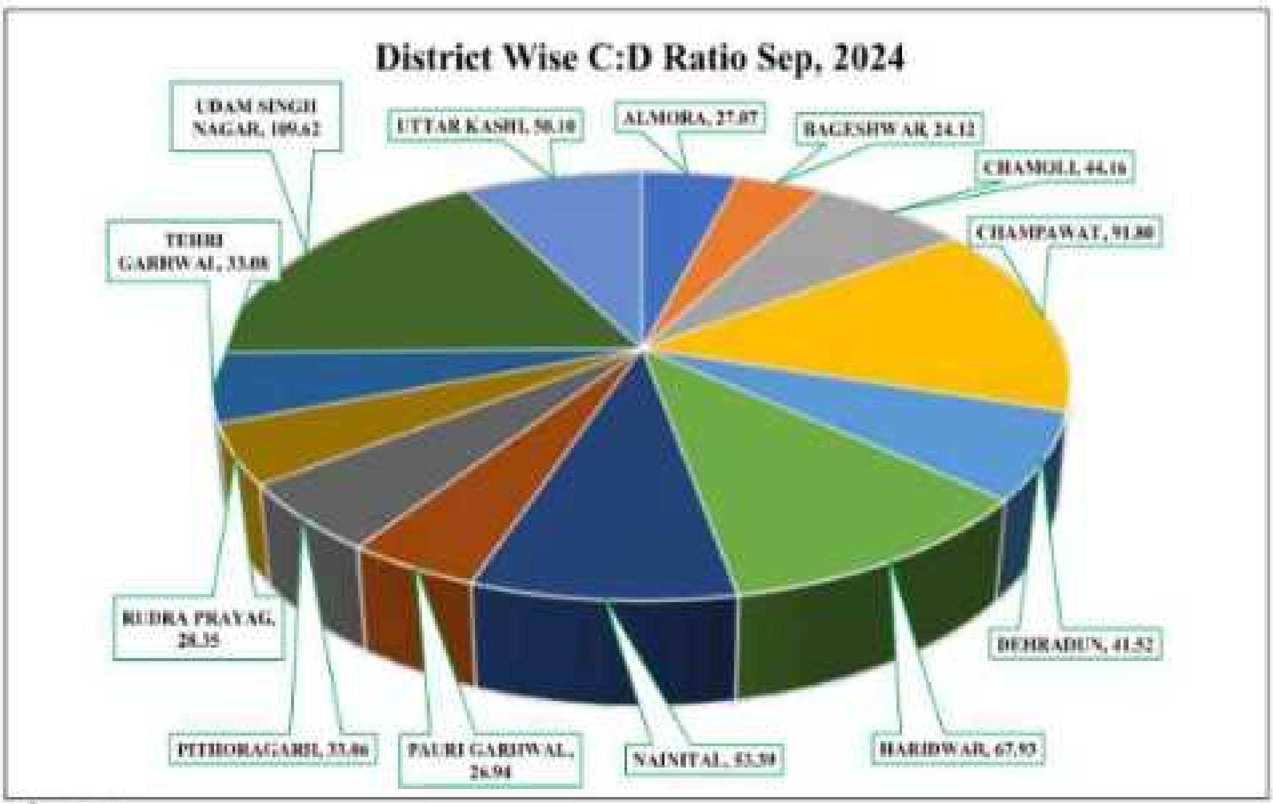

स्रोत SLBC

12.7 30 सितम्बर 2024 तक राज्य के बैंकों ने आर. बी.आई. द्वारा निर्धारित 6 राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 3 राष्ट्रीय मानकों, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम, कमजोर वर्ग ऋण तथा महिला ऋण को अर्जित किया है। वर्तमान में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र जैसे कृषि, एम.एस.एम.ई., शिक्षा ऋण, आवास ऋण, लघु ऋण आदि गतिविधियों को करने के लिए कुल ₹54192 करोड़ राशि का वितरण किया गया, जोकि कुल ऋण का 46.00 प्रतिशत है। यह प्रतिशत प्राथमिक ऋण के 40 प्रतिशत लक्ष्य स्तर से अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर 2024 तक प्राथमिक क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में ₹6272 करोड़ अधिक है, जोकि 13.08 प्रतिशत है।

12.8 बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के कुल ऋण में से 13.55 प्रतिशत कृषि अग्रिम राशि का भाग है। 26.28 प्रतिशत ऋण सूक्ष्म लघु उद्यम में तथा 19.51 प्रतिशत अन्य क्षेत्र में ऋण दिया गया है। बैंको द्वारा कुल ऋण में से कमजोर वर्गों तथा महिलाओं को क्रमशः 12.73 प्रतिशत तथा 13.79 प्रतिशत अग्रिम वितरण किया गया है जोकि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत है। 30 सितम्बर 2024 तक ऋण–जमा अनुपात 52.35 प्रतिशत रहा। ऋण वितरण की स्थिति नीचे तालिका–12.5 में दर्शायी गई है:–

तालिका–12.5

राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क्र. सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2023	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2024	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
1	प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	49.31	46.00	40
1.1	कृषि ऋण	13.96	13.55	18
1.2	**सूक्ष्म लघु उद्यम ऋण**	24.83	26.28	
1.3	**अन्य क्षेत्र**	21.35	19.51	
2	गैर प्राथमिक क्षेत्र	50.68	54.00	
3	कुलअग्रिम			
4	कमजोर वर्ग ऋण	13.35	12.73	10
5	महिला ऋण	13.84	13.79	5
6	डी0आई0आर0 ऋण	0.01	0.01	1
7	जमा एवं अग्रिम अनुपात	55.74	52.35	60
8	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति ऋण (पी.एस.सी.)			
9	अल्पसंख्यक ऋण (पी.एस.सी.)			

स्रोत SLBC

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

12.9 राज्य के सामाजार्थिक विकास हेतु वित्तीय समावेश का होना अत्यन्त आवश्यक है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय समावेशीय योजनाएं संचालित की जा रही है जिनकी FI Plan portal के अनुसार वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है–

(क) प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY) :

बैंको द्वारा इस योजना के आरम्भ 28.08.2014 से लेकर 30 सितम्बर 2024 तक 36.26 लाख खाते खोले गये है, जिसमें से 3.18 लाख शून्य शेष खाते हैं, 24.38 लाख खाता धारकों को रुपे (Rupay) डेबिट कार्ड जारी किये गये है तथा 29.06 लाख खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया है। बैंकवार एवं जिलावार स्थिति तालिका संख्या 12.6 A एवं 12.6 B में दर्शायी गयी है:–

तालिका–12.6 A

UTTARAKHAND

District Wise Progress under PMJDY AS ON 30.09.2024

No. in Actual and Amount In Crore

SR.	Name of District	Rural	Urban	Male	Female	Total	Zero Balance A/c	Deposits held in the A/c	Rupay Card Issued	Rupay Card Activated	Aadhaar Seeded
1	RUDRA PRAYAG	52971	0	22507	30409	52971	3149	56.03	29325	22978	39133
2	BAGESHWAR	55982	149	23411	32572	56131	5047	47.32	29477	32756	44066
3	PITHORAGARH	84409	8401	44465	51203	95706	7990	70.28	42359	35584	78783
4	DEHRADUN	225999	277087	249692	268338	518300	58313	419.39	381711	342243	386025
5	CHAMOLI	67350	11898	37665	43410	81113	4262	81.09	57006	26528	58259
6	PAURI GARHWAL	122338	15024	63610	80390	144056	11347	135.8	75007	47714	114933
7	ALMORA	120725	10937	54231	80521	134939	7384	149.63	86197	38941	107011
8	HARIDWAR	376128	542216	502732	469000	971849	96071	460.63	734365	393810	783584
9	CHAMPAWAT	57741	8653	29489	39422	68978	5626	62.64	38588	27959	57076
10	NAINITAL	180045	120869	135748	175601	311486	22060	298.78	175713	106258	253198
11	TEHRI GARHWAL	132646	6259	58984	80668	139698	7022	134.73	81263	77894	112148
12	UDAM SINGH NAGAR	406783	437223	468348	482551	951076	84637	497.37	631466	349590	804464
13	UTTAR KASHI	88130	10555	44932	55257	100207	6056	77.14	75891	39004	68275
		1971247	1449271	1735814	1889342	3626510	318964	2490.83	2438368	1541259	2906955

स्रोत SLBC

तालिका–12.6 B

UTTARAKHAND

Bank Wise Total Progress under PMJDY AS ON 30.09.2024

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	Name of Bank	Rural	Urban	Male	Female	Total	Zero Balance A/c	Deposits held in the A/c	Rupay Card Issued	Rupay Card Activated	Aadhaar Seeded
1	STATE BANK OF INDIA	377468	353066	348593	381566	730534	20161	443.16	655938	70961	495958
2	PUNJAB NATIONAL BANK	335541	372864	348349	360023	708405	90350	444.98	747367	376033	588287
3	BANK OF BARODA	210194	266218	328103	341526	669760	26095	593.82	466033	84020	589673
	Total Lead Banks	**923203**	**992148**	**1025045**	**1083115**	**2108699**	**136606**	**1481.96**	**1869338**	**531014**	**1673918**
4	UNION BANK OF INDIA	162255	74175	120734	115696	236430	41723	117.06	127701	784464	190694
5	CANARA BANK	116254	70620	92496	94378	186874	25953	150.14	76080	19560	153678
6	CENTRAL BANK OF INDIA	24991	35402	28825	31568	60393	3996	40.51	31209	31209	42150
7	PUNJAB AND SIND BANK	33346	16374	23344	26354	49720	6374	13.76	1145	1122	31115
8	UCO BANK	74035	23286	47821	49041	97321	9776	104.12	56426	32594	82925
9	INDIAN OVERSEAS BANK	49727	23412	35254	37866	73143	6923	40.12	73143	24302	54657
10	BANK OF INDIA	177	338	422	264	686	28	0.41	663	258	686
11	INDIAN BANK	45438	73249	59801	58859	118687	12498	57.54	44866	30403	76540
12	BANK OF MAHARASHTRA	7133	19144	13910	12367	26277	6678	8.97	18882	18882	24599
	Total Non-Lead Banks	**513356**	**336000**	**422607**	**426393**	**849531**	**113949**	**532.63**	**430115**	**942794**	**657044**
	Total N. Banks (A + B)	**1436559**	**1328148**	**1447652**	**1509508**	**2958230**	**250555**	**2014.59**	**2299453**	**1473808**	**2330962**
13	UTTARAKHAND G.B	455771	38804	208471	285821	494575	39308	403.93	71181	23053	454254
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	1627	0	912	715	1627	77	0	0	0	1627
	Total R.R.B.	**457398**	**38804**	**209383**	**286536**	**496202**	**39385**	**403.93**	**71181**	**23053**	**455881**
15	COOPERATIVE BANK	54438	25959	33770	49065	82836	10434	51.13	15412	10113	67860
	Total Cooperative	**54438**	**25959**	**33770**	**49065**	**82836**	**10434**	**51.13**	**15412**	**10113**	**67860**
	Total (C+D+E)	**1948395**	**1392911**	**1690805**	**1845109**	**3537268**	**300374**	**2469.65**	**2386046**	**1506974**	**2854703**
16	THE NAINITAL BANK LTD	10872	7673	11742	16833	28575	3401	0	6091	4403	19653
17	AXIS BANK	2081	8758	7714	3125	10839	2748	4.83	7620	4227	7161
18	ICICI BANK	3314	2445	3117	2642	5759	1927	0.86	5659	3644	1958
19	IDBI BANK	3777	10149	7986	5940	13926	2283	4.75	7561	0	8657
20	HDFC BANK	1639	19065	7519	13185	20704	5883	7.69	20704	20704	9221

21	J & K BANK	0	1119	720	399	1119	120	0.31	747	414	923
22	FEDERAL BANK	0	80	59	21	80	17	0.08	36	27	44
23	INDUSIND BANK	95	1094	961	228	1189	49	0.39	768	177	993
24	SOUTH INDIAN BANK	0	24	16	8	24	12	0	9	9	21
25	KARNATAKA BANK	0	3268	2378	890	3268	0	1.7	1336	128	205
26	YES BANK	1074	83	724	433	1157	618	0.09	1140	545	961
27	KOTAK MAHINDRA BANK	0	2522	2015	507	2522	1521	0.35	600	3	2375
28	BANDHAN BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	IDFC FIRST BANK	0	80	58	22	80	11	0.13	51	4	80
30	RBL BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Private Bank	**22852**	**56360**	**45009**	**44233**	**89242**	**18590**	**21.18**	**52322**	**34285**	**52252**
31	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	UTKARSH SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	JANA SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	SHIVALIK SMALL FINANCE BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	EQUITAS SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SMALL FINANCE BANK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total All Bank	**1971247**	**1449271**	**1735814**	**1889342**	**3626510**	**318964**	**2490.83**	**2438368**	**1541259**	**2906955**

स्रोत: SLBC

(ख) प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहल: प्रधानमंत्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार ने गरीबों तथा साधारण व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया है जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:–

I) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(PMSBY): प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2024 से 30.09.2024 तक 38.04 लाख ग्राहकों को आच्छादित किया गया है।

ii) प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2024 से 30.09.2024 तक 11.55 लाख ग्राहकों को अच्छादति किया गया है।

iii) अटल पेंशन योजना (APY) : अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 7.95 लाख ग्राहकों को नामांकित किया है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान के माध्यम से Financial Literacy Centres आयोजित करके लक्षित समूहों के अच्छादति को गति प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है।

(ग) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): बैंकों द्वारा उत्तराखण्ड में 30.09.2024 तक चालू वित्त वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत 86830 नए सूक्ष्म उद्यमियों को ₹1439.12 करोड़ का नए ऋण स्वीकृत किये गये है।

(घ) स्टैण्ड अप भारत योजना (Stand Up India Scheme) : इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं महिला उद्यमियों को ₹10.00 लाख से अधिक और ₹1.00 करोड़ का ऋण, बैंकों द्वारा नए उद्यम को स्थापित करने के लिए दिया जाता है (इसे ग्रीन फील्ड उद्यम भी कहा जाता है)। 30.09.2024 तक इस योजना के अर्न्तगत बैंकों द्वारा 1609 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए ₹257.08 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

12.9 आर.बी.आई. रोडमैप 2013.20: उत्तराखण्ड में 2000 से नीचे की आबादी के साथ सभी बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार सितम्बर, 2020 तक आर.बी.आई. रोडमैप के

अन्तर्गत ब्रिक और मोर्टार शाखा तथा व्यवसाय प्रतिनिधि (जिन्हें बैंकमित्र कहा जाता है) में समाविष्ट किया जाना था। वित्त सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के जन धनदर्शक ऐप के अनुसार उत्तराखण्ड में वर्तमान में (30.09.2024) कोई भी गॉव बैंकिंग सुविधा से वंचित नही हैं।

बैंकों की व्यापारिक मात्रा :

12.10 राज्य के सभी बैंको द्वारा 30.09.2023 से 30.09.2024 तक जमा मे ₹ 207518 करोड़ से ₹ 227375 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान 68.73 प्रतिशत, आर.आर.बी. का 3.57 प्रतिशत, सहकारी बैंकों का 6.56 प्रतिशत, तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का 19.89 प्रतिशत योगदान रहा है। बैंकों द्वारा जमा राशि में वर्ष दर वर्ष 9.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल अग्रिमों में 30.09.2023 से 30.09.2024 तक ₹115678 करोड़ से ₹121092 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार 30.09.2024 तक बैंकों द्वारा ऋण राशि में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 4.68 प्रतिशत रही।

12.11 30.09.2024 तक राज्य में बैंकों का कुल कारोबार ₹348467 करोड़ पार कर गया तथा वर्ष दर वर्ष वृद्धि 7.81 प्रतिशत रही। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने अपनी हिस्सेदारी से 61.53 प्रतिशत की भागीदारी से बाजार व्यापार पर अधिकार किया। तुलनात्मक आंकड़े नीचे तालिका 12.5 में दर्शाए गए है–

तालिका–12.7

उत्तराखण्ड में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मद	30.09.2023	30.09.2024	2023 से . 2024 में परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष)	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1-	जमा (पी.पी.डी.)				
1.1	ग्रामीण	51835	56581	4746	9.16
1.2	शहरी / अर्ध शहरी	155683	170794	15111	9.71
1.3	**कुल (1.1+1.2)**	**207518**	**227375**	**19857**	5.57
2-	अग्रिम (ओ/एस)				
2.1	ग्रामीण	19708	21639	1931	9.80
2.2	शहरी / अर्ध शहरी	95970	99453	3483	3.63
2.3	**कुल (2.1+2.2)**	**115678**	**121092**	**5414**	4.68
3-	**कुल बैंकिंग व्यापार (जमा+अग्रिम) (1.3+2.3)**	**323196**	**348467**	**4746**	1.47
4-	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड / प्रतिभूतियों में	9388	3276	-6112	-65.10
5-	जमा उधार अनुपात थरोट कमेटी के आधार पर	56%	54%	2%	3.5

6-	प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:	47920	54191	6271	13.09
	(i) कृषि	13567	14882	1315	9.69
	(ii) एम.एस.ई.	24125	28857	4732	19.61
	(iii)ओ.पी.एस.	10229	10452	223	2.18
7-	गरीबों को अग्रिम	12973	13970	997	7.69
8-	डी.आर.आई.अग्रिम	3.45	2.73	-0.72	-20.87
9-	अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	49256	55620	6364	12.92
10-	शाखाओं की संख्या	2507	2572	65	2.59
11-	महिलाओं के लिए अग्रिम	13446	16602	3156	23.47
12-	अल्प-संख्यकों को ऋण	4865	5683	818	16.81
13-	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को अग्रिम	5190	6689	1499	28.88

स्रोत: SLBC

12.10 सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन:

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Programme) : इस योजना के अन्तर्गत राज्य में के.वी.आई.सी. (Khadi & Village Industries Commission)/के.वी.आई.बी. (Khadi & Village Industries Board) तथा डी.आई.सी. (District Industries Centre) द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के मार्जिन राशि के दिनांक 30.09.2023 के अर्द्ध वार्षिक लक्ष्य ₹20.68 करोड़ के सापेक्ष ₹14.96 करोड़ (72 प्रतिशत) की प्रगति दर्ज की गयी है, जबकि दिनांक 30.09.2024 के अर्द्ध वार्षिक लक्ष्य ₹26.82 करोड़ के सापेक्ष ₹31.79 करोड़ (118 प्रतिशत) की प्रगति दर्ज की गयी है।

ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम(National Urban Livelihood Mission): इस योजना में शहरी गरीबों को सम्मिलित किया गया है। बैंको को चालू वर्ष मे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 410 लक्ष्य से 30.09.2024 तक 509 लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है।

ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livlihood Mission) : चालू वर्ष में 30.09.2024 तक 13089 स्वंय सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अर्न्तगत सहायता स्वीकृत की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30.09.2024 तक 11842 समूहों को लाभान्वित किया गया है।

घ) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): 30.09.2024 तक बैंकों द्वारा योजना की शुरूआत से जरूरतमंद किसानों को कुल 613748 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिसमें से गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 179412 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है।

ड) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (Rural Self Employment Training Institutes) : राज्य के 13 जिलों में अग्रणी बैंक जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पी0एन0बी0, बैंक ऑफ बड़ोदा ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर.एस.ई.टी.आई.) का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 दिनांक 30.09.2023 तक मे

बैंकों द्वारा 3567 ग्रामीण युवाओं को ऋण संबधता के साथ–साथ स्वयं निरन्तर विकास के लिए लाभकारी उपक्रमों को अपनाने हेतु प्रशिक्षत किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिनांक 30.09.2024 तक 5991 ग्रामीण युवाओं को ऋण संबधता के साथ–साथ स्वयं निरन्तर विकास के लिए लाभकारी उपक्रमों को अपनाने हेतु प्रशिक्षत किया है। उक्त कार्यक्रमों में से चयनित कौशल विकास कार्यक्रमों को नाबार्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

12.11 डिजीटल लेनदेन के अंतर्गत प्रगति :

राज्य में बैंकों द्वारा दिनांक 30.09.2024 तक विभिन्न डिजीटल माध्यम से किये गये लेनदेन का विवरण जिलावार एवं बैंकवार स्थिति तालिका संख्या 12.8.A एवं 12.8.B में दर्शायी गयी है:–

TABLE 12.8 A
UTTARAKHAND
DISTRICT WISE DIGITAL TRANSACTION AS ON 30.09.2024

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	NAME OF BANK	BHIM/UPI		BHIM Aadhaar		BharatQR Code		IMPS		Cards (Debit & Credit)		USSD	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	RUDRA PRAYAG	11703313	1594.56	450	0.13	1203	0.56	89835	277.32	123688	54.77	96139	20.94
2	BAGESHWAR	9488505	1213.25	382	0.07	405	0.19	63960	296.40	165015	76.57	97494	21.27
3	PITHORAGARH	23284060	2872.37	504	0.11	1201	0.72	102274	658.13	190475	96.84	351028	71.84
4	ALMORA	25994944	3216.40	730	0.67	2224	1.06	138456	717.14	462848	204.87	226069	45.27
5	CHAMOLI	19954298	2346.37	567	0.22	3014	1.09	75164	254.56	207362	78.63	206580	44.55
6	DEHRADUN	188367133	110177.25	3928	1.28	283240	100.57	2713947	49168.12	5798515	2587.95	1722196	392.07
7	PAURI GARHWAL	33070300	4713.10	646	0.22	9051	4.06	216568	2404.41	579054	328.60	399882	82.87
8	HARIDWAR	117173775	86206.87	9251	10.30	53777	24.30	2382826	25301.32	3204636	1331.70	369030	71.51
9	CHAMPAWAT	11739946	1590.74	274	0.05	1872	0.80	91369	444.77	199013	81.34	86524	18.55
10	NAINITAL	66624164	24335.23	1002	0.27	26857	13.34	799229	8284.05	2006728	868.19	474594	105.39
11	TEHRI GARHWAL	24635637	3593.38	926	0.33	3482	0.39	162951	565.38	355526	182.89	145543	32.94
12	UDAM SINGH NAGAR	113210598	66261.00	44207	10.02	114083	55.65	2129689	35676.44	3525011	1598.30	354507	77.32
13	UTTAR KASHI	15958774	2144.71	493	0.15	680	0.40	118971	631.03	306469	143.17	70734	16.81
		661205447	310265.23	63360	23.82	501089	203.13	9075234	124679.07	17124340	7633.82	4600320	1001.28

स्रोत: SLBC

TABLE 12.8 B
UTTARAKHAND
BANK WISE TOTAL INVESTMENT CREDIT UNDER DIGITAL TRANSACTION AS ON 30.09.2024

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	NAME OF BANK	BHIM/UPI		BHIM Aadhaar		Bharat QR Code		IMPS		Cards (Debit & Credit)		USSD	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	STATE BANK OF INDIA	272771451	34223.88	4162	1.87	0	0.00	12438	0.98	7530	0.58	4488671	980.32
2	PUNJAB NATIONAL BANK	112545235	17355.88	3205	0.61	0	0.00	2297288	2371.32	4882619	2176.51	0	0.00
3	BANK OF BARODA	70586690	8045.82	38074	8.16	0	0.00	411209	970.51	2836428	965.85	1028	0.10
	Total Lead Banks	455903356	59625.58	45441	10.64	0	0.00	2720933	3342.81	7726577	3143.14	4489699	980.42
4	UNION BANK OF INDIA	29114938	3882.14	8114	2.26	0	0.00	651998	696.09	82219	3.21	0	0.00
5	CANARA BANK	33672932	5629.27	37	0.00	0	0.00	24	0.25	1507051	645.58	327	0.04
6	CENTRAL BANK OF INDIA	98757	853.10	363	0.20	0	0.00	23065	158.79	28965	87.42	0	0.00
7	PUNJAB AND SIND BANK	4356568	475.20	0	0.00	180731	65.15	56325	58.79	240178	101.15	0	0.00
8	UCO BANK	0	0.00	0	0.00	15	0.00	230071	245.54	383406	178.52	0	0.00
9	INDIAN OVERSEAS BANK	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	70366	13.96	0	0.00
10	BANK OF INDIA	66658	756.98	902	0.38	0	0.00	1858	68.88	30461	10.11	0	0.00
11	INDIAN BANK	13257035	1271.17	0	0.00	0	0.00	215415	351.56	595443	202.24	0	0.00
12	BANK OF MAHARASHTRA	1305523	154.80	0	0.00	39566	9.26	76292	73.12	0	0.00	0	0.00
	Total Non-Lead Banks	**81641651**	**12582.66**	**9416**	**2.84**	**180312**	**74.41**	**1255683**	**1613.02**	**2948107**	**1240.19**	**327**	**0.04**
	Total N. Banks (A + B)	**537545007**	**72608.24**	**54857**	**13.48**	**180312**	**74.41**	**3976616**	**4955.83**	**10674684**	**4383.53**	**4490026**	**980.46**
13	UTTARAKHAND G.B	219732	1373.24	0	0	0	0	10086	170.81	108600	235.41	0	0
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	2305	6.76	2520	8.11	120	0.97	1520	4.83	2735	8.69	0	0
	Total R.R.B.	**222037**	**1380**	**2520**	**8.11**	**120**	**0.97**	**11606**	**175.64**	**111335**	**244.1**	**0**	**0**
15	CO-OPERATIVE BANK	0	0	0	0	4482	10.34	88887	73.31	454352	303.48	0	0
	Total Cooperative	**0**	**0**	**0**	**0**	**4482**	**10.34**	**88887**	**73.31**	**454352**	**303.48**	**0**	**0**
	Total (C+D+E)	**537767044**	**73988.24**	**57377**	**21.59**	**184914**	**85.72**	**4077109**	**5204.78**	**11240411**	**4931.11**	**4490026**	**980.46**
16	THE NAINITAL BANK LTD	58307	425.55	0	0	0	0	0	0	11116	13.15	0	0
17	AXIS BANK	177314	5543.93	0	0	79285	62.25	15677	108611.63	61779	316.05	0	0
18	ICICI BANK	136368	3432.65	0	0	49643	24.71	73225	1210.47	27884	208.87	0	0
19	IDBI BANK	0	0	5011	1.79	0	0	34729	110.21	1827	0.59	0	0
20	HDFC BANK	75963010	13481.3	0	0	4983	3.39	2524647	5048.52	3081770	1905.96	0	0

21	J & K BANK	1980	44.79	6	0	0	0	1190	15.41	2010	10.28	0	0
22	FEDERAL BANK	8146	1.49	0	0	0	0	57583	47.51	8440	5.52	0	0
23	INDUSIND BANK	13354925	2711.59	0	0	0	0	1877944	1394.35	3758	0.42	0	0
24	SOUTH INDIAN BANK	36955	10.03	0	0	0	0	5106	10.58	4383	1.94	0	0
25	KARNATAKA BANK	1039549	111.8	0	0	0	0	95605	78.51	56272	20.28	0	0
26	YES BANK	4834528	1075.27	966	0.44	182294	27.06	333546	908.49	306111	89.2	0	0
27	KOTAK MAHINDRA BANK	19455166	205527.45	0	0	0	0	320712	631.34	147775	53.53	110294	20.82
28	BANDHAN BANK	5869766	1134.19	0	0	0	0	78180	179.75	24040	6.47	0	0
29	IDFC FIRST BANK	0	0	0	0	0	0	22831	122.17	454	0.26	0	0
30	RBL BANK	4073	1.45	0	0	0	0	3297	12.49	3080	2.48	0	0
	Total Private Bank	**120930689**	**238001.49**	**1983**	**2.23**	**318175**	**117.41**	**4962072**	**119381.67**	**3780623**	**2632.79**	**110294**	**20.82**
31	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	2103746	211.85	0	0	0	0	12033	40.52	96041	49.05	0	0
32	UTKARSH SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	8223	18.55	30168	13.72	0	0
33	JANA SMALL FIN. BANK	252834	39.56	0	0	0	0	10819	24.05	10757	4.51	0	0
34	SHIVALIK SMALL FINANCE BANK	151026	23.73	0	0	0	0	4895	8.19	6305	2.6	0	0
35	EQUITAS SMALL FIN. BANK	108	0.36	0	0	0	0	89	1.31	37	0.04	0	0
	SMALL FINANCE BANK	**2507714**	**275.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36093**	**92.62**	**143306**	**69.8**	**0**	**0**
	Total All Bank	**441205447**	**310265.23**	**63360**	**23.82**	**501089**	**203.13**	**9075234**	**124679.07**	**17124340**	**7633.82**	**4606320**	**1001.28**

स्रोत: SLBC

1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture & Rural Development):

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भारत में ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। 12 जुलाई 1982 को स्थापित, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना, सहकारी बैंकों व समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सशक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास करना, सामाजिक–आर्थिक बदलाव को प्रोत्साहित करना और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग देना है। नाबार्ड के सक्रिय सहयोग से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण युक्त अनुदान योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

2. ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund&RIDF):

भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995–96 में ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की चल रही आधारभूत संरचना संबन्धित योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरु करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं। किसी स्थान से सम्बन्धित विशेष संरचना ढांचे के विकास, जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था पर हो, को भी इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है।

2.1. शुरुआत से ही, आरआईडीएफ राज्य सरकारों के लिए विकास कार्यों के लिए भरोसेमंद स्रोत रहा है। भारत सरकार हर वर्ष केन्द्रीय बजट में आरआईडीएफ के लिए वार्षिक आबंटन करती है। प्रारम्भ में आरआईडीएफ का उपयोग राज्य सरकार की सिंचाई क्षेत्र की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया गया था। परन्तु समय के साथ–साथ इस निधि के तहत वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 39 कार्यकलापों जिनमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र (सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पशुपालन क्षेत्र आदि), सामाजिक क्षेत्र (प्राथमिक/ तकनीकी शिक्षा, पेयजल, आदि) तथा ग्रामीण सम्पर्क (सड़कें एवं पुल) सम्बन्धित आधारभूत कार्यकलापों को सम्मिलित किया गया है। इस निधि के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में आरआईडीएफ–1 में ₹2,000 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आरआईडीएफ–XXX में (वर्ष 2024–25) में ₹35,000 करोड़ हो गया है।

2.2. आरआईडीएफ के अर्न्तगत राज्य को 31 मार्च 2024 तक 5221 परियोजनाओं के लिए ₹11,712.66 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से मुख्यतः ग्रामीण सड़कें, पुल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पेयजल, शिक्षा, पशुपालन, आदि की परियोजनाएं शामिल हैं। 31 मार्च 2024 तक आरआईडीएफ के अन्तर्गत कुल ₹9878.22 करोड़ की ऋण राशि जारी की जा चुकी है।

2.3. 31 मार्च 2024 तक स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद 23 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी, 15,268 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें, 27,699 मीटर स्पैन पुलों के निर्माण तथा 2.29 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी / हो रही है।

3. नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता – नीडा (NABARD Infrastructure Development Assistance & NIDA)

नाबार्ड ने इस योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में पिटकुल को ₹82.33 करोड़ के दो प्रोजेक्ट स्वीकृत किए है।

4. खाद्य प्रसंस्करण निधि (FPF)रू भारत

उत्तराखण्ड राज्य में पतंजलि मेगा फूड पार्क में 02 प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने हेतु ₹36.80 करोड़ स्वीकृत की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।

5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत माइक्रो इरीगेशन फंड (MIF): पीएमकेएसवाई 01 जुलाई, 2015 को लागू की गई थी जिसका उद्देश्य सिंचाई का दायरा बढ़ाने, हर खेत को पानी तथा पानी के प्रयोग की दक्षता बढ़ाना 'Per Drop More Crop' था। माइक्रो इरिगेशन फंड, जो नाबार्ड के पास है, का कॉर्पस वर्ष 2022–23 के दौरान बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दिया गया है। राज्य सरकारें इस फंड के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण ले सकती है। 31.03.2024 तक नाबार्ड द्वारा एम.आई.एफ के तहत 4709.06 करोड़ रुपये के ऋण प्रस्तावों को स्वीकृत एवं 3387.80 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान नाबार्ड, उत्तराखंड ने इस फंड के अंतर्गत ₹5.06 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को स्वीकृत किया है व वित्तीय वर्ष 2023–24 मे ₹57.97 लाख इस फंड के अंतर्गत वितरित किए जा चुके हैं।

6. मत्स्य पालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund-FIDF): केंद्रीय बजट 2018–19 में इस निधि के संबंध में की गई घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार ने कुल ₹7,522 करोड़ की समूहनिधि से मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) की स्थापना की थी। इस निधि का कार्यान्वयन पांच वर्षों (2018–19 से 2022–23) की अवधि के दौरान किया जाना था। भारत सरकार द्वारा इसे बाद में बढ़ाकर 31.03.2026 तक कर दिया गया है। नाबार्ड ऋण प्रदाता नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है और राज्य सरकारों, के माध्यम से सार्वजनिक आधारभूत घटकों, जैसे मछली पकड़ने के बन्दरगाह, मछलियों को उतारने के केंद्र विकसित करने, राज्य के मछली बीज फार्मों के आधुनिकीकरण, आधुनिक मछली बाजारों, रोग निदान प्रयोगशालाओं, जलीय संगरोध सुविधाओं और प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना के निर्माण जैसी विभिन्न निवेश गतिविधियों के लिए ₹2,600.00 करोड़ तक की निधि प्रदान करेगा।

7. पुनर्वित्त सहायता (Re-Finance Support): ग्रामीण आवास, लघु सड़क परिवहन चालकों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, स्वयं सहायता समूह, कृषि यंत्रीकरण, मुर्गी पालन, वृक्षारोपण, बागवानी, भेड़/बकरी/ सुअर पालन, पैकिंग, अन्य क्षेत्रों में ग्रेडिंग, इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए पुर्नवित सहायता स्वरूप नाबार्ड द्वारा वर्ष 2023–24 में बैंकों को ₹1810.05 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है। जिसमें सहकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों को सप्लीमेंट करने के लिए वर्ष 2015–16 में स्थापित दीर्घावधि ग्रामीण ऋण फंड के अधीन, वर्ष 2023–24 में ₹324.78 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। नाबार्ड ने वर्ष 2023–24 के लिए सहकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए ₹1,205 करोड़ की ऋण सीमा एस. टी. (एस.ए.ओ.) (शॉर्ट टर्म सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन) के अन्तर्गत स्वीकृत की है तथा बैंकों द्वारा 31 मार्च 2024 तक ₹1124.29 करोड़ का पुर्नवित्त नाबार्ड से लिया गया है। नाबार्ड ने वर्ष 2023–24 के लिए अल्पावधि मौसमी कृषि कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए भी सहकारी बैंकों एवं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को ₹ 100.00 करोड़ की अल्पावधि (अन्य) पुनर्वित्त की मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत बैंकों ने 31 मार्च 2024 तक तक ₹100 करोड़ का पुनर्वित्त नाबार्ड से लिया है।

8. सूक्ष्म ऋण (Micro Finance):

स्वयं सहायता समूह– बैंक ऋण सहबद्धता कार्यक्रम (एसएचजी बीएलपी) अब पूरे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च स्तर पर पहुँचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। उत्तराखंड राज्य में 31 मार्च 2024 तक 107988 स्वयं सहायता समूहों और 3,25,281 संयुक्त देयता समूहों को क्रेडिट लिंक किया गया है। नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों के सदस्यों को उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पिछले 8 वर्षों में आजीविका उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) के अंतर्गत 46 प्रशिक्षण और सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) के अंतर्गत 132 प्रशिक्षण प्रदान किए गए और कुल 9,190 लोगों को विभिन्न रोजगारपरक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। स्वयं सहायता समूह– बैंक ऋण सहबद्धता कार्यक्रम के हितधारकों के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एसएचजी के लिए गाँव स्तर पर कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है।

9. जलागम विकास निधि (Watershed Development Fund):

जलागम विकास निधि के अर्न्तगत चल रही 17 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई राशि ₹452.7 लाख में से ₹210.33 लाख वितरित किए गए हैं। सभी परियोजनाओं में लगभग 11,004 हेक्टेयर भूमि को सम्मिलित किया गया है।

10. जनजातीय विकास निधि (Triabl Development Fund) के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकास :

नाबार्ड ने जनजातीय विकास निधि के अर्न्तगत 13 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ₹2099.92 लाख में से ₹1,533.90 लाख की अनुदान राशि दिसम्बर, 2024 तक छोटे उद्यानों, पशुपालन, इत्यादि इकाइयों की स्थापना के लिए वितरित कर दी है। इन परियोजनाओं से 4,845 जन जातीय परिवार लाभान्वित हुए हैं।

11. किसान उत्पादक संगठनों (Farmers Producers Organization) को प्रोत्साहनः

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को अब व्यापक रूप से एकत्रीकरण, बड़े पैमाने की किफ़ायतों, संसाधनों के पूलिंग के लाभों को हासिल करने और किसानों के बीच बिखरी हुई जोत और अव्यवस्था की चुनौतियों को कम करने के उपाय के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। एफपीओ की सामूहिक अवधारणा, विशेष रूप से, छोटी जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है क्योंकि एफपीओ सदस्य सामूहिक रूप से नवीनतम तकनीक, गुणवत्ता वाले इनपुट जैसे बीज, उर्वरक आदि को अपनाने के लिए अपनी पहुंच बना सकते हैं। एफपीओ सदस्य अपनी योग्य अधिशेष (मार्केटिंग सरप्लस) को व्यक्तिगत रूप से बेचने के बजाय थोक में बेचने से अच्छा मूल्य प्राप्त करते हैं। राज्य में, नाबार्ड ने 136 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बनाने में सहायता प्रदान की है। 2014–16 के दौरान प्रोड्यूस फंड के तहत ₹468. 22 लाख की अनुदान सहायता के साथ 51 एफपीओ बनाए गए हैं। 2018–19 से 2024–25 (दिसम्बर 2024) तक पीओडीएफ आईडी फंड के तहत 56 एफपीओ को ₹958.46 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गई है। 2021–22 से 2024–25 (दिसम्बर 2024) तक एफपीओ की केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत ₹613.23 लाख की अनुसन सहायता प्रदान की गयी है। वर्तमान में, राज्य में नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त 106 सक्रिय एफपीओ हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2019–20 के बजट में 10,000 एफपीओ को बनाने एवं पोषण हेतु केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम की घोषणा की थी, जो अगले 05 वर्ष के दौरान क्रियान्वित की जाएगी। स्कीम के उचित क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करने हेतु दो अलग–क्रेडिट गारंटी फंड (₹1,000 करोड़ का फंड नाबार्ड के पास एवं ₹500 करोड़ एनसीडीसी के पास) बनाए गए हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए एफपीओ पर केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत 165 क्लस्टर (नाबार्ड : 30, एनसीडीसीरू 36, नाफेड : 31, एनडीडीबी : 4, ट्राईफेड : 2 और एसएफएसी 47, एफडीआरवीसी : 15) एफपीओ बनाये गये है। नाबार्ड की सब्सिडियरी नैबकिसान फाइनेंस लि. द्वारा भी 05 एफपीओ को क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई है।

12. ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र (Rural Non-Agriculture sector):

नाबार्ड ने ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त नाबार्ड युवाओं के लिए कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। नाबार्ड आरसेटी (RSETI)/रूडसेटी (RUDSETI), (एनएसडीसी) NSDC अनुमोदित साझेदार, गैर सरकारी संगठन कॉर्पोरेट संस्थानो के सीएसआर जैसी संस्थाएं जोकि ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देती हैं ताकि उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार मिल सके और वे आय–सृजक गतिविधियां शुरू कर सकें जिसके लिए नाबार्ड आर्थिक सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य के ग्रामीण युवकों के कौशल विकास हेतु नाबार्ड ने 10 कौशल प्ररिशिक्षण कार्यक्रम हेतु ₹26.20 लाख के अनुदान को स्वीकृति प्रदान की है।

13. निवेश ऋण (Investment Credit)– सब्सिडी स्कीम

क) नाबार्ड 01 अप्रैल 2014 से एकीकृत कृषि आधारभूत संरचना योजना (ISAM) की उपयोजना कृषि विपणन आधारभूत सुविधा (AMI) के अंतर्गत सब्सिडी का प्रबंधन करता रहा है. भारत सरकार की विपणन योग्य कृषि संबंधी अधिशेष के प्रभावी

प्रबंधन के लिए विपणन संबंधी बुनियादी ढाँचे के विकास एवं फसल कटाई में प्रयुक्त होने वाली नवप्रवर्तनशील तकनीकों को बढ़ावा देने वाली एक नई AMI योजना भी, 22 अक्तूबर 2018 से 31 मार्च 2026 तक क्रियाशील है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों हेतु 50 एमटी से 10000 एमटी की क्षमता के कृषि गोदामों एवं अन्य कृषि मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु 33.33/25 प्रतिशत की सब्सिडी लागत का प्रावधान है। इस योजना में अन्य गतिविधियों जैसे ग्रेडिंग, पैकिजिंग, गुणवत्ता परीक्षण, प्रणालीकरण, मूल्य संवर्धन सुविधाएं, इत्यादि हेतु भी सब्सिडी देने का प्रावधान है।

ख) इसके अतिरिक्त भारत सरकार की एक अन्य योजना–कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केन्द्र (ACABC) योजना भी राज्य में संचालित की जा रही है जिसके लिए नाबार्ड के माध्यम से अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य में 31.12.2024 तक, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केन्द्र योजना के के अन्तर्गत 60 लाभार्थियों को ₹350.64 लाख का अनुदान दिया गया है।

14. संस्थागत विकास (Institutional Development):

नाबार्ड ने पिछले 03 वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों/समितियों के 1,391 स्टाफ सदस्यों को 69 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई है। 670 पैक्स के कंपयूटरीकरण हेतु हेतु ₹ 5.00 करोड़ की सहायता, 17 पैक्स के लिए इनफ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता 02 जिला सहकारी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु एक्सपोजर विजिट तथा 04 जिला सहकारी बैंकों के लिए ओडीआई (Organizational Development Initiatives) आयोजित की गई है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने उत्तराखंड पैक्स के मौजूदा सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने और मौजूदा डेटा को राष्ट्रीय स्तर के डेटा रिपॉजिटरी पर स्थानांतरित करने के लिए पैक्स कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत उत्तराखंड राज्य को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। सहकारिता मंत्रालय ने पत्र दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से पैक्स कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत उत्तराखंड को 13.48 करोड़ रुपये मंजूर किए है। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अनुसार, सभी 670 पैक्स को 31.03.2025 तक ए–पैक्स मोड में पहुंचाना है।

15. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion):

वित्तीय समावेशन भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है, जिसका उद्देश्य देश में अब तक किफायती लागत पर वित्तीय सेवाएँ प्राप्त न कर पाने वाली बड़ी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। नाबार्ड द्वारा पिछले 03 वर्षों के दौरान राज्य में 9,311 वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता कैंप, 21 डेमो वैन, 1115 पोसध्एमपीओएस, 629 माइक्रो एटीएम, आदि स्वीकृत की हैं। वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 के दौरान क्रमशः आरएस 948 लाख व ₹ 379 लाख (31 मार्च 2024 तक) की अनुदान सहायता 'फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड' के तहत वित्तीय संस्थाओं को स्वीकृत की गई है।

16. नैबकॉन्स (नाबार्ड Consultancy Services-NABCONS)

नैबकॉन्स नाबार्ड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है और यह कृषि ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करती है। नेबकॉन्स जिन मुख्य क्षेत्रों में परामर्श कार्य प्रदान करती है वह है– व्यवहारता अध्ययन,

परियोजना तैयार करना, मूल्यांकन, वित्त–पोषण व्यवस्था, परियोजना प्रबंधन और निगरानी, कृषि व्यापार इकाइयों का पुनर्गठन, प्रदर्शन यात्राएं और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण, गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना आदि।

नैबकॉन्स ने उत्तराखण्ड राज्य में उच्चतम गुणवत्ता एवं ग्राहक संतुष्टि के साथ निम्नलिखित प्रमुख कार्य पूर्ण किए हैं:

I- उत्तराखण्ड वन विभाग के लिए "ग्रीन इंडिया मिशन" के अन्तर्गत परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना।

ii- किसान जैविक प्रसंस्करण एवं ट्रेडिंग यूनिट के लिए खाद्य प्रसंस्करण एव ट्रेडिंग प्रोजेक्ट का मूल्यांकन।

iii. भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के लिए गोदामों के प्रत्यापन का कार्य।

iv. हमालयन फूड पार्क परियोजना, काशीपुर का मूल्यांकन।

v. राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं फील्ड मॉनिटरिंग।

vi. पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) के अन्तर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं फील्ड मॉनिटरिंग।

vii. उत्तराखण्ड लाइव स्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा कालसी में संकर पशु प्रजनन केन्द्र के अवस्थापना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का निर्माण।

viii. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित "सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों का त्रिपक्षीय मूल्यांकन।

ix. उत्तराखण्ड को–आपरेटिव फेडेरेशन लिमिटेड द्वारा सोयबीन व खाद्य तेल प्रसंस्करण केन्द्र हल्दूचौड, हल्द्वानी में प्रकल्पित खाद्य प्रसंसकरण केन्द्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का निर्माण।

x. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि. के अधिकार में आने वाली 102 पैक्सों के बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों में उन्नयन हेतु बेस लाइन सर्वे और डीपीआर का निर्माण।

xi. राज्य में स्थित 1,028 कृषि उपज भण्डारण गोदामों के जीओ टेगिंग का कार्य।

xii. एसजेवीएन द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों के स्वतंत्र मूल्यांकन का कार्य।

xiv. उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित होने वाले खाद्यान्नों के लिए श्वेत पत्र का निर्माण।

xv. वर्ष 2022 से 2024 के दरम्यान, जिला चमोली, उत्तराखंड में विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (वीपीएचईपी) की पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) की निगरानी और मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष की निगरानी और मूल्यांकन के लिए ₹30,59,891/– का अनुबंध किया गया था। परियोजना को ससमय अवधि में क्रियान्वित किया गया है और इसमें 2000 से अधिक हाउस होल्ड शामिल थे।

xvi. उत्तराखण्ड कृषि विभाग के लिए कृषि उत्पादक संगठनों के संवर्धन के लिए राज्य स्तरीय नीति तैयार करना।

xvii. सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रही विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत सहसपुर पैक्स के लिए अनाज भंडारण की स्थापना, इत्यादि।

17. उत्तराखण्ड में जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड की पहलः

i. नाबार्ड को यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज के अन्तर्गत स्थापित अनुकूलन निधि (Adaptation Fund) एवं भारत सरकार द्वारा स्थापित जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (Adaptation Fund For Climate Change) के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (National Implementing Agency) तथा ग्रीन क्लाइमेंट फन्ड (GCF) के लिए डायरेक्ट एक्सेस इकाई (Direct Access Entity) नामित किया गया है।

ii. अनुकूलन निधि के तहत उत्तराखण्ड में ₹5.36 करोड की लागत वाली एक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना चम्पावत जिले में नाबार्ड द्वारा बी.ए.आई.एफ (कार्यकारी इकाई) की सहायता से निष्पादित किया जा चुका है। इस परियोजना से लगभग 800 परिवार लाभान्वित हुए है। इस परियोजना के तहत लगभग ₹4.69 करोड की वित्तीय सहायता वितरित की गई है। पपपण नाबार्ड के जलवायु परिवर्तन निधि के तहत उत्तरकाशी व चमोली जनपद में जीरो एनर्जि कोल्ड स्टोरेज की इकाई व गाय के गोबर में मूल्य वर्धन करके उत्पाद बनाने (दिया, मूर्ति इत्यादि) की परियोजनाएं क्रियान्वित हुई हैं।

18. नाबार्ड की अन्य महत्वपूर्ण स्कीम/ पहले I- पैक्स एक बहुउद्देशीय सेवा केंद्र (PACS as MSC)

पैक्स को आत्म निर्भर बनाने हेतु कुछ उचित विकल्प है जैसे कि व्यवसाय का विविधिकरण, उपक्रमों के लिए रास्ते तलाशने एवं संसाधनों का उचित व्यवस्था कराना, आदि हैं। इसी उद्देश्य के लिए नाबार्ड ने पैक्स को एमएससी के रूप में परिवर्तित करने हेतु विशेष पुनर्वित्त स्कीम वर्ष 2020–21 में लागू की है। इस योजना के तहत नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों को प्रधान मंत्री अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत लगाई गयी परियोजनाओं के लिए 3: प्रतिवर्ष की दर से (समय–समय पर परिवर्तित), इस शर्त के साथ कि पैक्स से नाबार्ड द्वारा वसूले गए ब्याज से 1: से ज्यादा ब्याज नहीं वसूला जाएगा, सहायता प्रदान कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए प्रोजेक्ट एग्री इंनफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अधीन ब्याज में छूट (Interest Subvention) प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे।

II. एग्री इंनफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF): भारत सरकार की आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत इस महत्वाकांक्षी योजना को 09 अगस्त, 2020 को लागू किया था। इस योजना के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ढाँचे एवं सामुदायिक कृषि हेतु 3% प्रतिवर्ष की दर पर 7 वर्ष के अधिकतम समय के लिए मध्यम एवं दीर्घ अवधि का ऋण उपलब्ध है। इस योजना के अधीन भारत/ पूरे देश हेतु आरएस1. 00 लाख करोड़ के ऋण (उत्तराखण्ड राज्य के लिए छ वर्षों (2020–21 से 2025–26 हेतु ₹785.00 करोड़ के ऋण की स्वीकृति का लक्ष्य) रखा गया है। एआईएफ तथा भारत सरकार के World's Largest Decentralized Grain Storage Programme के अंतर्गत उत्तराखंड में सहसपुर पैक्स, देहरादून द्वारा ₹1.28 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे साइलो (गोदाम) हेतु 3% ब्याज छूट का लाभ लिया जा रहा है तथा भारत सरकार की अमी स्कीम के अंतर्गत सब्सिडि के लाभ के लिए भी यह प्रोजेक्ट पात्र है। इस प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड द्वारा 3% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर

उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक को ₹98.00 लाख के पुनर्वित्त की मंजूरी भी दि गयी है व 31.03.2024 तक ₹45.00 लाख का पुनर्वित्त दिया जा चुका है।

III. वाटर, सेनिटेशन एवं हाईजीन (WASH) हेतु पुनर्वित स्कीम: नाबार्ड ने भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के दौरान उच्च जीवन स्तर को सतत रूप से बनाए रखने के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2020–21 के दौरान आरएस 800.00 करोड़ की यह पुनर्वित स्कीम प्रारंभ की है। इस स्कीम के तहत नाबार्ड सभी पात्र वित्तीय संस्थाओं (वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों सहित) को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु पुनर्वित्त प्रदान करता है।

IV. माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इन्टरप्राईजेज को बढ़ावा देने हेतु विशेष पुनर्वित स्कीम: यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन अवसर उपलब्ध कराने हेतु जिसमे विशेष फोकस महिला उद्यमियों एवं एसपीरेशनल जिलों पर होगा। यह स्कीम एग्री वैल्यू को बढ़ाने एवं सुदृढ़ करने के लिए बनाए गए हैं। इस योजना के लाभार्थियों को बैंक से रियायती दरों पर ऋण तथा बैंकों को ऋण के सापेक्ष पुनर्वित्त सहायता का प्रावधान है।

V. सोलर रूफ टॉप (एसआरटी) के साथ ग्रामीण आवास ऋण हेतु विशेष पुनर्वित स्कीम: संशोधित एनडीसी के अनुसार, भारत ने 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 50: तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इसके समर्थन में, नाबार्ड ग्रिड से जुड़ी एसआरटी प्रणाली की स्थापना के साथ आवासीय घरों के निर्माण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को कम ब्याज दर पर पुनर्वित्त प्रदान कर रहा है।

VI- आकांक्षी जिलों और कम प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) वाले जिलों के लिए विशेष पुनर्वित योजना: प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए नाबार्ड कम पीएसएल वाले जिलों व आकांक्षी जिलों में काम करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को कृषि एवं ग्रामीण विकास में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु रियायती ब्याज दर पर पुनर्वित्त प्रदान कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत 31.12.2024 तक नाबार्ड द्वारा रियायती ब्याज दर पर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक को ₹14.00 करोड़ का दीर्घकालिक पुनर्वित प्रदान किया जा चुका है।

VII. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना: एआईएफ परियोजनाओं में ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक) द्वारा ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 6% प्रति वर्ष की रियायती दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है।

VIII. स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु पुनर्वित्त योजना: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को एन. आर.एल.एम (NRLM) के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करने के लिए 3%प्रति वर्ष की रियायती दर पर पुनर्वित्त प्रदान किया जा रहा है। जिससे उन स्वयं सहायता समूहो को 3 लाख रुपये तक का ऋण 7% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर और 3 से 5 लाख रुपये के ऋण के लिए 10% प्रति वर्ष या 1 वर्षीय एमसीएलआर या बैंक की बैंचमार्क दर, जो भी कम हो, की ब्याज दर पर उपलब्ध हो सके।

19. महासंघों को ऋण सुविधा (Credit Facility to Federations): विपणन महासंघ और सहकारी समितियाँ कृषि व्यवसाय और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन संस्थाओं द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ कृषि वस्तुओं की खरीद, एकत्रीकरण, भंडारण और मूल्य संवर्धन और विपणन हैं। इन महासंघों और सहकारी समितियों को अपने दिन–प्रतिदिन के कार्यों का समर्थन करने हेतु तथा विपणन कार्यों के लिए अल्पकालिक ऋण सुविधा की आवश्यकता होती है। महासंघों को उनके खरीद कार्यों में नाबार्ड सीएफएफ के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। यह एक अल्पकालिक ऋण सुविधा है जो राज्य एजेंसियों जैसे महासंघों और सहकारी समितियों द्वारा कृषि उपज के विपणन को समर्थन देने के लिए दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, नाबार्ड ने सीएफएफ के तहत उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (यूसीएफ) को 100 करोड़ रुपये मंजूर किए थे।

20. राज्य सरकारों को ग्रामीण अवसंरचना सहायता (Rural Infrastructure Assistance to State Governments (RIAS)): बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के विकास का चालक है और राज्य की कठिन भौगोलिक स्थिति तथा पहाड़ी इलाकों के कारण उत्तराखंड सरकार को बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की आवश्यकता है। राज्य सरकारों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड ने राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने के लिए

RIAS के तहत ऋण और ऋण प्लस हस्तक्षेप से राज्यों के साथ साझेदारी को मजबूत करने पर विचार कर रहा है। उत्तराखंड सरकार उन क्षेत्रों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं की पहचान कर सकती है जो राज्य के लिए प्राथमिकताएं हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार रियस के तहत ऋण प्राप्त करने पर विचार कर सकती है।